# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 10 ] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 71 वां दिवस [ संख्या 41

मंगलवार दिनांक 25-5-1971.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के पहले मैं एक सूचना देना चाहूंगा क्योंकि वह समिति के सदस्यों के चुनाव से संबंधित है-आपकी अनुमति से ।

कुछ माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है सन् 1971-72 के वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न समितियों के सदस्यों के चुने जाने सम्बन्धी नामों के वापस लेने का समय दिन के 1 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय वह बढ़ा दिया गया है तत्पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो दो बजे से पांच बजे तक चुनाव कराये जायेंगे।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[चनाव, यातायात, शिक्षा, आबकारी, विद्युत्, चायत, समाज कल्याण, चिकित्सा सिंचाई राजस्व, पुनर्वास, नगर विकास न्यास विभाग]

**वित्तीय समितियों के चुनाव संबंधी समय में वृद्धि की सूचना**

प्रश्न : श्री जुझारसिंह

**चुनाव के लिये एक्वायर की गई बसें**

903. श्री जुझारसिंह (रामगन्ज मंडी) क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ चुनाव क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्गों पर चलने वाली बसों को भी चुनाव के लिये ग्रहण कर लिया गया था ? यदि हां, तो कितनी बसों को कौन कौन से मार्ग पर कब से ग्रहण किया गया था ?

(2) झालावाड़ पार्लियामेन्ट्री चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिये कितनी बसें ट्रक व जीपें सरकार द्वारा एक्वायर की गई थीं और उन पर कितना कितना किराया दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि एसोशियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज के करीब 35 ट्रक कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्य में लगाये गये थे व उनका झालावाड़ जिले में जुलूस भी निकाला गया था ? यदि हां, तो इस कम्पनी के ट्रक इलेक्शन में एक्वायर नहीं करने के क्या कारण हैं ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) (यातायात मन्त्री के स्थान पर) : (1) जी हां. निम्न लिखित 6 मार्गों को महत्व पूर्ण माना जाय तो उनमें से प्रत्येक मार्ग पर से निम्नलिखित रूप से गाड़ियां अधिग्रहण की गई थी ।

| रूट का नाम जिस पर गाड़ियां चलती है। | रूट पर स्वीकृत परमिटों की संख्या | अधिग्रहण की गई गाड़ियों रोडवेज की संख्या |
|---|---|---|
| कोटा, अकलेरा वाया दरा-सांगोद या बारां | 8 | 4 |

# Page No 2



(श्री नारायण सिंह मसूदा)

| | | |
|---|---|---|
| बारां-पाटन वाया झालावाड | 5 | 3 |
| भवानी मंडी सोयत वाया सुनेल | 3 | 1 |
| अकलेरा-भवानी मण्डी | 2 | 1 |
| डग झालावाड | 2 | 1 |
| कोटा-बकानी वाया झालावाड़ | 5 | 2 |

चुनाव में गाडियां 19-2-71 से अधिग्रहण की गई थीं ।

(2) 38 बसें, 65 ट्रक व 38 जीपें काम में ली गई थीं । खर्चे के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(3) एसोशियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज की फर्म झालावाड जिले में नहीं है । यह कोटा जिले में है । इसलिये जिलाधीश, झालावाड़ ने उक्त गाड़ियां एक्वायर नहीं की ।

**श्री रामप्रसाद बोहरा** : अध्यक्ष महोदय, ये गाड़ियां कौनसी तारीख को एक्वायर की गई थीं ।

**श्री नारायणसिंह** : 19 तारीख को ।

**श्री राम प्रसाद बोहरा** : राजस्थान के अन्य जिलों में गाडियां कब एक्वायर की गई थीं ?

**श्री नारायण सिंह** : और जिलों की मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं ।

**श्री जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग सभी जगह 26 तारीख को गाड़ियां बुलाई गई थीं जब कि झालावाड जिले में 19 को बुला ली गई । सात रोज तक रोक कर पैसे खा गये । मजबूर होकर चिट्ठी लिखी । आप यह जानकारी दे दें किस-किस प्रकार कितनी-कितनी गाड़ियां कब कब छोड़ी गई?

**श्री अध्यक्ष** : स्पष्टीकरण ।

**श्री नारायणसिंह** : चुनाव की तिथि 1-4-71 थी और 28 दिन का महीना था । पैट्रोल डीजल, टायर ट्यूब आदि की उपलब्धि के लिहाज से यह पाया गया था कि वहां पर पेट्रोल, डीजल की कमी रहेगी और कुछ टायरों वगैरह का भी अभाव था, उनका ऐसा खयाल था कि राजस्थान सरकार कीमतें दे देगी इसलिये बहुत सी गाड़ियों में पुराने ट्यूब टायर लगा दिये गये । इस इतमीनान के कारण कलेक्टर ने 19 तारीख से एक्वायर करली ताकि वक्त पर दिक्कत न पड़ जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : पर्याप्त है ।

**श्री जुझारसिंह** : क्या आपने कुछ बसें 19 तारीख को रखी और कुछ बसेज को रिलीज किया, यदि हां, तो कब कब और कितनी कितनी बसों को रिलीज किया ।

**श्री नारायणसिंह** : रिलीज 6 ट्रकों को किया है ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : कुल वेहिकल्स ट्रक, बसें, जीपें कितनी कितनी एक्वायर की गई थीं ।

**श्री नारायण सिंह** : इस बारे में मुझे सूचना नहीं है ।

**श्री जुझारसिंह** : सूचना क्यों नहीं है ? आपसे प्रश्न में पूछा गया है । 19 तारीख को एक्वायर करली और जैसे जैसे इन्फ्लूऐंशल लोगों की सिफारिशें आई उन उन को छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को परेशान किया गया है ।

श्री नारायणसिंह : जरूरत तो थी। रिलीज के लिये सही आंकड़े अभी नहीं बता सकता हूं।

श्री जुझारसिंह : या रामगंज मन्डी झालावाड़ से नहीं आती है। झालावाड पार्लियामेंट्री कान्स्टीटूयेंसी क्षेत्र में आता है। इन्होंने रिक्वीजीशन में यह पूछा-कांग्रेस पार्टी के चुनावों में 35 ट्रक हर तहसील हर ग्राम में एक्वायर . . .

श्री अध्यक्ष : यह झालावाड में आता है कि नहीं, यह बता दीजिये।

श्री नारायण सिंह : कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मंत्री महोदय ने झालावाड़ में लिखा है।

श्री नारायण सिंह : यह पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र में जरूर आता है परन्तु जो रिटर्निंग आफिसर हैं, वह असेम्बली कान्स्टीटूएंसी वाइज हुए हैं, और उसी की असेम्बली कान्स्टीटूएंसी रहो है। उसके अलग अलग इन्चार्ज रहे हैं।

श्री दिग्विजसिंह : रिटर्निंग आफिसर तो कलक्टर झालावाड़ ही थे।

श्री दौलतराम सारण : लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी कलेक्टर झालावाड़ थे।

श्री नारायण सिंह : कलक्टर झालावाड़ ने झालावाड़ में जितनी उपलब्धियां थीं इसके अनुसार किया है और कोटा जिलाधीश हैं उन्होंने अलग की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर झालावाड़ थे उन्होंने केवल झालावाड़ में ही एक्वायर नहीं किये बल्कि कोटा में हमने खुद ने रिलीज कराई है।

श्री नारायणसिंह : झालावाड़ कलेक्टर ने झालावाड़ में की है और कोटा जिलाधीश ने कोटा में की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: हमने स्वयं ने जा जा कर रिलीज कराई है। झालावाड़ जिले में कोटा जिले की गाड़ियों को एक्वायर कया था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री नारायणसिंह : मैं इसमें निवेदन कर दूं कोई अनियमितता है तो इलेक्शन पिटीशन की जा सकती है।

श्री देवीदत्त गाडिया : पैसे खा गये। एक एक बस पर कलक्टर ने 500-500 रु. खाये हैं . . .

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न कर्ता।

श्री जुझार सिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर को एक निवेदन पत्र भेजा गया था कि मोटर वेहीकल एक्ट के अगेन्स्ट में बसों में 200-200 सवारियां ले जा रहे हैं?

श्री नारायणसिंह : इस विषय में सूचना अभी नहीं है। कोई अनियमितता की है तो जांच कर ली जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि हर निर्वाचन अधिकारी को कितने व्हीकल एक्वायर करने चाहिये, इस प्रकार के डाइरेक्शन जयपुर से भेजे गये हैं?

# Page No 4



**श्री नारा णसिंह** : डाइरेक्शन थे भी और आवश्यकतानुसार · ·

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : सजेशन दिया था, आवश्यकतानुसार नहीं है · ·

**श्री नारायणसिंह** : हर जिले की आवश्यकता अलग अलग है और उन पर डिस्क्रीशन छोड़ दिया था । जितनी चाहे उतनी कर लें।

**श्री दिग्विजय सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं–बहुत महत्वपूर्ण है जितनी आवश्यकता थी उसके अनुसार एक्वायर करली तो उनको बाद में रिलीज करने के क्या कारण हैं ।

**श्री नारायण सिंह** : मैं निवेदन करता हूं · · ·

**श्री दग्विजय सिंह** : मेरा आपसे निवेदन है · · ·

**श्री अध्यक्ष** : कारण तो बताने दीजिये ।

**श्री नारायणसिंह** : रिक्वीजिशन की गई है, वह आवश्यकतानुसार की गई है और मैंने डि-रिक्वीजिशन के लिये निवेदन किया है । मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है । इसलिये पूरी नहीं बता सकता हूं ।

**श्री दौलतराम सारण** : क्या यह सही है कि चुनाव विभाग ने निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर झालावाड़ को यह सूचित किया था कि फलां दिनांक से इतनी गाड़ियां पोलिंग स्टेशनाउज इसी हिसाब से रिक्वीजिश करके लगाई जायें ।

**श्री नारायणसिंह** : नहीं है । यहां से केवल हर एक कलेक्टर को यह कह दिया गया था कि पोलिंग स्टेशन के अनुसार पूर्ण व्यवस्था करलें और उनके डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया था ।

**श्री दौलतराम सारण** : आवश्यकता के के लिये अगर अंकित की गई थी तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता होगी ?

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, एक चीज स्पष्ट है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी · · ·

**श्री अध्यक्ष** : मेरे पास 35 स्थगित प्रश्न है यह खयाल रखें और 35 ही स्थगित प्रश्न महत्वपूर्ण है । आप चाहें तो एक घण्टा इसी प्रश्न पर लेलें ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : एक मिनिट । एक प्रश्न है । क्या यह सही है कि बस आपरेटर्स ने राज्य सरकार से यह शिकायत की है कि कलेक्टर ने कई को बहुत दिनों तक काम पर लगाया नहीं और 15 दिन तक बेकार रखा और उसके बाद में हजार और 500 रुपया रिश्वत लेकर बाद में रिलीज किया । उनसे कहा कि कांग्रेस फण्ड में चन्दा दो और उसके बाद उनको छोड़ दिया । इस प्रकार से उनके ऊपर आपने कार्यवाही नहीं की ?

**श्री नारायण सिंह** : इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है । इसके बारे में और जानकारी करली जायगी ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि सदन के अन्दर माननीय मंत्रीजी को जानकारी होते हुए भी कहते हैं कि जानकारी नहीं है । माननीय अध्यक्ष

# Page No 5



(श्री देवीदत्त गाड़िया)
कलेक्टर ने कांग्रेस के एम. पी. नाथूलाल जैन के लिये चन्दा फण्ड में पैसा इकट्ठा कर लिया। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया . . .

**श्री गिरधारीलाल** : गलत है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : और उसके बाद में 500-500 और हजार, हजार रुपया लेकर उनको छोड़ा, और उसके बाद में नाथूलाल जी जैन को दिया।

**श्री अध्यक्ष** : यातायात मंत्री।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : नाथूलाल जी जैन को देने का तथ्य गलत है।

**श्री अध्यक्ष** : बैठे हुए जो माननीय सदस्य बोलें वह कोई अंकित न हो।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : खास तौर से चीफ व्हिप का।

**श्री अध्यक्ष** : सामान्य सदस्यों का।

नेक्स्ट।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री हरजी राम बुरड़क।

**लाडनूं-मणु मार्ग पर चलने वाली बसें**

904. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या यातयात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि लाडनूं से मणु वाया सुनारी, हीरावती व ओडीट यात्री बस चली थी ? यदि हां, तो कब से कब तक किस मोटर मालिक की और परमिट कब मिला था और बस कब चलनी चाहिये थी और कब तक चली ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस समय उक्त बसें बन्द हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों तथा राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस रूट पर स्थायी रूप से बसें चलाने के लिये व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से।

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस मार्ग पर पहले भी कई बार बसें चली हैं और बन्द हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब और क्यों तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या असर हुआ ?

**उप मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल)** : (1) जी नहीं। लाडनूं से मणु तक गाड़ी चलाने के लिये कोई परमिट नहीं दिये गये हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस मार्ग पर बसें चलाने के लिये सर्वेक्षण कराकर ही निर्णय लिया जायगा।

(4) लाडनूं से मणु मार्ग का कोई परमिट भी नहीं दिया गया अतः बसें चलने, बन्द होने व कार्यवाही करने का प्रश्न भी नहीं उठता।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : मंत्री महोदय गलत उत्तर दे रहे हैं। यह बसें मेरे गांव से जाती हैं और मैं रोज ही जाता हूं। व महीने में 15 दिन बन्द रहती है और 6 महीने से अब चालू हुई हैं और 15-20 दिन से चल रही हैं।

Page No 6



**श्री अध्यक्ष** : क्या यह ठीक है ?

**श्री समरथलाल** : माननीय अध्यक्ष ऐसा निवेदन है कि लाडनूं से इसके अन्दर बसें रन करती हैं लाडनूं से रीडी और लाडनूं से जीजिया, इन दो मार्गों पर बसें चलती हैं।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : इसमें आपको जानकारी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : आप फिर जानकारी कर लें।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : सरासर गलत उत्तर दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : इसकी जानकारी फिर कर लें।

**श्री समरथलाल** : गलत नहीं सही है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, सरासर गलत बात कही जा रही है। यह रोड़ नहीं है बसों का सवाल दूसरा है।

**श्री अध्यक्ष** : वह नहीं जानते होंगे।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : यह कह रहे हैं कि सही है। मैं कह रहा हूं कि बस जाती है और मैं आता जाता रहता हूं और यह कह रहे हैं कि परमिट ही नहीं दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : क्या किया जाय ?

**श्री हरजीराम बुरड़क** : यह कह दें कि जानकारी नहीं है।

**श्री समरथलाल** : माननीय अध्यक्षजी, मार्ग दूसरा है। इन्होंने पूछा लाडनूं से मणु के लिये तो यह मार्ग नहीं है। मैंने वह मार्ग बता दिया जिसमें मणु, सतवारा और जिसमें मणु आता है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : क्या इसको स्थगित करदें।

**श्री न.धीसिंह** : आप कल से तो हाउस ही स्थगित करके चले जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अब देखिये आगे आगे होता है क्या।

नेक्स्ट। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

**राजकीय महाविद्यालय कोटा में नये विषय।**

905 **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय कोटा में नये सत्र में सन् 71-72 के लिये नये विषय खोलने के लिये प्रस्ताव किये गये हैं अगर हां, तो कौन कौनसे व सरकार उस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त कालेज में लेबर लाज, एल.एल.एम., एम. ए. (इतिहास) एम. ए. (गणित) विषय खोलने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मास्टर आफ बिजीनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री कोर्सेस प्रारंभ करने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्या कोटा में कालेज में यह कोर्स प्रारम्भ किया जायेगा ? अगर हां, तो कब तक ?

**उप मंत्री, शिक्षा (श्री राव धीरसिंह)** : (1) जी हां। निम्न विषय खोलने के प्रस्ताव किये गये हैं ?

# Page No 7



**श्री कृष्णकुमार गोयल** : दुबारा पढ़े ।

**उपमंत्री, शिक्षा (श्री धीर सिंह)** : (1) जी हां । निम्न विषय खोलने के प्रस्ताव किये गये हैं :—

(1) एम. ए. इतिहास
(2) एम. ए. गणित
(3) एल. एल. बी. डिग्री में श्रम विधि का एक पत्र ।

(2) राज्य सरकार राजकीय महाविद्यालय, कोटा में जुलाई 71 से उपरोक्त वर्णित विषय चालू कर रही है । एल. एल. एम. की क्लासेज चालू करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(3) मास्टर आफ बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स राजस्थान विश्व विद्यालय कामर्स कालेज, जयपुर में सत्र 68-69 से चालू की जा चुकी है । कोटा के औद्योगीकरण को देखते हुए गत वर्ष की उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय प्रारम्भ की चुकी है । अत वित्तीय साधनों की उपलब्ध को ध्यान में रखते हुए यह विषय वर्तमान में वहां खोला जाना सभव नहीं है ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : यह प्रश्न के खण्ड (2) में आपने बतलाया है कि कोटा में जुलाई से अमुक, अमुक विषय खोले हैं तो वह कौन कौन से बताये हैं ?

**श्री धीरसिंह** : यह मैंने बताये हैं इसलिये, इतिहास, गणित और एल. एल. एम. डिग्री में श्रम विधि का एक पत्र ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो कमीशन ने बिजीनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही है तो इसकी कोई कक्षा या क्लास नहीं है ।

**श्री धीरसिंह** : कामर्स कालेज के अन्दर यह विषय चालू किया गया है ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : कब से ?

**श्री धीरसिंह** : राजस्थान विश्वविद्यालय के 68-69 के सत्र से कामर्स कालेज में चालू किया गया है । कोटा के औद्योगीकरण को देखते हुए वहां पर कामर्स चालू कर दिया है । आप जो यह चाहते हैं कि बिजीनेस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर चालू किया जाय तो वह अभी पासिबल नहीं है ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय कमीशन ने बिजीनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिये अलग इन्स्टीट्यूशन खोला जाय यह सुझाव दिया है तो क्या वह प्रश्न विचाराधीन है और उस पर विचार हो रहा है ?

**श्री धीरसिंह** : यहां पर क्लासेज चालू की गई हैं बिजीनेस एडमिस्ट्रेशन की, और आप कोटा के औद्योगीकरण के बारे में कहना चाहते हैं और वहां पर चालू कराना चाहते हैं तो कामर्स क्लासेज तो चालू करदी हैं । औद्योगीकरण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है बिजीनेस एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया जाय तो वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे और वे एलाउ करेंगे तो आगे विचार किया जायगा । अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट !

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या विश्वविद्यालय स्वयं इस बात पर विचार कर रहा

# Page No 8



(श्री कृष्णकुमार गोयल)
है कि राजस्थान के अन्दर बिजीनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक इन्स्टीट्यूशन जैसा कि पिलानी के अन्दर है चालू की जाय, ऐसा विचार किया जा रहा है, क्या यह सही है?

श्री धोरसिंह : यह मामला वित्तीय साधनों से लिन्क्ड है। विचार करेंगे तो ग्रान्ट देनी पड़ेगी। उनके पास साधन थोड़े ही हैं खोलने के लिये। इसलिये मैंने कहा कि कामर्स कालेज में चालू की गई है और अभी और जगह चालू करने की स्थिति में नहीं

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जयपुर डिग्री कालेज में एक मन्त्री का रिश्तेदार लगा रखा है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर!

नेक्स्ट! श्री देवीलाल बुरासिया।

**केकड़ी-टोडारायसिंह मार्ग पर चलने वाली बसें।**

906. श्री **देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी से टोडारायसिंह मार्ग पर (सड़क) कितने बस मालिकों को बस चलाने हेतु कितने परमिट दिये थे व कब दिये गये और उनके क्या क्या नाम हैं, और क्या उनका समय निर्धारित किया हुआ है?

(2) क्या उक्त रोड पर सिंगल टायर की बस चलाने का परमिट दिया गया है?

(3) क्या उक्त बसों की कभी भी किसी सेल्स टैक्स आफिसर एवं अन्य अधिकारी द्वारा चैकिंग की गई? अगर हां, तो कब-कब?

(4) क्या उक्त बस मालिकों के कभी चालान किये गये हैं?

(5) क्या उक्त रोड पर अत्यधिक मात्रा में यात्रियों का आवागमन है और उसे देखते हुए बघेरा कस्बा के लिये एक बस अलग से चालू करवाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो कब तक चालू कर दी जावेगी?

**उप मंत्री यातायात** (श्री समर्थलाल) : केकड़ी से टोडारायसिंह मार्ग पर कुल तीन बस परमिट दिये गये थे। बस मालिकों के नाम परमिटों का विवरण व बसों की समय सारणी आदि की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) परमिट में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है।

(3) सेल्स टैक्स अधिकारियों का सम्बन्ध वाणिज्य कर विभाग से है। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर गाड़ियां चैक की जाती रहती हैं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, जयपुर को एक नया मार्ग टौंक से केकड़ी वाया टोडारायसिंह बघेरा होकर दि. 22-3-71

(श्री समरथलाल)
को मिला है एवं उस पर एक सर्विस चलाने के लिये दो परमिट प्राधिकरण की आगामी बैठक में दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, फलतः बघेरा कस्बा में जाने के लिये एक बस सेवा की वृद्धि हो जायेगी जिससे यात्रियों को आवागमन की वान्छित सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

**अलवर जिले में शराब के ठेकों की नीलामी।**

907. श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा खैरथल, हरसोली, किशनगढ़ व मुन्डावर क़स्बों के शराब के ठेके तारीख़ 27 व 28 मार्च को अलग अलग नीलाम किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि इन ठेकों में ठेकेदारों ने खैरथल का 1.80 लाख हरसोली का 45 हज़ार, किशनगढ़ का 95 हज़ार व मुन्डावर का 35 हज़ार की बोली लगाई ? मगर ज़िला अधिकारी ने अलग अलग ठेका छोड़ने के बजाय सारे क़स्बों के ठेके एक साथ नीलाम कर दिये और दो लाख में एक ठेकेदार के नाम ठेका छोड़ दिया ?

(3) क्या यह सही है कि एक साथ ठेका छोड़ने में सरकार को 1.55 लाख का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है।

**उप मंत्री आबकारी,** (श्री शिवचरण सिंह) : (1) शराब दुकान हरसोली के अलावा अन्य दुकानें अलग-अलग नीलाम की गई थीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। इसलिये सरकार द्वारा कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : क्या यह ठेके अलग अलग नीलाम किये गये हैं या जोड़ दिया गया है सब को ?

**श्री शिवचरण सिंह** : अलग अगल किये गये थे लेकिन बोली पूरी नहीं आने के कारण फिर ग्रुप बनाकर दिये गये टेम्परेरिरी।

श्री **कृष्ण कुमार गोयल**: टैम्पोरेरी का क्या मतलब ?

श्री **शिवचरण सिंह** : ऐसा है कि एक फ़िक्स्ड रक़म 2,77,130 रुपये यह जब आफ़र में प्राप्त नहीं हुई तो अलग अलग दुकान नीलाम की गई तो अलग अलग नीलाम में 1,90,000 रुपये प्राप्त हुए। 1,90,000 रुपये के बाद में जब ग्रुप बनाया गया तो दो लाख की आफर आई तो दो लाख का पेमेन्ट हो गया था और दुकानें देनी थीं सबजेक्ट टू दी एप्रूवल आफ दी गवर्नमेन्ट पर चालू रखा है। इसी ड्यूरेशन में किसी दूसरी पार्टी ने एप्लीकेशन दी कि हम ज्यादा रुपये में इसको ले सकते हैं तो पार्टी को इत्तिला दी है कि आओ तो दोनों पार्टियों में से जो ज्यादा रुपया देगा उसको दे देंगे।

# Page No 10



श्री **कृष्णकुमार गोयल** : सवाल यह है कि जो सरकारी बोली थी उससे कम बोली आई तो अफर क्यों किया गया जब कि थर्ड पार्टी सरकार को बोली से ज्यादा देने को तैयार थी ?

श्री **शिवचरणसिंह** : ज्यादा देने को तैयार नहीं थी ।

श्री **कृष्ण कुमार गोयल**: क्या यह सही है कि स्वयं राज्य सरकार के पास जैसे ही बोली खत्म हुई तार के द्वारा और चिट्ठी के द्वारा रिप्रेजेन्टेशन तुरन्त किये गये हैं कि बोली जो की गई है उसमें पक्षपात किया गया है। और हम आखरी सरकारी बोली से ज्यादा में लेने को तैयार हैं ।

श्री **शिवचरणसिंह** : इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा पक्षपात नहीं किया गया और बोली खुले आम कराई गई और ज्यादे से ज्यादा उसकी जानकारी दी गई । उस समय अलग अलग दरख्वास्तें थीं खैरथल के लिये 80 हजार किशनगढ़ के लिये 50 हजार· · · · · ·

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : यह सब मैन्युपुलेटेड है।

श्री **शिवचरणसिंह** : मैन्युपुलेटेड नहीं है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि जो बिडर्स थे उनको इत्तिला नहीं दी और चुपचाप बोली खत्म करदी ? इन दो आदमियों को जिन्होंने कि रिप्रेजेन्टेशन दिया है उनको सूचना नहीं दी कि बोली आज लगने वाली है।

श्री **शिवचरणसिंह** : माननीय सदस्य को सूचना दी गई है और बराबर बोली लगाने का मौक़ा दिया गया है। उन्होंने बाद में दरख्वास्त दी है और उसको इन्टरटेन किया जाकर टेलिग्राफ़िकली इत्तला दी है कि जो पार्टी ज्यादा रुपया देने के लिये तैयार है उसको हम ठेका देने के लिये तैयार हैं ।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : क्या आप दुबारा नीलामी करने के लिये तैयार हैं ?

श्री **शिवचरण सिंह** : अगर आपके पास में पार्टी हो तो माननीय सदस्य की मन्शा के अनुसार नीलाम किया जा सकता है।

श्री **दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय यह अजीब टेन्डेन्सी है। राज्य सरकार के सामने किसी घोटाले को प्रकट करने के लिये प्रश्न पूछा जाता है, माननीय सदस्य उसकी यहां पर राज्य सरकार को जानकारी देते हैं तो राज्य सरकार को उनका अहसानमन्द होना चाहिये उलटा यहां पर माननीय सदस्यों को यह कहे जाते हैं कि वे कहते हैं तो कर देंगे। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में, स्टेट इन्टरेस्ट में यह ठेका नीलाम करावें ।

श्री **शिवचरण सिंह** : हम तो चाहते हैं कि इसके तीन लाख रुपया देने वाली कोई पार्टी आप लावें ।

श्री **बद्रीप्रसादगुप्ता** : वहां पर जो शराब का अधिकारी है वह रंगे हाथों पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। मैं ने यहां पर सही फ़ीगर दिये हैं तो फिर आप दुबारा इसको नीलाम क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण सिंह : आपकी जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि जिस पार्टी ने दरख्वास्त दी है और वह ज्यादा पैसा देने को तैयार है, उसको इत्तला दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कब दी है? किस तारीख को नीलामी की गई है? य नीलामी मैं आपको बता दूं 27-28 मार्च को की गई है। तो उस पार्टी को इत्तला कब दी है और क्या इत्तला दी है।

श्री शिवचरण सिंह : 31 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद 1 अप्रेल से ठेका होता है। और तीन दिन के अन्दर किसी ठेकेदार ने आकर के यह प्रोटेस्ट नहीं किया कि हम ज्यादा पैसा देना चाहते हैं। ठेका हो जाने के बाद आजकल मनोवृति यह हो गई है कि हर ठेकेदार जो एग्रीव्ड होता है वह दरख्वास्ते देता है। वह दरख्वास्त कमिश्नर के पास भेज दी गई है यह देखने के लिये कि कौनसी पार्टी ज्यादा पैसा देना चाहती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस तारीख को आपने इंटीमेट किया है?

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक प्रश्न है। क्या यह सही है····

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि वित्त मन्त्री महोदय ने स्वयं ने जिस समय इस सदन के अन्दर यह विषय बहस के दौरान उठाया था तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वे इस ठेके का आक्शन करावेंगे। क्या यह सही है?

श्री शिवचरण सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदय ने यहां पर एश्योरेन्स दिया था वह तो मुझे पता नहीं है। जिस पार्टी ने यह कहा है कि हम ज्यादा पैसा देने के लिये तैयार हैं उसको हम ठेका देने के लिये तैयार हैं। हमनें कहा है कि आप आइये और कहिये कि कितना पैसा देने के लिये तैयार हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : नीलामी की सूचना किस साधन के द्वारा दी गई है?

श्री शिवचरण सिंह : विज्ञापन के द्वारा······

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! विद्युत् मन्त्रीजी।

**गंगापुर क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए बिजली**

908. श्री वृद्धिचन्द्र पालीवाल (गंगापुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर क्षेत्र को विद्युत् इस वर्ष कहां कृषि उत्पादन के लिये दी जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि गंगापुर के चारों ओर दस मील के सर्किल में हजारों कुओं पर विद्युत् कनैक्शन की मांग है?

(3) क्या सरकार विद्युत् के लिये युद्धस्तर पर काम करने का इरादा रखती है?

उपमंत्री विद्युत् विभाग (श्री खेतसिंह) : (1) इस वर्ष की योजना अभी तक नहीं बनी है।

# Page No 12



(श्री खेतसिंह)

(2) अप्रेल 1971 के अन्त तक गंगापुर उप कार्यालय में कृषि हेतु बिजली देने के नियमानुसार प्राप्त केवल 20 प्रार्थना-पत्र पेन्डिग हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) विद्युत् मण्डल साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक गांवों के विद्युतीकरण का प्रयास कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ! श्री फूलचन्द बाफना।

### स्थगित प्रश्न

(16-3-71, 29-3-71, 12-4-71 व 18-5 71)

### ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

6. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले आठ वर्षों में ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा सुमेरपुर में कितने कितने क्षेत्रफल की आबादी भूमि कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में किस किस भाव बेची गई ?

(2) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग द्वारा सुझाये गये ग्राम विकास कार्यों के लिये सुरक्षित रखी जाने वाली आबादी भूमि भी ग्राम पंचायत द्वारा बेचदी गई है? यदि हां, तो किस किस विकास कार्य के लिये कितने क्षेत्रफल की कहां कहां (सुमेरपुर में) सुरक्षित रखी गई थी और वह सुरक्षित आबादी भूमि कितने कितने क्षेत्रफल की कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में किस किस भाव से बेची गई ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

(3) उपर्युक्त भाग संख्या (1) तथा (2) से सम्बन्धित भूमि किस किस सरपंच के समय में बेची गई और बिक्री के समय पंचायत द्वारा बिक्री भाव व बाजार भाव (साइट वेल्यू) में कितना कितना फ़र्क था ? यदि फ़र्क था तो क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मार्च, 1971 को यहां पर लाया गया था और आपके आदेश से इस प्रश्न को एडजोर्न भी किया गया था। आबादी लेन्ड की जो बिक्री हुई – आप सुन लीजिये, माननीय सदस्य यह चाहते थे कि यह आबादी लेन्ड की जो बिक्री हुई है और जो पंचायत ने बेची है उसके रेट्स् में और मार्केट रेट्स् में फ़र्क है। मैं यह निवेदन करदूं कि इसके लिये जांच के मने आदेश दे दिये हैं और जांच करने वाले ने यह इन्फार्मेशन दी है कि जितनी भी पत्रावलियां या रिकार्डस् जो पंचायत की सेल आफ लेन्ड की हैं, उसमें से कुछ फाइलें एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट के पास में हैं, कुछ रिवीज़न के अन्दर कोर्टस में गई हैं, एक-दो फ़ाइल हाई कोर्ट में हैं और कुछ फ़ाइलें दूसरे केसेज़ में गई हुई हैं। जो एन्क्वायरी आफिसर नियुक्त किया गया है उसने यह बताया है कि ये पत्रावलियां पांच सौ से ऊपर हैं। इस लिये इसकी जांच में तीन महीने से छः महीने का समय लग सकता

(श्री परसराम मदेरणा)

है। इस लिये मैं अभी इसका रिप्लाई देने में असमर्थ हूं। मेरा निवेदन है कि इस क्वश्चन का उत्तर अगले सत्र में ही दे सकूंगा इसलिये इसको पोस्टपोन किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया। समाज कल्याण मन्त्री।

**श्री फूलचंद बाफणा** : अगले सत्र में रिप्लाई देने के लिये मन्त्री महोदय ने कहा है तो इसको आप रखेंगे अगले सत्र में ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं इस पर विचार करूंगा।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : उस सरपंच की पांच सौ फाइलें हैं और जांच करने में 6 महीने लग जायेंगे। एन्टी करप्शन में केस चल रहा है। तो क्या यह सरपंच अभी भी काम कर रहा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : पहले यह था। उसके बाद में दूसरा सरपंच इलैक्टेड हुआ। इसके बाद पहले जो काम कर रहा था वह दुबारा चुन लिया गया है। तीन सरपंच की टर्म में बिक्री हुई है। तो उसकी फ़ाईल देखने के बाद ही कह सकता हूं। मैंने इसकी जांच के लिये आदेश दे दिये हैं। कलेक्टर ने दुबारा पूछा था कि यह जनरल जांच के आदेश दिये हैं। तो उनको इस बिन्दु पर भी जांज करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं कि पंचायत को जमीन की बिक्री से कितनी हानि हुई है और जो बिक्री की गई है क्या वह नियमानुसार की गई है। इस बिन्दु पर भी जांच की जायेगी कि पंचायत की रेट और मार्केट रेट में कितना फ़र्क़ है। इस पाइन्ट से जांच करने के लिये आदेश दिये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हाड़ा।

**एक माननीय सदस्य** : क्या इस सरपंच को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही चल रही

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज़। मन्त्री महोदय।

समाज कल्याण मन्त्री।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : माननीय श्री फूलचन्द जी बाफना ने 16-3-71, 29-3-71, 12-4-71 और 18-5-71 को यह प्रश्न किया था। इसमें क्या मन्त्री महोदय यह अनुभव नहीं करते कि लाखों रुपयों का गोलमाल है, बल्कि मैंने तो सुना है कि करोड़ों रुपयों से भी ऊपर का गोलमाल है। ऐसी स्थिति के अन्दर क्या मन्त्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि जो गुनाहगार हैं उस आदमी को सस्पेन्ड करे और क्या इसके लिये यह उचित नहीं समझते कि इसके लिये कोई न कोई जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय करे। मुझे तो यह अनुभव होता है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मामले के अन्दर कुछ भी नहीं करना चाहती है। इस सब की लीपापोती करना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को फिर से क्यों स्थगित किया जाय और स्थगित किया जाता है तो आइन्दा सत्र के अन्दर इसको प्राथमिकता दी जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय नेता महोदय मैं इसको स्थगित करता हूं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : करोड़ों का घोटाला है। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं मन्त्री महोदय तो मैं आपको कहूंगा कि आप गुनाहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : I refute this with all the emphasis at my command.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब मुझे यह जानकारी मिली जब मैं फेमीन के दौरे पर शिवगंज गया था, सिरोही कलेक्टर के यहां पर मीटिंग हुई थी और कुछ लोगों ने इस मामले के अन्दर शिकायत की थी। इस पर जो भूमि की बिक्री की कार्यवाही वहां चल रही थी उस पर मैंने स्टे आर्डर दे दिया था। इसके बाद मार्च के महीने में पंचायत से पूरे अख्तियारात ले लिये गये हैं। अब पंचायत जमीन को सेल नहीं कर सकती। मेरे पास में प्रेलिमिनेरी जांच की भी रिपोर्ट नहीं है, इस लिये मैं किस सरपंच के खिलाफ़ क्या कार्यवाही करूं। किस किस सरपंच के टर्म में यह कार्यवाही हुई है यह मालूम करना है। इस सम्बन्ध में जो मुद्दे माननीय सदस्य ने उठाये हैं उसके लिये मैंने जांच के लिये कह दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कलेक्टर को जांच के लिये आदेश दे दिये गये हैं और डिटेल रिपोर्ट में उनको ज्यादा टाइम लगता है तो प्रेलिमिनेरी रिपोर्ट एक डेढ़ महीने के अन्दर भेज देने के लिये मैं आदेश दे दूंगा।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : भ्रष्टाचार के मामले में क्या आप यह नहीं मानते हैं कि डिले डिफीट्स दी इक्वीटी। जब डिले की जायेगी तो इक्वीटी कहां से आयेगी। इसके लिये पहले आपको डिले को दूर करना चाहिये। एक दो एग्जम्पलरी पनिशमेन्ट आपको देनी चाहिये। क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि इस विषय में वह अपना कर्तव्य पूरा करे। यह सरकार कर्तव्य च्युत है, निकम्मी है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री समाज कल्याण मन्त्री।

## स्थगित प्रश्न

## (20-4-71)

### अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विकास पर व्यय की गई राशि

371. **श्री केशरीसिंह** हाड़ा (हिन्डोली) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार ने अपने कोष से अब तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति पर कितना व्यय किया है?

(2) उक्त जातियों पर यह रकम कब से खर्च की जा रही है?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इन जातियों के कल्याण एवं विकास के लिये सरकार ने जितनी राशि व्यय की है उसके अनुरूप ही आवास की समस्या के निवारण में एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन जातियों ने विकास किया है?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) (1) राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति पर अपने कोष से वित्तीय वर्ष 70-71 के अंत तक लगभग 16 करोड़ 21 लाख रुपये का व्यय किया है।

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

(2) इन जातियों पर यह रकम वर्ष 51-52 से व्यय की जा रही है।

(3) जी हां।

श्री केशरीसिंह हाडा : खण्ड तीन में मन्त्री महोदय ने कहा है कि जी हां। क्या कारण है कि आप 16 करोड़ 21 लाख रुपया व्यय करने के बाद भी इन जातियों के रहने और शिक्षा के लिये उचित प्रबन्ध नहीं कर सके हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : शिक्षा का जहां तक सवाल है, राजस्थान के अन्दर 240 छात्रावास ऐसे चल रहे हैं जो कि सरकार से सहायता प्राप्त हैं और जिनमें विद्यार्थियों को पूरा खाना, पीना, साबुन, तेल, जूते, मौजे, किताबें आदि भी सभी सुविधायें देने का प्रबन्ध है। अखिल भारतीय समाज कल्याण मन्त्रियों की दिल्ली में कान्फ्रेंस हुई थी और भारत सरकार के समाज कल्याण मन्त्री ने यह कहा है कि मैं राजस्थान के पेटर्न की सराहना करता हूं।

श्री नाथी सिंह : कुल कितना खर्चा किया गया है ?

(शोरगुल)

श्री केशरी सिंह हाडा : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मन्त्रीजी के पास होजरी की दुकान है, इस लिये इनको सभी भाव मालूम हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री केशरीसिंह हाडा : आपने पर कैपिटा कितना खर्चा किया ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : 20 लाख का प्रति व्यक्ति खर्चा कैल्क्यूलेट करने में तीन सप्ताह लग जायेंगे।

श्री राम किशन : तीन सप्ताह काहे के लगेंगे। यदि 60 लाख की भी आबादी मानी जाये तो 1.36 रुपये प्रति व्यक्ति आता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और भी धनराशि है। यह तो सप्लीमेन्ट्री अथवा पूरक राशि है। इसके अलावा राज्य के सामान्य बजट में से भी पिछड़े वर्ग के हितार्थ खर्च होता है।

श्री भूरालाल : जो किया, उसमें से लैप्स कितना हुआ है ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : क़रीब क़रीब सारा ही खर्चा किया गया है। सही जानकारी तो मैं प्राप्त करके ही दे सकता हूं लेकिन एक प्रतिशत से ज्यादा लैप्स नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : एस्टाब्लिशमेन्ट पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ! श्री आर्य।

(स्थगित प्रश्न)

(3-5-71, 10-5-71, व 18-5-71)

**ग्राम पंचायत गंधेली द्वारा ईंटों की खरीद**

594. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गंधेली, पंचायत समिति, नोहर (गंगानगर)

(श्री रामचन्द्र आर्य)
के सरपंच द्वारा सिंचाई विभाग से विकास कार्यों के लिये पक्की ईंटें ख़रीदी गईं थीं ? यदि हां, तो कब और कितनी किस भाव से ख़रीदी गईं और रुपया पंचायत की रोकड़ से जमा ख़र्च हुआ या नहीं ?

(2) इन ईंटों का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें सरकार से की गई हैं ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**उपमंत्री पंचायत** (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां। प्रारम्भिक जांच से पंचायत द्वारा 7 लाख 77 हज़ार 327 ईंटें विकास कार्यों के लिये सन् 1968 में नहर परियोजना विभाग से रु. 47.29 प्रति हज़ार की दर से क्रय करना पाया गया। इसका हिसाब पंचायत की रोकड़ में नहीं रखा गया बल्कि एक पृथक रजिस्टर में रखा जाना प्रकट हुआ है।

(2) ईंटों के वितरण का नियमित हिसाब नहीं रखा जाना पाया गया है परन्तु नायब तहसीलदार रावतसर की मौक़े की जांच से ईंटें जन साधारण के हितार्थ कार्यों में ली जाना पाया गया।

(3) माह मार्च, 1969 में सरकार को इस शिकायत का सूचना मिली। 18 मार्च, 1969 को जांच के लिए जिलाधीश गंगानगर को लिखा गया।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या यह सही है कि पंचायत द्वारा जो भी सामान खरीदा जाता है वह रेकार्ड में दर्ज किया करने का प्रावधान है और ऐसा नियम है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : मैंने पहले ही बता दिया कि इसका हिसाब उसमें नहीं रखा गया, पृथक् से रजिस्टर में रखा गया।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : आठ लाख ईंटें ख़रीदी गई हैं और वे रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं और आप इसकी जांच करने के लिए तैयार नहीं। इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट से इस प्रकार ईंटें ख़रीदी जायें और ब्लैक में बेच दी जायें उसके ख़िलाफ़ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बाकी के सरपंच अगर एक रुपया की भी ग़लती कर जायें तो उसको जेल भेज देते हैं, और यहां इतना ग़बन हुआ, सस्ते दामों में ईंटें लीं और रेकार्ड में दर्ज नहीं कीं, और नायब तहसीलदार से जांच......

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री हाडा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में.......

**श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल** : क्या यह सही है कि इस मामले को लेकर शिकायत की गई है और जांच करने के लिये आपका विभाग तैयार नहीं है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : प्रेलिमिनरी जांच पहले ही करवाली गई है और जिलाधीश...

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, चिकित्सा मन्त्री जी।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : सरपंच के ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, आर्डर प्लीज़ !

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट से ईंटें ख़रीद कर ब्लैक में बेची जायें और

(श्री रामचन्द्र आर्य)
इस बात को आप छुपाने की चेष्टा करें, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। इस सरपंच के खिलाफ केस बनाया जाये कि किस तरह से ब्लैक में उन्होंने बेची। विकास कार्य के नाम पर ईंटें लीं और रेकार्ड में दर्ज नहीं कीं और फिर ब्लैक में बेच दीं। ग़बन किया और फिर उसके खिलाफ जांच नहीं हो। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिये और ईंटों की करप्शन डिपार्टमेन्ट से जांच करवाकर कार्यवाही की जाये।

**पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)** : अध्यक्ष महोदय, नायब तहसीलदार ने राज्य सरकार के पास जांच रिपोर्ट कलेक्टर के मार्फत भेजी, उससे यह पाया गया है कि जितनी भी ईंटें इरिगेशन डिपार्टमेन्ट से ली गई थीं वे सार्वजनिक कार्य में ली गई हैं।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : यह ग़लत है। नहीं ली गई।

**श्री अध्यक्ष** : उत्तर आने दीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री परसराम मदेरणा** : और जिलाधीश ने जो इत्तला राज्य सरकार को दी है उस के अनुसार 15 रुपये और कुछ पैसों का घाटा हुआ है। उसका हिसाब उन्होंने अलग से रखा है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि ईंटों का ब्लैक किया है वह फैक्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन अलग से हिसाब रखा है, यह अनियमितता की है, इसलिये कलेक्टर को जांच का आदेश दिया गया है, उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार के पास नहीं आई है। माननीय सदस्य ने कहा कि ब्लैक में बेची हैं, तो उस मुद्दे पर भी जांच करवा लूंगा। और दूसरी इस बात की भी जांच करवा लेंगे कि क्या राज्य सरकार से ईंटें लेकर सरपंच ने सार्वजनिक काम में न लेकर वे प्राइस बढ़ाकर बेची हैं या नहीं। इसकी भी जांच करवा लेंगे। और अगर सरपंच दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी। जांच के आदेश कलेक्टर को दिये गये हैं और गवर्नमेन्ट इज अवेटिंग हिज रिपोर्ट।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इसकी क्या जांच करवा लेंगे? उसने गड़बड़ की, अलग से रजिस्टर रखा, रेकार्ड में दर्ज नहीं किया, क्या यह सब सही नहीं है?

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। श्री केसरी सिंह हाडा!

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय,

**श्री अध्यक्ष** : हां जी!

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इन ईंटों से डवलपमेन्ट का कार्य होना चाहिये था। बाकी के सरपंच यदि एक रुपये की भी गड़बड़ करें तो उनके खिलाफ़ केस बना दिया जाता है, और इन्होंने रेकार्ड में रक़म दर्ज नहीं की और बाला बाला ईंटें बेच दीं।

**श्री अध्यक्ष** : चिकित्सा मन्त्री जी।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, पंचायत मन्त्री जी कहना चाहते हैं कुछ इसके बारे में।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इस तरह से दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसको बताने

(श्री रामचन्द्र आर्य)
नहीं देंगे। यह बहुत बड़ा घोटाला किया है सरपंच ने।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हाडा !

श्री केसरी सिंह हाडा :

प्रश्न संख्या 706 !

श्री रामचन्द्र आर्य : इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? मन्त्री महोदय ने कुछ कहा नहीं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा आश्वासन और दे दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अलग रजिस्टर रखा है वह गलत रखा है और राज्य सरकार के पास जब यह रिपोर्ट आई तो राज्य सरकार को संदेह हुआ और राज्य सरकार ने आदेश दिया कि इसकी डिटेल में जांच की जाये।

(स्थगित प्रश्न)

(10-5-71 व 18-5-71)

**लाखेरी में मन्त्री एवं शल्य चिकित्सा शिविर के लिये चन्दे से एकत्रित राशि**

706. श्री केसरी सिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लाखेरी में नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर कब शुरू हुआ था और कब बन्द हुआ था ?

(2) इस शिविर के लिये चन्दे से कुल कितनी राशि प्राप्त की गई और सरकार की ओर से कितनी रकम अनुदान या सहायता के रूप में रखी गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि शिविर की समाप्ति के बाद भी तहसील नैनवा द्वारा इस शिविर की प्रबन्ध समिति की रसीदों पर जनता से पैसा वसूल होता रहा है ? यदि नहीं, तो श्री चतरसिंह पुत्र श्री रामसिंह से तहसीलदार नैनवा द्वारा रसीद नम्बर 260 से चन्दा कब लिया गया था ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) :
(1) दिनांक 4-4-70 में शुरू हुआ और दिनांक 21-4-70 को बन्द हुआ।

(2) सरकार शिविर के लिये कोई भी रकम अनुदान में नहीं देती है न कोई चन्दा एकत्रित करती है।

(3) जी हां।

श्री केसरी सिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जब शिविर समाप्त हो गया तो चन्दा किस प्रकार वसूल किया गया ? 3-6-70 को पांच रुपये वसूल किये गये जैसा कि मैंने प्रश्न में लिखा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह विभाग तो वसूल कर नहीं रहा। प्रबन्ध समिति को अभी भी 3000 रुपये देना बाकी है, इसलिये वसूली की जा रही है।

श्री केसरी सिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, विभाग तो एक ही है राजस्थान सरकार और इनका तहसीलदार है उसको द्वारा वसूल किया गया, चिकित्सा विभाग वसूल करे तो क्या और तहसीलदार वसूल करे तो क्या सरकार एक ही है इसलिये मैं

(श्री केसरी सिंह हाडा)
जानना चाहूंगा कि जब शिविर समाप्त हो गया तो यह चन्दा क्यों वसूल किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया कि 3 हज़ार रुपया अभी भी सूद और खुराक का देना बाक़ी है और प्रबन्ध समिति उसके लिये चन्दा इकट्ठा कर रही है।

श्री केसरी सिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, जनता के सामने यह भ्रम पैदा होता है कि जब शिविर समाप्त हो गया उस समय यह चन्दा क्यों वसूल हो रहा है? अगर इनको करना था तो बाक़ायदा यह ऐलान करते कि चन्दा पांच साल तक वसूल किया जायेगा क्योंकि चिकित्सा मन्त्री बहुत होशियार हैं......

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा सा प्रश्न पूछलें।

श्री केसरी सिंह हाडा : यह रसीद है अगर नहीं होती तो ये झूठ बोल जाते कि वसूल नहीं हो रही है......

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न,

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या 7071

श्री अध्यक्ष : इस पर कल ख़ासा विवेचन हो चुका था।

श्री नाथीसिंह : आप अधूरा ही छोड़ गये थे ?

श्री अध्यक्ष : मैं तो सब के साथ हो गया था।

श्री नाथीसिंह : सबसे पहले छोड़ कर गये थे।

श्री अध्यक्ष : फिर अभ्यास हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर माननीय लड्ढा साहब से नहीं दिलाया जावे क्योंकि इसमें उनका खुद का इन्टरेस्ट इनवाल्व्ड है और मैं इनसे अपेक्षा नहीं रखता कि वह वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करेंगे और रूल्स में भी प्रावधान है कि यदि मन्त्री का पर्सनल इन्टरेस्ट इनवाल्व्ड हो तो उस मसले को नहीं रख सकते और न सरकार की ओर से अपेक्षा की जाती है कि सरकार की ओर से उसका उत्तर नहीं दिया जाता है इसलिये किसी दूसरे मन्त्री से उत्तर इसका दिलाया जावे।

श्री अध्यक्ष : तो मैं अभी इसको स्थगित करता हूं क्योंकि दूसरे मन्त्री को पढ़ना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा अर्ज करना यह है कि अगर अभी पांच-सात मिनट के लिये स्थगित कर देते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन यह क्वेश्चन लिया जाये इस एश्योरेन्स के साथ स्थगित करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय जो इससे सम्बन्धित हैं वह विषद और विस्तार-पूर्वक दे सकेंगे इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें अगर कहीं पर्सनल एक्सप्लेनेशन का भी प्रश्न आता है तो फिर मन्त्री महोदय को दूसरा मौक़ा देना पड़ेगा इसलिये

(श्री अध्यक्ष)
अच्छा हो कि आप इनको डिबार नहीं करें और मन्त्री महोदय इस पर उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, उत्तर कैसे देंगे ? जो मिनिस्टर खुद बिजनेस करता है उसको कोई इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : मगर उनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न तो उनके बिजनेस के विरुद्ध है। वे कर नहीं सकते थे।

श्री अध्यक्ष : जिस नियम में उनको डिबार करना चाहते हैं वह आप नियम बता दें।

श्री भैरोंसिंह : आप भी किताब देख लें और मैं भी देख लेता हूं और नियम बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरा ले लेता हूँ।

श्री विजय सिंह : दूसरे उप-मन्त्री भगोड़ यहां बिराजमान हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये शब्द एक्सपन्ज किये जाने चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या नाम लिया, आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई निर्णय ही नहीं दिया, क्यों विवाद करते हैं।

नैक्स्ट, श्री सारण।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा एवं रामप्रसाद लड्ढा दोनों के एक साथ प्रश्नों का उत्तर पढने पर) हां, आप (श्री रामप्रसाद लड्ढा) जवाब दें।

स्थगित प्रश्न

(10-5-71 व 18-5-71)

डीजल सैट्स की खरीद

707. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् 1969-70 व 1970-71 में सिंचाई विभाग द्वारा भीलवाड़ा की किस किस फ़र्म से डीज़ल सैट्स खरीदे गये व कब कब व किस किस प्रयोजन हेतु और किस किस मूल्य से तथा किस प्रक्रिया से ?

(ख) उपरोक्त फार्म्स के मालिक कौन कौन हैं ? कृपया नाम पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) इन सैट्स का कहां कहां उपयोग किया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राम प्रसाद लड्ढा) (क) संलग्न तालिका में अंकित है।

(ख) इस विभाग में यह उपलब्ध नहीं है।

(ग) संलग्न तालिका में अंकित है।

माननीय अध्यक्ष जी इसका उत्तर यहां भेजने के बाद चीफ इन्जीनियर के टी. ए से टेलीफोन पर मालूम किया चित्तौड़ से तो इसमें चित्तौड़गढ़ खण्ड में जो 3 आइटम्स हैं उनको स्टोर्स पर्चेज कमेटी द्वारा स्वीकृत

# Page No 21



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
रेट्स पर परचेज करना लिखा है लेकिन टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये कुटेशन्स के आधार पर खरीदे गये है चित्तौड़गढ़ में 15-1-71 का आइटम, 25-2-71 का आइटम, 24-2-71 का आइटम, 25-2-71 का आइटम और 27-2-71 का आइटम–इसलिए इन दुरुस्ती के साथ यह जवाब है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये )

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज भीलवाड़ा के अन्दर कौन कौन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके पार्टनर । आजकल तो सोल प्रोपराइटी कन्सर्न है रामप्रसाद वल्दवा को और इससे पहले रामप्रसाद बल्दवा, ओमप्रकाश, विनोद कुमार और केदारनाथ साझीदार थे ।

श्री भैरोंसिंह : आज तक का मतलब कौनसी तारीख से है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1-4-71 से पहले ।

श्री भैरोंसिंह : 1-4-71 से पहले रामप्रसाद बल्दवा, ओमप्रकाश, विनोद कुमार और केदारनाथ थे, क्या यह सही है कि ओमप्रकाश और विनोद कुमार दोनों आपके पुत्र है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, वह मैं पहले ही कह चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंह : और केदारनाथ आपके भतीजे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां ।

श्री भैरोंसिंह : रामप्रसाद बल्दवा से कोई रिश्तेदारी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपने परचेजेज के संबंध में आदेश दिये थे कि इनसे परचेजेज नहीं की जाये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 9-12-70 को चित्तौड़गढ़ से मुझे एक टेलीग्राम मिला था उस पर मैंने यह आदेश दिये थे कि राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेस से कथित एंजिन नहीं खरीदे जायें ।

श्री भैरोंसिंह : क्यों आदेश दिये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी उन्होंने शिकायत की थी कि यह बिना टेन्डर्स के और बिना कुटेशन्स के खरीद रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपने ये आदेश इसलिए दिये थे कि इस फर्म में आपके लड़के की पार्टनरशिप है और मंत्री के लड़के यदि मंत्री के विभाग से संबंधित कोई क्रय विक्रय में शामिल हों इसको आपने उचित नहीं समझा इस कारण से आदेश दिये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिकायत थी और टेलीग्राम था इसलिए मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं उनको यह कहूं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन तो यह है कि क्या आपने इस आधार पर कि मंत्री के लड़के मंत्री के अन्तर्गत आने वाले विभाग से सामान का क्रय विक्रय कर रहे हैं इसको

# Page No 22



(श्री भैरोंसिंह)

आपने अनुचित माना और इस आधार पर यह आदेश दिये थे कि उनसे सामान नहीं खरीदा जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई कायदे से तो यह अनुचित नहीं है लेकिन मैंने ये आदेश दिये थे कि फर्म से कथित एंजिन नहीं खरीदे जायें ।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है । आपने माना अनुचित इसलिये आपने आदेश दिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिकायत थी इसलिये आदेश दिये ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कल इसी बात को सदन में स्वीकार किया है कि मैंने इसको अनुचित माना इसलिए आपने लिखा है लेकिन क्योंकि मैं इरीगेशन मिनिस्टर हूं इसलिए मैं नहीं चाहता था कि किसी फर्म में मेरा लड़का पार्टनर है और उससे कोई सामान खरीदा जाय और उसके लिए मेरे ऊपर आरोप लगाये, इसलिये मैंने आदेश दिये और 1-4-71 को मेरा लड़का उस पार्टनरशिप के इन्टरैस्ट को छोड़ने के बाद आपने यह जो बात कही वह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कहा है वह सही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने जो आदेश दिये हैं वे इस आधार पर दिये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This is for you to inform

श्री भैरोंसिंह : फेवर करने का क्या सवाल है । आप कहें कि आपने जो आदेश दिये हैं क्या इसके पीछे भावना थी कि मंत्री अपने लड़के को इस ट्रांजेक्शन का भागीरदार नहीं बने ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स जरूर पूछे जा सकते हैं भावना नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : बृजसुन्दर जी आप तो बैठ जाओ । मैं कोई जमीन की बात नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आपने जो इस प्रकार का आदेश दिया था उस आदेश के अन्दर यह भी भावना थी कि मंत्री का लड़का मंत्री के विभाग से क्रय विक्रय में शामिल नहीं हो, यह कार्यवाही अनुचित है इसलिए इस प्रकार का आदेश दिया ।

श्री अध्यक्ष : भावना से मतलब कारण का है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि चूंकि टेलीग्राम आया था इसलिए कि बिना कुटेशन्स खरीद रहे थे इसलिए मैंने लिखा कि बिना कुटेशन्स खरीदना ठीक नहीं है इसलिये मैंने लिखा कि राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज से कथित एंजिन नहीं खरीदे जायें और इसमें भी कोई इन्कार करने की बात नहीं है और मेरी चाहे कानूनी या दूसरी कोई पोजीशन हो यह उचित नहीं समझता हूं अगर क्रय विक्रय में पड़ें तो अच्छा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस आदेश के बाद में भी इसी फर्म से सामान खरीदा गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बाद 3 एंजिन खरीदे गये जो कि कुटेशन्स के जरिये खरीदे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि जो कुटेशन्स से खरीदे गये और आपके आदेश के बावजूद भी खरीदे गये तो विभाग के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जानकारी इस प्रश्न के उत्तर के समय ही मिली है कि उन्होंने खरीदे हैं या नहीं। जब प्रश्न का उत्तर मंगाया तब ही प्राप्त हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपको पहले से जानकारी नहीं थी जब आपको प्रश्न मिला उस समय से आपने जानकारी नहीं की कि आपके लड़के से यह सामान खरीदा गया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब प्रश्न पूछा तब उसकी जानकारी मेरे पास आई तो मालूम हुआ कि उसके बाद 3 एंजिन खरीदे गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस फर्म के द्वारा जो 'स' फार्म दिया हुआ है उसमें आज तक की तारीख में आपके लडके का ही नाम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1-4-71 से अलग हैं। बल्कि मालिक कौन कौन हैं एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने स्पेशली फर्म को लिखा और उसके अन्दर 19 तारीख को जो फर्म ने इनको इनफार्म किया है उसमें भी लिखा है रामप्रसाद बहदवा कि 'इट इज़ माई सोल प्रोपराइटी फर्म' ....

श्री भैरोंसिंह : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सी फार्म जो सेल्स टैक्स के लिए दिया जाता है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह भी आपकी जानकारी में नहीं है। यह तो आपकी जानकारी में है कि यह फर्म एप्रूव्ड डीलर्स लिस्ट में नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपकी जानकारी में था कि यह एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह जो अभी बताया कि 1-4-71 से सब को चेन्ज कर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होता है उसमें इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन और अमेन्डमेन्ट करवा दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जः हमारे आपस के .......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर वही आपस के ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीन लड़के हैं। तीनों के हैं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो आपने तार की शिकायत पर आदेश दिये हैं क्या यह सही है कि वह आदेश इस परमानेन्ट नेचर के थे कि इस फर्म से कोई भी माल डिपार्टमेंट द्वारा न खरीदा जाय या पर्टीकूलर चीज़ के बारे में थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस आर्डर की लेंग्वेज यह थी कि राजस्थान एग्रीकल्चरल सर्विसेज से कथित इन्जिन नहीं खरीद जाय। टेलीग्राम था, उस पर आदेश दिये गये।

# Page No 24



श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्टीकुलर के लिये वह था। बाकी तो कर सकते थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एप्लीकेशन पर जो ग्रोर्डर्स थे वह मैंने बताये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपनी तौर पर शिकायत हुई और आदेश दिये और जो आदेश थे वे उस पर्चेज की कम्पलेन्ट के बारे में थे कि यह पर्चेज न की जाय बाकी की पर्चेजेज को हमेशा के लिये बेन नहीं किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : न हमेशा के लिये आदेश थे और न ही आवश्यकता थी। उस वक्त जिस मसले के लिये टेलीग्राम आया उस मसले के लिये किये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिपार्टमेन्ट द्वारा पहले रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर या टेन्डर के आधार पर पर्चेज की गयी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डेट से पहले सूची में लिखा है कौनसा रेट कान्ट्रेक्ट है कौनसा टेन्डर है और कौनसा कोटेशन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सैन्ट्रल पर्चेज कमेटी ने जवाहर इन्जिन्स और अनिल इन्जिन्स के रेट्स तय नहीं किये ? आप का मतलब पर्चेज कमेटी से है डिपार्टमेन्टल कमेटी या सैन्ट्रल पर्चेजेज ओर्गेनाइजेशन ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेंट्रल स्टोर्स संगठन।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जवाहर और अनिल इन्जिन का कहीं नाम नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो इसी के आधार पर बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आज तो पर्चेज कमेटी ने खरीदवाये हैं। पर्चेज कमेटी ने इस जवाहर और अनिल इन्जिन्स के लिये रेट्स तय नहीं किये हैं क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बताना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताना चाहता हूं, बताइये ना ? आपको बताना नहीं है, यहीं तो घोटाला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बता देता हूं।

श्री जयकृष्ण (पुनर्वास मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एक ही डिपार्टमेन्ट के मंत्री उत्तर नहीं दे सकते हैं सारे टाइम। दूसरों के भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सैन्ट्रल पर्चेज ओर्गेनाइजेशन ने इस प्रकार के इन्जिन की कोई रेट प्रेस्काइब नहीं की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जो इन्फोर्मेशन है मैंने प्रश्न के उत्तर में दी है उसके अधिकृत पहलू पर यह लिखा गया है। आप कहते हैं कि नहीं लिखा गया। मैं कहता हूं कि लिखा गया।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नो कोई जवाब नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कह दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्डा : जवाब में लिखा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न है सिर्फ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नो नो। आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म है····

श्री अध्यक्ष : इतना समय इस कवेश्चन को नहीं दे सकता।

श्री सारण।

स्थगित प्रश्न

(10-5-71 व 18-5-71)

**योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थायें**

708. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इनके विकास को जन स्वास्थ्य के लिये हितकर मानती है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या–क्या प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं ?

(2) योग संबंधी और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी कितनी संस्थायें राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं और कितनी तत्संबंधी सार्वजनिक संस्थाओं के विकास में राज्य सरकार योग्य सहायता कर रही है व कितनी किस प्रकार की ? राज्य में कुल कितनी इस प्रकार की संस्थायें कहां कहां हैं ? कृपया इसकी सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखी जाय।

(3) जयपुर में एक ही जगह स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय एवं यौगिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र बापूनगर के विकास की स्थिति क्या संतोषजनक है ? इनके विकास के विषय में सरकार क्या कर रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा मामूली खर्च से रोग प्रतिबन्धक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या व्यवस्था है ?

(5) क्या योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अपने विकास के लिये बापूनगर स्थित तत्संबंधी संस्थाओं के पश्चिम में पड़ी सरकारी खुली भूमि की मांग काफी समय से कर रही है ? परन्तु उन्हें यह भूमि मिलने में विलम्ब होने के कारण उनके भावी विकास में बाधा आ रही है ?

**चिकित्सा मंत्री** (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) इस चिकित्सा को हित कर मानते हुए राज्य सरकार प्रोत्साहन देती है। सरकार का स्वयं का एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र उदयपुर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त 4 केन्द्रों को प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है।

(2) एक व चार संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा एक यौगिक सेण्टर राज्य सरकार की ओर से बापूनगर जयपुर में चलाया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

# Page No 26



(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(3) जी हां प्रति वर्ष अनुदान दिया जा रहा है ।

(4) जी हां, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(5) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**श्री दौलतराम सारण** : प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र चल रहा है, इसका विवरण तो इसमें नहीं दिया है । यौगिक आश्रम चल रहा है उसका भी विवरण नहीं दिया है । केवल सहायता अनुदान देते हैं, उसकी सूची आपने मुझे दी हैं ।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : सहायता ही तो देते हैं और विवरण क्या चाहिये ?

**श्री दौलतराम सारण** : प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र चल रहे हैं । मैंने उनकी प्रवृत्तियों के लिये पूछा है । यौगिक केन्द्र चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी ।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : मैं समझता हूं, जहां तक मुझे मालूम है, वैसे तो लिखा हुआ है वह मैं आपके पास भेज दूंगा प्रवृत्तियां चल रही हैं उनकी रिपोर्ट आ चुकी हैं । आप भी परिचित हैं यौगिक सेण्टर में पहले डायबिटीज से शुरू किया । उसके अलावा अस्थमा और दूसरे रोग हैं उनके बारे में भी वे कार्य कर रहे हैं । वहां पर ब्लड कोलम लेने की पैथोलोजी की लेबोरेटरी की सुविधायें हैं ।

**श्री दौलतराम सारण** : इसका परिणाम कैसा रहा ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : उसका कोई स्टेन्डर्ड तो है नहीं । पैथोलोजी की लेबोरेटरी है उसका परिणाम तो रिपोर्ट्स जैसी आती हैं वैसी की वैसी रहती ह । युरिन में कितनी शुगर है उसका परिणाम आता है । जहां तक डायबिटीज का ताल्लुक है काफी मरीज यहां पर आते हैं । इसलिये यही कह सकते हैं कि परिणाम अच्छा है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**श्री दौलतराम सारण** : पांचवें भाग का क्या उत्तर दिया ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : जी हां ।

**श्री दौलतराम सारण** : भूमि दिलाने का क्या कर रहे हैं ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : चिकित्सा विभाग ने सिफारिश करके यू. आई. टी. को लिख कर भेजा हुआ है कि भूमि देनी चाहिये और यू. आई. टी. में झगड़ा चल रहा है । वह दूसरे को दे रखी है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**श्री दौलतराम सारण** : यह भूमि उनको दी जावेगी ।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : यही होगा ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : क्या आप यह उचित समझते हैं कि यौगिक सेन्टर को एक्सपेरिमेंट भी दिया जाय ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : यह तो स्वामीजी के काम पर है । उन्होंने अभी तक बात नहीं की कि अलग से उनको दिया जावे ।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(11-5-71)

**ग्राम बीजायल में रपटों के अधूरे कार्य**

723. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बीजायल तहसील मेड़ता की काला भाटा, अड़वानी एवं रानी तीनों रपटों का कार्य अधूरा पड़ा है?

(2) क्या यह सही है कि अडवानी रपट एवं अन्य दोनों रपटों का कार्य पूरा नहीं किया गया तो ये रपटें बारिश के दिनों में वापिस टूट कर बेकार हो जावेंगी ?

**उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :** काला भाटा व गूजरों की ढाणी रपटों का कार्य पूरा हो चुका था। अड़वानी रपट का काम अधूरा पड़ा है।

(2) अड़वानी रपट के अधूरे कार्य को पूरा करवाने व काला भाटा तथा गूजरों की ढाणी की रपटों, जिनका पिछली वर्षा के समय कुछ भाग टूट गया था, की मरम्मत करवाने पर विचार कर लिया जायेगा।

**श्री गोरधन सोनी :** अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं देख कर आया हूं, काला भाटा और गूजरों की ढाणी, दोनों रपट का काम आठ-आठ फीट बीच में भले ही करवाया है लेकिन पचास फीट बाकी है, कार्य अधूरा रह गया है। अभी वर्षा होगी उससे यह पैसा बिल्कुल वेस्ट चला जायेगा। यह महत्वपूर्ण कार्य है।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा:** रूरल वर्क्स प्रोग्राम के संबंध में एक मीटिंग 21-5-71 को होने वाली है, उसमें इन पर विचार कर लेंगे।

**श्री मदनसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा रानोली के सरपंच के बारे में क्वेश्चन है। 819 क्वेश्चन हैं। कल मंत्री महोदय ने यह कहा था कि मेरे दो प्रश्न और आने वाले हैं।

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा :** अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्नों को लेना जरूरी है।

**श्री मदनसिंह :** इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रानोली के सरपंच.....

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न छोड़ दिया गया है।

**श्री मदन सिंह :** 45 हजार रुपया बकाया है, उसके संबंध में मंत्री महोदय ने क्या किया ? मैं उसके संबंध में दो चार प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री देवेन्द्रकुमार मीणा:** एक क्वेश्चन है, स्थगित किया हुआ है प्रश्न।

**श्री अध्यक्ष :** सभी प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री मदनसिंह :** आपके विश्वास पर यह बात कही। आप विश्वास देकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हम कैसे विश्वास करें? रानोली के सरपंच के खिलाफ प्रश्न था, आपने खुद ने फरमाया था.....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर आर्डर ! मैं पूछना चाहता हूं, आज के स्थगित प्रश्न में है क्या ?

# Page No 28



श्री मदनसिंह : आज के स्थगित प्रश्न में है ।

श्री अध्यक्ष : आज का प्रश्न है ?

श्री मदनसिंह : आज के प्रश्न में स्थगित प्रश्न है । इसका उत्तर देने के लिये कहा था, उत्तर देने के लिये अनाउन्स किया था ।

श्री अध्यक्ष : अब सभी प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दांता साहब कल बाहर जाना चाहते थे लेकिन इस प्रश्न की वजह से नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष : मेरी दिक्कत की वजह, मैं निवेदन करूं, यह है····

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सभी प्रश्न स्थगित हुए ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो मैं समझूंगा कि आज तक जब से मैं इस विधान सभा में आया हूं, मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । जब मंत्री महोदय, इसका जवाब देने के लिये तैयार हैं तो आप क्यों दबाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाय ।

श्री मदनसिंह : आप कहते हैं कि सहयोग करें, तो सहयोग कैसे करें जब एक मंत्री····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। (विराम) आप स्थान ग्रहण करें प्रथम ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : आदिवासियों का····

श्री अध्यक्ष : आप भी स्थान ग्रहण करें, द्वितीय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा विनम्र निवेदन है, एक प्रश्न इधर से और एक प्रश्न उधर से ले लें, 819 और 840 ।

श्री अध्यक्ष : मैं ले लेता हूं, एक इधर से। माननीय श्री दाता के प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

श्री रामकिशन : बीच वाले कहां रह जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बीच वाले वहीं रह जायेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : बीच वाले इन दोनों को माफ कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दांता द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर । कौनसा नम्बर है, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : 819 !

श्री अध्यक्ष : यस !

श्री मदनसिंह : एट वन नाइन !

श्री रामकिशन : अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू–सबमें बोल दीजिये !

स्थगित प्रश्न
(18-5-71)

**रानोली के सरपंच पर बकाया**

819. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि उप जिला विकास अधिकारी सीकर ने दिनांक 27-2-68 को अतिरिक्त विकास आयुक्त जयपुर को एक पत्र क्रमांक एफ. 56 (शि) 68 नं. 1235 लिख कर यह सूचित किया है कि रानोली पंचायत के सरपंच श्री हीरालाल शर्मा में खाद व बीज की रकम में 45,000 रुपया बकाया है जिसे बिना निलम्बित किये रेकार्ड आदि का निरीक्षण तक नहीं हो सकता ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 14-4-66 से दिनांक 6-8-68 तक सरपंच श्री हीरालाल शर्मा रानोली को खाद बीज की रकम जमा कराने हेतु 18 बार उप जिला विकास अधिकारी, सीकर द्वारा नोटिसेज दिये गये (क्रमांक 2523, दिनांक 28-8-68) परन्तु सरपंच ने न तो रकम जमा कराई और न हिसाब पेश किया ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच रानोली जानबूझ कर सरकारी नोटिसेज की अवहेलना कर रहा है ?

(4) उप जिला विकास अधिकारी सीकर द्वारा जो रकमें सरपंच रानोली में बकाया निकाली हैं वह किस अवधि की है, तथा किस-किस कार्य हेतु ली गई रकमें हैं ?

(5) उपरोक्त रकमें इतने अधिक समय तक अपने पास रखना तथा सरकार द्वारा बराबर मांगने पर भी जमा न कराने के संबंध में सरपंच रानोली के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

**उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा)** : (1) प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ।

(2) जी, हां ।

(3) जी हां । सरपंच ने अब रेकार्ड पेश कर दिया है और हिसाब की जांच जारी है ।

(4) खाद व बीज की बकाया रकम सन् 1959 से 1964 तक की अवधि की है ।

(5) खाद बीज के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सरपंच को विभागीय आदेशों की अवहेलना का आरोप पत्र दिया जाकर उप जिलाधीश सीकर से विस्तृत जांच कराई जा रही है । पूरी जांच होने पर राशि वसूल करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

**श्री मदन सिंह** : क्या यह सही नहीं है कि जिलाधीश ने 18 दफा जांच करके आपको 27-2-68 को लिख दिया कि सरपंच को वहां से हटा दिया जाय तभी जांच होगी ? यह पत्र है, अगर आप चैलेंज करे तो यह पत्र है, आपके पास क्या जवाब है ?

**श्री अध्यक्ष** : आने दीजिये उत्तर । यस, कोई उत्तर है...

**श्री मदनसिंह** : क्या यह सही है....

**श्री अध्यक्ष** : समझ गये हम । प्रश्न समझ गये ।

**पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)**: डिप्टी डी. डी. ओ. ने, जैसा माननीय सदस्य

(श्री परसराम मदेरणा)

कह रहे हैं, अठारह दफा जांच की, वह जांच नहीं की, नोटिस दिये।

श्री मदनसिंह : नोटिसेज का उसने जवाब क्या दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : नोटिसेज का बिल्कुल जवाब नहीं दिया, रिकार्ड पेश नहीं किया। राज्य सरकार को कलेक्टर ने लिखा और उसके बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर को लिखा कि रिमूवल के आदेश को इम्लीमेंट किया जाय, और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। उसके बाद रिकार्ड पेश कर दिया गया। तो भी इन नोटिसेज का जवाब देने में आना कानी की है। अब इस बात की जांच चल रही है और जांच के लिये जिलाधीश को आदेश दिये हैं। उन्होंने डिप्टी बी. डी. ओ. को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अब राज्य सरकार प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का इन्तजार कर रही है।

श्री मदनसिंह : क्या जांच के आदेश दिये हैं ? जांच हो चुकी है या जांच के आदेश दे चुके हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : विस्तृत जांच के आदेश दिये हैं। प्रायमा फंसी केस एस्टब्लिश नहीं हो पाया है, इसलिये सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये जांच करवाई है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब देने के लिये अर्ज किया था, अब भैरोंसिंहजी प्रश्न पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी आथोरिटी क्या मिल गई है ? आर्डर आर्डर !

श्री मदनसिंह : यह बात नहीं है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन्होंने अपनी तरफ से पेरोकार नियुक्त किया है उनको।

श्री मदनसिंह : 819 के लिये कल फरमाया था। भैरोंसिहजी ने एक स्कैण्डल बताया था, उन्होंने उसका जवाब चाहा था, आपने कहा था कि इस प्रश्न पर मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : यह अनुचित है। आप आदेश दे दें, आप प्रश्न करें। आप स्वयं अधिकार लेना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें तो आप तो स्वयं पूछ सकते हैं।

श्री विजयसिंह : कोई भी पूछ सकता है। उसमें क्या है। मनाही नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वकील रखा है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बी. डी. ओ. ने जांच रिपोर्ट दी है उसमें अन्त में लिखा है कि विवरण से यह सिद्ध हो जाता है कि सरपंच हीरालाल ने विभागीय नियमों की अवहेलना करके किसी न किसी बहाने से खाद और बीज के हिसाब को पेश नहीं किया है। इस मन्शा के पीछे स्पष्टतया बदनीयत है।

श्री परसराम मदेरणा : जांच के आदेश दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसके ऊपर ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट सेटिसफाइड है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से सेटिसफाइड हो, प्राइमाफेसी केस बनता है, मगर रूल्स के अनुसार पंचायत और न्याय पंचायत के रूल्स के अन्दर जो 21 है उसके अनुसार

(श्री परसराम मदेरणा)
विस्तृत जांच का प्राविजन है। इसलिये विस्तृत जांच का आदेश दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बी. डी. ओ., और एस. डी. ओ.. दोनों ने जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें रसीद का हवाला है, सब खाद और बीज का लोगों से पैसा लिया गया लेकिन पंचायत में वह जमा नहीं कराया ?

श्री परसराम मदेरणा : जो भी मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं, बीज खाद का है, दूसरे मामलों में रकम उठाई थी, वह काफी अर्से तक अपने पास रखी, बाद में जमा कराई—इन मामलों के जो मुद्दे हैं उनकी विस्तृत जांच के आदेश दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है, मेरा दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : आखिरी प्रश्न !

श्री भैरोंसिंह : आखिरी नहीं है। यह गबन का मामला है।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न और पूछा है।

श्री मदनसिंह : यह 45 हजार के गबन का मामला है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह : मुझे हक है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री मदनसिंह: बीच में व्यवधान डालने का मामला नहीं है, पंचायत के सरपंच ने बीज और खाद के पैसे का गबन किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सवाल पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : बीज और खाद के पैसे का गबन कर लिया लेकिन राजस्थान सरकार मौन है, ग्राम पंचायत के सरपंच ने सुरक्षा कोष का पैसा हजम कर लिया लेकिन राज्य सरकार मौन है। उसने तकावी वितरण का झूठे नाम लिख कर रिकार्ड बना लिया लेकिन सरकार मौन है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण दे दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि कई मामले गबन के और धन के दुरुपयोग के, कई मामले हिसाब तकावी का फर्जी बनाने के जो आरोप लगाये गये हैं, वह आरोप बी. डी. ओ. और एस. डी. ओ. की रिपोर्ट के अनुसार सही साबित हुए हैं इसके आधार पर आपने जांच करने के लिये आदेश दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : डिप्टी डी. डी. ओ. को जांच अधिकारी नियुक्त किया है, उसकी डिटेल रिपोर्ट आने के बाद सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि अब तक प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार उस सरपंच को सस्पेन्ड करने के लिये पर्याप्त कारण हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं है।

# Page No 32



श्री मदनसिंह : यह कैसे कह दिया, नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : उसके पास जो रिकार्ड था, वह नहीं देता तो सस्पेण्ड करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहता था । अब रिकार्ड दे दिया है । उसके पहले डेफीनेटली कहा है, इन्हें सस्पेन्ड कर दिया जाय । रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करते तो और दूसरी कार्यवाही नहीं होती । लेकिन यह आदेश दिये गये तो रिकार्ड पेश कर दिया गया । यह सूचना आ गई है, इसलिये निलम्बित नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : मेरा गवर्नमेंट से क्वेश्चन है, मैं गवर्नमेंट से ही जानना चाहता हूं कि एस. डी. ओ., बी. डी. ओ. ने रिपोर्ट दी है, और आपके पास शिकायत आई है तो क्या पर्याप्त कारण इस बात का नहीं बन सका कि सरकार अपने तौर पर उस सरपंच को सस्पेण्ड कर दे ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय अभी तक जो प्रोसीजर रहा है सभी केसेज में, 99 परसेन्ट केसेज के अन्दर प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी की । रिपोर्ट कलेक्टर की मार्फत आती है–सीरियस चार्जेज होते हैं तो कलेक्टर खुद लिख देता है–कन्डीशनल रूप में कुछ लिखा है, रेकार्ड पेश नहीं करता है ।

श्री मदनसिंह : रेकार्ड का सवाल नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जो दो रिपोर्ट आ गई है, उसका आपने अवलोकन किया होगा और जो भी कारण बताये गये हैं–बाकी की शिकायत आई है, धन के दुरुपयोग और गबन के मामले आये हैं उस आधार पर क्या गवर्नमेंट सस्पेन्ड नहीं करना चाहती है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, खाद और बीज का मामला, हांलाकि काफी बड़ा अमाऊन्ट है । स्वयं माननीय सदस्य हमेशा यह कहते रहे हैं सरपंच ने उस समय का हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा है । हिसाब के अन्दर अब पेश करने के बाद कितनी गड़बड़ी हुई और कितनी गड़बड़ी नहीं हुई, जब तक यह नहीं आता है तब तक········

श्री मदनसिंह : यह तीन साल का मामला है············

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह : आखिर ऐसा कब तक चलेगा ।

श्री मदनसिंह : सरपंच को इस तरह संरक्षण नहीं दे सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिकायत सही है इसलिये बर्दाश्त नहीं कर सकते । (पुनः) यह शिकायत सही है । मैं भी रानोली गया था । सब लोग रोते हैं सरपंच को ।

श्री अध्यक्ष : नगर विकास न्यास मंत्री जी ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं विस्तृत जांच के आदेश आपने कब दिये ?

(माननीय खेतसिंह जी के खड़े होने पर)

**श्री विजयसिंह** : खेत सिंह जी आप विराज जाइये ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : यह पता लग गया कि यहां पर काफी कारण हैं। इस संबंध में विस्तृत जांच आदेश देने के लिये, क्या मैं जान सकता हूं ........

(व्यवधान : अश्रव्य)

**श्री मदन सिंह** : नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : बैठ जाइये ।

**श्री परसराम मदेरणा** : विस्तृत जांच के लिये आदेश 28-8-68 को दिये।

**श्री भैरोंसिंह** : तीन वर्ष निकल गये ।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : 28-8-68 को विस्तृत जांच के आदेश दिये हैं। फिर मैं यह आरोप लगाता हूं ..... मंत्री महोदय और ये सब आरगेनाइज्ड एक करप्ट गैंग है।

(शोरगुल : अश्रव्य

**श्री बी. एम. जोशी** This should be expunge sir.

**श्री मदन सिंह** एक गिरोह है। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नेता महोदय को बोलने दें ।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि आपने ऐसे आदेश दिये और एक भी, तीन साल हो, गये पूरे नहीं होते हैं तो क्या आप ऐसे आदेश देना उचित समझते हैं—That with in six months the papers should be called.

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिटेल्ड रिपोर्ट में काफी लम्बा समय लगा है। मैं आदेश दे रहा हूं। डिटेल्ड रिपोर्ट दो महीने के अन्दर अन्दर भेजी जानी चाहिये। मुझे ऐतराज है विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने, जिन्हें मैं यह समझता था बहुत जिम्मेदारी से कुछ कहेंगे सरकार के लिये कहा बहुत करप्ट गैंग है ............

(भारी शोरगुल, अश्रव्य)

**श्री लादूराम मुलानिया** : हम सब कहते हैं चोर हैं ।

**श्री जय नारायण सालोदिया** : चोर है, चोर हैं, चोरों की गैंग है, डकैतों की गंग है ..

(पुनः भारी शोरगुल)

(अध्यक्ष महोदय ने दोनों हाथों से मेज को थपथपा कर शान्त करने की भरसक चेष्टा की )

**श्री जयनारायण सालोदिया** :
**श्री बाल सिंह सोढा** :
**श्री लादूराम मुलानिया** :
**श्री देवी दत्त गाडिया** :
**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** :
} चोरों की गैंग है

**श्री अध्यक्ष** : नेता, विरोधी दल खड़े हैं कृपया स्थान ग्रहण करें ।

**श्री देवी दत्त गाडिया** : चोर और डाकुओं की गैंग है ।

**श्री अध्यक्ष** : I remain silent.

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को आपत्ति है और जो मैंने ऐलीगेशन लगाये, उनको डिनाई करने का पूर्ण अधिकार है। उसके साथ तो मेरी पूर्ण सहानुभति है, लेकिन मैं मंत्री महोदय को आपके द्वारा बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर आप मेरी जगह होते और मैं वहां पर बैठा होता .........

# Page No 34



(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

(शोरगुल, व्यवधान)

तो आप क्या सोचते, यह बता दीजिये, अध्यक्ष महोदय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सोचते नहीं, आसन पर जूते फेंकते । कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह ऐसा किया जहां जहां ये विरोधी पक्ष में बैठे हैं । सब जगह कांग्रेस ने जूते फेंके हैं ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

यह तो विरोध पक्ष ने बहुत शालीनता बरती है, आप तो शालीनता की बात छोड़कर जूते फेंकते । मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं अगर यह शालीनता नहीं होती, यह उदारता नहीं होती तो भ्रष्टाचार के सबूत होने के बाद आपके विधान सभा में मुख्य मंत्री पर जूते पड़ते ।

(व्यवधान, अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हैं, मैं तो सुन ही नहीं रहा हूं मंत्री महोदय को चोट लगी है तो मैं समझता हूं यह उचित रूप से चोट लगी है । मुझे यह अधिकार है कि जब आपके अर्जेंट ऑर्डर्स की तामील तीन तीन साल तक नहीं होती तो क्या आप सरकार के दायरे में हैं·········

(पुन: शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मदेरणा साहब, रसीदों में गड़गड़ करके खाद और बीज का पैसा खा गये और आप उन पर कोई·······

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

(श्री गाड़ियाजी के बराबर बोलते रहने पर, माननीय गाड़िया जी ! आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजनैतिक आधार पर इस सरपंच को पनाह दे रहे हैं······

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बिना कलेक्टर की रिपोर्ट के, बिना एस. डी. ओ. की रिपोर्ट के, बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के पंचायत मंत्री जी ने कोई सरपंच को सस्पेन्ड नहीं किया है । इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं खेरोल सवाई माधोपुर जिले में गढ़ हिम्मत सिंह को सस्पेन्ड किया है ।

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी सरपंच को मैंने बिना प्रारम्भिक जांच के सस्पेन्ड किया हो··········

श्री भैरोंसिंह : प्रारम्भिक जांच तो इसमें भी हो गई, फिर मजीद जांच क्यों करवाना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये प्रारम्भिक जांच आने के बाद ऐलीगेशन हो और गवर्नमेंट सेटिसफाइड हो तो इन्टेरिम ऑर्डर कर सकती है, लेकिन विस्तृत जांच करने का प्रावधान है ········

श्री अध्यक्ष : अब मैं प्रश्नों को बन्द करता हूं । बिलकुल बन्द हैं प्रश्न । इधर से उत्तर नहीं होगा, उधर से प्रश्न चलते हैं तो चलते रहेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कोई अन्तिम कार्यवाही नहीं हो सकती है। कोई अन्तिम निर्णय मजीद जांच का किया जाय, लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि हिसाब पेश नहीं कर रहे हैं । अभी कलेक्टर की, डी. डी. ओ. की रिपोर्ट आई है । उसकी कापी मेरे पास

(श्री भैरोंसिंह)

है जिसमें कहा है कि 1968 से लेकर लगातार कोशिश की वह हिसाब पेश करें, हिसाब पेश नहीं किया। उस आधार पर क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते कि उस सरपंच को सस्पेन्ड किया जाय उसमें इन्क्वायरी होगी और एन्क्वायरी होने के बाद आपको उसको रि-इन्स्टेट करने के पॉवर्स हैं। एन्क्वायरी करने के मामले में अड़चन न हो इस दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं समझता हूं सारे सदन की राय को समझकर उसको सस्पेन्ड कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : सारे सदन की राय······(शोरगुल से अश्रव्य)

श्री मदनसिंह हिम्मत करलें···

श्री अध्यक्ष : शान्त पाप।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, एक तो खाद और बीज सरपंच के नाम लिखा हुआ है। उसमें किस किस काश्तकार के नाम हैं उसका रिकन्सीलियेशन रेकार्ड के बिन नहीं हो सकता था। खाद और बीज के संबंध में आब्जेक्शन भी अनेकों आये हैं और कई पंचायत समितियों के आये हैं। करोड़ों रुपयों की यह पंचायत समितियों को ग्रान्ट हमने दी हैं और उसके रिकेन्सलियेशन के लिये स्पेशल एकाउन्ट्स ऑफिसर लगाये गये हैं राजस्थान पूरे के अन्दर तो भी अभी तक 10 करोड़ में से 6-7 करोड़ का हिसाब निकाल पाये हैं। इनका हिसाब नहीं बना है। दो तीन नाम रेकार्ड में दिये हैं उस रेकार्ड को नियन्त्रण में लिया गया है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अन्दर रिकन्सीलियेशन रिपोर्ट मिल जायगी और उसमें कोई बात हुई तो मै विचार कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि जानकारी नहीं है। रसीदें हैं, फीगर्स हैं जो लोगों ने पैसा दिया है। उनसे वसूल किया और पंचायत के खाते में जमा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये (पत्रावली दिखाते हुए) मंत्री महोदय को सबमिट करता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : प्रश्न संख्या 840।

श्री मदनसिंह : यह सरपंच हिस्ट्रीशीटर रहा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब तो शान्त रहें।

श्री मदनसिंह : इस सरपंच के लिये राजस्थान में इमीजियेटली·······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय मंत्रीजी।

नेक्स्ट। श्री देवेन्द्र कुमार

स्थगित प्रश्न (19-5-71)

**उदयपुर में आदिवासियों को भू-खंडों का आवंटन।**

840. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर में सन् 1970 से 1971 तक कितने आदिवासियों ने मकान बनाने हेतु भू-खंड आवंटन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र दिये ?

(2) गान्धी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत कितने आदिवासी व्यक्तियों को प्लाट आवंटन किये गये तथा कितने मकान पक्के बनाये हैं ?

# Page No 36



(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

(3) उदयपुर में जिन आदिवासियों को प्लाट दिये गये उनके नाम सहित सूची सदन की मेज पर रख जाने का कष्ट करें।

उपमंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) किसी भी आदिवासी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है कि किसी आदिवासी ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया यह मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है (विपक्ष से हियर, हियर) जो यह उत्तर दे रहे हैं यह गलत है। मैं यह आप के सामने पेश करता हूं।

श्री मदनसिंह : अभी तक तो अपोजिशन वाले ही थे, अब कांग्रेस वाले भी गर्म हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे भी जोर पकड़ रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दरख्वास्तें आई हैं और दरख्वास्तों को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी आने दें उत्तर इतने उत्तेजित मत होइये।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं बड़ा शान्तिप्रिय व्यक्ति हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो हैं ही।

श्री खेतसिंह : मुझे 18-5-71 को कार्यालय, नगर विकास न्यास, उदयपुर से जो उत्तर मिला है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं —

"उपरोक्त विषय में चाही गई लिस्ट इस प्रकार है। आदिवासी लोगों के प्लाट आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भू खण्ड आवंटित किये गये हैं।" यह उनका जवाब है। चूंकि यह जवाब आज ही मिला है पढ़ नहीं सका। उन्होंने मेरा जहां तक खयाल है आदिवासी और जनजाति में भेद कर दिया है। मेरे ख्याल से यह नहीं होना चाहिये।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय.

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री खेतसिंह : इसी वजह से उन्होंने यह जवाब दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि किसी भी आदिवासी का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ, लेकिन जिन जिन आदिवासियों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री वीरेन्द्र कुमार ढाढ,
(2) श्री गेंदालाल,
(3) श्री भगवानराम,
(4) श्री देवीलाल,
(5) श्री मंगा,
(6) श्री मंगलसिंह,
(7) श्री आतम सिंह,
(8) श्री देवीलाल,
(9) श्री मन्नालाल,
(10) श्री हंसराज
(11) श्री गोविन्दराम मीणा,
(12) श्री देवीलाल,
(13) श्री हरिराम,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(14) श्री रामचन्द्र,

(15) श्री माधवलाल ।

श्री अध्यक्ष : यह कितने हैं ?

श्री देवेन्द्रकुमार : 26 नाम हैं ।

श्री रामानंद अग्रवाल : आपके मंत्री-मण्डल जितने हैं ।

श्री खेतसिंह : जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये हैं उन की जांच करा लेंगे ।

श्री विजयसिंह : जांच कब करायेंगे ?

श्री खेतसिंह : यह बात सही है कि मैं भ्रान्ति में रह गया कि आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं इसमें थोड़ा सा भेद है ।

श्री रोशनलाल : कोई भेद नहीं है । आप समझे नहीं ।

श्री मदनसिंह : आप कहते हैं कि भेद है और भीखाभाई कहते हैं कि ..........

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करिये ।

श्री लादूराम सुलानियां : यहां हाउस में.

श्री अध्यक्ष : इधर उत्तर हो रहा है । आप क्या बोल रहे हैं । आर्डर प्लीज ? बीच में व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं लेकिन यह आदिवासी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) मैं विश्राम के लिये चला स्थान ग्रहण करें । यदि इस सदन में कार्यवाही को सुचारु रूप से नहीं चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा विश्राम करके वापिस लूं क्या ? आप को भी थोड़ा सा विश्राम हो जायगा ।

श्री मदनसिंह : ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : तो इस तरह से यह नहीं चल सकता है कि चारों तरफ से शोरगुल हो ।

श्री मदनसिंह : अब नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : अगर आगे चल सकते हैं तो चलाई जाय ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय शान्ति के साथ सदन चल रहा है, केवल चन्द.

श्री अध्यक्ष : मैं एक अवसर देता हूं माननीय सदस्य प्रश्न पूछें और अन्य माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री दौलतराम सारण : हम जन-प्रतिनिधि हैं और जनता की व्यग्रता और जनता के रोष की अभिव्यक्ति मात्र करते हैं । वैसे शान्ति से चल रहा है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बताया कि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं हुआ लेकिन मैं निवेद. करना चाहता हूं कि 26-6-68 को ये सारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं और उसके बाद वाल्मिकि गृह-निर्माण सहकारी समिति जो प्लाट दिलाने की कार्यवाही करती है उन्होंने दिनांक 8-2-69 को रिमाइन्डर भेजा है और यू.आई. टी. के चेयरमैन ने इसको स्वीकार किया है यह सारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हो चुके हैं फिर मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि कोई [illegible] -पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्रीजी आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या अन्दर

# Page No 38



(श्री देवीदत्त गाडिया)
है वह मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइये ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या उतना ही अन्तर है जितना ईश्वर और खुदा में ?

श्री भीखाभाई : यह आदिवासी और अनुसूचित जाति में जो भेद पैदा किया है मैं समझता हूं राजस्थान में इस प्रकार का भेद नहीं है (विपक्ष से हियर, हियर) कान्स्टीट्यूशन के शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर, 1956 के अन्तर्गत पहले केवल कुछ सीमित क्षेत्र शेड्यूल्ड ट्राइब्स के थे। अब सारे राजस्थान के अन्दर 6 जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अन्दर शामिल किया गया है जिसमें मीणा भी सम्मिलित है । राजस्थान के समस्त जगहों पर रहने वाली 6 जातियां वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है ।

श्री मदनसिंह : आपके डिप्टी नहीं जानते हैं ।

श्री भीखाभाई : माननीय उप मंत्रीजी को जानकारी नहीं हो सकती है । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जो सूचना यू. आई. टी. ने भेजी है वह गलत आई है । (विपक्ष से हियर, हियर) इसके बारे में हमने पुछा था चेयरमैन से और चेयरमैन ने यह कहा था कि कुछ भूखण्डों का आवंटन किया गया है, और जो लिस्ट है उसकी है यू. आई. टी. ने गलत सूचना भेजी है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : डिप्टी मिनिस्टर साहब माफी मांगें ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर, आर्डर, गाडिया जी !

एक माननीय सदस्य : उपमंत्री क्षमा मांगें ।

श्री अध्यक्ष : हर प्रश्न पर व्यवधान, हर प्रश्न पर शोरगुल । मेरा धैर्य समाप्त होने लगा है । मैं चाहता हूं कि यदि कार्य इस सदन का सुचारु रूप से माननीय सदस्य अपने सहयोग से संचालित करना चाहते हैं तो माननीय सदस्य सहयोग दें । हर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरह का आग्रह, अनुरोध और शोरगुल उपयुक्त नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सहयोग की अपेक्षा है ।

श्री भीखा भाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो सूचना माननीय सदस्य श्री जय नरायण जी ने दी है वह सही है क्योंकि प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं । हमारे पास में जो सूचना आई है वह गलत सूचना शायद है, ओवर साइट से यह होगया ,इसका मुझे पता नहीं है । इसके बारे में मैं यह निवेदन कर दूं मैंने जो अध्यक्ष हैं यू आई. टी. के. उनसे मैंने पूछा था और माननीय सदस्य जो प्रश्न-कर्ता हैं वे भी वहां उपस्थित थे और एक-दो दूसरे विधायक भी थे । दूसरे विधायक जो हैं उनको भी प्लाट एलाट हुए हैं । उदयपुर के ट्रस्ट के बारे में यह कह कर नहीं चल सकते कि उसने गलत एलॉटमेंट किया है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर शबरी कोलोनी है । इसी प्रकार से दूसरी कोलोनीज बनाई गई है । और इस ट्रस्ट ने सब से ज्यादा प्लाट्स इनको दिये हैं ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आन ए पॉइन्ट आफ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए । बिल्कुल समाप्त हुए ।

Page No 39



श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : श्रोन ए पाइन्ट श्राफ प्रिविलेज · · · (शोरगुल)

श्री रोशन लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी यह महत्वपूर्ण सवाल है · · · · (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । (शोरगुल)

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करे ।

श्री रोशनलाल : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है · ·

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । मैं आपको नाम से पुकारता हूं · · · ·

श्री रोशनलाल: यह · · · (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री रोशनलाल शर्मा, स्थान ग्रहण करें ।

धैर्य की भी कोई सीमा होती है ।

आर्डर प्लीज !

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

टोंक जिले में बांधों की मरम्मत

785. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में किस किस पंचायत क्षेत्र में कितने पुराने बांध कब से टूटे पड़े हैं ? नामवार सूचियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि इन बांधों की मरम्मत पंचायत अर्थाभाव के कारण नहीं करा सकती है ? क्या सरकार इनकी मरम्मत करावेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इन तालाबों के टूटे होने से पानी नहीं रुकता है, जिससे जानवरों को पीने के पानी की परेशानी व आस-पास के कुओं में पानी खत्म होगया है ?

(स्थगित किया गया)

ग्रामसेवक को एक ही स्थान पर नियुक्ति

786. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोठडा, जिला बूंदी में ग्राम सेवक श्री रामबाबू सक्सेना उनकी नियुक्ति से आज दिन तक इसी ग्राम में कार्य कर रहे हैं ?

(2) श्री रामबाबू को एक ही स्थान पर कार्य करते हुए कितना अरसा हो गया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि श्रीरामबाबू सक्सेना राजनैतिक कारणों से ही एक स्थान पर लगे हुए हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में ग्राम लुहारिया के पोलिंग पर श्री रामबाबू सक्सेना ने कांग्रेस के एजेंट का काम किया था ?

(1) जी हां ।

(2) सन् 1956 से कार्य कर रहे हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । जिला निर्वाचन अधिकारी, बूंदी के आदेशानुसार ग्राम लुहारिया में चुनाव में कार्य ड्यूटी लगाई गई थी ।

बिजली के लिए आवेदन पत्र

787. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान विद्युत मण्डल, फालना को श्री अजीतसिंह पुरोहित आत्मज श्री जसाजी पुरोहित (फालना गांव-जिला पाली) का 31-3-71 का या आस पास के दिन का कोई आवेदन-पत्र मिला है जिस आवेदन-पत्र में लिखे तथ्यों को सरपंच, ग्राम पंचायत, फालना ने प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय लिया गया एवं निर्णय की सूचना आवेदनकर्ता को दी गई या नहीं ?

(2) (i) क्या यह सही है कि उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्रार्थी के रहट "भाखरावा" (ग्राम फालना) के सम्बन्ध में है और इस भाखरावा के कुए को कनेक्शन देते समय दिनांक 30-6-67 को कुए के पानी का स्तर ऊंचा था व कुए में पानी काफी था और कुए की गहराई मात्र 57 फीट थी लेकिन सन् 69-70 तथा 70-71 में जल स्तर 78 फीट गहरा चला गया और आगे गहरी खुदाई मिट्टी ढह जाने से सम्भव नहीं हुई ?

(ii) क्या यह सही है कि उपर्युक्त परिस्थिति के कारण 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा ही मोटर चला सके उतना ही पानी कुए में है, अतः न्यूनतम गारंटी से कम विद्युत् उपयोग किये जाने से विद्युत उपयोग की रकम से कम पड़ने वाली रकम सन् 69-70 में रु. 120) और सन् 70-71 में रु. 393.73 पैसे प्रार्थी से वसूल की गई ?

(iii) क्या उपर्युक्त भाग (ii) के अनुसार प्रार्थी उपभोक्ता प्रकृति प्रकोप के कारण हानि उठा रहा है ? क्या सरकार प्रकृति-प्रकोप की इस विशेष परिस्थिति पर गौर करके प्रार्थी को उपर्युक्त रु. 120) तथा रु. 393) 73 पैसे वापस लौटाने का विचार रखती है, और क्या भविष्य में भी ऐसी प्रकृति प्रकोपावस्था में प्रार्थी को मिनिमम गारंटी की सीमा से मुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सहायक अभियन्ता फालना ने अपने पत्र संख्या 612 दिनांक 20-4-71 द्वारा आवेदनकर्ता को सूचित कर दिया था कि न्यूनतम गारन्टी में चाही गई छूट देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(2) (i) जी हां, उपर्युक्त आवेदन पत्र प्रार्थी के रहट भीमरावा के सम्बन्ध में था, पर कनेक्शन देते समय उपभोक्ता के कुए में पानी के स्तर, गहराई व बाद में खुदाई से मिट्टी ढह जाने की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है।

(ii) कितने समय तक मोटर चलने लायक पानी कुए में उपलब्ध है, इसकी जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है। न्यूनतम गारन्टी से कम विद्युत उपयोग किये जाने से, न्यूनतम गारन्टी से कम पड़ने वाली रकम 1969-70 में 104.05 रु. प्रार्थी से वसूल की गई तथा 1970-71 में उन्हें 393.73 रु. का बिल बना कर भेज दिया गया है।

(iii) उपभोक्ता किन कारणों से हानि उठा रहा है इसकी जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है। प्राकृतिक प्रकोपग्रस्त इलाकों

(विद्युत मन्त्री)
पर समय समय पर सरकार आवश्यक निर्देश देती रहती है। अकालग्रस्त घोषित इलाकों में कुओं के कनेक्शनों के लिये अकाल के समय मिनीमम गारन्टी की राशि में कुछ कमी करने के आदेश मण्डल द्वारा दिये जा चुके हैं। यदि यह गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है तो रकम वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

**बसों का ब्रेक डाउन**

788. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

स्टेट रोडवेज कारपोरेशन की बसों के गत दो साल में किस किस रूट पर कितने ब्रेक डाउन हुए और इस कारण कितनी बसें निश्चित समय से देर से निश्चित स्थान पर पहुंची हैं ? आंकड़े अलग अलग रूट के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

निगम की बसों के दो वर्षों के आगारों के हिसाब से ब्रेक डाउन तथा देर से पहुंचने वाली गाड़ियों के आंकड़े संलग्न हैं। सभी आंकड़े प्रत्येक आगार के हिसाब से रखे जाते हैं, अतः (रूट) मार्गों के अनुसार आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

| क्र. सं. | आगार | ब्रेक डाऊन | | देर से पहुंचने वाली गाड़ियां | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1969–70 | 1970–71 | 1969–70 | 1970–71 |
| 1. | जयपुर | 269 | 206 | 3401 | 2487 |
| 2. | कोटा | 198 | 148 | 1869 | 630 |
| 3. | अलवर | 94 | 166 | 261 | 415 |
| 4. | भरतपुर | 144 | 119 | 170 | 55 |
| 5. | अजमेर | 101 | 136 | 1274 | 1295 |
| 6. | जोधपुर | 204 | 196 | 1086 | 1101 |
| 7. | आबुरोड | 45 | 41 | 93 | 135 |
| 8. | सिरोही | 35 | 22 | 592 | 396 |
| 9. | उदयपुर। डूंगरपुर | 5 | -- | 6 | 1 |
| 10. | गंगानगर | 117 | 138 | 284 | 260 |

**जोधपुर नागौर रूट पर न चलने वाली बसें**

789. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर से नागौर बस रूट पर प्रति दिन कितनी कितनी बसें जोधपुर से चलकर नागौर व नागौर से चलकर जोधपुर आती हैं ? चलने व पहुंचने के समय के विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर-नागौर के बीच चल रही बसों के आपरेटरों के नाम मय पते व बस या बसों के नम्बर जो सबस्टीग कान्ट्रेक्ट में ओपरेटर ने इस रूट पर लगाई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा बतायें कि गत वित्तीय वर्ष 1970-71 में इस रूट पर ऐसे ओपरेटर की ऐसी बसों की कितनी कितनी टर्न आईं।

(3) जोधपुर-नागौर के बस रूट पर बसें चला रहे ओपरेटरों को मौजूदा परमिट

(श्री रामसिंह कुडी)

कब कब, किस 2 रेट पर, कितने कितने समय के किस किस ओथोरिटीज द्वारा दिये हुए हैं ?

उत्तर

(1) जोधपुर से नागौर व नागौर से जोधपुर बस मार्ग पर प्रतिदिन चार बसें चलती हैं। दो बसें आती व दो बसें जाती हैं। बसों के चलने व पहुंचने के विवरण की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जोधपुर-नागौर मार्ग पर चल रही बसों के आपरेटरों के नाम, व पते व बसों के नम्बर की सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। सबस्टींग कान्ट्रेक्ट पर बसें चलाने के टर्न की तालिका (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जोधपुर व नागौर मार्ग पर बसें चला रहे आपरेटर्स के नाम व बसें चलाने के परमिट दिये जाने की तिथि एवं परमिटों की अवधि की सूची (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है। बस परमिट देने की कोई रेट नहीं होती है, परमिट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिये गये हैं। जो एक क्वॉसी-ज्यूडिशियल बॉडी ( Body ) है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**कोटा खातोली मार्ग पर बसों के परमिट**

790. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा-खातोली सड़क पर किन किन व्यक्तियों को बस का परमिट दिया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर चलने वाली बसों में से कई माह से एक भी बस खातोली नहीं जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और उस पर सरकार ने कब क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) कोटा-खातोली मार्ग पर जिन व्यक्तियों को परमिट्स मिले हुये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कोटा खातोली मार्ग में इटावा से खातोली पोरशन कच्चा है और यहां पर चम्बल की नहरें अधिक हैं जिनसे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसलिये नहरों के पानी की वजह से रास्ता खराब हो जाने से बसें इटावा तक ही रह जाती हैं। खातोली नहीं पहुंच पाती हैं। यह मामला 1968 से बसों के खातोली नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में आर. टी. ए. कोटा के समक्ष आता रहता है और आर. टी. ए. भी भी समय समय पर उपरोक्त कारण की वजह से एवं सड़क खराब होने की वजह से इजाजत देती रहती हैं। इस समय बसें पूरे मार्ग पर चल रही हैं, क्योंकि नहरें बन्द हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

**नहर निकालने के लिए सर्वे**

791. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी खटकड मेज नदी से गेन्डोली, लाखेरी, सवाई माधोपुर तक नहर निकालने का सर्वे हो गया है ? यदि हां, तो कब और उस पर कितना व्यय होने का प्रावधान है ?

(श्री नन्दलाल बेरवा)

(2) क्या यह सत्य है कि इस सिचाई की योजना को चालू योजना काल में क्रियान्वित करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यो ?

उत्तर

(1) जी हां, इस योजना का सर्वे 1962 में किया गया था तथा इसके पूर्ण होने में लगभग 279.50 लाख रुपये व्यय होने का प्रावधान है ।

(2) यह योजना बना कर चम्बल प्रोजेक्ट स्टेज प्रथम के द्वितीय संशोधित तखमीने में शामिल करली गई है । यह अभी केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है । स्वीकृति प्राप्त होने तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर यह कार्य हाथ में लिया जा सकेगा ।

**केकड़ी क्षेत्र के तालाब**

792. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ककड़ो पंचायत समिति क्षेत्र में सिंचाई विभाग के तालाब कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1967 के पश्चात् सिचाई विभाग द्वारा किन किन तालाबों को कब कब कितनी राशि लगाकर मरम्मत कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) ऐसे कितने तालाब हैं जिनकी विभाग द्वारा सन् 1956 से अब तक मरम्मत नहीं कराई गई और उनकी अब तक मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण है और राज्य सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है या नहीं ?

(4) राज्य सरकार ने इस साल 1971-72 में केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के तालाबों की मरम्मत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, अजमेर को कितनी धनराशि अलॉट की ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) ऐसा कोई तालाब नहीं है।

(4) राजस्थान सरकार द्वारा जो राशि सिंचाई विभाग को विभिन्न मदों में दी गई है, उसमें से लगभग निम्नलिखित राशि केकड़ी पंचायत समिति के क्षेत्र के तालाबों की मरम्मत हेतु मिलने की आशा है :—

| | लाख रु. |
|---|---|
| 100 ई. एण्ड आई. | 0.55 |
| 44 ई. एण्ड आई. | 1.17 |
| 44 ई. एण्ड आई. | 2.00 |

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**बारां नगर में बिजली की अव्यवस्था**

793. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में बिजली लाइनों की खराबी व कई स्थानों

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
पर अंधेरा रहने आदि की समस्याओं के बारे में नगरपालिका बारां ने कई बार शिकायतें की हैं?

(2) क्या यह सही है कि नगर की बिजली व्यवस्था को ठीक तरह से रखने हेतु नगरपालिका ने यह भी सुझाव दिया था कि एक प्रशिक्षित लाइनमैन पावर हाउस में बारां नगर के लिये ही रहना चाहिये? यदि हां, तो उस सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इसके लिये पूर्व से ही एक प्रशिक्षित लाइन मैन व उसकी सहायता के लिये कम्प्लेन्ट अटेन्डेन्ट की व्यवस्था की हुई है।

**अनियमित पदोन्नतियां**

794. श्री लालचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में अन-क्वालिफ़ाइड आफ़िसरों की पदोन्नति किस आधार पर की जाती है?

(2) क्या यह सही है कि इस विभाग में पदोन्नति के कोई कायदे बने हुए नहीं हैं?

(3) क्या बोर्ड की 10वीं मीटिंग के आइटम नं. 40 में यह निर्णय किया गया कि विद्युत् मण्डल के अपने क़ायदे क़ानून बनने तक राज्य सरकार के क़ायदे क़ानून इस पर लागू होंगे?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रस्ताव का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़ीसर्स की जुलाई, 1963 की कान्फ्रेन्स में विद्युत् मन्त्री द्वारा अनुमोदन किया गया था?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत् मण्डल आदेश की अवहेलना कर पदोन्नति बराबर सन् 1968 तक करता रहा?

अगर हां, तो क्या कारण था?

(6) क्या यह सही है कि सन् 1968 दि. 15 जून की 106 मीटिंग में सरकार ने विद्युत् मण्डल के कुछ नियम बनाये थे? यदि हां, तो डिप्लोमा होल्डर एसिस्टेन्ट इन्जीनियरों की पदोन्नति दी जाने के पहले कम से कम 12 साल का अनुभव बतौर एसिस्टेन्ट इन्जीनियर के होना आवश्यक था?

(7) क्या यह सही है कि सन् 1969 में उपरोक्त नियम को सरकार ने मान्यता देकर सब आफ़िसरों को इस नियम की प्रतिलिपि प्रेषित की?

(8) क्या यह सही है कि इसके कुछ ही महिनों पश्चात् इस नियम की अवहेलना करके किसी व्यक्ति को पदोन्नति दी गई है? अगर हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(1) मण्डल में सामान्यतः अन-क्वालिफ़ाइड अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की जाती। वस्तुतः मण्डल में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति उनसे सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार की जाती है।

(विद्युत् मन्त्री)

(2) जी नहीं।

(3) ऐसा कोई निर्णय मण्डल की दसवीं मीटिंग में नहीं लिये गये था। पर मण्डल ने अपनी 16 वीं व 18 वीं मीटिंग में रिजोल्यूशन सं. 40 व 41 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया था कि जब तक मण्डल अपने नियम नहीं बना लेता तब तक सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा, बशर्ते कि अगर मन्डल ऐसे नियमों में कोई संशोधन करें तो वे संशोधित नियम लागू होंगे।

(4) यह सही नहीं है कि उपरोक्त प्रस्ताव का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की जुलाई, 1963 की कान्फ्रेंस में विद्युत् मन्त्री द्वारा अनुमोदन किया गया था। वास्तव में उपरोक्त मीटिंग में वार्तालाप के दौरान, सचिव, विद्युत् विभाग द्वारा यह बताये जाने पर कि सरकार ने अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति के ऐसे नियम बनाये हैं जिनके अन्तर्गत डिप्लोम होल्डर्स का अधिशासी अभियन्ता के लिये 15 साल का सेवा का होना जरूरी होगा तथा ऐसे व्यक्तियों की अधिशासी अभियन्ता के पद के बाद पदोन्नति नहीं की जायेगी, यह प्रस्तावित किया गया कि मण्डल भी इन नियमों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करे।

(5) उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि चूंकि यह आदेश ही नहीं था अतः अवहेलना का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(6) यह सत्य नहीं है कि सरकार ने मण्डल के लिये कुछ नियम बनाये थ जबकि वास्तविकता यह है कि मण्डल ने अपनी 106 वीं, 128 वीं और 130 वीं बैठकों में, जो कि क्रमशः 15-6-68, 5-9-69 और 3-11-69 को हुई थीं, आर. एस. ई. बी. सर्विस आफ इन्जीनियर्स रेगूलेशन्स का अनुमोदन किया था जिसके अन्तर्गत एक डिप्लोमाधारी को अधिशासी अभियन्ता बनाने के लिये 12 वर्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर सेवा निर्धारित की गई थी। परन्तु बाद में मण्डल ने अपनी 139 वीं मीटिंग में 12 वर्ष के सेवाकाल को घटा कर 9 वर्ष कर दिया।

(7) मण्डल ने, न कि सरकार ने, उपरोक्त नियमों का अनुमोदन करके इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को परिपत्र द्वारा सूचनार्थ जारी किया था। परन्तु वास्तव में यह नियम मण्डल ने दि 1-10-1970 से प्रभावशील किये हैं।

(8) जी नहीं, इन नियमों के प्रभावशील किये जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को नियमों की अवहेलना करके पदोन्नति नहीं दिया गया। प्रश्न नहीं उठता।

### निलंबित कर्मचारी

795. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन्दी बिक्री-कर विभाग का एक कर्मचारी श्री चन्द्रसेन दायमा कई माह से निलम्बित है? यदि हां, तो वह किन कारणों से निलम्बित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी ने मैट्रिक का फ़र्जी सर्टिफ़िकेट देकर सरकार को धोखा दिया है? यदि हां, तो

Page No 46



(श्री बालसिंह सोढ़ा)
उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? फ़र्जी सर्टिफ़िकेट किस विश्वविद्यालय का है ?

(3) उक्त कर्मचारी की नियुक्ति किस वर्ष में हुई और उस समय उसकी आयु व योग्यता क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें

(4) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कई बार भ्रष्टाचार आदि मामलों की शिकायत समय समय पर हुई थी ?

(5) यदि हां, तो क्या क्या शिकायतें थीं और उन पर क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, कोटा ने श्री चन्द्रसेन दायमा, कनिष्ठ लिपिक को आदेश दि. 4-11-69 द्वारा निलम्बित किया है, जिसका कारण हाई स्कूल का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना बतलाया गया है।

(2) सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने हाईस्कूल प्रमाण-पत्र फर्जी बताया है। उक्त लिपिक के विरुद्ध विभागीय जांच वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'ए' कोटा द्वारा की जा रही है। सम्बन्धित प्रमाण-पत्र बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडियेट एज्यूकेशन उत्तर प्रदेश का है।

(3) श्री चन्द्रसेन दायमा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 18-6-60 को डायरेक्ट कोलोनाईजेशन, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा में हुई थी। प्रथम नियुक्ति के समय आयु 24 वर्ष 6 माह 29 दिन थी। पेश किये गये हाईस्कूल सर्टिफ़िकेट के आधार पर योग्यता हाईस्कूल थी।

(4) कुछ शिकायतें हुई थीं।

(5) दिसम्बर, 1967 में व्यापारियों को परेशान कर नाजायज रकम प्राप्त करने की विशेषतया शिकायत की थी, परन्तु जांच कर उक्त लिपिक द्वारा नाजायज रकम प्राप्त करने की कोई सत्यता प्रतीत नहीं हुई थी। ऐसी अवस्था में शिकायत तथ्यहीन पाई गई।

### कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग

796. श्री बद्री प्रसाद गुप्त (बानसूर): श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): श्री केदार नाथ (श्रीगंगानगर) श्री रूप सिंह (सरदारशहर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-11-70 को मुख्य मन्त्री की घोषणानुसार समस्त लेखा लिपिकों के पद कनिष्ठ लेखाकार के संवर्ग में कन्वर्ट हो गये हैं ?

(2) यदि हां तो क्या इस तरह लेखा-लिपिक पद पर इस दिनांक तक नियुक्त सभी कर्मचारी स्वतः ही वरिष्ठ लेखाकार के पद पर आ जाते हैं ?

(3) यदि नहीं तो क्यों ? ऐसे कर्मचारियों को जो उक्त घोषणा के अनुसार स्वतः ही इस सहवर्ग में नियुक्त नहीं होते, कनिष्ठ लेखाकार के पद पर उनके बने रहने में क्या हानि और संवैधानिक रुकावट है ?

(4) कृपया बतायें कि लेखा लिपिक

# Page No 47



(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

परीक्षा पास कुछ कर्मचारियों को स्वतः ही कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त किये जाने तथा कुछ कर्मचारियों की उसी परीक्षा के पास किये हुए होने पर ही स्वतः नियुक्ति के लिए योग्य न मानने का क्या आधार है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त दिनांक को जितने लेखा लिपिक परीक्षा पास कर्मचारी उपलब्ध हैं उतने ही पद भी मौजूद हैं? परीक्षा पास कर्मचारी और पदों की संख्या बतायें?

(6) कृपया बतायें कि 16-11-70 को कितने राज्य कर्मचारी लेखालिपिक परीक्षा पास थे और उनमें से कितने कर्मचारी लेखा लिपिकों के पद पर कार्यरत थे?

(7) कृपया बतायें कि 1-4-70 को लेखा लिपिकों के पद पर कार्य कर रहे कितने कर्मचारियों को इस नये केडर में स्वतः ही नियुक्त किया जाना माना गया है?

(8) क्या सरकार ने लेखा लिपिक परीक्षा पास उन कर्मचारियों को जो 1-4-70 से पूर्व लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त नहीं किये गये थे नये केडर में आने के लिये परीक्षा पास करने की आज्ञा दी?

(9) क्या यह सही है कि 1-4-70 से अब तक लेखा लिपिक के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नये केडर में आने के लिये दुबारा परीक्षा पास करना आवश्यक है?

(10) कितने राज्य कर्मचारी ऐसे हैं जो लेखा लिपिक परीक्षा पास हैं परन्तु उनके विभाग में लेखा लिपिक के स्थान रिक्त न होने के कारण वे इस पद पर नहीं लगाये जा सके? कृपया बतावें कि इन कर्मचारियों ने उक्त परीक्षा किस किस सन् में पास की थी?

(11) क्या यह सही है कि लेखा लिपिकों का पृथक् केडर तथा एक कन्ट्रोलिंग आथोरिटी राज्य व्यापी स्तर पर नहीं होने के कारण विभिन्न विभागों में जहां कनिष्ठ और अस्थायी कर्मचारी लेखा लिपिकों के पद पर नियुक्त हो गये थे जबकि कई अन्य विभागों में सेवाकाल की दृष्टि से वरिष्ठ और स्थायी एवं लेखालिपिक परीक्षा पास कर्मचारी पद उपलब्ध न होने के कारण इस पद पर नियुक्त होने से महरूम रह गये?

(12) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या तथा उनके द्वारा परीक्षा पास करने का वर्ष बतायें?

(13) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपेक्षाकृत कनिष्ठ और अस्थायी बहुत से कर्मचारियों को जो दिनांक 31-3-70 को लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्वतः ही नियुक्त माना है जब कि सेवा की दृष्टि से वरिष्ठ, स्थायी और परीक्षा पास कर्मचारियों को जो 1-4-70 से पूर्व लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त नहीं हो सके थे, कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्वतः नियुक्त किया जाना स्वीकार नहीं किया है?

(14) क्या यह सही है कि लेखा लिपिकों की परीक्षा के नोटिफिकेशन में परीक्षा पास करके नियुक्त होने पर दस रुपये विशेष वेतन का प्रावधान था?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(15) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री की घोषणा से 16-11-70 तक इस पद पर कार्यरत जिन कर्मचारियों को सरकार लेखा लिपिक या कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्वीकार नहीं करती उनका दस रुपये का विशेष वतन समाप्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

**चुनाव कार्यों के लिए एक्वायर की गई मोटर ट्रकों आदि के किराये का भुगतान**

797. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में हाल ही के लोकसभा चुनावों की व्यवस्था हेतु कुल कितनी व्हीकल्स सरकारी उपयोग हेतु ऐंगेज की गई? मय जीप, मोटर व ट्रकों की सूची बनाने का कष्ट करें?

(2) इनको कब से कब तक रखा गया व किस किस चार्जेज पर रखा तथा प्रत्येक को किये गये भुगतान की सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) राज्य सरकार को इन व्हीकलों के भुगतान की कुल कितनी राशि देनी है अथवा दी गई है तथा देने का राज्य सरकार ने तय किया है? सूची सदन की मेज पर रखें कि कब तक भुगतान हो जायेगा या किया गया है?

(स्थगित किया गया)

**पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव**

798. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिन जिन ग्राम पंचायतों के पंचों के स्थान रिक्त हैं क्या विभाग द्वारा जिलाधीशों को उनके चुनाव हेतु आदेश दे दिये हैं?

(2) क्या राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अभी किसी भी रिक्त स्थान का चुनाव नहीं कराया जावे? यदि नहीं, तो कौन कौन सी तारीखें नियुक्त की गई हैं?

(3) जिला टोंक में ऐसी कितनी न्याय ग्राम पंचायतें हैं जहां पर सदस्यों के स्थान रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

**परिवार नियोजन के संबंध में विभिन्न कार्यों पर व्यय**

799. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1970 तक परिवार नियोजन विभाग की ओर से कितने शिविर, सम्मेलन गोष्ठी, पक्ष, दिवस, सप्ताह आयोजित किये गये व कहां कहां? सूची दिनांक सहित सदन की मेज पर रखी जाय इनका आयोजक, व्यवस्थापक अथवा संयोजक कौन था?

(2) इनमें कुल कितना किस किस प्रकार का व्यय हुआ? व्यय में माइक आदि सामान किराया व्यय, भोजन चाय आदि, खर्च टी. ए., डी. ए., खर्च पैट्रोल आयल, गाडी मरम्मत खर्च, लूप, दवा आदि पर व्यय, मदवार अलग अलग बतलाया जावे?

(3) प्रत्येक ऐसे आयोजन के समय परिवार नियोजन संबंधी क्या काम हुआ? सूची दी जाय।

(श्री दौलतराम सारण)

(4) क्या नसबन्दी व लूप के लिये प्रति व्यक्ति नसबन्दी कराने वाले व लूप लगाने वाली को और उन्हें लाने वाले व्यक्ति तथा नसबन्दी कराने वाले व लूप लगाने वाले डाक्टर को भी सरकार की ओर से पैसे मिलते हैं ? यदि हां, तो कितने कितने ? इस प्रकार से दिये जाने वाले ऐसे कितने पैसे किन किन को उपरोक्त मदों में दिये गये ?

(5) क्या इन अवसरों पर गलत ढंग से काम करने, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार व अन्य प्रकार की शिकायतें भी अनेक जगहों से आई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या एवं कहां कहां से तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई और उसके परिणाम क्या रहे ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ठ "क" में दिखाई गई है। शिविर, सम्मेलन, गोष्ठी, पक्ष, दिवस, सप्ताह का आयोजक जिले में जिला परिवार नियोजन अधिकारी तथा राज्य स्तर पर आयोजक राज्य परिवार नियोजन अधिकारी रहा है।

(2) प्रश्न के खर्चे का पूर्ण विवरण मदवार परिशिष्ठ "ख" में दर्शाया गया है।

(3) परिवार नियोजन के कार्य का विवरण इस संस्थान की संलग्न अनुसूची "क" में अवलोकन करें।

(4) जी हां, प्रत्येक व्यक्ति प्रेरक तथा डाक्टर को निम्नानुसार धनराशि दी जाती है :–

| | व्यक्ति को | प्रेरक को | डाक्टर को |
|---|---|---|---|
| 1. पुरुष नसबन्दी के लिये | 16) रु. | 5) रु. | 5) रु. |
| 2. महिला नसबन्दी के लिये | 16) रु. | 5) रु. | 5) रु. |
| 3. लूप प्रविष्टि के लिये | 3) रु. | 1) रु. | 1) रु. |

किन किन को कितने 2 पैसे दिये गये के संबंध में अनुसूची "ग" का अवलोकन करें।

(5) उक्त अवसरों पर गलत ढंग से से काम करने, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार व अन्य प्रकार की कोई शिकायत इस संस्थान को प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**ग्राम बनेडा में आयुर्वेदिक औषधालय**

800. श्री दिग्विजय सिंह : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1971 72 के लिये कहां कहां आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निश्चय किया है ? कृपया नाम व जिला की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम बनेडा में एक आयुर्वेदिक औषधालय है, उसे क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सरकार जिन ग्रामों की आबादी 250 से 300 व्यक्ति हैं वहां औषधालय खोलेगी ?

(आयुर्वेद मंत्री)

उत्तर

(1) 1971-72 में 100 औषधालय खोलने का प्रावधान है। कहां कहां खोले जायेंगे इसका निश्चय अभी नहीं किया गया हैं क्योंकि आवश्यक जानकारी जिला परिषद् से मांगी गई थी वह अभी तक सब जगहों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

(2) बनेड़ा में 'सी' श्रेणी का औषधालय है। वर्ष 1971-72 में 15 औषधालयों का उच्च स्तरीयकरण करने का प्रावधान है। क्रमोन्नत करने की सूचनाएं एकत्रित की जा जा रही हैं। यथा समय बनेड़ा के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा।

(3) अर्थ भाव के कारण ऐसा करना अभी संभव नहीं हैं।

801. श्री कृष्ण बाहरा (सुमेरपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिस जिस अस्पताल या डिस्पेंसरी में निवास स्थान क्वार्टर उपलब्ध हैं वहां डाक्टर से मकान किराया नहीं लिया जाता क्योंकि डाक्टर को टाइम बे टाइम इमरजेंसी अटेंड करनी पड़ती है और नियमानुसार इमर्जेंसी एटेंड करने के कारण मकान की सुविधा बिना किराये दी जाती है?

(2) (i) क्या यह सही है कि जिस जिस अस्पताल या डिस्पेंसरी के साथ निवास स्थान क्वार्टर नहीं है वहां डाक्टर को दूर या समीप जहां भी किराये का मकान लभ्य हो, वहीं अपने निजी किराये के मकान में रहना पड़ता है लेकिन उस डाक्टर को भी समय बे समय इमरजेंसी तो अटेंड करनी ही पड़ती है तब फिर ऐसे डाक्टर को मकान किराया सरकार द्वारा नहीं दिये जाने का कारण क्या?

(ii) उपर्युक्त प्रकार के निजी किराये से मकान लेकर रहने वाले डाक्टरों को मकान किराये के एरियर चुकाये जायेंगे क्या और भविष्य में भी मकान किराया दिया जाता रहेगा क्या?

उत्तर

(1) जी हां। यह सुविधा अस्पताल में केवल एक ही डाक्टर को दी जाती है।

(2) (i) जी हां। किन्तु मकान किराया देने का प्रावधान नहीं है।

(ii) प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

पुजारियों को वेतन मंदिरों की सम्पत्ति

802. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के अधीनस्थ मंदिरों के पुजारियों को वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो किस अनुपात में कितना वेतन प्रति माह दिया जाता है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान से बाहर भी देवस्थान के अधीन काफी तादाद में मंदिर व मंदिरों की सम्पत्ति है? यदि हां, तो कहां कहां पर कुल कितनी सम्पत्ति किस रूप में है? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या यह सही है कि मंदिरों के तहत कुछ स्थानों पर धर्मशालायें भी हैं? यदि हां, तो धर्मशालाओं व मंदिरों की दुकानों की क्या व्यवस्था है? खर्च कितना है और उक्त संपत्ति से आमदनी कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग द्वारा अपंग व्यक्तियों को सहायता दी जाती है? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को किस रूप में सहायता दी जाती है? तहसील-वाईज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि मंदिरों के नाम से भूमि भी है? यदि हां, तो कुल कितनी है और वह भूमि मंदिरों के नाम से दर्ज है या पुजारियों के नाम से दर्ज है? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि गोगाजी के नाम से गोगामेडी का मंदिर बना हुआ है? यदि हां, तो उसका पुजारी कौन है? यह देवता हिन्दुओं का है या मुसलमानों का? यदि हिन्दुओं का है तो मुसलमान पुजारी क्यों है?

(स्थगित किया गया)

### आशुलिपिक की योग्यता

803. श्री ललित सिंह (बडी सादडी) :— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गोकुलचन्द सैनी, आशुलिपिक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति तिथि से ही वर्तमान स्थान पर (कार्यालय उप निदेशक शिक्षा विभाग सहित) कार्य कर रहे हैं?

(2) इनकी योग्यता क्या है?

(3) क्या यह सही है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा (हिन्दी अंग्रेजी) पास नहीं होने पर भी इन्हें आशुलिपिक के पद पर स्थाई कर दिया गया है? यदि यह हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में पास हैं तो इनकी मार्क्सशीट की प्रतिलिपि मय स्थाईकरण के नियमों के सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(4) क्या इन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास नहीं करने पर भी वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जाती रही हैं जबकि ये नियमानुसार परीक्षा पास नहीं कर लेने तक स्वीकृत नहीं की जानी चाहिये थीं?

(5) अजमेर-जयपुर रेन्ज में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में आशुलिपिकों के द्वितीय श्रेणी (जो पहले तृतीय श्रेणी थी) के कितने पद स्वीकृत हैं? रेन्ज में एक से अधिक स्थान स्वीकृत होने पर भी ये इसी स्थान पर लम्बे समय से चल रहे हैं क्या यह स्थानान्तरण सामान्य नियमों के विरुद्ध नहीं है? यदि नहीं है तो और वर्ग के कर्मचारियों को इतने वर्षों तक इसी कार्यालय में उसी पद पर रहने का अवसर क्यों नहीं दिया गया?

(6) क्या यह सही है कि इन महानुभावों के इसी कार्यालय में इसी पद पर इतने लम्बे समय से बने रहने के कारण इनका व्य-

(श्री ललित सिंह)
व्यवहार दिन प्रति दिन खराब होता जा रहा है जिसकी मौखिक व लिखित शिकायत दफ्तर में मौजूद है ?

(7) श्री सैनी द्वारा कार्यालय निदेशक व संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग में रह कर यात्रा एवं दैनिक भत्ते के रूप में अब तक कितनी रकम उठाई गई है ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर पेश किया जावे । क्या इस प्रकार का लाभ एक ही व्यक्ति द्वारा उठाया जाना समाजवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है ?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई । )

उत्तर

1. जी हां, यह सही है ।

2. इन्टरमीजियेट कामर्स वर्ष 1954 (राजस्थान विश्वविद्यालय) द्वितीय श्रेणी स्टनोटाइपिंग अंग्रेजी सहित ।

3. इन्हें आशुलिपिक के पद पर स्थाईकरण इनके अपाइन्टमेंट टर्म के अनुसार पी. एस. सी. द्वारा आयोजित परीक्षा अंग्रेजी में पास होने पर किये गये हैं । प्रथम नियुक्ति आदेश एवं स्थाईकरण की प्रति साथ में संलग्न है ।

4. वेतन वृद्धियां नियमानुसार ही दी गई हैं । परीक्षा में असफल हो जाने पर भी वेतन वृद्धियां दी जाने का प्रावधान था ?

5. सन् 1966-67 से पूर्व कोई अन्य पद इस वृत्त म स्वीकृत नहीं थे । सभी अधिकारियों को इनके काम एवं व्यवहार से पूर्ण रूपेण सन्तोष होने के कारण इनके स्थानान्तरण पर अन्य शीघ्रलिपिकों की भांति विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों में तथा इनके कार्य क्षेत्र में बड़ा अन्तर है, जिन कर्मचारियों की कोई शिकायत नहीं है वे भी इस कार्यालय में काफी लम्बे समय से कार्यरत थे और अभी भी हैं ।

यह आवश्यक नहीं कि आशुलिपिक के स्थानान्तरण किसी खास अवधि में किये जावें, यह कार्यालयाध्यक्ष पर निर्भर करता है ।

6. यह सही नहीं है । इनके विरुद्ध कोई मौखिक अथवा लिखित शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है । जहां तक इनका व्यवहार का प्रश्न है, इनका व्यवहार काफी संतोषजनक है ।

7. यात्रा भत्ता की रकम वर्षवार जो उठा की गई है, की सूची संलग्न है । यात्रा व्यय खर्चा-लाभ के अन्तर्गत नहीं आता । जो वाजिब खर्चा होता है वही टी. ए., डी. ए. के रूप में राज्य कोष से मिलता है । अन्य कार्यालयों की भांति इन्हें भी संयुक्त निदेशक, अजमेर वृत्त, जयपुर के साथ यात्रा करने की आज्ञा दी जाती है ।

**संयुक्त निदेशक कार्यालय क लेखाकार**

**804. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—**

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग अजमेर वृत्त, जयपुर में कार्यरत श्री गिरराज प्रसाद लेखाकार इसी कार्यालय में तीन वर्षसे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं जब कि लेखाकारों को सामा-

(श्री किशनलाल वर्मा)
न्यतया तीन वर्ष के बाद बदल दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इनका स्थानान्तरण अभी मार्च, 71 में कर दिया गया था और फिर निरस्त कर दिया गया ? ऐसा क्यों व किस दबाव में किया गया है ? संबंधित पत्रों को सदन की मेज पर रखा जावे ।

(3) क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी इस विभाग के जयपुर स्थित कार्यालयों के लेखाकारों के स्थानान्तरण दो वर्ष की अवधि में ही होते रहे हैं तो फिर इनके स्थानान्तरण को निरस्त करने में ही क्या विशेषता रही है ?

(4) क्या यह सही है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, अजमेर वृत्त, जयपुर में अलवर के लिपिक वर्ग का बाहुल्य है और उक्त लेखाकार उनका नेतृत्व करते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि लेखाकार के कार्य का निरीक्षक सहायक लेखाधिकारी द्वारा किया जाता है ? यदि हां तो फिर श्री गिर्राज प्रसाद, लेखाकार के कार्य के प्रति सहायक लेखा कारी के क्या विचार हैं ?

(6) क्या यह सही है खाकार व शीघ्रलीपिक की साजिश के कारण वरिष्ठ-लिपिकों का स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है ?

(7) क्या यह सही है कि संयुक्त निदेशक कार्यालय की लेखा शाखा में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कार्य की तुलना में कहीं अधिक है तथा इस समय लेखा शाखा में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(8) लेखा शाखा में प्राप्त होने वाले पत्रों की दैनिक संख्या बताने की कृपा करें कि प्रति दिन कितने पत्र आते हैं और कितने पत्र निकलते हैं ?

उत्तर

1. 3 वर्ष 3 माह 15 दिवस से काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का लेखाकारों के स्थानान्तरण से कोई संबन्ध नहीं है।

2. जी हां। यह सही है। लेखाकारों के स्थानान्तरण आदेश शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित नहीं किये जाते। स्थानान्तरण निरस्त आदेश जो मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त है, की प्रति संलग्न है।

3. इस कार्यालय से किसी भी लेखाकार का स्थानान्तरण 2 वर्ष की अवधि में नहीं हुआ।

4. यह सही नहीं है। कार्यालय में लिपिकों की संख्या 28 है जिनमें अलवर जिले के 5 ही कर्मचारी हैं। लेखाकार द्वारा नेतृत्व करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि लेखाकार का होम डिस्ट्रिक्ट नवम्बर, 65 से जयपुर जिला ही है।

5. यह सही नहीं है। लेखाकार के कार्य का निरीक्षण सहायक लेखाधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। इस कार्यालय में लेखा शाखा हेतु कोई सहायक लेखाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। सिर्फ वृत्त स्तर पर अध्यापकों का स्थिरीकरण, टाइम बार्ड क्लेम्स को शीघ्र निपटाने हेतु अस्थाई रूप से राज्य सरकार ने सहायक लेखाधिकारी का पद स्वीकृत किया है जिसका मुख्यालय इस कार्यालय में स्थित है। संयुक्त निदेशक, शिक्षा (महिला), जयपुर के

(शिक्षा मंत्री)
अधीनस्थ कन्या शालाओं के स्थिरीकरण व टाइम वार्ड क्लेम्स भी इन्हें ही चैक करने पड़ते है । अतः संयुक्त शिक्षा निर्देशक (महिला) एवं इस कार्यालय के लेखाकार के कार्य के प्रति सहायक लेखाधिकारी के कोई विचार बनने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

6. यह सही नहीं है । वरिष्ठ लिपिकों के स्थाईकरण के लेखाकार व शीघ्रलिपिक का कोई सम्बन्ध नहीं है । वरिष्ठ लिपिकों के स्थाईकरण आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

7. यह सही नहीं है । इस समय लेखा शाखा में कैशियर को छोड़कर एक लेखा लिपिक एवं 2 कनिष्ठ लिपिक भी कार्य कर रहे हैं, जो कार्य की तुलना में कम हैं ।

8. लेखा शाखा में प्राप्त होने वाले पत्रों की दैनिक औसतन संख्या 65 है एवं कार्यालय की लेखा शाखा से निकलने व ल दे [illegible] पत्रों की औसतन संख्या 57 है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

छात्रों की पिटाई

805. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि हिण्डोली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक ने दिनांक 18-2-1971 को बडे नये गांव के दो छात्र जगदीश व सूरजमल को जो दसवीं कक्षा में पढते हैं, लकड़ी से पीटा था ?

(2) क्या यह सत्य है कि जगदीश के सर पर चोट पहुंचने के कारण वह बेहोश हो गया था ?

(3) क्या इस मारपीट के कारण दलगत भावना थी ?

(4) क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. यह सही नहीं है ।

2. यह सही नहीं है ।

3. जी नहीं ।

4. प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(22-4-71, 29-4-71, 6-5-71, 13-5-71 व 20-5-71)

चम्बल क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना

431. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डाकू ग्रस्त चम्बल क्षेत्र में 500 मील की लम्बाई की सड़कों के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो कब और इस योजना के अन्तर्गत किस जिले की कौन कौनसी सड़क बनाने की प्रस्तावना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि केशोराय-पाटन से लाखेरी जाने वाला कच्चा मार्ग दूसरी पंचवर्षीयोजना का जीता जागता अवशेष का प्रतीक है ? जबकि तहसील पाटन के मध्य में एक मात्र यही सड़क है और अर्बा

# Page No 55



(श्री केशरीसिंह हाडा)

इस तहसील में ग्राम रंगराजपुरा में और ग्राम घाटा का बरोना में डकैतियां पड़ चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सडक को प्रस्तावित योजना में क्यों नहीं लिया है ?

(3) क्या यह तहसील चम्बल क्षेत्र से लगी हुई नहीं है ?

(4) क्या यह सत्य नहीं है कि यह सारी तहसील चम्बल सिचाई योजना के अन्तर्गत आती है और बरसात में सिवाय रेल के इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता ?

उत्तर

(1) जी हां। 10 दिसम्बर, 1969 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को विशेष सहायता हेतु निवेदन किया गया था। सवाई-माधोपुर, कोटा तथा भरतपुर जिले की प्रस्तावित सडकों को सूची प्रस्तुत है।

(2) जी हां। डकैतियों के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(5-5-71 व 20-5-71)

सीलिंग से अधिक जमीन

605. श्री जयनारायण सालोदिया (भिलाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की करेंगे :—

राज्य में किस किस जिले में किस किसके पास सीलिंग से अधिक जमीन है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(6-5-71, 13-5-71 व 20-5-71)

मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान

636. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष के अकाल राहत कार्य करेडा से झाब सडक पर 15 गैंगों के मजदूरों को आखरी सप्ताह की मजदूरी ता. 1-8-70 से 15-8-70 तक का भुगतान कई दरख्वास्तों के बावजूद अभी तक नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण खण्ड द्वारा उपरोक्त मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में उनके वास्तविक कार्य की जांच करली गई है? अगर हां, तो कब? उस जांच के तहत मजदूरों के कार्य के अनुसार कितनी मजदूरी का भुगतान करने का असेसमेन्ट किया गया है?

(3) उपरोक्त मजदूरों की वास्तविक मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि गैंग इस विभाग द्वारा नहीं लगाई गई थी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। 2 माह पूर्व। क़रीब 7,500।-रु.।

(3) निश्चित नहीं किया जा सकता।

स्थगित प्रश्न

(11-5-71 व 18-5-71)

ग्राम पंचायत अवार के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

666. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अवार के सरपंच श्री दरबारी के विरुद्ध ज़िलाधीश, भरतपुर को श्री श्यामलाल जाटव व श्री लक्ष्मी, पंच ग्राम पंचायत, अवार, पंचायत समिति, कुम्हेर द्वारा इस प्रकार की दरख्वास्त दी गयी कि रास्ता साफ़ करने व मन्जूरी देने के बहाने कुछ काग़ज़ात पर दस्तख़त करा लिये हैं और उन्हें अन्देशा है कि उन्हें उनकी पंचायत से पृथक् करने के लिये उनके त्याग-पत्र व ग़लत नोटिस बनाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री चिन्तामणि, ग्राम सेवक एवं सचिव, ग्राम पंचायत, अवार ने ज़िलाधीश एवं विकास अधिकारी को यह शिकायत की कि न्याय पंचायत के चुनाव के कारण उपरोक्त पंचान के पृथक् करने की जाली कार्यवाही पिछली तारीख़ों में पांच बैठकों की कार्यवाही मुझसे ज़बरदस्ती धमकी देकर जाली लिखवायी गयी है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पंचान को उक्त जाली कार्यवाही के आधार पर पंचायत से पृथक् करने की कार्यवाही सरपंच, ग्राम पंचायत, अवार द्वारा करदी गई है? यदि हां, तो उक्त सरपंच के खिलाफ़ जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच को उप-ज़िलाधीश द्वारा बार बार तलब करने पर भी रिकार्ड अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और ज़िलाधीश द्वारा रिकार्ड मंगवाने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है ?

(5) क्या यह सही है कि राजनैतिक दबाव के आधार पर इस सारे मामले को दबाने की कोशिश जारी है?

(6) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति, कुम्हेर द्वारा भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, ज़िलाधीश एवं ज़िला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गयी है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. श्री दरबारी सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, अवार द्वारा सर्व श्री श्यामलाल एवं लक्ष्मी, पंचों को पंचायत की सदस्यता से पृथक् कर उप ज़िला विकास अधिकारी को दि. 10-3-71 को पत्र द्वारा सूचित किया

# Page No 57



(पंचायत मंत्री)

गया। उप जिला विकास अधिकारी द्वारा दौरान जांच आदेश संख्या 776 दिनांक 30-3-71 के द्वारा ग्राम पंचायत को आदेश दे दिया गया कि अन्तिम निर्णय तक श्री श्यामलाल एवं श्री लक्ष्मीचन्द को ग्राम पंचायत की सदस्यता से पृथक नहीं समझा जावे।

4. जी नहीं।

5. जी नहीं।

6. प्रधान द्वारा शिकायत करने पर एस. एच. ओ. कुम्हेर ने श्री चिन्तामणि के बयान कलमबन्द कर लिये हैं और मुकदमा जेर तफतीश है।

स्थगित प्रश्न

(19-5-71)

**आरक्षित दरों पर आवास हेतु भू-आवंटन**

692. **श्री महेन्द्र सिंह हाडा** (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक राज्य के विभिन्न नगर विकास मण्डलों द्वारा ऐसे किन किन व्यक्तियों को जो आय कर देते हैं, आरक्षित दरों पर आवास हेतु भू-खण्डों का आवन्टन किया है? कृपया नाम, पतेवार, तालिकावार सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) इन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कब कब प्राप्त हुए और उन आवन्टित भू-खण्डों का क्षेत्रफल कितना कितना है तथा उनका मूल्य क्या क्या है?

**उत्तर**

1. तालिकाएं संलग्न हैं।

2. तालिकाओं में चाही गई सूचना अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**स्थगित प्रश्न**

(18-5-71)

**पंचायत समिति लाडनूं की आय-व्यय**

732. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर को निजी आय के खाते में आय होती है? यदि हां, तो सन् 1965 से अब तक प्रति वर्ष कितनी कितनी आय हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त आय में से किस किस कार्य में कितने कितने रुपये कब कब खर्च किये गये सन् 1965 से अब तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) निजी आय में से खर्च करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(4) क्या उपरोक्त व्यय नियमानुसार किया गया है और उस खर्च में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) निजी आय की राशि को खर्च करने के सम्बन्ध में सरकार के क्या नियन्त्रण हैं?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उक्त कोष को समिति क्षेत्र से बाहर भी खर्च किया गया? यदि हां, तो कितने रुपये कब खर्च किये गये और क्यों?

उत्तर

1. जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है?

3. निजी आय का खर्च राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद् (फ़ाइनेन्स अकाउन्ट्स् एवं बजट) रूल्स. 1959 के अनुसार होता है।

4. निजी आय में जो खर्चा हुआ है उनके सम्बन्ध में अभी तक केवल आडिट ऐतराज़ हुआ है।

5. निजी आय के खर्च के बारे विभागीय निर्देश जारी किये हुए हैं।

6. जी हां। 1000.00 रुपये वर्ष 1968-69 में पंचायत राज संघ को सहायता देने के रूप में खर्च किये गये।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

**स्थगित प्रश्न**

(18-5-71)

**सरपंचों व प्रधान पर खाद बीज की बकाया**

733. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक ज़िले के श्री मोहनलाल जी पल्लीवाल, प्रधान, पंचायत समिति टौंक, श्री धर्मचन्द जी, प्रधान, देवली, श्री रामप्रसाद, सरपंच सोरन, श्री राजूलाल जी, सरपंच लबादर, श्री छीतर भूतपूर्व सरपंच, कावरा, श्री अलताफ़, सरपंच घुका, श्री अम्बालालजी, सरपंच छाण एवं श्री राम कुमार जी सरपंच, पलड़ा में सरकारी बक़ाया खाद बीज, सहकारिता व पंचायत समितियों की अन्य बक़ाया कितनी कब से चली आ रही हैं? कितने केस अमानत में ख़यानत के, कितने केस गबन के व कितने केस पी. डी. आर. में चल रहे हैं? नाम वार मय रक़म राशि सहित सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) पंचायत समिति, निवाई के किस किस सरपंचों व प्रधान पर खाद बीज सहकारिता के कितने रुपये बक़ाया हैं? नामवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

1. सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

2. सदन की मेज़ पर रखी गई सूची में इसका भी विवरण दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**स्थगित प्रश्न**

(18-5-71)

**मंडावर औषधालय के वैद्य के विरुद्ध शिकायतें**

736. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मण्डावर (जिला झालावाड़) के औषधालय के वैद्य के खिलाफ़ शिकायती-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) वैद्य जी कब से यहां हैं? क्या यह सही है कि ये राजनीति में भाग लेते हैं ?

(3) इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

1. जी नहीं ।

2. दिनांक 1-4-69 से राजनीति में भाग लेने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

3. प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

**स्थगित प्रश्न**

(20-5-71)

**काश्त योग्य भूमि**

749. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगर-गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में काश्त योग्य कितनी भूमि है? किस किस श्रेणी के कुल कितने काश्तकार हैं ? इसमें से कितनी भूमि अभी तक सरकारी पड़ी है? जिलेवार सूची दी जाय।

(2) राज्य सरकार विभिन्न किस्म की कितनी कितनी सीमा तक की जोत की भूमि को अनार्थिक जोत मानती है ? राजस्थान में कुल कितनी अनार्थिक जोतें हैं ?

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में और गंगानगर जिले में कुल कितनी अनार्थिक जोतें हैं ? गंगानगर जिले की नहरी व बारानी भूमि की सरकार कितनी सीमा तक की जोत को अनार्थिक जोत मानती है ?

(4) राजस्थान में कितने भूमिहीन काश्तकार हैं ? इनके रोजगार के लिये क्या योजना है? राजस्थान नहर क्षेत्र में और गंगानगर जिले में कितने भूमिहीन काश्तकार हैं?

**उत्तर**

(1) राजस्थान में काश्त योग्य भूमि 50942258 एकड़ है। खातेदार काश्तकार 4650953 और गैर खातेदार काश्तकार 558151 हैं व राज्य में 6134326 एकड़ भूमि सरकारी पड़ी है। सूची संलग्न है।

(2) राज्य में विभिन्न प्रकार की अनार्थिक जोतें रखी गई हैं, कुल अनार्थिक जोतें 17125

(3) राजस्थान नहर योजना में अनार्थिक जोत का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। गंगानगर जिले में कुल 15927 अनार्थिक जोतें हैं, इस जिले में 5 बीघा नहरी, 10 बीघा

(राजस्व मंत्री)
6 मासो तथा 15 बीघा बारानी तक की सीमा को अलाभकारी जोत में माना गया है।

(4) राजस्थान में भूमिहीन किसानों की संख्या 526490 है। अभी राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीन किसानों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। गंगानगर ज़िले में कुल 55533 भूमिहीन काश्तकार हैं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

**स्थगित प्रश्न**
(20-5-71)

**कृषि प्रसार अधिकारी नागौर**

751. श्री रामसिंह कुड़ी (आयल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नागौर जिला कृषि अधिकारी के पास विभागीय जीप है?

(2) क्या नागौर में कृषि विभाग या कृषि उद्योग निगम का सर्विस सेन्टर है? जिसमें सरकारी मोटर गाड़ियों की मरम्मत होती है?

(3) क्या जिला कृषि अधिकारी की जाप इस वकशाप में ता. 1-2-70 से ता0 31-3-71 तक कभी रिपेयर हुई ? यदि हां, तो कब कब व कितना कितना खर्चा हुआ एवं क्या यह जीप वर्कशॉपों में भी इस अवधि में रिपेयर हुई है? यदि हां, तो कहां कहां एवं कब कब तथा कितना कितना खर्चा हुआ ? प्राईवेट जगह पर किस किस चीज का कितना कितना खर्चा हुआ एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम सर्विस सेंटर नागौर में उसी प्रकार की मरम्मत का कितना कितना खर्चा हुआ ?

(4) जीपों की मरम्मत कहां कराई जावे, इस बारे में कृषि विभाग के क्या क्या प्रचलित सरकूलर्स हैं ।?

उत्तर

1. जी हां।

2. नागौर में कृषि उद्योग निगम की वर्कशॉप है जिसमें सरकारी गाड़ियों की मरम्मत होती थी ।

3. जी हां, ब्यौरा तालिका "क" में अंकित है, अन्य वर्कशॉपों में मरम्मत कराने का ब्यौरा भी तालिका "ख" में अंकित है। प्राईवेट जगह पर व कृषि उद्योग यन्त्रालय में कराई गयी मरम्मत का कार्य भिन्न भिन्न रहा है। कृषि उद्योग निगम में कराई गई मरम्मत में अधिक खर्चा हुआ जिसका ब्यौरा तालिका "ग" में अंकित हैं तालिका "क" "ख" व "ग" की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

4. विभागीय जीपों की मरम्मत के सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा प्रसारित सरक्यूलर की प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**स्थगित प्रश्न**
(20-5-71)

**खाटू बड़ी की पेय जल योजना**

758. श्री रामसिंह कुड़ी (आयल):

(श्री रामसिंह कुड़ी)
क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के खाटू बड़ी ग्राम में क्या ग्राम पेय जल योजना निर्माणाधीन है?

(2) क्या खाटू बड़ी ग्राम की पूरी आबादी को इस योजना का लाभ मिलेगा? यदि हां, तो किस-किस बास को? प्रत्येक बास की आबादी कितनी कितनी है?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां, बड़ी खाटू को पूरी आबादी को पानी देने का योजना में प्रावधान लिया गया है। मोहल्लों की सूची मय आबादी के संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(6-5-71)

राज्य के नगर सुधार न्यासों द्वारा भूमि का आवंटन

621. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न नगर सुधार न्यासों द्वारा अब तक कितनी भूमि एलाट की जा चुकी है और प्रत्येक नगर सुधार न्यास द्वारा कितनी कितनी एलाट की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) प्रत्येक नगर सुधार न्यास का प्रशासनिक व्यय वार्षिक कितना कितना हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) नगर सुधार न्यासों में नामजदगी किन व्यक्तियों की किस आधार पर की जाती है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(12-5-71 व 19-5-71)

पंचायत समिति सवाई माधोपुर में सघन कृषि कार्यक्रम

694. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सवाई माधोपुर इस वर्ष सघन-कृषि कार्यक्रम (क्रेश प्रोग्राम) के अन्तर्गत ली गई है? यदि हां, तो वर्ष 70-71 में इस कार्यक्रम में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम में 328 बिजली की मोटरें किसानों को उपलब्ध कराने का पंचायत सवाई माधोपुर के लिये प्रावधान है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस बात का सर्वे कराया है कि इस समिति में कुल कितने गांवों का विद्युतिकरण कर दिया गया है? और उनमें कुओं की संख्या जितनी मोटरें किसानों को उपलब्ध करानी हैं उतनी उपलब्ध हैं? यदि हां, तो किन किन विद्युतिकृत गांवों में कुओं की संख्या क्रमशः क्या क्या है?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि इस समिति में खिलचीपुर–शेरपुर से कुण्डोरा–शामपुरा, की ओर विद्युतीकरण किया जाय तो उक्त धनराशि का पूरा पूरा उपयोग होने की सम्भावना हैं? यदि हां, तो बिजली की मोटरों के लिये प्रावधित राशि का पूरा पूरा उपयोग हो सके इस हेतु कृषि विभाग विद्युत विभाग से विद्युतिकरण करने को क्या क़दम उठा रहा है?

(4) ऐसे मामलों में कृषि विभाग एवं विद्युत विभागों के समन्वय हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि पंचायत समिति, सवाई माधोपुर इस वर्ष भी सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई है और वर्ष 70-71 में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत 5.42 लाख रुपयों के ऋण दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां, यह सही है। कुल 6 गांवों का विद्युतिकरण हुआ है। इन 6 गांवों में 233 कुएँ उपलब्ध हैं। इन 6 गांवों में व योजना क्षेत्र में और भी नये कुएँ बनवाने के प्रस्ताव हैं ताकि उपलब्ध धन राशि का उपयोग हो सके। इन 6 गांवों व उनके कुओं की सूची संलग्न है।

(3) इस विषय में विद्युत मण्डल के साथ समन्वय कर प्राथमिकता व ग्राम की स्थिति के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं। विद्युतिकरण राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता है। अतः उपलब्ध राशि व उपयोग के अनुसार इस क्षेत्र में भी विद्युतिकरण यथाशक्ति किया जाएगा।

(4) इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि कृषि विभाग एवं विद्युत् विभाग की योजनाओं में समन्वय रखा जाए एवं विद्युत् विभाग अपनी नई योजना बनाते समय कृषि विभाग से विचार विमर्श करलें।

स्थगित-प्रश्न

(19-5-71)

**ग्राम चीतोस की गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जे**

737. श्री महेन्द्र सिंह (पीपल्दा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चीतोस तहसील राजगढ़ (ज़िला अलवर) की गोचर भूमि पर उस ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत क़ब्ज़ा किया हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम की गोचर भूमि पर हज़ारों की संख्या में बंबूल व खेजड़े के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं? जिनके लूंग पातड़ी व शाखाओं आदि को ही बेचने से 5-6 हज़ार रुपये के लगभग वार्षिक आय होती है जो गांव के कुछ लोगों की जेब में जाती है?

(3) क्या यह सही है कि कुछ ग्राम वासियों ने इस गोचर भूमि तथा उस पर लगे पेड़ों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना रखी है तथा प्रति वर्ष उनके द्वारा हज़ारों रुपये के पेड़ (समूल) बेचे जाते हैं जो क़ानूनन अपराध है?

(श्री महेन्द्र सिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि 3 साल पूर्व इसी गोचर भूमि के पेड़ आदि बेचने पर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा रुपये 4001- की डिक्री की गई थी लेकिन कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के कारण तथा सम्बन्धित अधिकारी के भ्रष्टाचारपूर्ण रवैये के कारण उस राशि की वसूली आज तक नहीं की गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1969 में भी कुछ ग्रामवासियों द्वारा इस गोचर भूमि पर लगे पेड़ों को लगभग 2,000 रुपये की राशि की लूंग पातड़ी तथा जलाने की लकड़ी वेची गई है तथा पेड़ भी बेचे गये हैं जिसकी तत्काल सूचना तहसीलदार राजगढ़ को दी गई ? क्या खरीदने वालों ने अधिकारी के समक्ष अपने बयानों में यह माना है कि उन्होंने इतने-इतने समय में लूंग, पातड़ी फ़लां-फ़लां व्यक्ति से खरीदे तथा प्रत्यक्ष-दर्शियों ने भी इसी आशय के बयान दिये ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार ने इन लोगों से उक्त राशि की वसूली करली है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में समय समय पर जिलाधीश अलवर, एस. डी. ओ. राजगढ़, तहसीलदार राजगढ़ पंचायत समिति राजगढ़ के प्रधान तथा राजस्व विभाग को लिखा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के वन विभाग ने सन् 1969 में एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार राज्य की वन सम्पदा को सुरक्षित रहने तथा लकड़ी के कोल की कमी को दूर करने की दृष्टि से आगामी 5 वर्षों तक पेड़ों के काटने व बेचने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या कुछ ग्रामवासियों के द्वारा राज्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया गया है ?

(8) क्या सरकार उपर्युक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत कर राज्य को हजारों रुपये साल की होने वाली आय को अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ में आने से रोकने, वन सम्पदा को कायम रखने तथा ग्राम के पशुओं को घास, झाड़ी आदि नियमित रूप से मिलती रहे इस दृष्टि से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके तथा भविष्य के लिये आवश्यक निर्देश जारी करके इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी नहीं । मौके पर आराजी पड़ी हुई है तथा उस पर किसी ने बाड़, डोली इत्यादि नहीं बना रखी है।

(2) चरागाह पर करीब 400-500 बंबूल के पेड़ हैं तथा एक वट वृक्ष है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लूग पातड़ी व शाखायें आदि को बेचने से 5-6 हजार रुपये की वार्षिक आय होना सही नहीं है। यह सही है कि लूग पातड़ी आदि कुछ व्यक्तियों द्वारा कभी कभी बेचकर स्वयं लाभ उठाते हैं।

(3) यह सही नहीं है कि प्रति वर्ष ग्रामवासियों द्वारा हजारों रुपये के पेड़ (समूल) बेचे जाते हों, परन्तु कुछ ग्रामवासी

(श्री राजस्व मंत्री)
इस गोचर भूमि की लूंग पातड़ी व शाखाओं को बेचकर व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं।

(4) तहसीलदार द्वारा डिग्री देना सही नहीं है। अलबत्ता 5-6 वर्ष पूर्व पंचायत भजेड़ा द्वारा इस रक़बे की लूम पातड़ी काटने व बकरियां चराने हेतु इन्द्रपुरा के मीणों को ठेका दिया गया था एवं ठेके की राशि वसूल भी की गई थी परन्तु ठेकेदार द्वारा अदालत मुन्सिफ़ी राजगढ़ में पंचायत के विरुद्ध दावा कर डिक्री प्राप्त करली।

(5) गोचर भूमि पर लगे पेड़ों को लगभग 2000 रु० की राशि की लूंग पातड़ी व जलाने की लकड़ी बेचा जाना सही नहीं है अलबत्ता इस विषय से सम्बन्धित शिकायत तहसीलदार को अवश्य दी गई थी जिससे कुछ व्यक्तियों द्वारा लूंग पातड़ी बेचना पाया गया था। तहसीलदार द्वारा जांच रिपोर्ट सम्बन्धित पंचायत को उचित कार्यवाई हेतु भेजी गई।

(6) इस विषय सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा जांच की जाकर उचित कार्यवाही हेतु जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित पंचायत को अवगत कराया गया।

(7) पांच वर्ष के लिये लकड़ी के कोयले के ठेके देने पर राज्य सरकार के आदेश 18-6-68 के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह आदेश वन विभाग ने अपने क्षेत्र पर लागू किये हैं।

(8) उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।

स्थगित प्रश्न
(19-6-71)

जंगलात की कृषि योग्य भूमि

738. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जंगलात विभाग के अन्तर्गत हैं लेकिन वह जंगल नहीं हैं और वे कृषि योग्य हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों की भूमि को कृषि के लिए भूमिहीन किसानों में वितरण करने का व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की वन भूमि का सर्वेक्षण नहीं हुआ है अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कृषि योग्य भूमि वन क्षेत्र में कितनी व कहां-कहां है।

(2) इस प्रकार की भूमि की जानकारी नहीं होने से इसे भूमिहीन किसानों को वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता है ?

स्थगित प्रश्न
(18-5-71)

भीलवाडा जिले में पेटा तालाब की भूमि

739. श्री कल्याण मल (जहाजपुर):— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाडा जिले में वर्ष 1969-70 वर्ष 1970-71 में पेटा तालाब की जमीन पर कितने बीघे में खेती की गई ? तहसीलवार व बांध या तालाब वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री कल्याणमल)

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश भीलवाडा ने तहसीलदारों के नाम एक आदेश प्रसारित कर यह कहा कि पेटा तालाब की जात मोहमद भूमि के अलाटमेंट पर पच्चीस रुपये प्रति बीघा की दर से चन्दा लेकर जमीन अलाट करें, अन्यथा नहीं ? यदि हां, तो अनिवार्य रूप से चन्दा क्यों मांगा गया ?

(3) क्या उक्त चन्दा नहीं देने से काश्तकारों को जमीन अलाट नहीं की गई और जमीन पडत रह गई ? यदि हां, तो क्या उस नुकसान की पूर्ति करने की जिम्मेदारी जिलाधीश की व्यक्तिगत है ?

(4) क्या किसी पिछडी जाति के गरीब भूमिहीन किसान ने गुजर करने के लिये उस जमीन पर खेती कर ली है, तो उस पर जुर्माना किया जावेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाडा जिले में वर्ष 1969-70 व 1970-71 में पेटा तालाब में निम्नलिखित भूमि आवंटन की गई :—

| नाम तहसील | 1969-70 | 1970-71 |
|---|---|---|
| रायपुर | 362।)3 | 181।) |
| सहाडा | 492) | 68।।।) |
| भीलवाडा | 299) | 159) |
| माण्डल | 1130।) | 115) |
| बनेडा | 540) | 476) |
| आसीन्द | 781।।।) | 559।।।) |
| हुरडा | 49) | 798।।)1 |
| जहाजपुर | 1438।।)2 | 985)1 |
| कोटडी | 220। | 87) |
| मांडलगढ | 247।।)4 | 188।।)1 |
| शाहपुरा | 1110।।।)4 | 540।।।)1 |
| योग | 6671।।)3 | 4159।।।)2 |

सूची राजस्व (ख) विभाग में अवलोकन की जा सकती है ।

(2) यह सही नहीं है ।

(3) यह सही नहीं है ।

(4) ऐसे मामले प्रकाश में नहीं आये हैं । साथ ही ऐसे मामलों का संबंध न्यायिक होता है । अतः इनके निपटारे हेतु संबंधित न्यायालय के निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है ।

स्थगित प्रश्न

(19-5-71)

गांधीनगर के सरकारी क्वार्टर्स

741. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गत पांच सालों में सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान को "जी क्वार्टर्स" गांधीनगर के संबंध में कब कब क्या क्या एस्टीमेट बना कर भेजे तथा सामान्य प्रशासन विभाग ने उन पर कब कब क्या क्या निदेशों के साथ वापिस विभाग को लौटाये तथा अंतिम स्थिति अब क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त भेजे गये एस्टीमेटों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि वहां

(श्री श्रवण लाल)
गांधीनगर के अलाटीज क्वार्टर्स में कई चीजों के अभाव से परेशान हैं ।

(4) जी एन्ड एच नर्सरी गांधीनगर को गत पांच सालों से कितना कितना फण्ड किस किस कार्य हेतु अलाट किया गया तथा उपरोक्त वर्षों में कब कब किस किस कार्य में कितनी कितनी राशि खर्च की ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फण्ड की राशि प्राप्त होते ही खर्च कर दी गई है ? इसका कौन कौन अधिकारी दोषी है ?

(6) नर्सरी में कुल कितना व कौन कौन सी श्रेणी के कर्मचारी आदि कार्य करते हैं और उनके आवास और स्थायीकरण आदि के विषय में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(7) उपरोक्त नर्सरी के अन्तर्गत कहां की कौन कौन सी सड़कें, क्वार्टर्स, भवन आदि आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रशासन विभाग को कोई एस्टीमेट नहीं भेजा है । जी टाईप क्वार्टर्स की स्वीकृति 90,000) रु. की 25 फरवरी, 1969 को प्राप्त हुई थी । अब 16 जी टाइप क्वार्टर्स की स्वीकृति 17 मई, 1971 को प्राप्त हुई है । कार्य प्रगति पर है ।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने समय समय पर पूर्ण सावधानी के साथ कार्यवाही की है ।

(3) सरकार द्वारा निर्मित क्वार्टर्स सरकार द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही बनाये जाते हैं, उसके अलावा कार्य कराना इस विभाग की प्रदत्त शक्तियों से बाहर है ।

(4) जी व एच टाइप को कोई नर्सरी गांधी नगर में नहीं है । अतः फण्ड एलोटमेंट व खर्चे का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) नर्सरी हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं होती है, न हुई है ।

(6) किसी भी श्रेणी का कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता ।

(7) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(19–5–71)

जयपुर नगर की आवास समस्या

744. श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की बढती हुई आवास समस्या के समाधान हेतु कुल कितनी कृषि एवं आबादी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगर सुधार न्यास के कार्यालय में चल रही है ? अलग अलग भूमियों का क्षेत्रफल, उनके मालिकों के नाम मय पूर्ण पतों के तथा भूमि का स्थान, अवाप्ति के लिये जारी किये गये नोटिस की तारीख और इस समय कार्यवाही किस स्तर पर है ? इसका पूर्ण विवरण देते हुए सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) नगर न्यास के गठन से लेकर अब तक कौन कौन सी ऐसी भूमियां हैं जिनकी अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी और बाद में [illegible] कर दी गई? उन सभी भूमियों का क्षेत्रफल उनका पता मालिकों का नाम पूर्ण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विवरण के सदन की मेज पर रखने कृपा करें। जिसमें अवाप्ति कार्यवाही समाप्त किये जाने के कारणों तथा अवाप्ति के नोटिस की तारीख और उसको समाप्त करने की तारीख का भी उल्लेख हो।

उत्तर

1. नगर न्यास के गठन से व गठन के पश्चात् 26 आवासीय के मामले न्यास कार्यालय में चल रहे हैं। इन अवाप्तिग्रस्त भूमियों का कुल क्षेत्रफल, कुल दावेदार एवं कार्यवाही की प्रगति का सूक्ष्म विवरण तालिका "अ" में संलग्न है। तालिका "ब" में अवाप्तिग्रस्त भूमि के संबंध में उपलब्ध भूमि का विवरण, दावेदरों के नाम अवाप्त हेतु जारी किये नोटिसों का दिनांक आदि पूर्ण विवरण अंकित है।

2. राज्य सरकार ने न्यास के गठन के पश्चात् केवल एक मामले को छोड कर जिसका विवरण तालिका "सी" में संलग्न है किसी भी अवाप्ति की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों– मैं अभी संघर्ष के दूसरे दौर में चल रहा हूं।, की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिये आप उपाध्यक्ष महोदय या जो चेयरमैन हो उनका सहयोग प्राप्त करलें। आज टेन्शन रहेगा। इसलिये मैंने आपसे यह निवेदन किया है। मेरी आपसे सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करदूं, आर्डर प्लीज, न तो टेनशन मेरे सिर में है और न माननीय सदस्यों के सिर में है, यह मान कर चलें।

श्री विजयसिंह : सहयोग के लिये उपाध्यक्ष महोदय को या चेयरमैन को बिठा दें।

श्री अध्यक्ष : चेयरमैन को बिठा दूंगा तो थोडा सा मुश्किल रहेगा। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री केशरी सिंह हाडा, सदस्य, विधान सभा ने गुढा बांध की नहरों पर काम करने वाले बेलदारों को हटा कर नौ बेलदार लगाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी दी है।

(2) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से दिनांक 14-5-71 को साक्षात्कार से उत्पन्न मुद्दों क सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री हरलाल सिंह खुर्रा, सदस्य, विधान सभा ने बेमौसम की लगातार कई दिनों तक वर्षा होने से श्री माधोपुर तहसील (सीकर) के कृषकों का अनाज खलियान में ही गल जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) इन्हीं माननीय सदस्य ने खाद्य निगम द्वारा श्री माधोपुर मन्डी (सीकर) से अनाज नहीं खरीदने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

# Page No 68



(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री रामचन्द्र आर्य, श्री मेघराज पंवार व श्री हरजी राम बुरडक, सदस्य विधान, सभा ने श्री समरथ लाल उपमंत्री व श्री शिवचरणसिंह, उप मंत्री द्वारा सरकारी ऋण लेकर खरीदी गई कारें ब्लेक में बेचने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(6) श्री विजय सिंह मकराना, सदस्य, विधान सभा ने श्री समरथ लाल उपमंत्री द्वारा राजकीय कोटे से कार खरीद कर ब्लेक में बेचने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री विजयसिंह : एक ट्रेक्टर भी है ।

श्री अध्यक्ष : वह आया नहीं है ।

(7) श्री रामचन्द्र आर्य, श्री मेघराज पंवार, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता व श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। जिसमें कहा गया है कि अकाल पीडित क्षेत्रों के हरिजन अपने ग्रामों से बाहर जाने के कारण मतदाता सूचियों में उनके नाम न आने से वोट से वंचित रहेंगे ।

(8) गंगानगर–जयपुर एक्सप्रेस में शयन कक्ष घटिया होने से मुसाफिरों को भारी कष्ट होने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री मेघराज पंवार व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह विषय केन्द्र सरकार से संबंधित है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : All these members are ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कैसे होती है इसका रूप कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है । इतनी सी लम्बी सीट पर एक आदमी कैसे सो सकता है और किराया बढाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय । आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : ++

श्री अध्यक्ष : अब मैं आगे चलता हूं ।

(9) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री मेघराज पंवार, सदस्य, विधान सभा ने तहसील नोहर के कई ग्रामों की जनता को पीने का पानी 15 मील से नजदीक में न मिलने के संबंध में एक प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(10) श्री डूंगाराम राजोरिया, श्री लादूराम सुलानियां, श्री विजयसिंह, श्री फतहसिंह व श्री पृथ्वीसिह चौहान, सदस्य, विधान सभा ने दौसा कालेज में कमरों की कमी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(11) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री मेघराज पंवार, सदस्य, विधान सभा ने जिला गंगानगर में सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी जीपों के दुरुपयोग के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(12) मिर्जा इस्माइल रोड पर एम. एल. ए. क्वार्टर्स के पास बने हुए मार्केट को पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा बिना नोटिस ढहा देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(13) श्री श्रवणलाल, श्री देवीदत्त

++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

गाड़िया व श्री नन्दलाल, सदस्य, विधान सभा ने हिन्डौन नगरपालिका के हरिजनों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(14) श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने बूंदी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालचन्दपाड़ा के कतिपय अध्यापकों द्वारा छः मासिक परीक्षा में अनुचित तरीके से अंक बढ़ाये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(15) श्री मनोहरसिंह मेहता व श्री गंगासहाय, सदस्य, विधान सभा ने नशाबन्दी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(16) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, सदस्य विधान सभा ने राज्य मंत्री श्री मनफूलसिंह द्वारा सिंचाई विभाग के तीन ठेकेदारों के साझे में अपनी पत्नी के नाम से दिल्ली में सिनेमा का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित पेण्डिंग स्थगन प्रस्तावों पर मेरी व्यवस्था इस प्रकार है:—

(1) जिला कोटा की तहसील किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में आदिवासी सहरिया जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के नाम से सहकारी कृषि फार्मिंग सोसाइटी का गठन कर हजारों बीघा सरकारी भूमि का आवंटन के संबंध में निम्नांकित सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव:—

(1) श्री देवीदत्त गाड़िया
(2) श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
(3) श्री हीरा भाई
(4) श्री लक्ष्मण तानीवाल
(5) श्री किशनलाल शाह
(6) श्री रामप्रसाद बोहरा
(7) श्री प्रेमसिंह सिंघवी
(8) श्री सुरेन्द्रसिंह
(9) श्री श्रवणलाल

(2) बूंदी स्थित राज्य कर्मचारियों द्वारा बृजमोहन सत्यनारायण लखोटिया से खरीदी गई दवाइयों की कीमत का रिएम्बर्समेंट के संबंध में श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) तहसीलदार हिण्डौली, द्वारा पेटा तालाब गुढा बांध की आवंटित भूमि से काश्तकारों को बेदखल किये जाने के फैसले के संबंध में श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर खण्ड के कार्यालय को जयपुर से अलवर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) परबतसर प्रधान द्वारा गलत तरीके से अपने रिश्तेदारों के नाम भूमि आवंटन कराये जाने के संबंध में निम्नांकित

(श्री अध्यक्ष )

सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव:—

(1) श्री परसराम गंगाराम
(2) श्री पृथ्वीसिंह चौहान
(3) श्री फतहसिंह
(4) श्री दिग्विजयसिंह
(5) श्री रूपसिंह
(6) श्री चुन्नीलाल जेलिया
(7) श्री डूंगाराम राजोरिया
(8) श्री विजयसिंह
(9) श्री आलमअली खां

(6) गंगापुर शुगर फैक्टरी के प्रबंधकों द्वारा व्यास अवार्ड लागू न किये जाने से मजदूरों द्वारा हड़ताल के नोटिस के संबंध में श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(7) राजकीय वूलन मिल वर्क्स यूनियन के पदाधिकारियों व प्रबंधकों के बीच राणावत कमीशन लागू करने, बोनस का भुगतान किये जाने, सीनियोरिटी के आधार पर फिक्सेशन आदि की मांगों के सिलसिले में समझौता वार्ता टूट जाने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(8) जैसलमेर फील्ड फाइरिंग रेन्ज के विस्थापितों की समस्या के बारे में श्री बालसिंह सोढा, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(9) जिला पाली के गांव सेणां की भूमि, गोचर, पानी का पीचका आदि जवाई बांध भर जाने पर डूब में आ जाने के संबंध में श्री पृथ्वीसिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(10) उप-खण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा अनाज के व्यापारियों को हैरान करने एवं उनके विरुद्ध झूठे मुकदमें चलाये जाने के संबंध में श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(11) जयपुर नगर में रिक्शा चालकों का नगर परिषद् व रिक्शा मालिकों द्वारा किए जा रहे शोषण को समाप्त करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिये जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(12) भाखड़ा सिस्टम से राजस्थान को बिजली सप्लाई में कटौती होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(13) कस्बा नोहर में वाटर वर्क्स का पानी खारा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी के लिये व्यवस्था ······

श्री अध्यक्ष : उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह : सरकार ने कल विश्वास ये दिलाया था, वित्त मन्त्री ने ऐलान किया है रिक्शा चालकों के बारे में ···

# Page No 71



श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में वक्तव्य हो जाता, कल रिक्शा वालों के लिये ऐलान किया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें कुछ पाइन्ट्स फ़ार्मूलेट की हैं आपके सामने . . . .

श्री शिवचरण सिंह (उप मन्त्री) : यह जो सदन को सूचना दी है कि मैंने कार बेच दी है, यह असत्य है, मेरी कार खड़ी है . . . .

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बम्बई में . . . .

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(श्री रामचन्द्र आर्य व श्री शिवचरण सिंह साथ साथ बोलने लगे)

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष कुछ भी अंकित न हो ।

श्री विजयसिंह : यह भी अंकित न हो ।

श्री अध्यक्ष: यह भी अंकित न हो, वह भी अंकित न हो ।

श्री रामचंद्र आर्य : + + +

श्री मदनसिंह : पाइन्ट ऑफ़ आर्डर ! आपका आदेश होने के बाद में मन्त्री महोदय उसका जवाब देने लगे थे ।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + + +

श्री अध्यक्ष : + + + +

श्री शिवचरण सिंह : + + + +

श्री विजयसिंह : + + + +

श्री अध्यक्ष : उनका भी अंकित न हो आपका भी अंकित न हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस स्थगन प्रस्ताव में जो मुद्दे उठाये हैं वे मुद्दे इस प्रकार के हैं जिनमें सदन के सभी माननीय सदस्य निश्चित रूप से दिलचस्पी रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा ने 14-5-71 जो इन्टरव्यू दिया उस सिलसिले में उन्होंने कहा :

श्री गिरधारीलाल व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : देयर इज पाइन्ट आफ आर्डर।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री गिरधारीलाल व्यास साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर रद्द किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रद्द नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

++++ अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

# Page No 72



श्री अध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाइन्ट आफ आर्डर रेज करें, मुझे ऐतराज नहीं लेकिन कहीं खाट छोटी कहीं पलंग छोटा है। ये स्थगन प्रस्ताव में दिलचस्पी रखें या नहीं लेकिन पालिसी मैटर्स कुछ ऐसे हैं····

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा पाइन्ट आफ़ आर्डर यह है कि ये बोल नहीं सकें···

(दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पार्टी के प्रधान हैं, इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं······

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा, ऐसी हालत में कोई······

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में है····

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने जब रिजेक्ट कर दिया है·····

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया है, उस पर पुनः विचार करें, उसकी गम्भीरता····

श्री अध्यक्ष : यह मत कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां पर आधार दिखा कर स्थगन प्रस्ताव····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतने सीरियस एलीगेशन्स हैं राजस्थान के कांग्रेस प्रेसीडेन्ट के कि राजस्थान का वित्त मंत्री क्रिमिनल है, राजस्थान के मिनिस्टर्स करप्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफ़ीशियेन्सी के आरोप लगाए और कहें कि राजस्थान की जनता को समाजवाद के नाम पर ज्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते·····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर विचार, कोई विवेचन····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे आरोप लगाए और उन्होंने इन्टरव्यू दी है तो सदन में क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिये, मुख्य मन्त्री कह सकते हैं जो कुछ कहना चाहें····

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस पार्टी की बात है।

श्री अध्यक्ष : देयर विल वी नो टाक आन दिस मोशन। आर्डर प्लीज !

# Page No 73



(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य इस पर चर्चा न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एम्बरेसमेन्ट क्या है? कांग्रेस पार्टी का प्रेसीडेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूलिंग कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और रूलिंग कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते · · · · ·

श्री अध्यक्ष : मैं इस निर्णय पर पहुंच रहा हूं कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जनसंघ के प्रेसीडेन्ड ने तो नहीं कहा, रूलिंग कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट अगर इस बात को कहते हैं जिसके मामले में · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर सदन के सामने · · · :

श्री अध्यक्ष : आप रूल्स पर वादविवाद करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एक एक मिनट के प्रश्न पर आपका विवेचन होता रहा है और अब यह स्थगन प्रस्ताव, जिसको मैंने स्वीकार नहीं किया और वही व्यवस्था आप आसन पर होते तो देते · · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूर देता और मेरी जगह आप होते तो मुझ से आधा घंटा ज्यादा बोलते।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरी तरह आसन के नियमों का पालना करता · · · ·

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

आर्डर प्लीज !

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जैसे रामानन्दजी से कहा था कटोरी पर कटोरी, चमचे पर चमचा।

श्री अध्यक्ष : तब दूसरे रूप में था। याचिकाओं का प्रश्न लेता हूं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : वित्त मंत्री ने · · · · ·

श्री अध्यक्ष : आप · · ·

## औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आई राइज आन ए पाइन्ट आफ़ आर्डर।

My point of order is that the Appropriation Bill whice was under discussion in the House yesterday, has not been passed in accordance with rules of business of this Honse.

Shri Girdhari Lal Vyas : It has been passed.

Shri Satish Chandra Agarwal : I am rising on a point of order. I have every right to my point of order. you cannot check me.

अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि नियमानुसार बोलिये तो मैं नियमानुसार बोल रहा हूं। अब आप नियम 283 को निकाल।

श्री अध्यक्ष : चलो सोसाइटी तो आई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय का ख्याल आप को नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : एनी वे आई हैव रेस्टोर्ड टू राइट पोज़ीशन ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम 283, 284 व 285 पढ़ लीजिये, 154 भी पढ़ लीजिए एप्रोप्रिएशन बिल में सम्बन्ध क और संविधान की संबद्ध धाराओं 204, 205, व 206 को देखलें ।

श्री अध्यक्ष : इसी पर समाप्त होता है। तो मैं देखलूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं ने पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ किया है। जो माननीय सदस्य कल अनुपस्थित थे उनको पुनः स्मरण दिलाने के लिये आपकी याद ताजा करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल इस सदन में एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही थी वह बिल कल सदन म विचारार्थ प्रस्तुत था, उस बिल को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया, उस पर विचार हो रहा था, वह सैकंड स्टेज इस बिल की थी, थर्ड स्टेज नहीं थी ।

सेकेन्ड स्टेज पर बिल हाउस में विचारार्थ लिया जाने वाला था कि माननीय सदस्य श्री भरोंसिंह ने राजस्थान के सिंचाई मंत्री श्री लड्ढा पर कुछ गम्भीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाये । उन आरोपों का स्पष्टीकरण सिंचाई मंत्री जी ने दिया । अध्यक्ष महोदय उस समय यह ऐप्रोप्रियेशन बिल विचारार्थ लिये जाने के लिये एक मोशन आया । मोशन फोर कन्सीडरेशन आफ दी बिल । उस पर विचार चल रहा था और विचार चलने के बीच में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी कि वाद विवाद ज्यादा होता चला गया । कुछ स्पेसिफिक प्रश्न थे जिनके जवाब से स्थिति और खराब हो गयी, इसलिये अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि कल कोई एप्रोप्रियेशन का बिल पास नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान में ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जिसने इस प्रकार से बिल को स्वीकार कराया हो । । हां एक बार ऐसी स्थिति पन्जाब में जरूर हुई थी। पन्जाब में इस तरह से एप्रोप्रियेशन का बिल पास हुआ था । अध्यक्ष महोदय उस समय चेयर पर नहीं थे । डीप्टी स्पीकर वाज ओन दी चेयर । उन्होंने बिल पास करा दिया । उसके बारे में पन्जाब हाई कोर्ट में केस चला। पन्जाब हाईकोर्ट ने उसे पास नहीं माना और पन्जाब गवर्नमेंट के खिलाफ में डिसीजन दे दिया । उसकी अपील पन्जाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में की और वहां पर सुप्रीम-कोर्ट ने किसी न किसी तरह पन्जाब हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया और इस तरह से बिल पास हुआ माना गया । अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल जब हाउस में पेश होता है तो उस बिल की पहले बजट की हर डिमान्ड पर डिस्कशन होता है, और फिर डिमान्ड को पास किया जाता है । जब सारी डिमान्ड्स पास हो जाती हैं तो उस समय वित्त मन्त्री एप्रोप्रियेशन बिल हाउस में पेश करते हैं । अध्यक्ष महोदय, फिर उस एप्रोप्रियेशन बिल पर सामन्य वाद विवाद होता है और उसके बाद विवाद के दौरान जो मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते हैं उन पर वित्त मन्त्री का जवाब हाउस में होता है । वित्त मन्त्री ने हाउस में जवाब होने के बाद वित्त मन्त्री एप्रोप्रियेशन बिल के लिए प्रस्ताव करते हैं कि एप्रोप्रियेशन बिल को विचारार्थ लिया

# Page No 75



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय, और विचार होने के बाद प्रस्ताव करते हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाय। यह सब होने के बाद एप्रोप्रियेशन बिल पास होता है, इसके लिये, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान रूल्स आफ प्रोसीजर के 283 और 284 नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इन नियमों के अन्तर्गत एप्रोप्रियेशन बिल सदन के समक्ष वित्त मन्त्री द्वारा रखा जाता है तो अध्यक्ष महोदय इसके लिये आपका ध्यान रूल 283 की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member."

Then rule 284:—

"When a motion has been made, the Speaker shall propose the qnestion for concideration, and put it for the decision of the House. If a motion embodies two or more separate propositions, those propositions may be proposed by the Speaker as separate questions."

.....फिर अध्यक्ष महोदय उसमें आगे लिखा है नियम 286

"(1) On the conclusion of a dabate...."

and the debate concludes after the mover of the motion has replied to the debate. yesterday the Finance Minister was the mover of the motion. He did not reply to the debate, so the debate did not conclude.

एक माननीय सदस्य : No, no.

श्री अध्यक्ष : Let him have his say please.

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : The Finance Minister was the mover of the motion. He did not reply, and unless he replies to the motion, the debate does not conclude.

"On the conclusion of a debate the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No'."

श्री रामकिशन : हिन्दी में कहो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किताब मेरे पास में है वह अंग्रेजी में है और हिन्दी की जो बात करते हैं रामकिशन जी तो इतना मैं निवेदन करूंगा कि पार्लियामेन्ट में मंत्रियों के नाम हिन्दी में लिखे जायें उसके लिए स्टेट प्रोटेस्ट कर रही है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं निवेदन कर रहा था कि इन स्थितियों में अध्यक्ष महोदय यह हाउस में वित्त मंत्री का विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव आया नहीं, विवाद का कोई उत्तर दिया नहीं गया और जब तक उनका उत्तर नहीं हो और कोई पासिंग के लिए मोशन मूव नहीं हो तब तक डिबेट कन्क्लूड नहीं हुई और फिर मोशन पूरा नहीं हो सकता और हाउस के डिसीजन का सवाल नहीं खड़ा होता और फेक्चुयल पोजीशन यह है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय आपको अधिकार है निर्णय लेने का और मैं जानता हूं कि आप पाइन्ट आफ आर्डर को रूल आउट करेंगे क्योंकि 416 करोड़ रुपये का बजट इस कानून के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है इसलिए मामला गम्भीर है और इसलिए आप मानकर चलें कि 416 करोड़ रुपये की अनुमति इस सरकार को दी जाये इन परिस्थितियों में दिया जाना माना जाये और यह कानून से पारित किया जाना माना जाये—न प्रस्ताव का जवाब दिया, न मंत्री महोदय ने इस विधेयक को पारित किये जाने का कोई विधिवत प्रस्ताव किया न उसके संबंध में कोई विचार प्रकट किये, न उस तरह का मोशन आसन की तरफ से हाउस में डिसीजन के लिए रखा गया—मैं समझता हूं एप्रोप्रियेशन बिल को इन सारे डिफेक्ट्स के आधार पर जिन परिस्थितियों के लिए आपने यहां पर कहा है जो अखबारों में भी निकला, समाचार पत्रों में भी समाचार निकला है 'कहा जाता है एप्रोप्रियेशन बिल पास हो गया' अखबार वाले, समाचार वाले और आज हिन्दुस्तान की जनता में जब यह चीज जायेगी कि यह एप्रोप्रियेशन बिल पास हुआ या नहीं यह मामला डाउटफुल है, समाचार पत्र में किसी ने पढ़ा नहीं, प्रेस रिपोर्टर्स ने सुना नहीं विरोधी दल के किसी भी सदस्य ने सुना नहीं, हाउस में मोशन नहीं आया ऐसी स्थितियों, में सारे हंगामे के बीच जो हंगामा उस तरह की स्थिति में कांग्रेस की पार्टी में भ्रष्टाचार को शरण देने के कारण पैदा हुआ उस सारी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह साधारण विषय नहीं है, साधारण वस्तु नहीं है, यह एप्रोप्रियेशन बिल है जिसके ऊपर कान्सटीट्यूशनल प्रावीजन्स हैं, कान्स्टीट्यूशनल की मान्यतायें हैं, कान्स्टीट्यूशन की बैकग्राउन्ड है और एक भी उदाहरण कांग्रेस के माननीय सदस्य हिन्दुस्तान में यह बतायें कि जहां एप्रोप्रियेशन बिल पर डिबेट का जवाब न हो, कन्सीड्रेशन के मोशन का जवाब न हो, पासिंग के लिए प्रस्ताव न हो, कोई वित्त मंत्री जी का उत्तर न हो, किसी प्रकार का विचार न हो और एक मिनट में सारी डिबेट को हाउस से एडजोर्न करके चले जायें और फिर मानकर चलें कि हमारा एप्रोप्रियेशन बिल पास हो गया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एप्रोप्रियेशन बिल न तो नियमों के अनुसार पास हुआ है, न नियमों के अनुसार प्रस्ताव रखा गया, न कन्सीड्रेशन के लिए मोशन का जवाब हुआ, न पासिंग का मोशन हुआ, न वोटिंग के लिए लाया गया, न वोट किया गया—अब मैं समझता हूं कि बहुमत के आधार पर एप्रोप्रियेशन बिल जिस बिल को इस तरह से पारित करना डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स के खिलाफ है हिन्दुस्तान का एक उदाहरण यह हुकूमत नहीं दे सकती वहां पर एप्रोप्रियेशन बिल को एक मिनट में इस तरह पास करके गवर्नमेन्ट हाउस को छोड़कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मांगी हो इसलिए अध्यक्ष महोदय में निवेदन करता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल पेश नहीं हुआ है।

The Finance Minister may be directed to move the motion for passing the Bill, then the debate should continue and then it should be passed.

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय ........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल जब श्री रामप्रसाद लड्ढा के विषय में विवाद हो रहा था और जब खड़े होकर वित्त मंत्री जी ने कुछ कहना चाहा तो मैंने यह निवेदन किया था कि कहीं कोई पुरानी परम्परा दोहराई तो नहीं जा रही है और उसी बीच में बिना किसी प्रकार के उत्तर दिये और न हमने सुना कि आपने कोई बात कही है और वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है —हां वित्त मंत्री जी खड़े जरूर दिखाई दिये, आप भी अध्यक्ष महोदय उस समय खड़े दिखाई दिये और अनेक सदस्य खड़े हुए थे और आप आसन से क्या व्यवस्था देकर चले गये और हम लोग यहीं रहे—मैं इस विषय में दो तीन बातें आपको निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जब कोई विनियोग विधेयक पास करना हो तो उस पर सारे रूल्स लागू होते हैं जो कि दूसरे विधेयकों पर लागू होते हैं। इस संबंध में आपको स्मरण होगा कि इस विनियोग विधेयक पर कई सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हुए थे और उन संशोधन प्रस्तावों के संबंध में भी या तो वे वापिस ले लिये जाते या फिर वोट डाउन करते लेकिन किसी को पुकारा नहीं गया और बिना इस प्रक्रिया को पूरा किये यह कहना कि विनियोग विधेयक पारित हो गया यह गलत है ......

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है। आपने व्यवस्था दी थी, आपने व्यवस्था यह दी थी कि प्रोफेसर केदार और रामचन्द्रजी दोनों बोलेंगे कोलोनाइजेशन पर। उन मांगों पर विचार हो रहा था, उनको कट मोशन जैसे ट्रीट करते हुए कोलोनाइजेशन मिनिस्टर जवाब देंगे और आपने कोलोनाइजेशन मिनिस्टर को पुकारा भी था और वे खड़े भी हुए थे। लेकिन जो विवाद सिंचाई मंत्रीजी पर चल रहा था, वे खड़े हुए। उसके पश्चात् जो स्थिति बनी है, वह शोभाजनक नहीं है। हमें यह खेद है कि यकायक सदन को स्थगित करके चले जाना, कई कांग्रेस के सदस्य भी पूछ रहे थे कि विनियोग विधेयक पास हुआ या नहीं तो कांग्रेस के सदस्यों को भी कहा गया कि विनियोग विधेयक पास हुआ। कल के लिये सदन है या नहीं या अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री नत्थीसिंह : विनियोग विधेयक पारित करने की कई प्रक्रिया हैं ....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

# Page No 78



श्री नाथीसिंह : मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्रीजी को जवाब देने के लिये कहा उसके पहले कोलोनाइजेशन मिनिस्टर से कहना चाहिये था कि जवाब दें और विनियोग विधेयक को पारित करने की पूरी प्रक्रिया को निभाने के बाद यह किया जाता तो सही रूप से और सदन की परम्पराओं के अनुरूप होता।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : आप भी स्थान ग्रहण करें।

पोइन्ट आफ आर्डर माननीय सतीशचन्द्रजी ने उठाया। यह व्यवस्था का प्रश्न उनके और मेरे बीच में है। माननीय सदस्यों से कहूं, कानूनी मुद्दा हो और उनसे सहायता मांं तो माननीय सदस्य सहायता दें अपने विचारों से ....

श्री विजयसिंह नथावत : मैं देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत गहन विषय है।

इसलिये इस प्रश्न पर मैं माननीय सदस्यों से उनके सुझावों की कोई सहायता नहीं लेना चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न मेरे और उन माननीय सदस्य के बीच है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह संयोग वश माननीय सदस्य ने उठाया है। कई माननीय सदस्यों का मोशन था। मैंने .....

श्री अध्यक्ष : सारा समय दिया है ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने भी कहा है

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह पोइंट डिस्कस किया जा रहा है मुझे उस पर एतराज है। ये पोइंट आफ आर्डर उठा ही नहीं सकते हैं।

श्री नाथीसिंह : बैठ जाओ।

श्री मदनसिंह दांता : इट इज नोट युवर लुक आउट।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

कोन्स्टिट्युशनल प्रश्न आप ने उठाया, दूसरे माननीय सदस्य यह कहना चाहते कि पोइन्ट आफ ओर्डर रेज ही नहीं किया जाय, उस आस्पेक्ट को सुन लेना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून का मसला है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कानून के द्वारा ही दिया जा रहा है। आप ही कानून नहीं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : उधर क्यों मुखातिब हो रहे हैं इधर मुखातिब होकर बोलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिलेवेंट प्रोसिडिंग्स मंगायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा यह ऐतराज है कि 294 का सब सेक्शन 2 है :

A point of order may be raised in ralation to the business before the House at the moment.

जब यह पोइन्ट आफ आर्डर उठाया तो उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने अधिसूचनायें

(गिरधारी लाल व्यास)

प्रस्तुत करने के लिये कहा था । यह जो पोइन्ट ओफ ओर्डर उठाया उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो कि कल के बिजनेस के बारे में उठाया गया है । जो अधिसूचनायें पढने के लिये अध्यक्ष महोदय ने माननीय वित मंत्रीजी से कहा, उससे इसका सम्बन्ध नहीं है इसलिये इस समय पोइण्ट आफ ओर्डर नहीं उठाया जा सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य ने रुलिंग थी उसके विपरीत कहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय श्री गिरधारीलाल जी व्यास ने कहा कि नेक्स्ट आइटम एजेन्डा का काल कर लिया था । 294 (2) की ओर ध्यान आकर्षित किया यह उन्होंने पढ कर सुना दिया ......

A point of order may be raised in relation to the business befored the House at the moment-

श्री गिरधारीलाल व्यास : यही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके आगे प्रोविजो है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको आदेश दिया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोविजो का मतलब यह है कि रूल की जो लेंगवेज है उसको वह रेस्ट्रिक्ट करता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले आपने अध्यक्ष महोदय से आज्ञा प्राप्त की और पोइन्ट ओफ ओर्डर उठाया हो और आपको आज्ञा दी हो अध्यक्ष महोदय ने ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्योंही मैं पोइन्ट ओफ ओर्डर बोलने के लिये खड़ा हुआ आपने सतीशचन्द्र कहा मैं खड़ा हो गया । उनका टैक्निकल ओबजेक्शन यह था कि उनको कल उठाना चाहिये था । कल उठाना चाहिये, लेकिन जब आप हाउस को स्थगित करके चले गये तो हम भाग कर चेम्बर में पहुंचे ......

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो लाइन हैं

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in or arrangement of business before the House.

दूसरे बिजनिस को टेक अप करना चाहिये, क्वेश्चन आवर के बाद में जैसी कि साधारण परम्परा है । एडजोनीमेंट मोशन हो गये

Then you wanted to enter upon another business.

उसके बीच में मैंने पोइन्ट आफ ऑडर रेज किया है ।

श्री अध्यक्ष : वह ठीक है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने फाइनेन्स मिनिस्टर कह दिया और इन्होंने पोइन्ट ओफ ओर्डर गलत टाइम पर उठाया ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** His objection should be rejected outright.

**श्री यशवन्तसिंह नाहर :** अध्यक्ष महोदय,

**श्री अध्यक्ष :** मैं इस पोइन्ट ओफ ओर्डर पर बोलने की किसी को इजाजत नहीं देना चाहता हूं।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर :** पोइन्ट ओफ तब ही रेज किया जा सकता है जब कि चेयर परमीशन दे।

**श्री विजयसिंह :** चेयर इज ओन लेग्स चेयरमेन साहब।

**श्री अध्यक्ष :** चेयरमेन साहब आप भी न बोलिये।

व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया। उस पर निर्णय देने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों का एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कि मैं इस आसन पर बैठा हूं, इसलिये माननीय सदस्यों की कभी कभी उद्विग्नता, .......

**श्री रामचन्द्र आर्य :** कल पारित ही नहीं हुआ है।

**श्री अध्यक्ष :** आप नहीं मानेंगे। माननीय श्री आर्य।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** न कोई वोटिंग हुआ।

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** XXX

**श्री अध्यक्ष :** श्री आर्य।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** XXXX

**श्री अध्यक्ष :** श्री, श्री आर्य।

मैं विवश हूं, कार्य संचालन हो नहीं सकेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आप व्यवस्था दें उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं हाउस की प्रोसिडिंग्स देख लें। हम भी चाहते हैं। फेक्ट्स का मामला है। इट केन बी चेलेन्ज्ड इन दी कोर्ट आफ ला।

**श्री अध्यक्ष :** Well, the member of the House are free to challenge in a court of law. I will have to discharge my duties.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य इस आसन की कठिनाइयां है। आपने इसको मर्यादा और सम्मान भी दे रखा है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मानते भी हैं।

**श्री अध्यक्ष :** उसके अनुरूप ही कार्यवाही का संचालन हो ....

माननीय सदस्य, उनका दायित्व और कर्त्तव्य दूसरी तरह का है ......

**श्री रामचन्द्र आर्य :** आपने कल दायित्व नहीं निभाया तो हम कैसे निभायें।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज! श्री आर्य! मैं नाम से पुकारता हूं।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** आसन की तरफ से..

**श्री अध्यक्ष :** श्री आर्य! मैं आपको नाम से पुकारता हूं।

मैं नहीं चाहता हूं कि सदन के सत्रावसान और उसके पूर्व कोई ऐसी बात हो, ऐसा कदम

---

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

लूं। आप जिस तरह, जिस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं .....

श्री गिरधारी लाल व्यास : इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : वह उचित नहीं है। श्री आर्य, मैं बार बार आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री दौलतराम सारण : यह कांग्रेस के सदस्य उत्तेजित करते हैं, राम नारायण जी, और मुख्य सचेतक।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण: मेरा निवेदन है ..

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी स्मृति को सजग करूं .....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे निवेदन करना है .....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं निवेदन करूं, एक समय की आपके साथ भी घटना घटी थी घटना में यहां पर विराम प्रश्नवाचक लगा देता हूं, आगे नहीं जाता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आपका दायित्व अलग तरह का है, मेरा दायित्व अलग तरह का है। आप मुझ पर आक्रोश कर सकते है, उद्विग्न हो सकते हैं। मुझको सीमाओं में उद्विग्न होने पर भी आपको प्रसन्न करने का एक अलग से दायित्व मुझ पर रहता है। मैं उस विवेचन में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके पूर्व एक और निवेदन करना चाहूंगा, आज का बिजनेस जटिल सा भी है, व्यापक भी है और अन्तिम भी है। मै माननीय सदस्यों का सहयोग इसके अन्दर लेना चाहता हूं। कल तो मैंने सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा प्रकट करके कुछ गलती की थी आज मैं सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर मौन रहना चाहता हूं। मेरे ख्याल में, मेरी इस अभिव्यक्ति को आप समझ जायेंगे। कल के प्रश्न पर, मैं जानता हूं, माननीय सदस्य बहुत उद्विग्न थे उस प्रश्न पर और उद्विग्नता एक मिनिट को नहीं थी। माननीय सदस्य, मैं इस आसन पर बैठा हुआ विवशता से और परेशानी से भी जो व्यवधान की स्थिति इस सदन में उत्पन्न हो रही थी, उसको उदासीनता से देख जा रहा था। कई बार मैंने प्रयत्न किया, इस प्रश्न पर सदन का कार्य ठीक तरह से संचालन हो सके। माननीय सदस्यों को उद्विग्नता कम हो किन्तु मैं असमर्थ हो रहा सदन पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रश्न पर और वह उद्विग्नता मेरे ख्याल में सदन के..

श्री रामचन्द्र आर्य : इतिहास।

श्री अध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद ! इतिहास में.....

श्री नत्थीसिंह : फिल अप द ब्लैंक है।

श्री अध्यक्ष : एक नया प्रकरण मानता हूं।

श्री रामकिशोर : साधारण घटना है।

श्री अध्यक्ष : यह स्थिति—दोनों ओर से शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य, और कोई शब्द सुनने को नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में मेरे पास एक ही कर्त्तव्य रह गया था। माननीय सदस्यों का बार बार सहयोग प्राप्त करने पर, अभिव्यक्ति का मौका देते

(श्री अध्यक्ष)

हुए एक ही कर्त्तव्य रह गया था । मैंने समझ लिया था, माननीय सदस्यों का मत कार्यवाही को आगे चलाने में नहीं है कि इस विधेयक को पारित किया जा सके और व्यवधान के बीच, शोरगुल के बीच, अश्रव्य वातावरण के बीच वह स्थिति नहीं थी अतः मुझको इस प्रश्न को लेना पड़ा । और माननीय सदस्य, इधर बैठने वाले सजग थे । इस प्रश्न को, विनियोग विधेयक को लेने का पहली बार प्रयत्न किया, उसके बाद विनियोग विधेयक को दुबारा लेने का मैंने प्रयत्न किया । किन्तु स्थिति जटिल हो गई । इधर की ओर बैठने वाले माननीय सदस्य बहुत सजग थे । मैंने वित्त मंत्री जी से भाषण देने के लिए कहा किन्तु, वित्त मंत्री महोदय अपना भाषण आरम्भ न कर सके । वह एक ऐसी विषम स्थिति थी कि वह भाषण आरम्भ नहीं कर सकते थे, करते तो कोई सुनने वाला नहीं था । इसलिए मैंने कहा "फाइनेन्स मिनिस्टर का उत्तर मान लिया जाय । आर्डर प्लीज ।" यह अंकित है । उसके बाद .....

श्री **बिजयसिंह** : एक मिनट ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! चेयर इज ओन इट्स लेग्स ! नो नो ।

उसके बाद मैंने वित्त मंत्री महोदय को प्रश्न रखने के लिए कहा । वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा, विचारार्थ लिया जाय । उसके बाद विचारार्थ के प्रश्न को वोट पर रखने का..

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह, अध्यक्ष महोदय ........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

मैंने प्रस्ताव किया । (व्यवधान) आर्डर प्लीज ।

श्री **लादूराम सुलानिया** : अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से न्याय होना चाहिए ...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री **रामकिशन** : पहले खत्म करने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न रखा .....

श्री **रामचन्द्र आर्य** : इस तरह ...

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलने देना चाहते है तो कह दीजिये, सीधा तरीका है । मैं धैर्य खोना चाहता हूं, खो नहीं रहा हूं, खोना चाहता हूं ....

श्री **दौलतराम सारण** : अरे राम !

श्री **भैरोंसिंह** : आपका प्रवचन है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न यह है कि विधेयक राजस्थान विनियोग संख्या (इतनी) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : नो !

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आज का नहीं है ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप बोले ।

श्री **मदन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आप नहीं सुन रहे थे तो हम क्या सुनते ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! बैठिये जनाब !

"विधेयक विचारार्थ लिया गया ।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : उसके बाद वित्त मंत्री महोदय ने कहा, "अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक, 1971 को पारित किया जाय ।"

"श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !"

जब मैं कह रहा था, तब मेरा दिल जानता है, आपका दिल भी जानता है—क्या विषम स्थिति थी । लेकिन एक बात उसमें विशेष थी, मैं रिपोर्टर के प्रश्न पर बड़ा सजग था । और फिर यह है :

"प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या (इतनी) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय ।"

(स्वीकृत)

"विधेयक पारित किया गया ।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न रखा नहीं

श्री अध्यक्ष : अब देखिये ! मैं इस पर आता हूं । इस तरह से उस विषम और विकृत स्थिति में, जब माननीय सदस्यों का कोई सहयोग मुझको प्राप्त नहीं था । मेरे पास कोई आल्टरनेटिव नहीं था, सिर्फ इसके कि मैं विधेयक को पारित करने को, इसकी अनुमति प्राप्त करूं ...

श्री रामचन्द्र आर्य : आप हाउस को स्थगित करते, आपके पास अधिकार था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठहरो, ठहरो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं मानेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास: वोट लिये गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! "विधेयक पारित किया गया ।" अब माननीय सदस्य ने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है, इस व्यवस्था के प्रश्न की पृष्ठभूमि जो भी रही हो—यह अलग बात है कि माननीय सदस्य अब इसको कहने के लिए तैयार नहीं है । मेरा ख्याल है, दायित्व उन पर है, कर्तव्य उन पर है—वह स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं, इस संदर्भ में, कि जिस विषम स्थिति में यह विधेयक पारित किया गया । माननीय सदस्य ने रूल 283 का हवाला दिया :

"A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member."

मैं समझता हू, कम्प्लाइड विद था ।

284-Proposal and putting of question—When a motion has been made, the Speaker shall propose the question for consideration and put it for the decision of the House. If a motion embodies two or more separate proportions, proposition may be proposed by the Speaker as separate questions.

284 का जो प्रावधान है उस विशेष विषम परिस्थिति में वह ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं हो सका ।

श्री अध्यक्ष : वह भी कम्प्लाइड विद हुआ। उस समय .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मत कहिये।

श्री भैरों सिंह : हुआ या नहीं, यह अपने मुंह से मत कहिये ।

श्री अध्यक्ष : उस वक्त माननीय सदस्य सिवाय शोर गुल के बीच में भी अगर फर्मा देते डिवीजन के लिए

श्री नत्थी सिंह : हम खड़े थे, बोल रहे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह अलग चीज है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को, जिस पृष्ठ भूमि को मैंने निवेदन किया है, उस संदर्भ में इसको रूल्स के अन्तर्गत मानते हुए यह निर्णय देता हूं कि जो विधेयक पारित किया गया, वह विधेयक स्थितियों के संदर्भ को अलग रखते हुए सही सजगता, सक्रियता के साथ पारित किया गया। इसलिए माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं उसको निरस्त करता हूं ।

श्री मदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हामी नहीं करते कि हल्ले में क्या हुआ, माथुर साहब ने पारित करने के लिए कहा, वह हम सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मदन सिंह : वह कैसे सुन लिया ।

श्री विजय सिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ......

श्री अध्यक्ष : मैं यह समझता हूं, यह व्यवधान बढ़ता हुआ चला है। एक मिनिट ! यह व्यवधान बढ़ता हुआ चला है, मैंने बार बार प्रयत्न किया है माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। अब चेयर की व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर निर्णय दे दिया है तो मेरे निर्णय देने के बाद माननीय सदस्य उसको कन्वेस न करें .....

श्री दौलतराम सारण : आपका निर्णय शिरोधार्य है, और उस निर्णय को चैलेंज करने का कोई सवाल नहीं है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं नहीं, क्यों नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : परन्तु जो स्थिति हमारे सामने गुजरी है, मेरे ख्याल में इस प्रांगण में सबसे नजदीक हम लोग बैठे हैं, हम इन रिपोर्टर के पास बैठे हैं, उस समय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । व्यवस्था के प्रश्न ...

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूछा, क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर विवेचन नहीं होगा ।

श्री दौलतराम सारण : क्या हो रहा है। यह सुनने का प्रयत्न किया। उस समय रिपोर्टर कुछ नहीं लिख पाये...

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था के प्रश्न पर रूलिंग दी उसके बाद ...

श्री दौलतराम सारण : नोट नहीं कर सके थे। उनको ...

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने जितनी उदारता बरती है ....

श्री दौलतराम सारण : वहां डिक्टेशन दिया गया और वह ....

श्री गिरधारी लाल व्यास : उसका नाजायज प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री दौलत राम सारण : वह डिक्टेशन अमीन साहब ने दी । मैंने आपत्ति की थी, रिपोर्टर को दूसरा डिक्टेट करे । वित्त मंत्री का भाषण डिक्टेट नहीं करा सकते ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दे दिया है ...

श्री दौलत राम सारण : इसलिए जो प्रोसीडिंग्स पढ़ कर सुनाई हैं, वह सही नहीं है, सच्ची नहीं हैं क्यों सुना नहीं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उस पर बाद विवाद नहीं होना चाहिए ।

श्री दौलतराम सारण : सदन में वह स्थिति रही, इसमें विधेयक पारित नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : नहीं हुआ तो दूसरी कार्यवाही कर लीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : यह बिलकुल सही बात हैं । अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो जिन्दी मक्खी गिट सकते हैं । यह दूसरी बात है ....

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय यहां की प्रोसीडिंग के बारे में एतराज करते सही नहीं है, तब कौनसी प्रोसीडिंग सही बतायेंगे । अब तक बराबर वहां की प्रोसीडिंग को सही मानते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : दूसरों की डिक्टेशन की प्रोसीडिंग सही नहीं हो सकती है । प्रोसीडिंग वो हो जो मेम्बर बोले ।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसी परिस्थितियों में सदन की कार्यवाही जब तक कोरम की घंटी न बजे और मैं माननीय विरोधी दल के नेताओं से आगे के बिजनिस को शान्ति पूर्वक चलाये जाने के बारे में ......

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय,

(खड़े होकर व्यवधान डालने पर, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये ...

(मा. सुलानियां जी के बराबर बोलते रहने पर )

आप बड़े बुद्धिमान हैं । ... इसके संचालन होने के प्रश्न पर, मैं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कल भी एडजोर्न कर देते ।

(पुन: शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं–कोरम की घंटी बजने तक के लिये ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 1.22 म. प. कोरम की घंटी बजने तक के लिये स्थगित की गई )

# Page No 86



(विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 2-25 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई )

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन )

श्री **रामचन्द्र आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है····

श्री **उपाध्यक्ष** : कार्यवाही शुरू होने दीजिये ।

श्री **नत्थी सिंह** : शुरू हो गई ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : व्यवस्था का प्रश्न यह है ·····

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र !

श्री **रामचन्द्र आर्य** : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है, कल भी इस सदन में राज्य मंत्री श्री मनफूल सिंह जी के खिलाफ आरोप लगाये गये, उनके बारे में सदन के अन्दर कोई उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया न उत्तर दिया ···

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : कैसे नहीं है ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, वह अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार कर दिया । मैं समझता हूं कि राज्य मंत्री के खिलाफ इतने बड़े आरोप हैं ···

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! यह व्यवस्था के प्रश्न की तारीफ में नहीं आता है ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : राजस्थान कैनाल के ठेकेदार के साथ बंगलिंग करने, काले धन के अन्दर साझेदारी करने की कार्यवाही राज्य मंत्री द्वारा की गई है ·····

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : गलत ।

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर !

श्री **रामचन्द्र आर्य** : यह मामूली बात नहीं है ।

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं ह ।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह चीफ ह्विप का काम है । यह बराबर बीच में डिस्टर्बेन्स करते रहते हैं–यह क्या उचित है ?

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, इसलिए इनको बोलने से रोका जाय ।

श्री **विजयसिंह** : यह मुख्य सचेतक बार बार खड़े होते हैं, यह कौनसी टीकली कमेडी है ।

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । इसके बारे में निवेदन करना मेरा परम कर्त्तव्य है ।

श्री **मदन सिंह** : इसकी व्यवस्था आप नहीं दे सकते, उपाध्यक्ष महोदय दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मुझे सुझाव दे रहे हैं। माननीय रामचन्द्र आर्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह व्यवस्था के प्रश्न की तारीफ में नहीं आता है, इसलिए में अस्वीकार करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था के प्रश्न की तारीफ़ में नहीं आता लेकिन इतने गम्भीर आरोप, भ्रष्टाचार के, मन्त्री के खिलाफ लगाये जांय और उनको नज़रअन्दाज किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे बढ़कर अव्यवस्था....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग देने के बाद यह अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : +++

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : +++

श्री गिरधारीलाल व्यास : ग़लत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ++

श्री गिरधारीलाल व्यास ! गलत गलत।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : +|+|+|

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! मुख्य सचेतक महोदय !

श्री रामचन्द्र आर्य : +|+|+|

श्री गिरधारीलाल व्यास ! गलत।

श्री रामचन्द्र आर्य : +|+|+|

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : +|+|+|

श्री गिरधारीलाल व्यास : ग़लत !

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : +|+|+|

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : +|+|+|

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है। कृपया अब सदन की कार्यवाही है, इसको आगे बढ़ाने दीजिये। आगे का बिजनेस मैं लेता हूं, आपने अपनी बात कह दी है वह बहुत है। अब समाप्त हो !

श्री देवीदत्त गाड़िया : परन्तु वह अंकित नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित होना जो जरूरी है वह हुआ है।

---

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

# Page No 88



श्री रामचन्द्र आर्य : मामला समाप्त होने का....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा रूलिंग देने के बाद भी यह व्यवस्था कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर!

(शोरगुल-व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : भोंपू।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, आर्डर प्लीज!

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे बाहर क्यों निकालें....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। कृपया स्थान ग्रहण करें। वित्त मन्त्री जी;

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं.... (शोरगुल में अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल: पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय माननीय वित्त मन्त्री जी कुछ अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखना चाहते हैं......

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : यह तो बाद की चीज है......

श्री देवीदत्त गाडिया : एक राज्य मन्त्री ने......

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाडियां : ++++

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री रामचन्द्र आर्य: मैं मुख्य मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ, इस समय बहस प्रारंभ होने से पहले मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन दे कि राज्य मंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! आपस मे बात नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके कहने से बठने वाला नहीं हूँ।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्षजी, माननीय राज्य मंत्री जी की वाइफ के नाम से कोई ऐडीशन, आल्टरेशन हो तो क्या उसकी सूचना मुख्य मंत्री जी को.....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। अभी इसका कोई मुद्दा नहीं है इसको किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया फिर हम कौन से तरीके से उठा सकते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप हों आप उस पर बोलने के लिये इजाजत भी न दें......

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है.....

---

++अध्यक्षपीठ के आदेशानसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(दोनों माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

"आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं"

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय कल श्री मनफूलसिंहजी पर स्पष्ट चार्ज आया था कि उन्होंने दिल्ली में सिनेमा बनाने में जो चार भागीदार हैं उसके अन्दर उनकी पत्नी भी भागीदार है। ढाई लाख की लीज पर जमीन ली जाय और 35 लाख रुपया उस पर खर्च हो। इतना गंभीर मामला है। इसके बारे में मनफूलसिंहजी की तरफ से जवाब आना चाहिये।

श्री विजयसिंह : इतने लाख रुपये लाए कहां से ?

श्री मदनसिंह : मुझे इस बात का दुःख हुआ लड्ढा साहब पर आक्रमण हुआ और वही चार्ज दूसरे मिनिस्टर पर लगता है तो एक तो विक्टिमाइज करके नीचा दिखाना चाहते हैं और दूसरे मिनिस्टर को बचाते हैं। इसलिए हमारी मांग है जितनी बातें पूछी जायं उतनी ही बातें उनकी तरफ से स्पष्टीकरण की आनी चाहिये। आज इनके लड़के शाहबजादा को विक्टिमाइज करके हल्ला करते हैं"

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है, उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकार होने के बाद यह प्रश्न उठा नहीं सकते। रूल्स आफ प्रोसीजर में प्रावधान है"

(शोरगुल, अश्रव्य)

"जो अवहेलना कर रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिये और आगे की कार्यवाही चलनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : बेईमानी करने वाले"

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदनसिंह : आप पूरा का पूरा हल्ला करते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : हम तो विधान सभा के सदस्य हैं। बोलने से रोकने की धोंस बताते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नियमों की अवहेलना करते हैं।

श्री विजयसिंह : आप नियम जानते ही नहीं हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय एक राज्य मंत्री के ऊपर 37 लाख रुपया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाडिया .....और यह तथ्य सामने आ चुके हैं। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव आया वह अस्वीकार हो चुका है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(मा. श्री गाड़िया, श्री लादूराम सुलानिया एवं श्री मथुरा दास माथुर बोलने के लिये खड़े हुये)

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(मा. सदस्यों के बराबर बोलते रहने पर) अंकित न हो।

श्री देवीदत्तगाड़िया : + + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गाड़ियाजी स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। वित्त मंत्री जी।

श्री रामचन्द्र आर्य : वित्त मंत्री जी से पहले (अश्रव्य)·····

श्री मदनसिंह : ये 37 लाख रुपये कहां से आये··········

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूं दो मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे। एक मंत्री ने स्पष्टीकरण कर दिया, दूसरे ने नहीं किया। 35 लाख रुपये का मामला है। 35 लाख रुपये एक मंत्री ने दबाये हैं इससे जनता पर क्या असर पड़ता है··········

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

(भारी शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : ये आरोप भैरोंसिंहजी ने लगाये थे या तो········

श्री दौलतराम सारण : डूंगारामजी, अगर सीरो खाते दांत घिसे तो घिसने दें····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से, यह बात सही है कि आपने अनुमति दे दी है·········

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज्ञा नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुट बोल रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी कुछ दूध मुंही बच्चे बीच बीच में व्यवधान कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं·······

श्री रामचन्द्र आर्य : यह किसकी सभा है जो इस तरह से अ: ह: अ: ह कर रहे हैं····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप भी पाइन्ट आफ आर्डर को लाये किन्तु सीमित रहें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक मसला एक एडोर्नमेंट मोशन के रूप में उठा और आपकी उस पर व्यवस्था हो गई। माननीय सदस्यों का इस पर आग्रह है कि इसको रिओपन किया जाय·········

श्री गिरधारीलाल व्यास : कौन से रूल के तहत।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज उनको कहने दें अपनी बात।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : चीफ व्हिप न्युसेन्स है सीट पर बैठे बैठे बोलते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्यों की यह मन्शा रही है कि इस प्रश्न में जो अविलम्बनीय लोक महत्वता है उस गम्भीरता को, उस महत्वता को थोड़ा सा कन्सीडर नहीं किया गया। इस प्रार्थना के साथ कि इसमें

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

# Page No 91



(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
वास्तव में गम्भीरता है कोई चीज चैयर के सामने रखी जा रही है—यह सही है कि चैयर को यह अधिकार है कि प्रार्थना सुनने के बाद फिर से उसको नामन्जूर कर दिया जाय—तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें महत्वता यह है कि माननीय मनफूलसिहजी मेजर इरिगेशन वर्क्स के मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, और कुलदीपसिंह, कुलवन्तसिंह·········

श्री उपाध्यक्ष : आप उसी विषय को दुबारा चर्चा में ले रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो वह जो मिनिस्टर हैं और इरिगेशन वर्क्स में, भाखरा प्रोजेक्ट में··········

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : राजस्थान केनाल में ठेकेदार हैं·······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

(सदन में चारों ओर से शोर)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : ····उनके साथ में इस प्रकार से नाजायज व्यापार चलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

सरकारी पक्ष : गलत, गलत।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाय।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : व्यवस्था का सवाल है। इस पर मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री विजयसिंह : अगर आगे कार्यवाही करना है तब मुख्य सचेतक को हटा दें अपने आप हाउस आगे चलेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं और अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : तुम फैला रहे हो।

(सरकारी पक्ष से होहल्ला)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं आपकी आज्ञा से कह रहा हूं। आप जब भी आज्ञा देते हैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। जो एक एटमास्फियर यहां पर क्रियेट किया जा रहा है जान बूझ कर चेयर को इन्फलुएन्स करने के लिए ताकि दूसरा कोई व्यक्ति अपने विचारों को नहीं रख सके आपकी आज्ञा से········

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बात गलत है, उपाध्यक्ष महोदय। पहले तो कानून की अवहेलना करते हैं उस के बाद में·······

श्री उपाध्यक्ष : चीफ व्हिप महोदय कृपया स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइये आप।

(विपक्ष से करतल ध्वनि)

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : अ र्र र्र·······

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह भेड़ कौन सी आ गई है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : तो मैं जो निवेदन कर रहा था उसमें अहम मसला यह है जो एक मिनिट में ही कह देता हूं। जिस डिपार्टमेंट में 3 व्यक्ति ठेकेदार हैं वे मां जाये भाई हैं और एक ही ठेके में काम करते हैं और इन्हीं के साथ मिनिस्टर महोदय की पत्नी ने सिनेमा खोला है दिल्ली में 35 लाख में (विपक्ष से शेम, शेम) और दूसरा सिनेमा खोला है जयपुर के अन्दर.........

श्री उपाध्यक्ष : अनेक बार में वही बात कह रहे हैं जिसके लिये आसन ने पहले ही व्यवस्था दे दी है। इसलिये इस पर आगे नहीं बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान नियम 54 की ओर दिलाना चाहता हूं। यह चैप्टर मोशन आफ एडजोर्नमेंट पर है। मैटर आफ पब्लिक इम्पार्टेन्स पर उपाध्यक्ष महोदय, इन नियमों की भावना क्या है एडजोर्नमेंट मोशन के सिलसिले में, लीव ग्रान्ट करने के सिलसिले में। यहां पर एक स्थगन-प्रस्ताव राज्य मंत्री श्री मनफूलसिंह के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आया है। उसके संबंध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी गई है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही स्थगित की जाकर सबसे पहले राज्य मंत्री श्री मनफूलसिंह की पत्नी ने दिल्ली में एक सिनेमा 3 ठेकेदारों के साथ में जो कि सिंचाई विभाग में ठेकेदार हैं खोला है और इस सिलसिले में भ्रष्ट आचरण किया है। इस सिलसिले में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन-प्रस्ताव को सदन में लिया जाय कि नहीं लिया जाय उस संबंध में नियम 54 की क्या स्प्रिट है, Chapter IX, "Motion for Adjournment on a matter of Public Importance" I would request you to read between the lines and not go by letter alone

स्प्रिट यह है नं. 2

"(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their place, and if not less than one-tenth of the total number of members rise accordingly, Speaker shall intimate that leave is granted.....

वन-टेन्थ का मतलब यह है कि 18 सदस्य उस पक्ष में हों, उस के पक्ष में खड़े हो जायें तो हाउस की लीव है। यह मतलब है। तो जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं इस स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय इसके पक्ष में हैं वे सम्माननीय सदस्य खड़े हो जायें, कृपया।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने सही तरीके से इन्टरप्रिटेशन नहीं किया है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सतीशचन्द्रजी ने........

श्री उपाध्यक्ष : वह मैंने समझ लिया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे खड़े हो गये नियमों के अनुसार वह आपके सामने है... शंकरलालजी एक सेकण्ड के लिये माफ करें। मैं यह पूछना चाहता हूँ आपसे कि लड्ढा साहब के केस में और मनफूलसिंहजी के केस में क्या भेद है। उनका लड़का माल सप्लाई करे इरिगेशन में और इनकी वाइफ पार्टनर हैं उन कान्ट्रेक्टर के साथ में जो कि काम करते हैं इरिगेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिपार्टमेंट में। आप बड़े प्रोग्रेसिव हैं। मैं आप से ही पूछना चाहता हूं। आप ही निर्णय कर दें। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं......

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : इस तरह से यह किया जा रहा है.......

(विपक्ष की ओर से तुमुल शोर)

यह गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और गलत बात कही जा रही है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : गलत बात कही है तो आप अजमेर रोड पर मनफूल सिंहजी ने जो बिना कन्वर्ट कराये जमीन पर आइस फैक्ट्री खोली है (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) 10 लाख रुपये की कीमत की, वह रुपया कहां से आया? कहां कन्वर्ट की गई है रूल्स के तहत....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य....

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : कानून से की है और जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वह गलत है। उसके बावजूद भी आप इस प्रकार चेयर की कन्सेन्ट के बिना नहीं उठा सकते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : म्युनिसिपैलिटी के लाइसेन्स से आइस फैक्ट्री खोली है और उस में 10 लाख रुपया लगाया है वह कहां से आया और 10 लाख रुपया फार्म पर लगाया गया....

**श्री शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, इन रूल्स का जो इण्टरप्रिटेशन माननीय सतीशचन्द्र जी ने रखा है.....

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : आप बोल रहे हैं......

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : जो 40 रुपया माहवार....

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकरलाल बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : 40 रुपये पाने वाला एक मास्टर जिसके पिता के पास कुछ बीघा बारानी जमीन थी...

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित न हो।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** +++

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं श्री शंकरलाल का नाम पुकार रहा हूं।

**श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है।

**श्री शंकरलाल** : व्यवस्था के सवाल पर मैं बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : व्यवस्था का ही सवाल चल रहा है।

---

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : व्यवस्था पर व्यवस्था कैसे हो सकती है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सीरियस बात है, उपाध्यक्ष महोदय, इसको लेते हैं चाहे गलत बोल रहा हूं। आप चेयर पर बैठे हैं और आप इम्पोर्टेन्ट बात को कन्ट्रोल करते हैं। कन्ट्रोल हाउस में वायस को आप करते हैं या कन्ट्रोल बोर्ड में बैठा हुआ आदमी करता है। अभी आई है लाइट। इसका मतलब यह है कि आप किसी की वायस को, कोई बोले तो उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, वायस की आप व्यवस्था करें। मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो वह न किया जाय। यह गलत और बुरी बात है। इस प्रकार की चीज सम्भव नहीं है। हम ध्वनि-विस्तारक यंत्रों (यंत्र को दबाते हुए) की परवाह नहीं करेंगे और इसके बगैर भी अपनी आवाज को बुलन्द करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस समय कार्यवाही को आगे बढ़ने दें वरना ऐसी स्थिति न हो कि..

श्री प्रेमसिंह सिघवी : वह तो हमेशा हुआ करती है।

श्री उपाध्यक्ष : कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़े। मैं दुबारा और कोशिश कर लेता हूं कि कार्यवाही आगे बढ़े।

वित्त मंत्रीजी

श्री रामचन्द्र आर्य : कार्यवाही को आगे बढ़ायें इसमे पहले राज्य मंत्री....

(सरकारी पक्ष की ओर से शोर)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

## सदन की वित्तीय समितियों के निर्वाचित सदस्यों की घोषणा

एक सूचना देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जन लेखा समिति, 1971-72, प्राक्कलन समिति, 1971-72 एवं राजकीय उपक्रम समिति 1971-72 के लिए निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जाते हैं:—

जन लेखा समिति :

(1) श्री अमीलाल यादव

(2) श्रीमती कान्ता कथूरिया

(3) श्री कृष्णकुमार गोयल

(4) श्री गुलाबसिंह शक्तावत

(5) श्री डूंगाराम राजोरिया

(6) श्री दौलतराम सारण

(7) श्री नन्दलाल बैरवा

(8) श्री पुखराज कालानी

(श्री उपाध्यक्ष)

(9) श्री फतेहसिंह

(10) श्रीमती मदनकौर

(11) श्री विट्ठलप्रसाद

(12) श्री हंसराज आर्य

(13) श्री विद्यासागर

(14) श्री शंकरलाल जाट

(15) श्री सुवालाल चौधरी

प्राक्कलन समिति :

(1) श्री अब्दुल हादी

(2) श्री कन्हैयालाल

(3) श्री गंगासहाय

(4) श्री देवीदत्त गाडिया

(5) श्री पी. के. चौधरी

(6) श्री पृथ्वीसिंह

(7) श्री रणजीतसिंह

(8) श्री रतनलाल रोत

(9) श्री रामकुमार (सपोटरा)

(10) श्री रामप्रसाद बोहरा

(11) श्री रूपसिंह

(12) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

राजकीय उपक्रम समिति :

(1) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(2) श्री विरदाराम

(3) श्री दिग्विजयसिंह

(4) श्री देवीलाल बुरासिया

(5) श्री देवीलाल

(6) श्री वृद्धिचन्द्र जैन

(7) श्री भैरोंसिह शेखावत

(8) श्री रोशनलाल शर्मा

(9) श्री शंकरलाल (जैतारण)

(10) श्री सांवरमल बांसोतिया

(11) श्री हरजीराम बुरडक

(12) श्रीमती शिवकुमारी

**सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र**

**वित्त मंत्री** (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 10, दिनांक 6 मई, 1970 (संख्या एफ. 16 (3) एफ.डी./सी.टी./70–6) जिसके द्वारा राजस्थान यात्री तथा मालकर (प्रथम संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : (श्री लादूराम सुलानिया के खड़े होने पर) परिपत्र रखने दें। अवसर दे दूंगा।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : इसका उत्तर दिये बगैर हम नहीं आगे बढ़ने देंगे। इस मामले में इनका घोर विरोध होने वाला है . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री **मथुरादास माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, अधिसूचना (संख्या जी.एस. आर. 17 दिनांक 27 मई, 1970 (संख्या एफ. 9 (1) वित्त (वा-कर) 170–3) जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) (प्रथम संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : ऐसी गलत परम्परा।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

कृषि मंत्री जी।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शोभाराम : (अश्रव्य)

श्री **उपाध्यक्ष** : यस पाइन्ट आफ आर्डर।

**अधिसूचना को विलम्ब से रखे जाने पर आपत्ति**

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मेरा पहले भी आब्जेक्शन था। यह 60/62 के नोटिफिकेशन आज इस सदन में पेश किये जा रहे हैं। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, यह सवाल पहले भी यहां पर आया था और उन्होंने यह आश्वासन दिया था, उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : इस के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण पूछ लेता हूं। आप जो बात कह रहे हैं वह सही है इस मायने में मंत्री महोदय,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1960 तक की इसमें है। 1960 से लेकर 1971 तक की इसमें है। 11 साल की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इस सदन में अधिसूचनायें विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में ऐतराज किया गया था और उस पर, उसके बाद मैंने यह कहा था कि इसकी व्यवस्था ठीक हो इसके बारे में कार्यवाही की जायेगी। तो मैंने मुख्य सचिव को इसके बारे में आदेश दिया था कि आज तक की जो अधिसूचनायें सदन के सामने नहीं रखी गई हैं, उन को सब जगह से पता लगा कर के एक साथ प्रस्तुत कर दी जायें और आइन्दा इसके मामले में कोई कमी न रहे। यह दरअसल उस का ही हिस्सा है। जो पहले भी वक्त वक्त पर यहां आनी चाहियें थी और माननीय सदस्यों के ऐतराज करने का प्रश्न उठा था कि यह देर से आ रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह उचित नहीं है। इसको ठीक करना है और जो पुरानी है उनको एक साथ पेश करने के लिहाज से यह पेश की गई है।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार इस पर आपत्ति की गई है। आपने, मुख्य मंत्री महोदय, एक डिप्टी सेक्रेटरी को अपाइन्ट किया और उस डिप्टी सेक्रेटरी ने हर डिपार्टमेंट में जा करके जांच की कि कितने ऐसे नोटिफिकेशन्स सरकारी विज्ञप्तियां ऐसी हैं जो सदन में प्रस्तुत की जानी चाहियें थी और प्रस्तुत नहीं की गई हैं। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि सन् 59 से लेकर 71 तक, इन 12 सालों में 600 ऐसे गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं, नोटिफिकेशन्स हैं जो कि हाउस में पेश होने चाहियें थे और पेश नहीं किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय इस पर मैंने आपत्ति प्रस्तुत की थी और एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी थी और उस संबंध में सारा मसला विशेषाधिकार भंग का आपके विरुद्ध बना था जिसको कि रिजेक्ट किया गया था। परन्तु वह आर्डर्स, नोटिफिकेशन, आज तक हाउस में पेश नहीं किये गये हैं। आपने आफिसर को अपाइंट किया है, उसका कम्पाइलेशन हुआ है और डिपार्टमेन्ट से यह मालूम किया गया है कि किस किस नोटिफिकेशन को प्रस्तुत करना है। परन्तु इसके लिये आदेश जारी नहीं किया गया है। यह भूल हुई है। इसके लिये आप हाउस में खड़े होकर माफी मांगें कि अब जो ये 600 नोटिफिकेशन्स हाउस के अन्दर पेश होने हैं, और जो शुरू में पेश नहीं किये जा सके हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : 600 का तो माननीय सदस्यों को मालूम है यह भी उसी आफिसर से इनको मालूम हुआ होगा। उसमें से जितने तैयार होकर के प्रस्तुत करने की शेप में आ गये हैं उतने को पेश किया जा रहा है और बाकी को भी जल्दी से जल्दी पेश कर देंगे क्योंकि इनके अनुवाद में समय लगेगा। इसको भी एक्सपीडाइट कर दिया जायेगा। इसमें जो इतनी डिले हुई है उसके लिये मैंने खुद ने पहले ही खेद प्रकट कर दिया है।.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक और प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्थिति सामने आ गई है।

श्री भैरोंसिंह : खेद भी एडवान्स में प्रकट कर दिया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : रोज रोज तो खेद प्रकट नहीं कर सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रूल्स हैं नोटिफिकेशन्स और सरकारी विज्ञप्तियां, हैं उसके सम्बन्ध में सम्माननीय सदस्य को 14 डेज का अमेन्डमेन पेश करने के लिये समय दिया जाता है। इसमें उनको समय नहीं मिलेगा और इनको वापिस नेक्स्ट सेशन में रखना पड़ेगा। अतः 14 दिन का समय क्लीअर कट मिलना चाहिये। यह विज्ञप्तियां हाउस में रख दें और 14 दिन का पूरा समय न मिला तो दुबारा रिले करना पड़ेगा और इस सदन की कार्यवाही 14 दिन तक नहीं चलेगी। इस सत्र का आज ही सत्रावसान हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कन्सोलिडेट वे में जितनी भी विज्ञप्तियां सदन में पेश करनी हों वे कन्सोलिडेट कर के सदन की मेज पर पेश कर दी जायं और मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस आफिसर ने इनका कम्पाइलेशन किया है उसको आप आदेश दे दें कि एक साथ इन अधिसूचनाओं को अगले सत्र मे पेश कर दें और अभी समय को बर्बाद न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इनके सुझाव के बारे में?...

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं कि मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। अगले सदन, अगले सत्र के अन्दर यह सारी अधिसूचनायें रख दी जायें।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है अगला सदन, अगला सत्र ?

श्री उपाध्यक्ष : इनको अगले सत्र में ही रखा जायेगा।

प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती गौरी पूनियां।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। इस राजस्थान सरकार में बैठने वाले मन्त्रियों और मुख्य मंत्री पर आय दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं और उन भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने की चेष्टा की जा रही है...... (शोरगुल) और जानबूझ कर मुख्य मंत्री महोदय इस प्रकार से इन भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देते हैं और वे लूट कर........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का भाषण अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XX

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : XX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : XX

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं इसलिये इन को बाहर निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

काफी हो गया है इस मामले पर। श्रीमती गौरी पूनियां।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : मैं इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय इस मन्त्रि-मण्डल और मुख्य मंत्री की भर्त्सना करता हूँ और उनकी कार्यवाही की निन्दा करता हुआ वाक आउट करता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा बहिर्गमन)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती गौरी पूनिया !

**प्रतिवेदन का उपस्थापन ।**

**श्रीमती गौरी पूनिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

**राजस्थान सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन का उपस्थापन ।**

**श्री उपाध्यक्ष** : मुख्य मंत्री महोदय ।

**राजस्थान सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन**

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सतर्कता आयोग का चतुर्थ प्रतिवेदन वर्ष 1968 अप्रेल से मार्च 1969 तक का सदन की मेज पर रखता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह तो····

**श्री उपाध्यक्ष** : यातायात मंत्रीजी ।

**राजस्थान पथ परिवहन निगम का प्रतिवेदन ।**

**श्री समरथलाल** (उपमंत्री, यातायात विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री विजयसिंह** : एक ट्रक और कार को ब्लेक में बेचने के साथ ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : अश्रव्य ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य । आर्डर प्लीज !

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : उपाध्यक्ष महोदय :

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष, महोदय, कल इस सदन में मैंने सिंचाई मंत्रीजी श्री रामप्रसाद जी लड्ढा के संबंध में संविधान की धारा 191 व 192 तथा रिप्रिजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट की धारा 7 (बी) के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और मैंने इस संबंध में यह निवेदन किया था कि संविधान की धारा 191 के अन्तर्गत श्री रामप्रसाद जी लढ्ढा जिनके विरुद्ध इस सदन में तथ्य आ चुके हैं, उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में जो आरोप उन पर लगाये गये थे, जिनको कि यहां पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जो अरोप उन पर लगाये हैं उन पर उनकी स्वीकारोक्ति है और इस संबंध में रिप्रिजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट की धारा 7 (डी) है। इसमें इन्होंने डिसक्वालिफिकेशन इन्कर की है और इसके परिणामस्वरूप संविधान की धारा 191 के तहत वे हाउस में बैठने के लिये डिस क्वालिफाइड है। इसलिये इस संबंध में व्यवस्था दी जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे निवेदन करूं कि यह मामला अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस संबंध में जहां तक जानकारी मिली है, इस संबंध में संभवतः

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लॉ डिपार्टमेंट और पहले तो शायद बरकत भाई ने इनकार कर दिया था। मैं इस संबंध में नहीं कहना चाहूंगा, अब शायद तैयार होकर आए हैं, तो मुझे बताया जाएगा कि इस प्रश्न को किस समय लिया जाएगा ताकि मुझे सुविधा रहे। आप व्यवस्था दें उससे पहले सरकार की तरफ से, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से, उस संबंध में कुछ स्टेटमेंट होगा या पहले जैसा आप चाहें। मुझे इस संबंध में कुछ निवेदन करना क्योंकि यह इस प्रकार का प्रश्न है कि प्वाइन्ट आफ आर्डर को रूल आउट नहीं किया जा सकता। यह डिस्क्वालीफिकेशन है, जो संविधान के तहत उन्होंने इन्कार किया है। सवाल सदन में एराइज हुआ है, डिसक्वालिफिकेशन हुआ हो, सवाल सदन में एराइज हो जाये तो अध्यक्ष महोदय सरसरी तौर से रूल आउट करके खतम करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कोई भी व्यवस्था देने से पूर्व मुझे मौका दिया जाए, मैं सदन को सैटिसफाई करने का प्रयत्न करूंगा। यह डिस्क्वालीफिकेशन है।

Under Section 7 of the People's Representation Act framed under article 191 of the Constitution of India, he has incured a disqualification and he cannot remain a member of this House. He cannot sit in this House. He cannot participate in the proceedings of this House. He cannot vote. He should be shunted off from this House.

यह मैं सैटिसफाई करूंगा। इसलिये निवेदन है कि समय निर्धारित किया जाए कि किस समय सरकार की ओर से वक्तव्य होगा। उसके बाद इस प्रश्न को लेने के बाद आगे चलें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मेरे लिये समय निश्चित करना मुश्किल चीज है क्योंकि यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है, इसलिये वह अपनी सुविधानुसार·······

श्री वीरदत्त सिंह : कितने बजे? सदन तो 5 बजे खतम हो जाएगा।

श्री लादूराम सुजानिया : कल तय हो गया था कि प्रश्न आवर के बाद इस मसले को ले लेंगे। आज प्रश्न आवर के बाद और कई मसले निकल गए। अब आप कह कर टालते हैं, थोड़ी देर बाद विधान सभा सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर देंगे। ऐसी स्थिति में इस मसले को पहले लिया जाए, ऐसा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, आज ही व्यवस्था देंगे। आपने जो प्रश्न उठाया, उसकी व्यवस्था आज दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय स्वयं देंगे। मंत्री महोदय।

**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

श्री भीखा भाई (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय सदस्यों ने जयपुर नगर की सफाई के संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मुझे सहानुभूति है। सफाई का उत्तरदायित्व नगर-परिषद् स्वयं का है जो एक स्वायत्त शासी संस्था है और इसका प्रशासन जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के हाथों में है। इसके कार्य-कलापों में राज्य सरकार का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण सीमित ही है।

(श्री भीखाभाई)

वर्तमान स्थिति के बारे में नगर परिषद् से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। नगरपरिषद् के सफाई कर्मचारियों ने पूर्व में अपनी मांगों के सम्बंध में हड़ताल की और इसके संबंध में नगर परिषद् और उनके प्रतिनिधि के बीच 18-4-71 को वार्ता हुई। उक्त वार्ता में उनकी मांगों से संबंधित निर्णय लिए गए। उक्त वार्ता के तहत लिये गये निर्णयों के अनुसार परिषद् निर्णयों को क्रियान्वित कर ही रही थी कि नगरपरिषद् के भैंसा गाड़ी कर्मचारियों ने अकारण ही काम करना बंद कर दिया और भैंसा गाड़ियों को नगर परिषद् के कार्यालय के सामने लाकर खड़ा कर दिया, एवं दो सफाई कर्मचारी दिनांक 13-5-71 से भूख-हड़ताल पर बैठ गए। परिषद् ने नगर सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष को सूचित किया यह भूख-हड़ताल अनुचित है, क्योंकि भैंसा गाड़ी वाले प्रति दिन आठ घंटे कार्य किए बिना ही आठ घंटे के हिसाब से वेतन लेना चाहते हैं जो नियमानुसार नहीं दिया जा सकता, किन्तु वे भूख हड़ताल पर दिनांक 20-5-71 तक रहे और दिनांक 20-5-71 को सायंकाल एक सूचना आम हड़ताल करने की आयुक्त नगर परिषद् को दी और दिनांक 21-5-71 से आम हड़ताल कर दी।

इस संबंध में परिषद् ने श्रम आयुक्त को, इस भूख हड़ताल को अवैधानिक घोषित करने हेतु लिखा और परिषद् ने अपनी ओर से भी इस भूख हड़ताल को अवैधानिक घोषित किया।

समझौता अधिकारी, श्रम विभाग ने भी मजदूर कांग्रेस व परिषद् के प्रतिनिधियों को दिनांक 24-5-71 को 12 बजे समझौता वार्ता के लिये बुलाया और यह भी सूचित किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आम हड़ताल पर जाने से पूर्व 6 सप्ताह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, जो नहीं दिया गया है एवं इसी अधिनियम के अन्तर्गत वार्ता के दौरान हड़ताल पर रहना भी गैर कानूनी है। सफाई मजदूर समझौता वार्ता के लिये सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए।

दिनांक 24-5-71 को श्रम मंत्री महोदय ने भी इन लोगों को वार्ता के लिये बुलाने हेतु लिखित सूचना भिजवाई और घर घर जीप भेज कर इन्हें बुलाने का प्रयास किया किन्तु इन्होंने सूचना-पत्र तक को लेने से इंकार कर दिया और वार्ता के लिये उपस्थिति नहीं हुए इस प्रकार उन्होंने समझौता वार्ता के सभी द्वार बंद करके हठधर्मी का रवैया अपना लिया। यही नहीं इन्होंने दिनांक 24-5-71 को एक जुलूस बनाकर भैंसा गाड़ियों में कूड़ा करकट व मैला भर कर विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया और भैंसा गाड़ियों भरा मैला, कचरा विधान सभा के सामने डाला और वहां से जुलूस को लेकर नगरपरिषद् कार्यालय के सामने आ गए और जो भैंसा गाड़ियां मैला व कचरे से भरी हुई थीं उन्हें परिषद् कार्यालय के सामने डाल दिया। इसके अलावा मरे हुए जानवर कुत्ते लाकर भी कार्यालय के जीने के सामने डाल दिए..........

श्री भैरोंसिंह : आपके घर जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके घर भेज दें ?

श्री भीखाभाई : गंदी गालियों से भरे नारे लगाए और एक हंगामा और हिंसा पर उतारू

(श्री भीखाभाई)

वातावरण बना लिया। परिषद् की ट्यूब लाइट को भी तोड़ दिया। बाद में 700-800 मजदूरों की भीड़ को पुलिस ने तितर बितर किया।

परिषद् ने अस्थाई तौर पर जो कर्मचारी रखे हैं उनको भी ये लोग डरा धमका कर भगा देते हैं तथा गटर लाईनों के ढक्कन आदि बंद करके उनमें रुकावट डाल रहे हैं। तथा परिषद् के पार्षदों के साथ भी दुर्व्यहार किया।

उपरोक्त से प्रतीत होगा कि नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की वर्तमान हड़ताल अवैधानिक ही नहीं बिना किसी औचित्य के है, विशेषकर जबकि पूर्व में ही वार्ता के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में नगर परिषद् सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी······

**श्री लादूराम सुलानिया** : मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं·······

**श्री उपाध्यक्ष** ; वक्तव्य को पूरा होने दें आर्डर प्लीज।

**श्री लादूराम सुलानिया** : हम उनके फायदे की बात कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आप मतलब की बात कहें कि आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

**श्री भीखा भाई** : आप बिल्कुल हस्तक्षेप रहे हैं।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ऐसा कानून नहीं है कि हम नहीं बोलें, आप कोई खुदा नहीं हैं।

**श्री भीखाभाई** : इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारियों का व्यवहार अशिष्ट ही नहीं बल्कि तोड़ फोड़ का रहा है एवं नगरपरिषद् द्वारा सफाई हेतु किए जाने वाले प्रयासों में बाधक हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता।

**श्री भैरोंसिंह** : एक जानकारी करना चाहता हूं। इस स्थगन प्रस्ताव के दो भाग थे, एक यह भाग कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करदी, और दूसरा यह कि चेयरमैन का चुनाव नहीं हो रहा है, वाइस चेयरमैन विदेश यात्रा पर चला गया, और नगर परिषद् का काम ठप्प हो गया है। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह भी बता दीजिये कि स्थगन प्रस्ताव आपको मिला या नहीं मिला ?

**श्री भीखा भाई** : अध्यक्ष महोदय, उस पोंइट पर तो ध्यान दिया नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या करेंगे ध्यान देकर ?

**श्री भीखा भाई** : जो स्थिति है, गम्भीर स्थिति है, उसके बारे में तो मने निवेदन कर दिया। यह चुनाव वाला मामला रह गया। इस पर मुख्य मंत्री जी कह देंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : मुख्य मंत्री जी कौन होते हैं ? आपके विभाग का तो जवाब आपको देना है।

श्री भीखाभाई : इलेक्शन्स के बारे में सदन में कई बार चर्चा आई है, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के रिक्त स्थानों की भर्ती के बारे में भी प्रश्न यहां हुए हैं, और इनके बारे में समय समय पर इलेक्शन मंत्री द्वारा भी उत्तर दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह: पार्लियामेंटरी इलेक्शन्स के कारण भी आपने इस इलेक्शन पर रोक लगा रखी है, जिसके कारण जयपुर नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। क्या वह रोक आज भी यथावत है? या इस रोक को हटाकर नगर परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करवाना चाहते हैं?

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, किसको कहें, किसको सुनावें? बोंगे की तरह बैठे हैं।

श्री भीखाभाई : मेरी जानकारी में इस पर कोई रोक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खेद तो इस बात का है कि मंत्रीजी ने इसको सप्लीमेंटरी क्वेस्चन समझ लिया है और झट से कह दिया कि कोई रोक नहीं है। यह सप्लीमेंटरी क्वेस्चन नहीं है। हमारे स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि जयपुर नगर परिषद् के अध्यक्ष का स्थान करीब छः माह से रिक्त है, इस बीच में आपने मिड टर्म इलेक्शन्स के आड़ में इस पर रोक लगा दी थी। आज वाइस चेयरमैन भी विदेश चले गये हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन नगर परिषद का कोलेप्स हो रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनका सब जगह यही हाल है। कई जगह पंचों, सरपंचों के झगड़े हैं, कोई चुनाव नहीं कराना चाहते, नगर परिषद् में तीन चार साल से स्थान रिक्त पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जयपुर की नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में निवेदन है कि जून माह के अन्दर ही चुनाव करवा दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : और जो पंच सरपंचों के चुनाव, उनके बारे में?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पंचायतों के प्रधानों के बारे में प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, विचाराधीन का मतलब तो यह है कि चुनाव नहीं होंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव करा दिये जायेंगे यह आश्वासन तो बहुत पुराना दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : इसी जून महीने का कह रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष तो हैं नहीं, उपाध्यक्ष को विदेश भेज दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जनसंघ वाले एक सवाल उठायें, और आप पीछे रह जाय यह कैसे हो सकता है? जब तक आप नहीं बोले तब तक क्या पता लगे कि स्वतंत्र पार्टी वाले भी हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : जयपुर का प्रतिनिधित्व ये भी करते हैं।

श्री दुर्गालाल बड़हार : आज जयपुर की स्थिति क्या हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब तथ्य तो सदन में आ गये हैं।

श्री दुर्गालाल बड़हार : नगर की सफाई की ओर तुरन्त ध्यान नहीं दिया तो एपीडेमिक, बीमारियां फैलने का गम्भीर खतरा सामने है। आज किसी भी गली, मोहल्ले को आप जाकर देख लीजिये कि वहां की क्या हालत है। इनसान वहां से गुजर नहीं सकता। एक ओर तो यह स्थिति हो रही है, दूसरी ओर, चुनाव के मसले को जाने दीजिये, जो गन्दगी फैल रही है, उस को दूर करने की व्यवस्था आज कल में ही करनी होगी, नहीं तो इसके द्वारा फैलने वाली बीमारियों को रोकना कठिन हो जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : जयपुर में तो बीस साल से बीमारी आई हुई है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है, मंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमेंट में सारा दोष सफाई कर्मचारियों पर थोपने की कोशिश की है। मैं समझता हूं यह पूर्णतया सही नहीं है। यह बात सही है कि सफाई कर्मचारियों के बीच और नगरपालिका के बीच 18-4-71 को एक समझौता हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करेंगे कि यह समझौता होने के बाद समझौते का पालन किया जायेगा इस बात की अपेक्षा की जाती थी। 18-4-71 को जो समझौता हुआ वह नगर परिषद् ने, जिस दल की नगर परिषद् है, उसने, विवशता से स्वीकार किया था। एक मेज पर हरिजन कर्मचारी मिले और नगर परिषद् के अधिकारीगण मिले और मिलकर एक समझौता किया। अब उस समझौते के पालन में ऐसी क्या कठिनाई आ रही है जिसके कारण नगर परिषद् उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। तो इसके लिये उनका उत्तर स्पष्ट था कि हमने अपनी मांगों को लेकर जब आन्दोलन किया, धरना दिया, भूख हड़ताल की और इसके बाद हमारे प्रतिनिधियों को उधर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष श्री बालचन्द जी वैद के पास बुलाया गया। वहां नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे और एक दो सदस्य भी उपस्थित थे, उन्होंने यह कहा कि नगर परिषद ने कोई एक हाइपावर कमेटी बनाई है उसके मारफत समझौता मत करो यह समझौता कांग्रेस पार्टी के मारफत होना चाहिये। और अगर कांग्रेस पार्टी के मारफत यह समझौता करते हैं तो हरिजन कर्मचारियों की सभी बातें मानने को तैयार हैं। इस पर उन हरिजन कर्मचारियों ने कहा कि हम अपने अन्य प्रतिनिधियों से बात करके उत्तर दे सकेंगे अकेले वायदा नहीं कर सकते। पर उस बात को ही सही मान कर कांग्रेस पार्टी के नेता गण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में चले गये और वहां उन हरिजन कर्मचारियों की वे प्रतीक्षा करते रहे। इधर वे हरिजन प्रतिनिधि वहां पहुंचे नहीं बल्कि हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग नगर परिषद् के कार्यालय में हो रही थी वहां पहुंच गये। हाई पावर कमेटी में नगर परिषद् के उपाध्यक्ष भी थे, सफाई समिति के चेयरमेन भी थे, कमिश्नर थे, बाकी कुछ विरोधी दल के सदस्य भी वहां मौजूद थे। उस हाइ पावर कमेटी ने बैठकर समझौता वार्ता की, हर चीज पर डिसकशन हुआ, इसके बाद समझौता लिखा गया

(श्री भैरोंसिंह)

और उस पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर हो गए। अब इस स्थिति में हड़ताल रहने का प्रश्न नहीं था। पर इस जलन के कारण कि तुमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समझौता नहीं किया, तो इसलिये नगर परिषद् ने उस समझौते का पालन नहीं किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि 18-5-71 को जो समझौता हुआ उस समझौते के अनुसार हरिजन कर्मचारियों को वे सुविधायें मिलनी चाहियें और उस समझौते का पालन किया जाना चाहिये। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि इस समझौते के बारे में न तो नगर परिषद् ने कोई कार्यवाही की है, न इस बारे में कोई सूचना देने की उदारता राज्य सरकार ने दिखाई है। राज्य सरकार ने यह किया कि हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस बारे में राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है, यदि आप उसे पढ़ें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वह भी एक बड़ा मखौल है। इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, यह एक लम्बा चौड़ा नोटिस है और इस है कि राज्य सरकार को लेबर कानून का पता नहीं; सरकार को इस बात की भी चिन्ता नहीं कि हरिजन कर्मचारियों को कितना लाभ दिया जाना चाहिए बल्कि सरकार को तो इस बात की चिन्ता है कि सरकार का हुक्म बजाय नाजायज जैसा भी है उसे किस तरह से मनाया जाये। इसके लिये हरिजनों के हकों पर किस तरह से कुठाराघात किया जा सकता है इसकी चिन्ता उनको रही है। उनकी जलन इस बात की रही कि यह समझौता कांग्रेस कमेटी के आफिस में न होकर हाइ पावर कमेटी के सामने क्यों किया गया। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि हड़ताल पर गए हरिजन कर्मचारियों ने तीन मांगें और जोड़ दीं एक यह कि भैंसों के लिये 34 रुपये का जो अलाउन्स मिलता है उसको बढ़ाया जाय। अब कोई भी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करने को तयार नहीं होगा कि केवल 34 रुपये में आज के जमाने में और खास तौर से जयपुर में एक भैंसे का पेट भर सकता है क्या?

श्री विजयसिंह : गिरधारी लाल जी को तो 34 रुपया नहीं, 1300 रुपया महीना मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : गिरधारी लाल जी और उस भैंसे में बहुत फर्क है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह रोटी खाता है और वह घास खाता है। और क्या फर्क है?

श्री भैरोंसिंह : यह बोलता है, वह बोलता नहीं।

तो 34 रुपये की मांग इनकी वाजिब है, यह नगर परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर ने भी मंजूर किया था, यह उनकी सलाह से नहीं किया, इसका भी विरोध था। इस कारण से उन्होंने यह हड़ताल की। अब हड़ताल करने के बाद जो स्थिति जयपुर शहर में पैदा हो रही है उपाध्यक्ष महोदय उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है और विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर शहर बुरी तरह से सड़ रहा है। मैंने कल ही हरिजन कर्मचारियों से बातचीत की और मैंने उनको कहा कि तुम्हारी मांग मंजूर होने की स्थिति में तुम जयपुर शहर की सफाई कर दोगे तो उन्होंने मेरे सामने एक प्रश्न रखा कि यदि हमसे तारीख तय करवाले तो हम अमुक तारीख तक शहर की सफाई करवा देंगे और

# Page No 106



(श्री भैरोंसिह)

एक तो मांगों के इम्प्लीमिन्टेशन के बारे में नगर परिषद् होस्टाईल है और नगर परिषद से हमें आशा नहीं है कि वह हमारी मांगों को स्वीकार करेगी तो एक ऐसी मशीनरी इवालव की जाये जो कि नगर परिषद् हमारी शर्तों का पालन करवा सके ।

उनका दूसरा प्रश्न यह था कि जयपुर शहर में गन्दगी का कारण दो चीजों की वजह से है । एक तो हमारे पास उपकरण नहीं हैं । उन्होंने बताया कि हमारे पास दांतलियां नहीं हैं, न फावड़े है, न टोकरियां हैं, न व्हील बरोज हैं, न पराते हैं, जितनी मात्रा में ये चीजें होनी चाहिये वह हमको उपलब्ध करा दें तो हम सफाई कर सकते हैं । दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही वह यह थी कि नगर-परिषद् के जितने भी सैनेटरी इन्सपेक्टर्स हैं एक बार उनको जयपुर की गलियों से हटा दें । अगर ये हटाते हैं तो हम जयपुर की गलियों का कचरा साफ भी कर देंगे । उनका मतलब यह था कि नगर परिषद् जो तनख्वाहे देती है ये इन्सपेक्टर्स हमारा शोषण करते हैं हमारी हाजरी के नाम से हमारे वेतन में चार आने हिसाब से 7।। रुपया काटते हैं तो कभी 8 आना के हिसाब से 15 रुपया काटते हैं और स्थिति उन्होंने यहां तक बताई है कि कई हरिजन कर्मचारी काम पर नहीं आते उनकी हाजरी होती है और वेतन के बिलों का भुगतान होता है और भुगतान का 50 परसेन्ट काम होता है । यही हालत स्त्रीपर्स की है यही हालत गाड़ी वालों की है और यही हालत ठेले वालों की है और इसी कारण से जयपुर शहर की सफाई नहीं होती ।

वित्त मंत्रीजी कल नाराज हो रहे थे कि ये कचरा विधान सभा के सामने आया कुत्ते और बिल्ली मरे हुए डाल दिये । मैं कहता हूं कि जयपुर शहर की सफाई नहीं करेंगे तो यह सारा कचरा कहीं पड़ेगा या नहीं माननीय भीखाभाई जी आपके मकान में डाला जायगा और जिसमे आप रहते हैं वहां डाला जायगा । इधर तो नगर सड़ रहा है और उधर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और उसके बावजूद शहर की सफाई नहीं होती इससे ज्यादा बढ़कर सरकार की भर्त्सना करने की बात दूसरी नहीं हो सकती लेकिन उपाध्यक्ष महोदय बदकिस्मती यह है कि स्वायत्त शासन विभाग ऐसे मंत्री को दे दिया कि जो शरीफ होंगे, शराफत होगी लेकिन प्रशासनिक योग्यता उनमें नहीं है । कल मुझे यह भी कहने लगे कि समझौता नहीं हुआ तो मैंने कहा कि देखो यह समझौता हुआ है तो बस डांटने लगे अपने कांग्रेस के लोगों को कि तुमने दस्तखत कैसे कर दिये । तो उपाध्यक्ष महोदय जहां इस तरह के मंत्री हो वह मंत्री हरिजनों से वार्ता करके जयपुर शहर की सफाई भी करा सकेंगे इसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय हमारी बदकिस्मती है कि जैसे मंत्री हैं उनसे काम तो लेना ही पड़ेगा । तो मैं माननीय भीखाभाई जी से कहूंगा कि जयपुर शहर की उपेक्षा करके चलेंगे यह संभव नहीं है । जयपुर शहर की जो तीन दिनों से हालत है और संयोग से कहीं बरसात हो जाय तो शहर की फिर हालत देखें । अभी थोडी देर पहले कोई मुझे कह रहे थे कि बरसात होने के साथ-साथ नाना प्रकार की बिमारियों इस शहर में पैदा हो सकती है । मैं तो चाहता हूं

(श्री भैरोंसिंह)

कि यदि आप हड़ताल को गैर कानूनी करार देने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हरिजनों को कान्फीडेंस में लिया जावे और उसका समाधान करें और यदि नहीं होता है तो सरकार को कोई न कोई आल्टरनेटिव अरेंजमेंट लेकर आना चाहिये ताकि जयपुर शहर की सफाई हो जाय। इस तरह के वक्तव्य से तो जयपुर शहर और हरिजनों को निराशा ही होगी और सफाई की व्यवस्था भी नहीं होगी।

**श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव हमने इस सदन में प्रस्तुत किया और जिसके संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने इस सदन में अभी वक्तव्य दिया और उसमें जिस प्रकार से तथ्य अंकित किये गये हैं वे स्थिति का सही चित्रण नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि यह बड़े खेद और आश्चर्य की बात है कि जयपुर नगर की परिषद् के उपाध्यक्ष का चुनाव गत 6 महीनों में नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी की अन्दरूनी गुटबन्दी का परिणाम है कि 6 महीने से जयपुर में नगरपरिषद् के प्रेसीडेंट का आफिस वेकेन्ट है लेकिन चुनाव नहीं करा रहे हैं। पहले मध्यावधि चुनावों का बहाना लिया। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी और उसके बाद भी नगरपरिषद् के अध्यक्ष के चुनाव को पोस्टपोन कर दिया और आज मध्यावधि चुनावों को समाप्त हुए 2½ महीने होने आये अभी तक इस संबंध में कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जून के अन्त तक इसके चुनाव कराये जायेंगे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि नगरपरिषद् के उपाध्यक्ष विदेश यात्रा पर चले गये और आज की तिथि में नगरपरिषद् में चैकों के ऊपर दस्तखत करने वाला कोई नहीं है। नियम यह है, व्यवस्था यह है कि म्युनिसिपल चेयरमैन, चेयरमैन या वाइस-चेयरमैन के दस्तखत होते हैं और कोई भी पेमेन्ट उनके बिना नहीं हो सकता। दूसरी कोई व्यवस्था नहीं की है, पेमेन्ट में असुविधायें हो रही हैं। इसकी व्यवस्था नहीं है तो आज क्या कोई भी नगरपरिषद् कहीं भी बता सकते हैं जो कि प्रेसीडेंट और वाइस-प्रेसीडेंट के बिना हो? कानून में है क्या? आपने इलेक्शन कराये नहीं और मैं समझता हूँ कि यह बड़ी भारी लापरवाही बरती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में घोषणा आज की है और मैं आशा करके चलता हूँ कि सरकार अब जून में होने वाले प्रेसीडेंट के इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करेगी।

जहां तक सफाई का प्रश्न है मेरे से पूर्व जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ, मांगों का भी समर्थन करता हूँ और इस संबंध में केवल इतना जोड़ना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि यदि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल नहीं निपटी तो ये कानूनी कदम उठायेंगे और कठोर कदम उठायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कठोर कदम ये उठा नहीं सकते, कोई कानूनी कार्यवाही कर नहीं सकते। इन्होंने वक्तव्य में कोई संकेत नहीं दिया कि अगर यह हड़ताल नहीं टूटी और इसे गैर कानूनी घोषित करा भी दी तो उनको जबरदस्ती काम पर तो नहीं लगाया जा सकता और अब यह स्थिति पैदा

# Page No 108



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होगी तो फिर सफाई का इन्तजाम कौन करेगा, शहर की सफाई कैसे होगी और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब सफाई के कर्मचारियों ने हड़ताल की तो आपने इन तीन दिनों में शहर की सफाई की आल्टरनेटिव व्यवस्था क्या की ? आपने आल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किये ? नहीं किये तो यह मेरे विचार में एक क्रिमिनल नेगलीजेंस है। आग के लिये कोई व्यवस्था नहीं, कोई सकत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर की सड़कों पर आज पानी बह रहा है, गटर टूटी हुई है, नालियां सड़ रही हैं, तारत बह रही है, कूड़े कड़रे, मृत पशु हैं और लोगों का चार दीवारी के भीतर जीना दूभर हो गया है। अगर कोई लोक में किसी को नरकलोक देखना चाहे तो आज जयपुर शहर की चार दीवारी के भीतर रहने वाले लोगों का जीवन जाकर देखें, जयपुर नगर बिल्कुल नरक समान बना हुआ है। नगर परिषद् नगर-परिषद् नहीं रही, यह नरकपरिषद् हो गई है। मैं समझता हूं कि समय रहते इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये। जो व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की, जो लापरवाही सरकार ने बरती है, जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया है- वहां महामारी फैलेगी, लोग परेशान हैं उसके लिये आज सरकार की जितनी निन्दा की जाय कम है। सरकार का यह कार्य घोर निन्दनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं आशा करके चलता हूं कि सरकार कोई न कोई आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट सफाई के संबंध में जनता को देगी।

श्री लादू राम सुलानिया (फागी-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें आपने जो बातें बताई उसमें लास्ट बात यह बताई और यह धमकी दी कि अगर वह सफाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ उचित कोई कानूनी कार्यवाही करके और उनको बाध्य करके सफाई कराई जायेगी। यह बात सुनने से ऐसा महसूस मुझे हुआ कि इस जनतन्त्र के अन्दर जो मनुष्यता के अधिकार सारे लोगों को मिले हैं और जनतन्त्र के अन्दर सफाई कर्मचारी, को जो सबसे गन्दा काम करते हैं और आपकी सफाई करते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं, को कम से कम तनख्वाह आप देते हैं और वह भी आप तीन-तीन महीने तक नहीं देते। ऐसी स्थिति है और जब ऐसी स्थिति सामने आई कि उनका नोटिस था, उनका समझौता था उसमें वार्ता वार्ता होकर निश्चय हुआ कि आपकी मांग मंजूर की जायेगी, समझौता करके मांगें मंजूर करली लेकिन उसके अनुसार नहीं दिया। उनको मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ी, जलूस निकालने पड़े। जनतन्त्र में रूल्स रेगुलेशन्स बने हुए हैं प्रदर्शन करने और मांग रखने के जो तरीके अपनाये गये हैं जो कुछ करना चाहिये था, वह उनके अधिकार की बात थी और वह उन्होंने किया। उन्होंने कोई बुरे काम नहीं किया। रोज कूड़े को साफ करते थे, उसको वापिस लेकर डाल दिया तो उन्होंने क्या अन्याय किया है। आप उसको उठा कर डाल दें तो आपत्ति नहीं हो सकती है। किसी से डलवादे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यहां सदन में धमकी देते हैं कि सफाई नहीं करते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप भी ...... ट्रेड्स के हैं और आप में और सफाई

(श्री लादूराम सुलानिया)

कर्मचारियों में कोई फर्क नहीं है। जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिये आपको राजस्थान के मंत्रि मण्डल में बिठाया गया है, आपको अधिकार मिले हुए हैं उनके खिलाफ आप धमकी देते हैं और यहां पर कहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। मैं यह कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के लिये यह शर्म की बात है। ऐसे शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिये थे। मुख्य मंत्रीजी से सलाह करके, मंत्रि-मण्डल में सलाह करके, इसको निपटाने के लिये सारा का सारा काम अपने हाथ में लेना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा काफी हो गया है आपका भाषण।

श्री लादूराम सुलानिया : लम्बा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। 23 वर्ष में भंगी—भंगी ही रहा और ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहा राज्य में समानता ला नहीं सके और दुहाई देते हैं, धमकी देते हैं कि जबरदस्ती काम करायेंगे। यह कभी नहीं हो सकेगा। आप धमकी देते हैं यह फिजूल है और गलत है। ऐसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। लोगों का जन जीवन इतना खतरे में है, उससे भी घबराने वाले नहीं हैं और धमकी देना चाहते हैं तो इससे डरने वाले भी नहीं हैं। वे लोग खेती कर सकते हैं और बाजार में बैठकर जूतियां भी गांठ सकते हैं। आप धमकी देते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आप बार-बार यह कह चुके हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकूंगा कि सारा शहर सड़ रहा है और उसके लिये मंत्री महोदय व्यवस्था न करें और उनको धमकी दें, उसको हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। हम राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं और वे भी जनता में हैं इसलिये मंत्री महोदय कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। एक दो सुझाव मैं भी दे दूं और भी माननीय सदस्य सुझाव देंगे। उन सब बातों को हल करना चाहिये।

मैं यह सुझाव दूंगा कि सफाई कर्मचारियों में ठेला वाले, गाड़ी वाले, झाड़ू वाले और टट्टी उठाने वाले, ये सब आते हैं। उनके दस वर्ष के हाजरी रजिस्टर को उठा कर देख लीजिये। किन लोगों के नाम रजिस्टर करवाये हैं। जिन्होंने कभी हाथ में झाड़ू ही नहीं लिया वे लोग भरे हुए हैं। जिस प्रकार फौज के आदमी को जरूरत पड़ने पर वापिस बुला लिया जाता है उसी प्रकार उनको भी बुला लीजिये, लोगों के बंगलों पर लगे हुए हैं, कोई कपड़ा धोते हैं और कोई दूसरा काम करते हैं उन सब को बुला लीजिये। दस वर्ष पहले . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह कह चुके हैं। दोहरायें नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : दस वर्ष के रजिस्टर को उठा कर तो देख लीजिये। आपको सब मालूम हो जावेगा।

दूसरा सुझाव यह है कि उनकी उचित मांगें हैं और उनको मानने वाले भी आप ही हैं। इसलिये उनका वेतन दुगुना कर दीजिये। क्योंकि वे सबसे गंदा काम करते हैं इसलिये उनको दुगुना वेतन मिलना चाहिये।

(श्री लादूराम सुलानिया)

तीसरी बात यह है कि उपयुक्त साधन उनको तुरन्त मिलने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये ।

श्री लादूराम सुलानिया : सद्भावना के साथ ही आप यह करेंगे तो सफाई के विषय में वे लोग और हम सब लोग सहमत हैं और अव-हेलना करके उनके साथ ज्यादती करने का तरीका हुआ तो हम आपके साथ नहीं हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आप अन्याय करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण लम्बा कर रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री लादूराम सुलानिया : धमकी देकर सफाई नहीं करवा सकते और यदि आपका यही रवैया रहा तो जबरदस्त कार्यवाही आपके खिलाफ भी की जा सकती है और धमका कर यह धन्धा नहीं कराया जा सकता है । मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने कहा कि आपके बंगले में कूड़ा डाला जावेगा । यह बड़ी बात नहीं है । आपके सिर पर मैला डाला जावेगा । यह भी बड़ी बात नहीं है । इसलिये उनकी मांगे तुरन्त मंजूर की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लम्बा कर रहे हैं ।

ऑर्डर प्लीज ! माननीय भीखाभाई ।

श्री रमानन्द अग्रवाल : एक जानकारी करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने नहीं बताया अपने वक्तव्य में कि पहले समझौता नगरपालिका और कर्मचारियों के बीच में हुआ वह क्या था और कर्मचारियों को क्या कहना है ? कौनसी बात उनकी पूरी न करके उल्लंघन किया है ? उन पर और प्रकाश डालें ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें कोई नई बात हो, जैसी सुलानिया जी ने बतायी वैसी नयी बात हो तो बतायें ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने सर पर मैला डालने की बात कही ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, शहर की सफाई के विषय में जो शहर में गंदगी है उसको सामने रखते हुए मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव था । माननीय सदस्यों ने यहां भावना व्यक्त की मैं भी अपने विचार रखते हुए माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजन कर्मचारियों का सवाल है वह एक ऐसा अहम मसला है, वे जो काम करते हैं वह एक ऐसा गन्दा काम करते हैं जिसको दूसरा व्यक्ति करने में कभी अपनी दिलचस्पी नहीं रखता है । तो इस गन्दे काम को करने वाले हैं उनको किसी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं और मौजूदा सूरत में जो उपकरण हैं वे भी सही हालत में न हों तो और भी दशा सोचनीय हो जाती है । कुछ दिन पूर्व कुछ घटनायें सामने आयी हैं । रामप्रकाश सिनेमा के पास गटर था । एक आदमी उसके अन्दर उतरा । गन्दगी के कारण वह मर कर समाप्त हुआ । तो उसका कारण यह है कि आज जयपुर नगरपालिका के अन्दर इस प्रकार के उपकरण नहीं होने के कारण इन हरिजन कर्मचारियों

(श्री श्रवण लाल)

की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपके विभाग के द्वारा भी नहीं की जाती है। इसलिये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अपनी सुविधाओं के लिये संघर्ष करते हैं और उन्हीं सुविधाओं के लिये वह हड़ताल करते हैं, मांगों को मनवाने के लिये हड़ताल करते हैं। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि 18 तारीख को इस प्रकार का निर्णय किया गया था। तो उस निर्णय का क्या हुआ; क्या उस निर्णय को बलाये ताक रख दिया गया और रख कर किसी प्रकार उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया गया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन कर्मचारियों के लिये, जो गन्दा काम करते हैं, राणावत कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में इनके पे स्केल का सुझाव दिया......

श्री रामनारायण चौधरी : हरिजन तो अच्छा काम करते हैं गन्दा कहां करते हैं?

श्री श्रवणलाल : तो क्यों नहीं उसके अनुसार उनको पे दिलाई जाती है? दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं, उनके लिये जो पे स्केल की व्यवस्था है वह वही पे स्केल की व्यवस्था जो राणावत कमीशन ने व्यवस्था बनाई। मेरा निवेदन है वही सुविधा इन लोकल बाडीज में उपलब्ध कराई जाय। यह सुविधा दे दी जाय तो आज जो यह समस्या हमारे सामने है, जिसके कारण शहर की गलियां सड़ रही हैं, और जिस प्रकार शहर गन्दा पड़ा हुआ है–वह स्थिति देखने को नहीं मिले। मेरा निवदन है कि उनको पे स्केल ठीक तरह से मिले, उनको किसी प्रकार से शिकायत करने का मौका नहीं मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मांग करूंगा कि जो राणावत आयोग की रिपोर्ट है वह म्युनिसिपेलिटी में लागू की जाय और जिस प्रकार की दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को सुविधायें प्राप्त हैं उसी प्रकार की सुविधायें उनको भी प्राप्त हों।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, मरे हुए जानवर, कुछ कूड़ा कचरा इधर लाकर डाला, आफिस के सामने डाला, विधान सभा के सामने डाला। मंत्री महोदय, विधान सभा के सामने जो कूड़ा कचरा डाला था उसकी तो आपने सफाई करा दीं, उसके लिये तो गाड़ी मंगवा कर, कूड़ा इकट्ठा करा कर इमीजियेटली उसको साफ करा दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जयपुर की गन्दी गलियां हैं, चार दीवारी के पास जो गन्दगी है–जिस कारण से जयपुर सड़ रहा है, जहां एक मिनिट के लिये भी मंत्री महोदय खड़े हो नहीं सकते हैं उसकी सफाई के लिये आपने क्या व्यवस्था की है? आपने कर्मचारियों को तो दोष दे दिया, उन कर्मचारियों को जो अपनी मांग के लिये कह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनको आपने धमकी दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिये मंत्री महोदय, कौन जिम्मेवार है? मै कहना चाहता हूं, ऐसे

(3.42 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

(श्री भवरण लाल)

मंत्री को, जिससे विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है, एक मिनिट भी मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिये। जयपुर सड़ रहा है, शहर सड़ रहा है और मंत्री जी बंगले में बैठे रैफ्रिजरेटर, कूलर लगा कर पैर फैला कर ऐश कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को इमीजियेटली इस्तीफा दे देना चाहिये यदि आप व्यवस्था नहीं कर सकते शहर की सफाई की। तो मैं कह रहा था कि इन हरिजन कर्मचारियों को पे स्केल की सुविधा प्राप्त नहीं कराई है, व्हीकल्स और सफाई के लिये दूसरे साधन हैं वह नहीं उपलब्ध कराये हैं। इसलिये जब तक आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे और उनको सुविधा नहीं देंगे तब तक शहर सडता रहेगा और तब तक इनकी शिकायत रहेगी। आप यह मान कर नहीं चलें कि यह स्थिति यहीं चल रही है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था हिण्डौन के बारे में, वहां भी आठ दस दिन से हड़ताल चल रही है। जिस प्रकार से जयपुर शहर सड़ रहा है, उसी प्रकार से हिण्डौन शहर की हालत हो रही है। दूसरे शहरों की भी यही हालत हो रही है। इसलिये जो राणावत ने आयोग की पे स्केल्स हैं, वह इनको दे दी जायें और उनकी और मांग हैं वह भी पूरी की जायें।

इसके अलावा, आपके द्वारा, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जून में अध्यक्ष का चुनाव कराने जा रहे हैं। जिस जगह पर चेयरमैन नहीं हो, उप चेयरमैन नहीं हो, वहां यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि मजूदा स्थिति में कार्यवाहक चेयरमैन कार्य करें? मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि जून में चुनाव कराने के लिये जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज कई रोज हो गये, आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की, टेम्प्रेरी चेयरमैन क्यों नहीं नियुक्त किया गया? इस का कारण यह है, मान लीजिये कि किसी को चेयरमैन नियुक्त कर दिया, तो क्योंकि वहां गुट है इसलिये एक का किया तो दूसरा गुट नाराज होगा और इस कारण जो जून में चेयरमैन का चुनाव होगा उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जायगा। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जून के महीने में चुनाव कराने का आश्वासन दिया है, तो वह जून के फर्स्ट वीक में कराना चाहिये जिससे शहर की जो गंदगी बढती हुई चली जा रही है उसकी सफाई कराने के लिये हरिजन कर्मचारियों की जो मांग है उन मांगों को मंजूर करने की कार्यवाही की जा सके।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, हरिजन कर्मचारियों की मांगों के बारे में सदन में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, उस उत्तर के साथ में उन्होंने कुछ धमकी भी दी है। मैं जहां तक समझता हूं कर्मचारियों ने कई बार अपनी मांग मनवाने की कोशिश की है। उन्होंने नोटिस भी दिया है। सभी तरह के राज्य सरकार और नगर परिषद् से अपनी मांग मनवाने के लिये कोशिश की। बाद में मजबूर होकर जैसा मंत्री महोदय ने कहा, इस तरह कूड़ा डाला विधान सभा के सामने, नगर परिषद् के सामने और कई जगह डाला। मैं कहना चाहता हूं कि कूड़ा डालने का इस तरह का काम नहीं है जो कि उन्होंने कोई बहुत गलत काम किया हो। मैं तो समझता हूं जो लोग सदियों से कूड़ा शहर के बाहर डालते आये हैं, उन्होंने बताया है आपको कि यहां विधान सभा के सामने कूड़ा

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

डालने से आपको कितना बुरा मालूम हुआ, नगर परिषद् के सामने डालने से कितना बुरा मालूम हुआ। आप कूड़े से नफरत करते हैं वही कूड़े को वह लोग अपने शरीर में रमा कर चलते हैं। उसके बाद भी उनकी जो मांग है, उसकी ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे तो यह बहुत गलत बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ में बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, आप कूड़े को बुरी नजर से देखते हैं, उस को वह अपने शरीर में रमा कर चलते हैं। ऐसा काम करने के बाद भी उनको थोड़ी बहुत राहत नहीं दे तो यह कहां तक उचित है? मैं कहना चाहता हूं कि आप आज भी कूड़े से नफरत करते हैं। जिनको आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, जिनको आप सभी तरह के संरक्षण देना चाहते हैं उनके काम से आपको इतनी नफरत है। उसके बाद भी वह काम करते है तो आपकी तरफ से उनको सहानुभूति नहीं मिलती है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि उनकी जो भी मांग हैं वह सही मांग है। जो दूसरी सुविधा वह चाहते हैं, मैला ढोने वगैरह की, वह राज्य सरकार को देनी चाहिये क्योंकि आप मैला सिर पर ढोने की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरे साधन जुटाना लाजिमी हो जाता है। उनको उपकरण मिलने चाहिये ताकि वह ठीक तरह काम कर सके। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि उनको धमकी न देकर उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। आप लोगों को समझाना चाहिये कि वह समाज का सबसे गन्दा काम करते हैं, फिर भी आप धमकी दें तो यह मंत्री महोदय के लिये शोभाजनक बात नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं कहना चाहता हूं कि आप धमकी देंगे तो यह लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि यह काम तुमको नहीं करना चाहिये और जो इस प्रकार से धमकी देते हैं उन लोगों से मुकाबला करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की बात से राजी हों तो बात दूसरी है वरना इन कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको मानना चाहिये क्योंकि वह लोग ऐसा काम करते हैं जिसको हम सबसे बुरा काम मानते हैं और जिसको समाज का कोई व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। उनके साथ में आपको सहानुभूति बरतनी चाहिये।

श्री सभापति : मंत्री महोदय !

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य···

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : खड़े होकर बोले।

श्री भीखाभाई : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने कुछ विचार यहां पर इस सदन के सामने रखे। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की कोशिश की कि इस मामले को किसी प्रकार राजनैतिक स्वरूप दिया जा सके। उन्होंने यह कहा, बालचन्द वैद्य के यहां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के यहां जब तक वह नहीं जायगे तब तक उच्च स्तरीय वार्ता जो हुई, नगर परिषद् में वार्ता हुई है, उसकी मान्यता न होकर उनकी बात को नहीं रखा जायगा। यह बात बिल्कुल गलत है। (व्यवधान) आई एम इन पजेशन आफ द फ्लोर आफ द हाउस। आप बाद में कहें··

श्री सभापति : बीच में नहीं बोलें ।

श्री लादुराम सुलानिया : मंत्री कोई ऊंचा है मंत्री हैं तो क्या है ?

श्री भीखाभाई : बीच में मत बोलिये । मैं बोल रहा हूँ । आप लोग बीच में टोकिये मत । सभापति महोदय, मैं पूरा बोलूंगा, मैं हरजिग नहीं बैठूंगा जब तक मेरा रिप्लाई खत्म नहीं हो जाये । आई एम इन पजेशन आफ द फलोर ऑफ द हाउस, आई विल स्पीक · · ·

श्री श्रवण लाल : खड़े होकर बोलिये ।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं, इन्हें नहीं रोका गया तो यह समुद्र लांघ जायेंगे ।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था·····

(व्यवधान: अश्रव्य)

इसलिये ठीक नहीं है और माननीय सदस्य से मैंने कल बात की, माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी के पास गये, निवेदन किया । श्रम मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और गृह मंत्री जी भी थे । मैंने कोशिश की श्रम मंत्री जी आप श्रम आयुक्त द्वारा मेहतर भाइयों से बातचीत करें । इसके बाद और निवेदन करूं, जब मैं दौरे पर गया था, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं रामजीलाल खराड़िया जो मेम्बर हैं उनके माध्यम से और अन्य व्यक्तियों से जब मैं श्रम मंत्री था निजी तौर पर उनके संबंध में ध्यान देता था । उस समय मैंने खराड़िया से कहा लेकिन बात नहीं मानी । श्रम संबंधित मामलों के लिये उनको बुलाया था तो समझौते अधिकारी के सामने भी गये······

श्री रामानन्द अग्रवाल : विवाद का प्रश्न क्या है ?

श्री भीखाभाई : समझौते की बात कर लें । आप बात सुन लें···

श्री रामानन्द अग्रवाल : विवाद क्या है, यह तो बता दें पहले । समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, क्या कह रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : मेरी मर्जी है, नहीं बताऊंगा, आप क्या करेंगे ?

श्री लादूराम सुलानिया : आपका घर का काम है क्या जो मर्जी आये जो बतायें नहीं तो नहीं बतायें । आपको जवाब देना पड़ेगा । आप कह कैसे गये यह घर का राज्य नहीं है जनता का राज्य है ।

श्री भीखाभाई : यह समझौते की बात है मैं उन पर बाद में आऊंगा । अभी प्रयत्न क्या किया, यह बता रहा हूं । परसों और कल तक हड़ताल रोकने के लिये क्या किया, उस पर बात कहना चाहता हूं । माननीय सदस्य, क्यों बुरा मानते हैं, मैंने कहा रामजीलाल खराड़िया कोशिश करें—श्रम मंत्रीजी और समझौता अधिकारी हैं और जो श्रम आयुक्त हैं उन्होंने निश्चित तारीख करके 28 को बुलाया और बताया तुम्हारे जो मुद्दे हैं, अवैधानिक हैं इसलिये हड़ताल का जो नोटिस 20 को दिया और 22 को हड़ताल पर जाते हैं, ठीक नहीं है । उनको बुलाया लेकिन आये नहीं । मैंने उदयपुर वाले हैं उनके सामने कही, उनकी मांगे वाजिब नहीं है और वाजिब इसलिये नहीं हैं कि जो कुछ कहा कर दिया गया था । मैं कहना चाहता हूं 18 अप्रेल को एक मीटिंग हुई थी

(श्री भीखाभाई)
जैसा माननीय सदस्य ने कहा ठीक है, उसमें वार्ता कर रहे थे—आपस में जो समझौते की लाइन बनी जो एग्रीमेंट होना चाहिये था वह नहीं था। अगर वह एग्रीमेंट होता तो आज यह मामला समाप्त हो जाता।

श्री भैरोंसिंह : क्या था ? सिर्फ आश्वासन.

श्री भीखाभाई : आप इसको आश्वासन कह सकते हैं। हमारे चेयरमैन शामिल थे, कमिश्नर शामिल थे। सारी बातें सुनीं, ठीक है मैं मानता हूं परन्तु उसकी स्थिति अगर ला के अन्दर देखी जाय जो कि प्रोसीक्यूशन के लायक हो, ऐसा तो नहीं है किन्तु उन मुद्दों के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं—उन मुद्दों में करीब-करीब सब मांगें मान ली थीं लेकिन इसके बाद झगड़ा क्या हुआ। झगड़ा यह हुआ कि अभी जो मांगें थीं 18 उनके बारे में 18-4-71 को आपने अपना जो मुद्दा रखा है, उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात रखी क्या वह वाजिब था कि 18 घंटे के काम को चार घंटे तक काम करें तो उसको वाजिब कहा जाय और सेनिटेरी इन्सपेक्टर का सर्टिफिकेट माना जाय कि दो घंटे तक काम कर लें वह वाजिब है। यह वाजिब है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप दो घंटे का काम करें और उसे 8 घंटे का जस्टीफाई करें तो यह आप बता दें क्या यह वाजिब है ? अब जिस पर झगड़ा हुआ वह सीवर गेंग का मामला था। 60 आदमी काम करते हैं, यह सही बात है। उनकी शिकायत थी। मैं आपको एक बात बताऊं एक आदमी है अग्रवाल (व्यवधान) उसका हुकुम बहुत अच्छा मानते हैं...ऐसा माना जाता है उसी तरह माननीय सदस्य उधर बैठने वाले......

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी क्या कहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है।

श्री भीखाभाई : सफाई होनी चाहिये, गेंग के लिये बात कहता हूं...अब गटर साफ करने के लिये किसको भर्जे। 60 आदमी अलग अलग बांटें या क्या करें। यह बहुत बड़ा मसला है। अभी एक कमेटी बनाई सफाई समिति का निर्माण हुआ। उसने कुछ योजना बनाई क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं सीवर गेंग में एक जगह 10 आदमी और एक जगह 50 आदमी नहीं होने चाहिये। अब यह आप बतायें कैसे संभव हो सकता है यह उनका दूसरा झगड़ा है। तीसरी बात सुन लीजिये हमारे ख्याल में यह था पहले जो हड़ताल हुई 17, 18 और 19 वह यह था कि उनका वेतन नहीं काटा जाय हमने कहा काटा नहीं जाये लेकिन उस दिन को रुखसत में मान लिया जाय। उसके लिये भी वे तैयार नहीं हैं। इस तरह की 3-4 बातें फिर भी हैं हड़ताल कर दी। आज भी निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी निवेदन किया धमकी दी, इसके लिये मैं कभी धमकी नहीं दे सकता हूं। मेहनत मजदूरी से काम करते हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं ये सभी लोग इस बात पर आ जायें और राजनैतिक भावना दूर करके जयपुर की सफाई करनी है, यह विचार कर लें। राज्य सरकार क्या करे।

(श्री भीखाभाई)

राज्य सरकार ने पांच लाख रुपये भी दिये हैं। जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके आग्रह पर सरकार ने मीटिंग भी बुलाने का आयोजन किया और मीटिंग बुलाई और एक बार राज्य सरकार ने पांच लाख दिये, एक बार दो लाख दिये। जब गटर साफ करने की बात है तो उसको ठीक करने की भी हमने घोषणा की है, उसको भी हम करने जा रहे हैं। जब मांग हो रही थी तब मैंने निवेदन किया था हम लोग अण्डर ग्राउन्ड करने जा रहे हैं। इतना करोड़ रुपया भारत सरकार दे रही है यह बात गलत है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अन्डर ग्राउन्ड हम करने जा रहे हैं वह सफाई के लिये जरूरी है और बनाना भी जरूरी है परन्तु ये सारी समस्यायें एक तरफ हैं और पानी की समस्या दूसरी तरफ है। पानी की समस्या भी बड़ी भारी समस्या है। इसलिये सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ सफाई की समस्या है तो दूसरी तरफ पानी की समस्या है। मेरा निवेदन तो यह है कि अगर सब लोगों ने मिल कर इस पर ध्यान नहीं दिया तो काम होने वाला नहीं है। इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। सब लोग मिल कर सफाई कराने में योगदान करें।

सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर है वह एक गुलाबी शहर है। हम चाहे किसी जगह के रहने वाले हों लेकिन हम सब लोग हिस्सेदार हैं इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जयपुर की गलियों में सर्वत्र आप देखते हैं गन्दगी तो उपदेश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि देखने के बाद में भी, हम सफ़ाई अभियान की घोषणा करके भी सफ़ाई अभियान नहीं कर सकते है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अभियान को चला देंगे तो किसी पार्टी या नगरपरिषद् के इन्तज़ाम का प्रश्न आता नहीं है? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसमें उदारता से विचार करना चाहिये और सफ़ाई के मामले में हम सब को विचार करना चाहिये। मैंने धमकी नहीं दी। मैंने निवेदन किया है। मैंने आम लोगों से, आप से और जयपुर के नाते सबसे अपील की है कि वे आगे आयें। कितनी चिन्ता दिखाते हैं, कितनी सफ़ाई करते हैं और कितना कचरा निकालते हैं और दूसरी चीजों की सफाई करते हैं। यह इसलिये मैंने निवेदन किया है कि विशेष परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये क्या हल हो सकता है?

आपने कहा वाटर ड्रेनेज के बारे में सरकार क्या कर रही है? सरकार के देने की बात होती है और मान लें कि यह सवाल मात्र स्पेयर पानी का हो जो कि मुश्किल से मिलता है तो वह एक व्यवस्था सरकार कर सकती है? समाज कल्याण ने एक काफ़ी धनराशि उपलब्ध की है। इसके अतिरिक्त आम लोगों के अन्दर जयपुर को स्वच्छ रखने की भावना होनी चाहिये जितनी उतनी नहीं है और माननीय सदस्य इसको राजनैतिक रूप नहीं देते। यह आप करते हैं। जहां तक जयपुर शहर का सवाल है इसको

# Page No 117



(श्री भीखाभाई)

राजनैतिक फ़ीलिंग की किसी प्रकार की शेप नहीं दी जायगी। यहां पर यह कहा गया कि कमेटी क्या करती है तो कमेटी के इन्तज़ाम का जो तरीक़ा है और म्युनिसिपल कौन्सिल ने जो निर्धारित किये हैं तो सफ़ाई के नार्म्स निर्धारित किये हैं। दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि 1200 सफ़ाई मज़दूर लगाये गये थे और उन सब के साथ 15 ट्रक भी लगाये गये हैं। इस बात का इशारा भी किया गया कि उनको काम नहीं करने दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कौन आदमी ऐसा है जो कि राणावत कमीशन के हिसाब से नहीं देना चाहता? 71-72 में आप यह बातें कर रहे हैं। एक ज़माना था चार साल पहले का जब कि 67-68 में राणावत कमीशन की बात थी। ये सारी इस बात को इंगित करती है। हम तो यह कहते हैं कि नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उनके पास में इस प्रकार के अगर साधन हों और उन साधनों का सही उपयोग किया जा सकता है तो कोई कठिनाई नहीं होगी दूसरी तरफ़ से कोई कठिनाई नहीं है। इसलिये इस बारे में जो हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेन्ट ध्यान नहीं देती; यह बिलकुल ग़लत है। सरकार सतर्क है और जागरूक है। हम अभी भी बात करने के लिये तैयार हैं और उनसे बात करके जो भी समझौता होना चाहिये वह करने को तैयार हैं। उनकी मांगों के बारे में क़रीब क़रीब सारी बातें नगर परिषद् ने स्वीकार करली हैं....

4.30 म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, आप संक्षेप में कर दें। आपने भी काफ़ी समय ले लिया है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सारी मांगों पर नगर परिषद् ने विचार किया है और उनकी मांगों को स्वीकार किया है। जो झगड़ा हुआ है वह भैंसा गाड़ी के बारे में है। तीन दिन के वेतन का झगड़ा था। भैंसा गाड़ी वालों के लिये वे कहते थे कि 8 घण्टे काम करें वे दो घण्टे ही काम करना चाहते हैं जब कि वेतन पूरा लेना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कर दें।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो इनके अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझ से कहा कि तनख्वाह का बिल कौन पास करेगा जब कि अध्यक्ष नहीं हैं और उपाध्यक्ष चले गये हैं। उस पर रिलेक्सेशन करके सफ़ाई कमिश्नर को यह अधिकार दे दिया गया कि वे तनख्वाह के बिल पास करेंगे। यह राज्य सरकार की तरफ़ से व्यवस्था की गई।

जहां तक अपनी तरफ़ से बात कहना चाहता था....

श्री अध्यक्ष : अब तो सब तृप्त हो गये।

श्री भीखाभाई : पहिले हड़ताल कराने के अन्दर सहयोग दें। यह मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं ताकि सफ़ाई का काम व्यवस्थित रूप से हो सके।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी करना है। एक तो यह जानकारी

(श्री भैरोंसिंह)

करना है कि आपने अपने पीछे के वक्तव्य में यह कहा था कि नगर परिषद् और सफ़ाई कर्मचारियों के बीच में समझौता हुआ है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है?

श्री भीखाभाई : समझौता नहीं हुआ है आपस में बैठकर बातचीत हुई है। लीगल समझौता नहीं माना जा सकता है। आपको केवल बताया है?

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय सदन में कितना गलत वक्तव्य दे रहे हैं। माननीय मन्त्रीजी के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि यह कोई समझौता नहीं है तो माननीय मन्त्रीजी ने नगर परिषद् की सफ़ाई समिति के अध्यक्ष से पूछा कि यह समझौता कैसे नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि नगर परिषद् ने एक प्रस्ताव ता पास किया है और उसके माध्यम से एक हाई पावर कमेटी एपाइन्ट की गई है और उस हाई पावर कमेटी को कहा गया है कि उनके बारे में डिसीशन लें और उसके बाद में नगर परिषद का डिसीशन होगा। तो माननीय मन्त्रीजी के सामने है नगर परिषद् का प्रस्ताव बदक़िस्मती यह है कि नगर परिषद् इसको समझौता मानती नहीं है और कर्मचारी यह कहते हैं कि समझौता हुआ है। इसको लागू करने का सवाल ही नहीं। समिति में इसके बारे में बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

श्री भीखाभाई : विवाद नहीं खड़ा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह आपने कहा कि समझौता हुआ है।

श्री भीखाभाई : समझौता इस प्रकार का नहीं है जैसा कि आप समझते हैं। वह लीगल सेन्स में नहीं हुआ है वह कोर्ट ऑफ़ लेबर के लिए नहीं है। मैंने कहा कि उनके रिप्रेजेन्टेटिव से बात की है। मैंने कहा कि चार बातें समझौते के आधार में उनकी यह मांग है कि 12 तारीख़ को जो समझौता हुआ है उसको पूरा करें। जैसा गाड़ी को 8 घण्टे के बजाय चार घण्टे के काम पर ही पूरा वेतन दिया जाय। चार बातें····

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त है।

श्री भैरोंसिंह : वह सुना दें तो अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, विवाद इस बात का है कि यह कहते हैं कि समझौता नहीं है और वे कहते हैं कि समझौता है। आप देखिये कि झगड़ा क्यों पैदा हुआ। नगर परिषद् से समझौता होने के बाद में प्रत्येक को कापीज़ दी गई हैं जिनमें नगर परिषद् के चेयरमैन के दस्तखत हैं, आयुक्त के दस्तखत हैं और सफ़ाई कर्मचारियों के दस्तखत हैं। यह जो समझौता है यह सारा समझौते के रूप में लिखा है। समझौते का पालन कराने के लिये कर्मचारियों की मांग है। नगर परिषद् कहती है कि नगर परिषद् के साथ में कोई समझौता नहीं हुआ है। यह विवाद यहां से चला है। यह समझौता का पालन नहीं करते हैं अध्यक्ष का चुनाव आप कराते नहीं हैं। 9-7-70 को इसके बारे में हैल्थ कमिश्नर असिस्टेन्ट हैल्थ कमिश्नर और प्रेसीडेन्ट के साथ में समझौता हुआ। उस समझौते का आज तक पालन नहीं किया गया। 61 से वेतन श्रृंखला

(श्री भैरोंसिंह)

के अनुसार भुगतान करने का प्रश्न है, 61 से फ़िक्सेशन करने का प्रश्न है, 61 से राणावत कमीशन के अनुसार करने का प्रश्न है। वह आज तक चक्कर में पड़े हुए है। उनका आज तक राणावत कमीशन के आधार पर फ़िक्सेशन नहीं किया गया है। मैं इस प्रश्न को राजनैतिक आधार पर नहीं लेता हूं। सारे शहर की सफ़ाई होनी चाहिये और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक आधार पर लेकर मैं नहीं चलता हूं। आप भी चले सफ़ाई करते हुए और जयपुर शहर की जब तक सफ़ाई नहीं होगी तब तक भीखाभाई के सर पर कचरे की टोकरी होगी और जनसंघ की फ़ौज उनके पीछे लगी हुई रहेगी। लेकिन कूड़ा उठाने की हिम्मत आप लोगों में होनी चाहिये। जनता को और लोगों को आप भ्रम में डालना चाहते हैं। गांधीजी के नाम पर षड्यन्त्र बनाया जा रहा है। उपाध्यक्ष का पता नहीं और हम से ऐसी बात बोल रहे हैं। आपकी वजह से दुर्दशा सारे राजस्थान की हो रही है। वह बात हाउस में कहदी कि बिलों का भुगतान हो जावेगा; नगर परिषद् का उपाध्यक्ष नहीं, लेकिन बिलों का भुगतान करने के लिये श्रम आयुक्त को आदेश दे दिया गया है।

श्री भीखाभाई : म्युनिसिपल कमिश्नर को।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा श्रम आयुक्त।

श्री भीखाभाई : ज़बान की बात है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं....

श्री भीखाभाई : म्युनिसिपल कमिश्नर है।

श्री भैरोंसिंह : आपने श्रम आयुक्त कहा है।

श्री अध्यक्ष : बारीक त्रुटियां मत निकालियेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ शहर की सफ़ाई भीखाभाई करना चाहते हैं तो वह नहीं होगी। हरिजनों को धमकाने से ही काम नहीं चलेगा। अन्ततोगत्वा हालत यह होगी कि आपके खिलाफ़ जयपुर की जनता उठेगी और जहां से आप निकल रहे होंगे आपके सामने होगी और कई समस्याएं खड़ी होंगी तब जाकर के आपके दिमाग की सफ़ाई होगी और आपके दिमाग की सफ़ाई होने के बाद जयपुर नगर की सफ़ाई हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा, श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या ?

श्री अध्यक्ष : नियम ऐसे हैं......

श्री लादूराम सुलानिया : आप और हम ही तो बनाते हैं।

# Page No 120



श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य !

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री नाथूराम कुलामिया : आज आखिरी दिन है।

श्री अध्यक्ष : बाद में समय होगा तो दे दूंगा । श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैंने एक प्रश्न उठाया था और आपने आश्वासन दिया था कि विशेषाधिकार समिति का एक प्रश्न जो मैंने श्री अमृतलाल यादव के विरुद्ध रखा था, और एक विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव श्री विजयसिंह मकराना ने श्री मोहनलाल मोदी के सम्बन्ध में रखा था और इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में आपने विशेषाधिकार समिति को आदेश दिया था कि सत्र की समाप्ति या उसके पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आज वह सत्र समाप्त होने जा रहा है और सदन के सामने उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। मुझे अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मिली है कि इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति कुछ गवाहों के बयान लेना चाहती है और उन गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत आपके पास कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने भी दी है। मुझे इसके बारे में डिटेल तो मालूम नहीं है लेकिन वह शिकायत आपके पास भी आई हुई है। उस शिकायत में इस बात का उल्लेख किया जाना मुझे ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार से गवाहान को समिति के सामने उपस्थित होने से डराया धमकाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय यह सीरियस कन्टेम्प्ट है और इस प्रकार की कोई कार्यवाही करता है, एलीगेशन आता है, एप्लीकेशन दी जाती है, प्रार्थना-पत्र दिया जाता है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय कि विशेषाधिकार समिति इस प्रकार से कार्यवाही नहीं कर पायेगी जब तक कि समुचित व्यवस्था की जाय और उसके सामने प्रस्तुत होने वाले गवाहान को डराया, धमकाया न जाय। इसकी कोई व्यवस्था न की जायेगी तब तक गवाहान को नहीं लाया जा सकेगा । यह एक सीरियस कन्टेम्प्ट है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं आई है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार की सूचना दी है और आपने उस पर क्या व्यवस्था की है, उस पर जानकारी करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है।

ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई है माननीय सदस्य की ओर से । मैं सभापति महोदय से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं कर सका हूं । कल कुछ समय नहीं मिला । अब यह प्रश्न समाप्त कर के माननीय सदस्य से मिलूंगा कि क्या स्थिति है। सभापति महोदय से भी कहूंगा कि क्या स्थिति है और वह सदन के सामने रखदें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो शिकायत पेश करदी गई है।

# Page No 121



श्री अध्यक्ष : वह मेरे सामने नहीं। आई है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। मैं समय दूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करदूं कि यह ध्यान आकर्षण जिसका अर्थ ध्यान आकर्षण भी है उसका इधर से उत्तर होगा और आपके कुछ प्रश्न हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फ़ोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में पारिख के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : हम बैठेंगे और सब प्रश्नों की जानकारी सदन को दूंगा।

श्री मुकुटबिहारी लाल : एक नम्र निवेदन है। एक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट शान्तिदूत के सम्पादक क····

श्री अध्यक्ष : आप यह मुझसे यहां क्यों कहते हैं। चेम्बर में बात करलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मुकुटबिहारी लाल : यह दो रिपोर्ट है और अगर मानों यह आखिरी मीटिंग हुई तो वह बिजनैस लैप्स हो जायेगा। इसलिये मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है··

श्री अध्यक्ष : रिपोर्टस् लैप्स नहीं होती हैं, they never lapse they are on the table of the house.

दूसरा सदन आ जायगा तब भी अमर हैं। श्री गोयल !

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा से सम्बन्धित प्रश्न 13 मई, 71 को विधान सभा के सामने आया था। इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से उत्तर दिया उससे सन्तुष्ट न होकर कुछ मुद्दे इस आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, यह वसन्त बिहार योजना है जिससे सम्बन्धित यह चर्चा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो टोंक रोड के ऊपर रेलवे का फाटक है उससे मिल कर एरोड्रोम तक जो एग्रीकल्चरल लेण्ड आती है उसके बीच में जाकर के यह बसन्त विहार नाम का स्थान है। इसके पहले मैं अपने विषय के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो हिस्सा है वह टोंक फाटक से लेकर एरोड्रोम तक है यू. आई. टी. ने इस सारी भूमि को अपनी भिन्न भिन्न योजनाओं के लिये अवाप्त किया है लेकिन जानबूझकर कुछ लोगों को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिये, कांग्रेस के सदस्यों को पनपाने के लिये जान बूझ कर इस वसन्त विहार नाम की जगह को जिसका रकबा अध्यक्ष महोदय 14 बीघा एक बिसवा होता है, जो 42 हजार 500 वर्ग गज का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यू. आई. टी. ने एक्वायर करने की कोशिश नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, यह जमीन सारी की सारी एग्रीकलचर लेन्ड है। पिछली बार यह कहा गया था कि यह एग्रीकल्चरल लेन्ड नहीं है और 46 में आबादी में कन्वर्ट कर दी गई थी मैं आपको निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय कि यह सारी जमीन एग्रीकल्चरल लेण्ड है और यह खाता नम्बर है, यह खातेदार है देवकीनन्दन सुजानकुमार, विनोद कुमार पिता दाऊदयाल इनके खाते के अन्दर खसरा नम्बर 3815, 29।158 42।159, 48।166 है।

# Page No 122



(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इस प्रकार से यह सारा रकबा एग्रीकल्चर लैण्ड है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार और पटवारी ने सम्वत 25 तक इसके बारे में लगान के डिमान्ड नोटिस जारी किये हैं। इसलिये मन्त्री महोदय का यह कहना कि यह एग्रीकल्चर लेण्ड नहीं है, गलत है। यह 46 में कन्वर्ट हो गया यह गलत है। इस जमीन के बारे में एक केस आज भी रेवेन्यू अपीलेट के पास पेन्डिंग है। और यह जमीन सारी एग्रीकल्चर लैण्ड है। इस जमीन के खातेदार के नाम मैंने यहां पर बताए हैं। अब इस जमीन को खरीदने वाले व्यक्तियों में जिनमें से दो प्रमुख हैं, एक श्रीराम गोटेवाला है जो जयपुर कांग्रेस के मन्त्री हैं और एक दूसरे हैं जो उस समय के तत्कालीन यू.आई.टी. के चेयरमैन सरदारमल सांघी उनके भानजे ये दो व्यक्ति पार्टनर थे और इनके दबाव के कारण इस जमीन को अवाप्त नहीं किया गया, बल्कि उसे मेनुपुलेट किया गया कि किस प्रकार से नाजायज फायदा बिना कमाये ही कमाया जाये। इसकी एक योजना बनाकर इन्होंने इस सारी एग्रीकल्चर लैण्ड को दो लाख रुपयों में खरीद लिया और बाद में इस लैण्ड को यू.आई.टी. के चेयरमैन के भानजे के मामा थे श्रीमान सरदारमल सांघी से साठ गांठ करके, उनसे मिल कर के सब डिवीजन का आदेश निकलवाया गया। यू.आई. टी. ने सब डिवीजन की पर्मीशन दी है और जो आदेश दिया है यह आदेश क्रमांक 1497 दिनांक 15-1-70 है। इस आदेश के द्वारा आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि 54 बाय 60 के 39,30 बाय 60 के 44, 10 बाय 20 की 60 दुकाने, इस प्रकार भिन्न भिन्न खण्डों के अन्दर लगभग 94 प्लाट्स बनाकर रिहायशी मकान और प्लाट्स, दुकानों के लिये सब डिवीजन के आदेश आबादी की जमीन मानकर प्रसारित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय जैसे ही ये आदेश पार्टी के हाथ में आये तत्कालीन चेयरमैन के भानजे, सिटी कांग्रेस के मंत्री श्री राम गोटेवाला, इन दोनों के दबाव से जैसे ही सब डिवीजन के आदेश हाथ में आये उन्होंने इस जमीन को दो लाख में खरीद लिया और बिना अपनी कोई पूंजी लगाये 8 लाख के अन्दर इसको सिन्धी हाउसिंग कोआपरेटिव के नाम से बेच दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आज भी वहां पर सिन्धी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी का बोर्ड लगा हुआ है। मेरा निवेदन है कि मंत्री इस बात पर विचार करें कि यह एग्रीकल्चर लैण्ड है या नहीं है?

अब अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है। आपने जो केवल 63 हजार 40 रुपयों का बैटरमेन्ट का चार्ज किया है यह कोन से रूल्स के अन्दर आपने लगाया है? यू. आई. टी. कौन से रूल्स है डवलपमेंट चार्जेज के, बैटरमेंट चार्जेज के और किस अधिकार से आपने यह लगाया है? आज तक यू आई.टी ने कोई रूल इसके लिये नहीं बनाया है और न ही किसी प्रकार को कोई रेट्स ही निर्धारित ही की गई है। अध्यक्ष महोदय, 63 हजार 40 में से केवल 6 हजार 300 रुपये ही इस पार्टी ने जमा

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
कराये हैं और बाकी का रुपया जमा नहीं कराया है।

**श्री अध्यक्ष** : अत्यंत ही संक्षेप में।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : अन्त में यह पूछना चाह रहा था मंत्री महोदय से कि आपने जो नियम बनाए हैं और संबंधित रूल इस प्रकार का है:

Sub-division, Reconstitution and Improvement of Plots Rules, 1964.

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपके सामने 4 व्यक्तियों ने एप्लाई किया, क्या वे मिल्कियत का सबूत दे सकते थे क्या रजिस्ट्री का सबूत दे सकते थे जिसके माध्यम से उन लोगों ने जमीनें खरीदीं, क्या यह पार्टी सबूत दे सकती थी कि यह कृषि भूमि नहीं है, आबादी है? क्या यू. आई. टी. ने पर्मीशन देने से पहले तहसीलदार, जयपुर, से रेकार्ड मंगाकर मालूम किया था कि यह जमीन आबादी में कन्वर्ट हो चुकी है? इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, न प्रोप्राइटरशिप के बारे में मालूम किया गया, न मालूम किया गया कि यह कृषि भूमि है। इसके बाद जो उन्होंने बंगलिंग किया है, मैं मानता हूं कि आज तक भी वह कृषि भूमि है लेकिन आबादी भी है तो आबादी की जमीन इस सरकार और यू. आई. टी. ने अपनी स्कीम के लिए क्यों नहीं एक्वायर की? जब यू. आई. टी. जानता था कि 90 प्लाट्स या 100 प्लाटस् बनाने की इजाजत दे रहे हैं रेजीडेन्शल और कामर्शियल पर्पजेज के लिए तो क्या जरूरत थी कि उपविभाजन के आदेश दे? यू. आई. टी. ने जब कि जयपुर में जमीन की कमी है, आवास की कमी है स्वयं एक्वायर करके कम्पेन्सेशन क्यों नहीं दिया? अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उपविभाजन करके स्वयं प्लाटस् का नीलाम किया? क्यों नहीं लोगों को एलाट किया? आपने मनमाने ढंग से बैटरमेंट चार्जेज लगा कर 6300) रुपये अपनी जेब में लेकर उस आदमी को आजाद कर दिया। रूल 31 है:

"Payment of Improvement Charges--As soon as a Plan is approved by the Trust. the developer..."

that means Shri Ram Gotewala,

"....shall pay by way of improvement charges such sum as the Trust may prescribe by orders from time to time."

क्या आज तक आपने इम्प्रूवमेंट चार्जेज निर्धारित किये हैं? कभी कोई रेट्स निर्धारित की हैं कि किस एरिया में किस रेट पर उप–विभाजन के आदेश देने चाहिए? सडकें बनाने के लिए, बिजली लगाने के लिए, सेनीटेशन के लिए, रोड्स छोडने के लिए, इन सब के लिए कितना पैसा खर्च होगा, रेट्स निर्धारित किए हैं? कोई नहीं। आपने मनमाने ढंग से रेट्स बनाकर केवल 6300) रुपए लेकर उनको छोड़ दिया।

अगला रूल है : यह सत्य है कि यह जमीन सिंधी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को बेची जा चुकी है। वहां उस सोसाइटी क

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
बोर्ड लग चुका है और जब बोर्ड लग चुका है तो इसके अंदर रूल दूसरा है :

"The developer shall not proceed with the sale of land or improvement in the site until and unless he has paid to the Trust full improvement charges."

जब तक कि इम्प्रूवमेंट चार्जेज चाहे आपने कन्सेशनल रेट पर देना तय किया है आपने लगभग जो 63, 000 रुपये में तय किया है यह पैसा जब तक आपके पास एक एक जमा न हो जाए तब तक वह व्यक्ति उन प्लाटस् को बेच नहीं सकता, तो ये कैसे बिक गए ? अगर बिक गए, तो यू. आई. टी. ने कैंसलेशन के लिए कोई कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष: जल्दी करें ।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल**: जो लाखों रुपए की संपति हो सकती थी, जिस संपत्ति के द्वारा यू. आई. टी. एक्वायर करके जयपुर के विकास में सहयोग देकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था, उस संपत्ति को कुछ लोगों ने श्री गोटेवाला क्योंकि कांग्रेस के आदमी हैं, जयपुर कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं ।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री महोदय उत्तर दें।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल**: इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें ।

**श्री भीखाभाई** (नगर विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला संक्षेप में नहीं हो सकेगा क्योंकि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं वे बहुत गंभीर हैं। हमारे एक कांग्रेस के आदमी ने · · ·

**श्री अध्यक्ष** : आपको संक्षप में उत्तर देना हैं ।

श्री भीखाभाई : यही कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पर आरोप लगाए, जो गंभीर हैं । आरोप जो लगाये हैं वह मने पढ़े हैं । अप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते हुए जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह प्रोसीडिंग्स मैंने पढ़ी हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि श्री गोटेवाला जनरल सेक्रेटरी हैं और उनको जमीन यू. आई. टी. ने एलाट की । अगर माननीय सदस्य नहीं मानते हैं तो विधान सभा की कार्यवाही को देख लें । इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं··

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कह दो यह स्लिप आफ टंग था, जैसे आपने आज श्रम आयुक्त कह दिया । he is one of the partners.

**श्री भीखाभाई** : बसंत बहार को लेकर हवा बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं कांग्रेस के मंत्री हैं या उपमंत्री हैं, उनको मलाइन किया जाता है, इस प्रकार की चेष्टा माननीय सदस्य करते रहे हैं । इसलिए मैं निवेदन करूं कि अभी जो कुछ बसंत बहार के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, लेकिन उनको मालूम होगा कि बात यह है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया । बात यह है कि माननीय सदस्य ने जो यहां पर भाषण दिया था उनके कहने के बाद मैंने जांच पड़ताल

(श्री भीखाभाई)

की, वरना तो मैं माननीय सदस्य की बात को मान लेता और वैसे ही विचार रखता जैसे वह रखते हैं। लेकिन यह सही नहीं है कि वहां पर जो जमीन है, कृषि भूमि है, वह बात गलत है। जो जमीन बेची गई है, वह दो प्रकार की जमीन है, दोनों के एग्रीमैंट्स हैं, दोनों के सेल डीड्स हैं, उनकी कापीज मेरे पास हैं। उस में यह है कि जो जमीन बेची गई है वह महकमा खास जो जयपुर का था, उस महकमा खास की आज्ञा से पट्टा उनको जरखरीद का दिया गया लगभग 12 हजार रुपये में। उसमें लिखा है कि पुखता मकान बना सकते हैं, इस प्रकार की बात लिखी है। प्रतिलिपि आप चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री भवणलाल : किसको दी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भीखाभाई : दाऊ दयाल को जमीन बेची गई है, इसका पट्टा दिया गया है दाऊ दयाल को जिसके लड़के हैं सज्जन कुमार। उसकी मां है भगवती। इस प्रकार 4 नाम हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन डीड लिखा है जब कि यहां पर मेसर्स लैंड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शल कारपोरेशन को रख दिया। श्री गोटेवाला इसलिए नहीं आते हैं कि पहले जैसा उन्होंने कहा है कि यह कृषि भूमि है तो मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत कही गई है। यह जमीन दो प्रकार की थी। एक तो जिसके लिए माननीय सदस्य ने कहा 8 बीघा के अन्दर उप विभाजन हुआ है। बाकी जमीन सड़कों के लिए छोड़ दी गई है, इसलिए वह प्रश्न नहीं उठता। दूसरी जमीन जो उसके एडजेसेंट है, वह भी दी गई है। उन्होंने कहा था कि वह दो लाख में गई। मैं कहता हूं कि दो लाख में नहीं बेची। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाया, वह गलत है। उसमें 10 पार्टनर्स हैं। उसके अन्दर 10 आदमियों का हिस्सा है जो मेसर्स लैंड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शल कारपोरेशन के नाम से है। जो उन्होंने बेची है वह कुल 5।। लाख में बेची है। 4 लाख आबादी के और 1।। लाख कृषि भूमि के हैं। इसलिए माननीय सदस्य के दिमाग में भ्रम हो तो निकाल दें। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि कृषि भूमि है तो कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा रेवेन्यू एपीलेट अथोरिटी में केस पेंडिंग है, उनको मालूम नहीं कि 19 तारीख को इस बात का फैसला हो गया ....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : फैसला कब हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बाद में पूछ लें।

श्री भीखाभाई : उसका फैसला भी हो गया। मैंने मालूम किया है। पहले सैटलमेंट हुआ था जिसमें खसरा नं. 63 था, उसके बाद खसरा नम्बर बदले। फिर सैटलमेंट हुआ। सैटलमेंट वालों ने लिखकर भेजा कि जो आबादी जमीन है उसको छोड़कर बाकी का असेसमेंट किया जाय। सैटलमेंट का जो पर्चा था उसकी जानकारी रेवेन्यू को

(श्री भीखाभाई)

नहीं थी इसलिए जब तहसील में गया तो उन्होंने कहा हमारा मतालबा 145 रुपये का है। कलेक्टर के पास गया तो कलेक्टर ने कहा मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो एस. डी. ओ. की कोर्ट में चला। एस. डी. ओ. ने फैसला दिया, यह जो एसेसमेण्ट किया गया है, गलत है। इसलिए कि इसमें आबादी की जमीन भी इसमें बढ़ा दी गई है। अपील कोर्ट एपेलेट अथोरिटी ने कैंसिल कर दिया है। इसमें उन्होंने बढ़िया ढंग से नजीर भी कोट की है। सो इस तरह जमीन बदली नहीं जा सकती।

फिर यह कहा गया है कि उन्होंने मुनाफा कम लिया और जो रजिस्ट्री पत्र पेश किया गया है वह गलत पेश किया है। तो मैं नहीं जानता कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। हो सकता है, उस जमीन पर, मिली हुई जमीन पर कब्जा कर लिया हो।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ।

श्री भीखाभाई : मैं दूसरी बात भी पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। इसमें किन किन लोगों के हिस्से हैं। गोवर्धनदास खण्डेलवाल वल्लभदास खण्डेलवाल, उमरावमल चोरडिया, श्रीमती सुन्दरदेवी पत्नी मोतीलाल जी राका, श्रीराम गोटेवाला, कमला देवी राका, पत्नी श्री एन. एम. राका, आदि आदि। ये अलग अलग हिस्सेदार हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि उनका यह कहना कि श्रीराम गोटेवाला ही इसमें सब कुछ थे। सो यह बात नहीं है। इस प्रकार की बात है। अब यह भी कहा गया कि इनकम टैक्स दिया या नहीं। इनकम टैक्स भी दिया तो इस तरह की बातें बढा चढा कर कहना कि कांग्रेस वाले सब गलत और विपक्ष वाले सब सही यह हालत अच्छी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपका कहना यह है कि एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं थी। मेरा कहना यह था कि जिन्होंने सब डिवीजन की परमीशन दी उन्होंने इस प्रकार की जानकारी नहीं चाही। फिर इसके बाद कहते हैं कि वह आबादी लैण्ड थी। मैं जानकारी चाहता हूं कि आबादी लैण्ड के बाद भी आपके नियमों के अनुसार आपको इम्प्रूवमेन्ट चार्ज वसूल करने थे तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये इम्प्रूवमेन्ट चार्ज किस रेट से उन लोगों से वसूल किये थे और बिना इम्प्रूवमेंट चार्ज वसूल किये आपने उनको सब डिविजन की परमीशन कैसे दे दी। ही नहीं बिना आपका चार्ज चुकाये उन्होंने जमीनें दूसरों को बेच दी। इम्प्रूवमेंट चार्जेज शत प्रतिशत यू. आई. टी. के पास जब तक जमा नहीं करादे तब तक रूल्स के अधीन कोई जमीन बेचान नहीं कर सकते। और इस बारे में यू. आई. टी. को अधिकार है वह उनकी दरख्वास्त कैन्सिल कर दे।

श्री भीखाभाई : मैं मानता हूं, यह प्रश्न रिलेवेन्ट है। जैसा मैंने कन्सीड किया पैसा जमा हुआ तभी कब्जा दिया गया उन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी को रुपया दिया इन कन्डीशन्स के साथ जिनके साथ में मेसर्स लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शियल कोरपोरेशन के साथ साथ श्रीराम गोटेवाला भी थे। तो इसमें हमने

# Page No 127



(श्री भीखाभाई)

डेवलपमेंट चार्जेज के लिये अनुबन्ध किया है ।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : आपने चार्जेज कम लगाये हैं । जो रूल्स में कहीं प्रेस क्राइब नहीं है और जो भी रेट लगायी है वह रेट भी सेन्ट परसेन्ट जमा नहीं हुई है तो ऐसी हालत में विद परमीशन भी इस जमीन को डिसपोज आफ नहीं कर सकते ।

**श्री भीखाभाई** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऐतराज उठाया, पेमेन्ट आफ इम्प्रूवमेन्ट चार्जेज के बारे में । उसमें 73 हजार के अगेन्स्ट में 6 हजार लिया गया था । बाकी के लिये दो रुपये के स्टाम्प पर लिखवाया गया था कि जो भी खर्चा डेवलपमेंट का होगा वह देना पड़ेगा । फिर भी मैं आपकी बात को कन्सीड कर रहा हूं कि पूरे पूरे डेवलपमेण्ट चार्जेज वे देंगे । इसमें कहीं लेक्यूना रह गया होगा तो उसको मैं देखूंगा ।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जब तक पेमेन्ट आफ इम्प्रूवमेंट चार्जेज और दूसरे एसपेक्ट को एग्जामिन नहीं करलेंगे चाहे वह बेचान के संबंध में हो, चाहे एग्रीकल्चर लैण्ड पर एनक्रोचमेन्ट के संबंध में हो, और उस संबंध में जब तक आपके द्वारा अन्तिम फैसला नहीं किया जाय तब तक उस जमीन पर कोई कन्स्ट्रक्शन नहीं होगा, क्या सरकार ऐसा आदेश जारी करेगी ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जुझारसिंह । आई विल नाट एलाउ एनी फरदर डिबेट ओन दिस पोइन्ट । मेरे पास तीन मामले और हैं ।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : कोडी आप जमीन बेच दें, इम्प्रूवमेंट चार्जेज नहीं दे । कदम कदम पर कानून की अवहेलना करे, और उसको सरकार प्रोटेक्शन देती जाय तो ऐसा लगता है कि सरकार ऐसे गड़बड़ करने वाले भ्रष्ट लोगों से दबी हुई है । ऐसे लोगों को प्रश्रय देने के लिये सरकार मजबूर है । ऐसे लोगों में श्री राम गोटेवाला ही वह अगुआ व्यक्ति है जिसके कारण इस सारी जमीन का गलत ढंग से बेचान हुआ है । और इसमें एक बहुत बड़ा फ्राड और भ्रष्टाचार हुआ है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जुझारसिंह ।

**श्री जुझारसिंह** : (श्री श्रवणलाल के खड़े होने पर) स्थान ग्रहण करें ।

**श्री श्रवणलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय…

**श्री अध्यक्ष** : मामला गम्भीर है । माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

(श्री श्रवणलाल के बोलते रहने पर)

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ।

**श्री श्रवणलाल** : + + + +

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो । मैं अब नहीं एलाउ करूंगा । मान लिया ध्यान आकर्षित किया आपने ।

**श्री श्रवणलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय ।

**श्री अध्यक्ष** : टेरीबल ! । मैं इतना समय नहीं दे सकता । दूसरे मामले भी बहुत गम्भीर

++++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

है। श्री जुझारसिंह ने ध्यान आकर्षण कर लिया।

श्री जुझारसिंह : मैंने तो शुरू भी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा तो आप भी कीजिये सहयोग।

श्री श्रवणलाल : + + +

श्री अध्यक्ष : यह पीछा छोड़ेंगे नहीं। अजी माननीय सदस्य, कुछ दूसरे सदस्यों का भी ख्याल कीजिये।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मन्त्री महोदय क्या यह आश्वासन देंगे कि जिस प्रकार से गान्धी शताब्दी वर्ष में कुछ लोगों को प्लाट एलोट किये गये थे। पर उस एलोटमेन्ट में कई प्रकार की गलतियां होने के कारण जिस प्रकार उनके प्लाट कैन्सिल कर दिये थे उसी तरह से श्रीमान गोयल साहब ने जो मुद्दे सदन में रखे हैं उनके अनुसार इन जमीनों के बेचान में भी अगर कोई अनियमितता पाई जावे तो इनको भी कैन्सिल कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : कोई है प्रतिक्रिया ?

श्री भोखाभाई : बिलकुल प्रश्न ही नहीं उठता (शोरगुल, अश्रव्य)।

आधा घण्टे की चर्चा

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पचायत सालोदिया के सरपंच के भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरुद्ध मैंने इस सदन में पिछले तीन साल में कई बार प्रश्न उठाये और इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा उसके भ्रष्टाचारों को दबाने की कोशिश की गई है। अभी पिछली 17 तारीख को भी इसी संबंध में एक प्रश्न था। जिसके जवाब में उत्तर सरकार ने जिस प्रकार से दिया है उसी के लिये मैंने आधे घन्टे की चर्चा उठाई है।

अध्यक्ष महोदय, सालोदिया के सरपंच अब राज्य मंत्रि-मण्डल में उप-मंत्री के पद पर हैं.........

श्री अध्यक्ष : माननीय जुझारसिंह जी आधे घण्टे में उनका भी प्रवचन है और आपका भी बोलना दोनों शामिल हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले यह सहूलियत के लिए रख दिया है और मुझे पता नहीं था कि मुझे ही जूझना पड़ेगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : और हमने भी नासमझी में आपको वोट दे दिये हमें क्या पता था कि हमसे ही आप उलझेंगे।

श्री अध्यक्ष : आखिरी समय में क्यों प्रायश्चित्त करते हैं ?

श्री रामकिशन : प्रायश्चित्त तो आखिरी वक्त में ही होता है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर कर लेना चाहिये, आज ही।

++++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
हां, आरम्भ रखिये।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सरपंच सालोदिया के हैं यह कांग्रेस के मंत्री भी हैं और मंत्री होने के नाते इनको अननैसेसरीली प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय यदि कोई सरपंच भ्रष्टाचार करता है तो नियमों के अनुसार उसकी जांच एस. डी. ओ., डी. डी. ओ. या कलेक्टर या स्थानीय अधिकारी कर लेते हैं लेकिन इन सरपंच के राज्य मंत्री मण्डल में मंत्री बन जाने के कारण इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे और जो वर्षों से चले आ रहे थे जानबूझकर राज्य सरकार ने उनकी जांच नहीं करवाई है और सरसरी तौर पर एक रिपोर्ट लेकर उनको उनके भ्रष्टाचारों से मुक्त कर दिया है। अध्यक्ष महोदय इस सिलसिले में जो मेरे द्वारा एक प्रश्न कुछ साल पहले पूछा गया था उसको पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहता हूं। प्रश्न यह था :

"क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत सालोदिया पंचायत समिति पिड़ावा के विरुद्ध अनियमितताओं और धन का दुरुपयोग आदि करने की शिकायतें हैं और उनकी जांच कितने अरसे से चल रही है?" इसके ऊपर उन्होंने यह कहा है कि सरपंच सालोदिया के विरुद्ध शिकायतों की दरखास्त प्राप्त हुई है और जांच के लिये जिलाधीश को 31-7-64 को भेजा गया। जिलाधीश ने जांच के लिये तहसीलदार पिड़ावा को आदेश दिये किन्तु तहसीलदार पिड़ावा ने यह प्रस्तुत किया कि अब सरपंच सालोदिया राज्य के उप-मंत्री बन गये हैं इसलिए उनके विरुद्ध वे जांच नहीं कर सकते। इस पर जिलाधीश ने दिनांक 25-5-69 को मार्गदर्शन के लिये लिखा जिसके ऊपर जांच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जो पाइन्ट मेटीरियल है वह यह है कि जिलाधीश के मार्गदर्शन के लिये पूछे जाने के ऊपर राज्य सरकार ने उनको यह लिखा है कि जांच की आवश्यकता नहीं है केवल वस्तुस्थिति की रिपोर्ट इस पर सबमिट की जाये। इसके पश्चात् यद्यपि जिला विकास अधिकारी को तथ्यों की जानकारी के लिये निर्देश दिये गये। प्रधान की गलती के कारण सरपंच को अभी तक आरोप-पत्र नहीं दिया गया है। तो एक मेटेरियल पाइन्ट यह है कि तहसीलदार जांच करने के लिये इसलिये मना करता है कि सरपंच अब उप-मंत्री बन गये हैं। कलेक्टर झालावाड़ भी अपने आपको ऐसा मजबूर महसूस करता है कि वह जांच नहीं करता-और जब राज्य सरकार को मार्गदर्शन के लिए लिखा तो राज्य सरकार कहती है कि इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट कर दी जाये। इसका मतलब यही है कि राज्य सरकार शुरू से ही इनके भ्रष्टाचारों को और इनके द्वारा जो अनियमिततायें की गयी हैं उनको किसी तरह से प्रोटेक्शन देने में इन्टरेस्टेड रही है.............

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय!

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ही और मैं निवेदन करूंगा।

वैसे सरपंच की जांच अमूमन इसमें लिखा गया है कि डी. डी. ओ. को जांच सौंप दी जाये। तो अध्यक्ष महोदय विधान सभा में इस सरपंच और उप-मंत्री के विरुद्ध कई बार प्रश्न उठाये जा चुके हैं और विधान सभा में उन पर डिस०

(श्री जुझारसिंह)
कशन भी हुआ है और हल्ला भी हुआ है और वहां डी.डी.ओ थे जिनकी जांच के लिये मामला दिया गया था। जब वे जांच करने के लिये गए और जो तथ्य प्रस्तुत किये और जो तथ्य राज्य सरकार को अनुकूल नहीं लगे। उनकी वजह से इस क्वेश्चन के आने के 4 दिन के बाद ही डिप्टी डी. डी. ओ. को इस बिना पर कि उन्हीं को सरपंच के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट देनी थी और क्योंकि सच्ची रिपोर्ट विधान सभा में पेश की गयी थी इसी बिना के ऊपर उनका पंचायत समिति से ट्रान्सफर कर दिया गया और यह जांच डिप्टी डी. डी. ओ. के द्वारा होनी चाहिये लेकिन बाद में जो आये वे भी उप-मंत्री जी को सूट नहीं करते थे इसलिये इस केस की डिप्टी डी. डी. ओ. से जांच नहीं करवा कर उप-जिलाधीश से जाकर करवाई जो कि अनियमित है।

अध्यक्ष महोदय, इनकी हरकतों को प्रोत्साहन देने के बाद भी और मंत्री बन जाने के बाद भी वे इस तरह की अनियमिततायें चलाये हुए हैं और उनकी वजह से झालावाड़ जिले में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी हरकतों को नहीं रोका जाने के कारण आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी हरकतों का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि ग्राम सालोदिया और तहसील पिड़ावा में एक जमीन खसरा नम्बर 668 की सरकारी भूमि पर इन्होंने जबरदस्ती स्कूल बना लिया है और मैंने इसी बाबत विधान सभा में कट मोशन भी रेवेन्यू मिनिस्टर को दिया था और उसके जवाब में कहा गया कि पंचायत की किसी भूमि पर पाठशाला तैयार कर ली गयी है लेकिन इस संबंध में पंचायत ने अभी तक स्कूल भवन बनाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं की है और एक पटवारी द्वारा लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवाया है और जिलाधीश को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा जा रहा है लेकिन इसके ऊपर भी इनफुलेंस की वजह से जिलाधीश ने आज तक कुछ नहीं कहा और जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं.........

श्री अध्यक्ष : अब आप मंत्री महोदय को कह दें स्पष्टीकरण के लिये।

श्री जुझारसिंह : उसी तरह से अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो भी किया है उस क्षेत्र के अन्दर कोई जांच नहीं की जा रही है। वहां पर ग्राम डूबालिया का औषधालय है उसको दूसरी जगह ले गये और उसी पर भी झगड़ा हुआ.............

श्री अध्यक्ष : ये छोटी छोटी बातें हैं।

श्री जुझारसिंह : वह तो मैं भी महसूस करता हूं लेकिन पिछले दो दिनों से और आज भी मैं देख रहा हूं उसके संदर्भ में। मैं भी महसूस करता हूं। मैंने इसलिये ही इसको रखा है और राज्य सरकार इन भ्रष्टाचारों के मामलों में अध्यक्ष महोदय देख रहा हूं कि पिछले दो दिनों में जो भी देखने को मिला हुआ है उसके मुकाबले में वह इनसिगनीफीकेन्ट बात है. इसलिये इसको मैं प्रेस नहीं करना चाहता हूं और मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि वे सारी बातों का उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री जी !

**श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न 17-5-

(श्री परसराम मदेरणा)

71 को पूछा था उसका मुद्दा यहां पर खड़ा किया है। माननीय सदस्य ने जो 17 तारीख को पूछा था और उससे पहले जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं अध्यक्ष महोदय ने भी आगे चर्चा का अवसर दिया था और जहां तक मुझे याद है 29 अगस्त, 69 को यहां पर दो-ढाई घन्टे इसी मामले को लेकर चर्चा हुई थी। माननीय सदस्य ने दो तीन बात यहां पर उठाई हैं। जो प्रश्न पूछा गया है और जो मैंने उत्तर दिया है वो उत्तर में मैंने साफ इन्कार किया है कि राज्य सरकार कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही और जो माननीय सदस्य उसके लिये कह रहे हैं यह बिलकुल असत्य है...

श्री रामचन्द्र आर्य : भ्रष्टाचार तो किया है यह मानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक कम्प्लेन्ट जिसमें हस्ताक्षर नहीं रेवेन्यू बोर्ड को पेश की गयी। जिसमें रेवेन्यू के मेटर थे और उसकी जांच करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि वह ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे डवलपमेंट डिपार्टमेन्ट ने एन्टीकरप्शन को फारवर्ड कर दिया कि इसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जाये। जब राज्य सरकार के पास बात आई तो जांच के आदेश कलेक्टर को दिये और कलेक्टर ने आर्डर्स तहसीलदार को दिये। माननीय सदस्य कह रहे थे कि तहसीलदार को कैसे आदेश दिये। तो मैं कहूंगा कि यह राजस्थान न्याय पंचायत नियम 69 के नियम 20 के सब-नियम (2) के अन्तर्गत कलेक्टर अपने किसी भी सबआर्डीनेट आफिसर को जांच करने के लिये डेप्यूट कर सकता है और जिसके अन्तर्गत कलेक्टर ने तहसीलदार को आर्डर्स दिये जांच के लिये वे ठीक थे। यह बात सही है कि सरपंच हैं और वे राज्य सरकार के डिप्टी मिनिस्टर हैं इसलिये उसकी आई. ए. एस. आफिसर से जांच करवाई जाये। जिसके ऊपर राज्य सरकार ने आदेश दिये कि एस. डी. ओ. से फैक्चुअल जांच करवा कर राज्य सरकार के पास भिजवाई जाये जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कोई लीपापोती का प्रश्न नहीं है। एस. डी. ओ. को इसलिये लगाया गया कि सबोर्डिनेट ओफिसर भी जांच कर सकता है। एस. डी. ओ. रेवेन्यू मेटर्स में जानकारी रखता है। सब मामलों में तस्दीक कर ली गयी है। आपने यह कहा सब-डिविजन बना लिये, पैसे खा गये, सरपंच बने हुए हैं, वे पंचायत बनी तब से हैं, चरनोट की भूमि पर कब्जा कर लिया ये तमाम के तमाम चार्जेज सही नहीं हैं।

चार्ज 1, 7 व 11, ये ऐसे चार्जेज हैं जिन पर कोई इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं थी। 2, 5, 6 पर तहसीलदार ने कलेक्टर को रिपोर्ट की और कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी कि तहसीलदार से जांच करवायी गयी है वह सही है और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। चरनोट की बात कही, वह बारानी या चाही जमीन जैसी होती है, वह चरणोई जमीन है लेकिन चरनोट की नहीं है। जिस जिस ने कब्जा किया है उसके खिलाफ 91 की कार्यवाही चल रही है। एक कम्प्लेन्ट, शिकायत कुनिन्दा ने कहा कि पार्टीवाजी है। कई पंचायतों में युनानिमस सरपंच होते हैं। पार्टीवाजी होती तो यूनानिमस नहीं चुने जाते। लोकप्रिय व्यक्ति हैं। रिपोर्ट भेजी है उसमें कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं। बढ़ा चढ़ा कर मेलाफाइडी तरीके

(श्री परसराम मदेरणा)
से कोई प्रश्न उठा सकते हैं। आपकी तरफ बैठ तो दूध के धुले हुए हो गये और हमारी तरफ आ गये तो ईमानदार नहीं हुए। मैं सेटिस्फाइड हूं। एस. डी. ओ. ने निष्पक्ष राय दी है और भ्रष्ट कार्यवाही और भ्रष्टाचार को प्रोटेक्शन दिया यह कहना ठीक नहीं है। गलत रूप में किसी भी आदमी को बदनाम नहीं किया जाय, इतना ही निवेदन करता है।

श्री जुझारसिंह : 29 को डिस्कशन में जिक्र हुआ। बी. डी. ओ. ने उन्हीं सरपंच के खिलाफ कई कागजात पेश किये। 4 तारीख को इसलिये ... कर दिया कि सरपंच के पावर में नहीं था। किसी सदस्य के प्रश्न पर यह साफ हो गया यह ठीक हुआ। वास्तविक बात विरोधी पक्ष को मालूम हो गयी। उसके चार दिन में ट्रान्सफर कर दिया। दूसरे बी. डी. ओ. को जांच नहीं दी। दूसरे ने चार्ज लिया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का जो नतीजा हुआ वही मेरे साथ होगा इसलिये उसने कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : पहले एलीगेशन के संबंध में···

श्री जुझारसिंह : उसके···

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनना नहीं चाहते हैं।

15-3-69 को मौका दिया। 2-4-69 को आदेश दिये। 29-8-69 को हुआ और पंचायत की रिपोर्ट है। रेवेन्यू मेटर्स के आदेश पहले दिये। 22-7-69 को पत्र दिया। यह कहा गया कि बदला गया यह उचित नहीं है।

श्री जुझारसिंह : 29 तारीख के डिस्कशन के बाद बदला गया है।

अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : प्रशासनिक कारणों की बात होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : किसी के कहने से लिखा दिया।

श्री जुझारसिंह : कन्हैयालालजी को प्रोटेक्शन देना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। माननीय मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री महोदय कोई स्टेटमेन्ट देना चाहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टाइम बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: बढ़ा दूंगा।

सदन की सहमति से 6 बजे तक का समय अभी बढ़ाना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा पर लगाये गये आरोपों के संबंध में मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में सिंचाई मंत्री श्री रामप्रसाद लड्ढा के लडकों के सम्बन्ध में और उससे मंत्री महोदय के संबंध में कुछ बातें आयीं और मैंने कहा था इस सम्बन्ध में मैं और कुछ जानकारी करूंगा। तो मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं।

"कल सदन में ...

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ऐसे वक्त पर वक्तव्य दे रहे हैं कि हम वाद-विवाद नहीं कर सकेंगे। जब वे वक्तव्य दे रहे हैं तो हमारा भी अधिकार होगा कि हम अपने विचार रखें।

श्री अध्यक्ष: मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल सदन में सिंचाई मंत्री के लडकों के व्यापारिक सम्बन्धों के विषय में मंत्रियों की आचार संहिता के उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये। इस सम्बन्ध में मैं सदन की सूचनार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं:

राजस्थान सरकार द्वारा मंत्रियों की आचार संहिता भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आधार पर अक्टूबर, 1965 में लागू की गई।

संहिता का नियम 2 (ड) निम्नांकित है:

"After taking office, and so long as he remains in office, the Minister shall--

(d) ensure that the member of his family do not start or participate in business concerns engaged in supplying goods or services to that Government or to undertakings under that Government (excepting in the usual course of trade or business and at standard or market rates) or dependent primarily on grant of licences, permits, quotas leases, etc. from that Government.

इससे यह स्पष्ट है कि मंत्री के परिवार के सदस्यों के लिये ऐसा व्यापार करना या ऐसे व्यापारिक संस्थान में भाग लेना वर्जित नहीं है जो सरकार को माल या सेवायें सामान्य व्यापारिक प्रसंग में अथवा स्टेन्डर्ड मूल्य पर अथवा बाजार मूल्य पर सप्लाई करते हों।

यह बताया जा चुका है कि राजस्थान एग्रो-इंडस्ट्रियल सर्विस से सरकार ने कोई खरीद नहीं की है। दूसरी फर्म राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज से सरकार ने जो खरीद की है वे सामान्य व्यापार प्रसंग में या तो अप्रूव्ड रेट पर या निम्नतम टेन्डर या कोटेशन पर की गई हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में किसी भी रूप में आचार संहिता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का उल्लघंन नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज द्वारा सरकार को सप्लाई किया गया माल सामान्य व्यापार प्रसंग से प्रभुत्व रेट पर या निम्नतम टेन्डर-कोटेशन पर किया गया है ।

इसके अलावा आचार संहिता में दी गई परिवार की परिभाषा के अनुसार मंत्री के परिवार में (1) मंत्री की पत्नी या पति (2) अल्पवयस्क बच्चे तथा (3) खून या विवाह के रिश्ते से सम्बद्ध ऐसे व्यक्ति जो पूर्णत मंत्री पर निर्भर हों, आते हैं ।

सिंचाई मंत्री के दोनों पुत्र तथा भतीजा वयस्क हैं तथा पूर्णतः मंत्री पर निर्भर नहीं हैं, वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। अतः वे मंत्री के परिवार की परिभाषा में नहीं आते और आचार संहिता के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते ।

यहां यह भी आरोप लगाया गया है कि सिंचाई विभाग से उदयपुर सर्किल में करोड़ों रुपयों का माल खरीदा है और उसके बदले में वोल्टाज की एजेंसी राजस्थान एग्रो-इंडस्ट्रियल सर्विसेज को मिली है। यह आरोप सारहीन है । उदयपुर में सिंचाई के दो सर्किल हैं, एक सिंचाई सर्किल, दूसरा प्रोजेक्ट सर्किल ।

सिंचाई सर्किल में वोल्टाज से की गई खरीद 22069 रु. की मोटर्स तथा 20,085 रु. की गोल्डरिल राड कुल 53,144 रु. की है । यह खरीद निम्नतम टेण्डर के आधार पर की गई है । गोल्डरिल रोड के उत्पादक मैसर्स कोलार गोल्ड फील्ड है जो भारत सरकार संस्थान है और वोल्टाज उनके एजेन्ट हैं । ये रोड 97.50 प्रति राड की दर से खरीदी गई हैं जब कि ड्रिल राड के एक मात्र दूसरे सप्लायर मैसर्स सिडविक से ये राड 127 रु. प्रति राड खरीदे गये । प्रोजेक्ट सर्किल उदयपुर करीब 2½ वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था । इस सर्किल ने ड्रिल स्टील के लिये वोल्टाज को सात टेन्डरों में निम्नतम होने के आधार पर 69,600 का आर्डर दिया था, किन्तु उन्होंने आर्डर को अभी तक स्वीकार नहीं किया है क्योंकि आर्डर देर से भेजा गया था । इसी प्रकार ड्रिलिंग मशीन के लिये एक आर्डर 56,000 की एक मशीन का निम्नतम टेन्डर के आधार पर वोल्टाज को दिया गया किन्तु वोल्टाज हमारी शर्तों पर माल भेजने को सहमत नहीं हुआ । हाई प्रेसर पम्प के लिये एक आर्डर निम्नतम टेण्डर के आधार पर 11,000 रु. का वोल्टाज को दिया गया है । इस प्रकार उदयपुर क्षेत्र के दोनों सर्किल ने मिला कर पिछले दो वर्षों में वोल्टाज से जो खरीद की है उसका योग 64,000 रु. आता है। उन्हें आर्डर निम्नतम टेण्डर के आधार पर दिये गये थे । वोल्टाज जैसी अखिल भारतीय ख्याति की फर्म के लिये इस राशि के आर्डर के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे अत्यधिक सामान खरीदा गया या उनके साथ कोई रियायत या पक्षपात किया गया । इसलिये यह आरोप कि वोल्टाज ने राजस्थान एग्रो-इंडस्ट्रियल सर्विसेज को एजेन्सी इसलिये दी कि उनसे भारी मूल्य का माल खरीदा गया था, तथ्यहीन है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सिंचाई मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना निराधार है ।

श्री विजयसिंह : वाह ! वाह !

श्री अध्यक्ष : श्री जैन !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर सदन तुरन्त विचार करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम है।

श्री विजयसिंह : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम 263 है मोस्ट प्राबेबली। आई एम नोट स्योर बट इट इज 263। नियम 263 है :

"A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the House but the House shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and the vote of the House shall be taken on such motion."

नियम 263 के अन्तर्गत मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी स्टेटमेन्ट दिया है उस स्टेटमेन्ट पर तुरन्त इस सदन में विचार करना चाहें तो किया जा सकता है। जो नियम दिया गया है; उसमें स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैं बिजनेस समाप्त कर दूं, उसके बाद . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इमीजियेटली हो।

श्री अध्यक्ष : रूल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल 263 है।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो नहीं आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 263 में आ जाता है, स्टटमेंट !

श्री अध्यक्ष : (नियम देखने के पश्चात्) मैं बिजनेस को ले लेता हूं, तब तक इस पर विचार कर लूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं।

श्री विजयसिंह : फिर टालम-टोल हो जायगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : जब स्टेटमेंट देने का मुख्य मंत्रीजी को समय दे दिया तो उस पर विचार व्यक्त करने के लिये समय देना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य प्रारम्भ करने से पूर्व कहा और सदन में कल उन्होंने आश्वासन दिया था, वह इस संबंध में आश्वासन दिया था, वह अध्यक्ष महोदय, यह नहीं दिया था, उन्होंने यह आश्वासन दिया था, इस हाउस में, जहां कान्स्टीट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न है उस संबंध में उन्होंने प्रोफाउन्ड नहीं कहा तो शायद जानकारी प्राप्त करके, लॉ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट करके आज वह हाउस में इस स्टेटमेन्ट को देते—यह अपेक्षा करके हम चल रहे थे, सोच रहे थे

# Page No 136



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रामप्रसाद लड्ढा के संबंध में जो मैंने कान्स्टीट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन का पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया था, संविधान की धारा 191 के अन्तर्गत उस संबंध में मुख्य मंत्रीजी ला डिपार्टमेन्ट से कन्सल्ट करके जानकारी करके वक्तव्य दे रहे हैं क्योंकि यह वक्तव्य न लिस्ट आफ बिजनेस में है, न यह वारन्टेड है क्योंकि जो क्लेरीफिकेशन होना था वह तो हो गया और जो एडीशनल तथ्य आने थे वह क्वेश्चन आवर में आ गये लेकिन मुख्य मंत्री जी ने वेल प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट, आचार संहिता को आधार बना कर अभी जो दुबारा स्टेटमेन्ट दिया है, इससे यह मेटर रिओपन हुआ है। इन्होंने जब कहा है, तो नेचुरली दूसरे पक्ष को भी अवसर दिया जाना चाहिये, यह नियम के अनुसार, परम्पराओं के आधार पर और नेचरल जस्टिस के आधार पर–सब तरह से आवश्यक है····

श्री विजयसिंह : उनको समय दिलाया तो सबके लिए समय दिलायें।

श्री अध्यक्ष: 263 is the procedure.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Pardon.

श्री अध्यक्ष: 263 is the procedure.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसीजर के हिसाब से यह है, प्रोसीजर नियमों के हिसाब से यह है। क्योंकि आज जो लिस्ट आफ बिजिनेस है, जो लिस्ट आफ बिजिनेस प्रिपेयर होती है, जो लिस्ट आफ बिजनेस सरक्यूलेट होती है, उसके आधार पर बिजिनेस लिया जाता है और आफ हैंड कोई चाहें तो स्टेट मेंट नहीं दे सकते हैं। यह क्लेरीफिकेशन है, स्टेटमेन्ट है यह इम्पॉर्टेंट इश्यू पर, कन्ट्रोवर्शियल इश्यू पर है, इसलिये हाउस को इस पर डिसीजन करना पड़ेगा। यह एप्रोप्रियेशन बिल जिस प्रकार से पास करना पड़ा वह सदन के सामने आ चुका है। हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में ऐसा नहीं हुआ है, डिफेक्टिव वे में एक प्रकार से यह पास हुआ है। ऐसी स्थिति कल खड़ी हुई। इसलिये यह जो स्टेटमेन्ट दिया गया, यह रेलेवेन्ट है और इस पर चर्चा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : रूल 263 का, माननीय सदस्य ने हवाला दिया, यह प्रोसीजर है। यह मोशन आ सकता है वह 119 में··
"119. Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the speaker."
इसलिये वह तो एप्लीकेबल नहीं होता। मैं माननीय सदस्य को, जो स्टेटमेन्ट दिया, उस पर इलिलिमिट इन्फार्मेशन के पाइन्ट पर इजाजत दे सकता हूं। इसके बाद····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम डिबेट चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस सवाल को समाप्त करू।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे मुख्य मंत्रीजी को इस स्टेटमेन्ट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी। वह बोलने लगे तब ही मैंने पाइन्ट रेज किया था, यह नहीं कह सकते कि उस समय आपत्ति नहीं की थी। मैंने उस समय आपत्ति की थी

(श्री भैरोंसिंह)
मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं उस वक्तव्य परवाद-विवाद होगा ?. मैं समझ कर चल रहा था, आप वाद-विवाद की अनुमति देंगे। वरना उस समय ही बात स्पष्ट हो जाती, पहले यह प्रश्न स्पष्ट होता कि मुख्य मंत्रीजी स्टेटमेंट दे सकते हैं या नहीं; क्योंकि यह ऐसा स्टेटमेन्ट है जो लिस्ट आफ बिजनस में नहीं है। ऐसी स्थिति में उचित होगा कि आप इस पर वाद-विवाद का मौका दें और इस स्टटमेन्ट पर चर्चा उठायें.....

श्री अध्यक्ष : ला मिनिस्टर महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय जहां तक गवर्नमेंट के स्टेटमेंट देने का सम्बन्ध है, चेयर की परमिशन से किसी समय, किसी वक्त भी अपना स्टेटमेंट दे सकती है। गवर्नमेंट को यह अधिकार है। कल की डिबेट में जो खास तौर से मुद्दे उठाये गये और कोड आफ कंडक्ट के बारे में कहा गया था; उस समय सदन के नेता महोदय के पास कोड आफ कण्डक्ट इजीली अवेलेबल नहीं था। अब चूंकि कोड आफ कण्डक्ट को देखा है; फेक्ट्स को इल्यूमिनेट किया। आपका परपज, गवर्नमेंट का परपज कि सच्चाई आनी चाहिये और जो चीज उनके सामने आई है, जो गवर्नमेंट के नजर में आई वह पेश कर दीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी अगर सच्चाई को इतना ही लाना चाहते हैं तो मनफूल सिंहजी के बारे में क्या स्टेटमेंट है ? एक ही आपका प्यारा बेटा है क्या, एक ही कमाऊ पूत है ? मंत्री मण्डल के सदस्य श्री मनफूल सिंहजी पर चार्ज लगते हैं तो उनके लिये भी आपको सफाई देनी चाहिये। क्या हुआ उनका लड़का पार्टनर है, या उनकी बीवी पार्टनर है। दोनों के पेरेन्ट्स के हैं। क्या 36 मंत्रियों में एक ही कमाऊ बेटा है जिस पर सफाई देने खड़े हुये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मनफूल सिंह जी के केस के अन्दर जो पार्टनर्स हैं उनमें एक हिस्सा उनकी वाइफ का भी है। उनकी वाइफ ने ढाई लाख रुपया खुद के अकाउन्ट से दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कहां से आये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बात तो कम्पलीट करने दें। इसके अलावा, जो इसके अन्दर रुपया लगा है उस रुपये में 14 लाख रुपया पंजाब सिन्ध बैंक, दिल्ली से लिया है और........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और बाकी का? 35 लाख का प्रोजेक्ट तो वहां पर है और 10 लाख का यहां पर है और....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां के लिये यह बताया है कि परमीशन ली गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोल्ड स्टोरेज लगाने की परमिशन ली है आप से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो वाईफ के असेट्स हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट भेजते हैं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर में एग्रीकल्चर फार्म पर, एग्रीकल्चर लैंड को बिना कनवर्ट कराये, म्युनिसिपैलिटी से बिना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
लाइसेन्स लिये हुये इन्डस्ट्रियल परपज के लिए चौधरी आइस फैक्ट्री के नाम से जिसकी कीमत 8 लाख है जहां एग्रीकल्चर फार्म है; परमिशन ली ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट से उस लैन्ड पर आइस फैक्टरी के लिये परमिशन है, मैं आपको यह और बता दूं वहां कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आइस फैक्टरी है और आइस फैक्टरी के लगाने के लिये परमिशन ली गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लैन्ड को कनवर्ट कर दिया है। उसमें 8 लाख का इनवेस्टमेंट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह उनके लड़के के नाम से है।

श्री रामकिशन : एक बात बता दें आपने मनफूल सिंह के बारे में स्टेटमेंट दे दिया है क्या ? (बीच में व्यवधान करने पर) एक मिनिट, भाई। अगर आपने यह मनफूल सिंह का स्टेटमेंट दिया है तो फिर स्वाभाविक है बहस होगी क्योंकि यह मुद्दा उधर से आया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया है और लड्ढा साहब के बारे में जो मुद्दा आपने उठाया वह भी स्टेटमेंट के रूप में नहीं है

It is a clarification on certain points raised yesterday.

उनके फैक्ट्स की जानकारी करके स्टेटमेंट देने की जरूरत इसलिये थी कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उदयपुर रेंज में करोड़ों रुपयों की मशीनरी का आर्डर प्लेस किया इसलिये ऐजेन्सी प्राप्त हुई। मैं यह कहूँ प्रोसीडिंग ली गई हैं और जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको मैं देखूंगा ....

श्री रामकिशन : जो मुख्य मंत्री जी कहते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन इसका मतलब यह हुआ दो स्टेटमेंट हाउस के सामने .... हम क्लेरिफिकेशन ...

श्री अध्यक्ष : मोशन के बाद में, जानकारी ली है ....

श्री रामकिशन : निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : कोई क्वेश्चन और पूछ लीजिये।

श्री रामकिशन : मनफूल सिंहजी के बारे में जो चार्जेज लगे हैं कई तथ्य सामने आये हैं उनके एक हिस्से का जवाब है–बाकी मुख्य मंत्री जी स्वीकार करते हैं क्या ? बाकी सब आरोप सही हैं यह और जब तक इस मामले में विस्तार से दोनों पक्षों को नहीं सुने जब तक सदन किस निष्कर्ष पर पहुंचे, यह बता दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो जमीन दिल्ली के सिमा के लिये है और जितनी जानकारी मेरे पास थी उतनी जानकारी कर मैंने जवाब दिया है ....

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : बात केवल यह है मुख्य मंत्रीजी का आपकी मार्फत मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बात यह है कि अध्यक्ष जी मुख्य मंत्री जी को आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा मनफूल सिंह

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल) जो इस विधान सभा में आने से पहले केवल 40 रु. माहवार के एक मास्टर थे ....

(व्यवधान, अश्रव्य)

और प्रश्न यह है कि 40 रु. माहवार पाने वाला एक मास्टर, इसके अलावा इनके पिता के पास बारानी जमीन जो लगभग 50-60 बीघा से ज्यादा नहीं थी मालिक बने हैं अब आप देखिये, मेरा निवेदन यह है कि एक बारानी जमीन वह भी 50-60 बीघा जमीन एक भेड़ चराने वाले का लड़का, 40 रु. पाने वाला मास्टर इस मंत्रीमण्डल में सरकारी पक्ष में आने के बाद–आज स्थिति क्या बनी कि दिल्ली में सिनेमा बनाया, जयपुर में आईस फैक्टरी खोली, सूरतगढ़ में कारखाना चलता है, सूरतगढ़ महाराज की कोठी खरीद ली, सूरतगढ़ में इसके अलावा .....

श्री मनफूल सिंह : यह कह रहे हैं बिलकुल गलत कह रहे हैं । बिलकुल निराधार है ।

(शोरगुल, व्यवधान)

एक मा. सदस्य : गलत है ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इन तथ्यों की तरफ जो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, जो बर्निंग प्राबलम है–डबल रोटी का कारखाना, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्टरी–एक आइस फैक्टरी गंगानगर में और एक आइस फैक्टरी यहां पर, 14 लाख का इन्वेस्टमेंट वहां पर किया, एक दिल्ली में सिनेमा जिसमें 35 लाखों की लागत है, एग्रीकल्चर लैण्ड को कामर्शियल लैण्ड में कनवर्ट न कराना, दिल्ली, जयपुर, गंगानगर में बड़े बड़े फार्म, लाखों की रायल्टी–ये सब क्या हैं ? इसके अन्दर क्या तथ्य है जिसका खासतौर से ध्यान दें–ये कुलवन्त सिंह, कुलदीप सिंह, जसपाल–ये तीन व्यक्ति खास सगे भाई हैं गंगानगर के गवर्नमेंट के कान्ट्रैक्टर, राजस्थान कैनाल, भाखरा प्रोजेक्ट और दूसरी दूसरी परियोजनाओं में किन किन परियोजनाओं में जिनमें माननीय मनफूल सिंह जी मंत्री हैं–उनके विभाग में ये ठेकेदार, उन ठेकेदारों के नाम सारा गवर्नमेंट का धन्धा, बीवी के नाम से सिनेमा बने–दिल्ली में और वह 35 लाख की लागत का हो, जयपुर में सिनेमा बने, इस प्रकार की बातें सरकार के ध्यान में आयें–डबल रोटी का कारखाना, कोल्ड स्टोरेज आइस फैक्टरी, महाराजा की कोठी का खरीदना आदि आदि बहुत से मामले आखिर ये सब क्या हैं और फिर सवाल एक और है कि आज इनकी बारानी जमीन, गांव के अन्दर जो बारानी जमीन है, आज वह बारानी जमीन नहरी जमीन कैसे बन गई ? अध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके नाम पर केवल 1-2 मुरब्बा जमीन आज केवल 1-2-3 मुरब्बा जमीन से कितनी इन्कम होती है और 40 रु. माहवार पाने वाले एक मास्टर की स्थिति का आप स्वयं अन्दाजा लगा लीजिये । इसका लेखा जोखा देखने के बाद जनता में भ्रम होना स्वाभाविक है और इसका निराकरण आपके माध्यम से होना चाहिये । मैं यह बात मानकर चलता हूं कि आज यह बात हो सकती है कि किसी विधायक का लड़का बिजनिस करे, यह रोक नहीं है, यह बात अपनी जगह पर जो आरोप लड्ढा साहब पर है, वह ठीक, लेकिन उन से गंभीर आरोप एक मंत्री सीधा

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)
बिजनिस करें–सीधा बिजनिस कैसे करें बीबी के नाम ठेके के द्वारा। अब देखिये इनकी बीबी जी की वह केपेसिटी नहीं, हव मैनेजमेंट नहीं, वह एजूकेशन नहीं परन्तु यह बिजनिस कौन करता है–एक मंत्री करता है, आपके राज्य का मंत्री, आपका मंत्री मंडल का सदस्य करता है। यह गंभीर मसला है। यही नहीं मुख्य मंत्री जी आप इस तरह देखें जब दिल्ली के अन्दर उस सिनेमा का उद्घाटन हुआ, जब सिनेमा की आधार शिला रखी गई तो भाखरा केनाल के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ही नहीं तमाम राजस्थान केनाल, भाखरा केनाल के सरकारी अधिकारी, वे सब सरकारी गाड़ियों को लेकर पूरा का पूरा अमला दिल्ली पहुंचा। आखिर ऐसा क्या मसला था दिल्ली के अन्दर? कोई मिनिस्टर की बीबी के सिनेमा का उद्घाटन हुआ था इसलिए उनके विभाग का सारे का सारा अमला गया। क्या यह सरकार की शक्ति और पद का दुरुपयोग नहीं है?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उसके पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा ....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिये। म शान्तिपूर्वक कह रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण के तौर पर जो कुछ कहा उनके अपने वक्तव्य के बारे में जिसके लिए श्री भैरोंसिंह जी ने प्रस्ताव किया था कि उसको कन्सीडरेशन में लिया जाय, उस पर डिसकशन की जाय, उसके लिए क्या अनुमति दे दी गई है? यह मैं आप से जानना चाहता हूं।

विपक्ष के माननीय सदस्य : दे दी है।'

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो कोई भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह किस...

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न, आर्डर ..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप आज्ञा न दें तो मैं बैठ जाऊंगा और आज्ञा दें तो थोड़ी सी बातें कहना हैं। दो मिनिट में ही खत्म कर देता हूं।

श्री जगन्नाथ पटेल : मेरे को भी बोलने दें एक मिनिट। अध्यक्ष महोदय जो, मनफूलसिंह पर एक ऐसा आरोप लगाया है कि जिससे किसानों के जैसे सीने के अन्दर गोली लगी है अध्यक्ष महोदय जी. माननीय सदस्य ने कहा कि एक भैंस चराने वाले ग्वाल के लड़के के पास में साढ़े तीन लाख रुपये उसकी वाइफ के पास में कहां से आ गये ....

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)
(5.22 म. प.)

उपाध्यक्षजी, आज जिन्होंने इतना रुपया हड़प रखा है उसके बारे में कुछ नहीं कहते ह। वे लोग जो हमारे घरों पर आकर भिक्षा लेते थे और उनके बाप क्या काम करते थे और वे आज वकील हैं। उनके पास में यह रुपया कहां से आगया?

मेरा भी एक निवेदन है कि इस आरोप को जो माननीय मनफूलसिंह जी पर लगाया

( श्री जगन्नाथ पटेल )

गया है उसको प्रोसीडिंग्स के अन्दर से जो कि लिखा है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि आखिर यह जो सरकार है वह समाज का एक अंग है। मानवीय कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं मानव के...

श्री जगन्नाथ पटेल : किसानों के प्रश्न पर....(शोरगुल के कारण अस्पष्ट एवं अश्रव्य)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार के टंटा करने वाले लोग हैं वे तथ्यों को इस तरह से नहीं आने देना चाहते हैं वे नहीं चाहते हैं कि सच्ची बात रखी जाय। हम समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन इस लिए कर रहे हैं कि संभवत: माननीय मुख्य मन्त्री महोदय अन्धेरे में हों कि उनके मन्त्री मण्डल के साथी इस तरह से कमाल करते हैं, इस तरह से धन्धा करते हैं उनकी आड़ में तो, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से हमारा कहने का कर्त्तव्य है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी के लिये जनता के हित के लिए जन साधारण के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, अपने मन्त्री मण्डल की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए उनका निराकरण करना अवश्यम्भावी है। और बन मोटी मोटी चीजों को लेकर मानवीय आधार पर, माननीय मूल्यों को लेकर चरित्र की प्रतिष्ठा होना चाहिए।

कोई चीज हाउस में खड़ी हो कि यह पैसा कहां से आ गया, कोल्ड स्टोरेज के लिए और पेट्रोल पम्प के लिए यह हो सकता है कि इसके लिए उनको अलादीन का चिराग मिल गया हो या हम सुना करते थे कि महादेवजी ने किसी को अपना घन्टारा दे दिया कि जिसको टनन, टमन बजा लेते तो रुपयों की थैली निकल जाती थी अगर ऐसी बात हो तो वह अलग है। खास तौर से इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि इसके पहले एक बिल पास कराया गया इसी विधान सभा के अन्दर कि अगर उसकी आमदनी और संपत्ति जो उसके साधन हैं उन साधनों से ज्यादा पाई जाती है तो निश्चित रूप से इस बात का सबूत होगा कि यह गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित किया गया है। जब कि आज तो कोई सफाई की जरूरत नहीं है, आज कोई चार्ज लगाने की जरूरत नहीं हैं। आज तो एक्सप्लेन करना यह है कि धन-संपत्ति कहां से आई है?

उसके अलावा, उपाध्यक्षजी, मैं वह बात आज नहीं कह रहा था, लेकिन वह बात भी आज कहनी पड़ती है क्योंकि यह क्वेश्चन उठा है कि आज आप कितने मुरब्बे के मालिक हैं। कितनी बेनामी जमीन के मालिक हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज एक संदेह क्रियेट किया जा रहा है। ये तमाम मोटे मसले हैं कि जिनसे जनता में भ्रम फैलता है। उस सच्चाई को लाने के लिए मैंने निवेदन के तौर पर यह बात कही है, और यह बात बुरी

( श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल )

लगी हो मुख्य मन्त्री जी को या दूसरे माननीय सयस्यों को निश्चित तौर से कि इन्होंने यह बाते क्यों कहीं, तो उसमें मैं अपने आपको गलत महसूस नहीं करता और निवेदन कर दी है। इसका निराकरण मन्त्रीजी के करीब ही अच्छा है।

श्री जगन्नाथ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय जी....

श्री प्रेमसिंह : दलबदलू बैठ जाओ।

श्री जगन्नाथ पटेल : नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : मैं बोलेंगे क्या.... (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पटेल : आपके रिश्तेदार हैं..

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें। आसन के मारफत कहें।

श्री विजय सिंह : .... क्योंकि ढाई लाख रुपया कांग्रेस फण्ड के अन्दर ....

श्री जगन्नाथ : राजस्थान में ... (श्री विजयसिंह और श्री जगन्नाथ के साथ-साथ जोर से बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय जी.. (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री जगन्नाथ पटेल : (सदन में अत्यन्त शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : दल बदलू .... (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री जगन्नाथ पटेल : राजस्थान के अन्दर भी (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : दलबदलू। आपने दल क्यों छोड़ा है ....
(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री जगन्नाथ : हमारे किसानों के अन्दर रिश्तेदार पैसा देते हैं और लेते हैं। मनफूल सिंह जी के लिए इन्होंने कहा है .... (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मनफूलसिंहजी को कहने दें कि वे क्या कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कार्य सूची में बचे हुए कार्य हैं उन्हे हाथ में लिया जाय ऐसी अनुमति ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका विषय नहीं है कि इस पर चर्चा होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मनफूलसिंहजी के बारे में जो अभी मुख्य मंत्रीजी ने प्रकाश डाला था उसके बारे में एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कोड ऑफ कन्डक्ट के बारे में

( रामानन्द अग्रवाल )

तो जो कुछ भी जानकारी मुझे मिली है वह यह है कि यह कुलदीपसिंह जो कि इस सिनेमा में जिसके बारे में जिक्र चला है उसमें पार्टनर है वे मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान कैनाल और भाखरा कैनाल में ए क्लास के कान्ट्रेक्टर्स हैं। इसके बारे में आपका क्या खयाल है कि आपके मंत्री-मण्डल के सदस्य उसी विभाग के वे मिनिस्टर हैं और उनकी बीबी उनके विभाग से सम्बन्धित एक कान्ट्रेक्टर से पार्टनरशिप करके बिजीनेस करे; तो इसके औचित्य के बारे में आपका क्या कहना है। वह ठेकेदार राजस्थान में है और राजस्थान केनाल में कान्ट्रेक्टर है।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान केनाल का कान्ट्रेक्टर है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान कैनाल में कान्ट्रेक्टर है जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम राजस्थान कैनाल के मिनिस्टर से पड़ता है। आपके डिपार्टमेंट में जो कान्ट्रेक्टर्स हैं उनके साथ साथ में आपकी बीबी बिजीनेस करे मिलकर इसको क्या आप कोड आफ कन्डेक्ट के अनुसार उचित समझते हैं या अनुचित समझते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहली बात तो यह है कि यह मुझे जानकारी नहीं है और मनफूलसिंह जी से पूछा था, वे भी निश्चित तौर से कहने की स्थिति में नहीं है कि वह सिंचाई की किसी भी परियोजना के अन्दर कान्ट्रेक्टर है या नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि राजस्थान केनाल या भाखरा बोर्ड, ये परियोजनायें, इस प्रकार की हैं कि जनके कान्ट्रेक्टर्स के बारे में और किसी चीज के बारे में अलग से सारी व्यवस्था है और उसका फाइनेन्शियल कन्ट्रोल गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के जरिये होता है। उसको पेमेन्ट और दूसरे मेटर भी मिनिस्टर को रेफर नहीं होते हैं। इसलिये वे उनके कान्ट्रेक्टर भी हों तो उसका मिनिस्टर के पास कोई संबंध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है :

श्री उपाध्यक्ष : एक निवेदन इस विषय में कर दूं . . .

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में जितना भी पेमेन्ट होता है उसकी अन्तिम स्वीकृति राजस्थान सरकार से लीं जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल बोर्ड में पास होने के बाद उसकी अन्तिम स्वीकृति राजस्थान सरकार से ली जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई भी टेण्डर–राजस्थान कैनाल का राजस्थान सरकार के पास में नहीं आता है। इसके लिये एक बोर्ड है। वह उसमें जाते हैं।

श्री विजयसिंह : आप किस मुंह से बोल रहे हैं . . .

(शोरगुल)

श्री मानन्द अग्रवाल : क्या मुख्य मंत्री यह महसूस नहीं करते हैं कि उनका एक मिनिस्टर या उसकी बीवी का एक पार्टनर एक कान्ट्रेक्टर है और वह राजस्थान कैनाल में बिजनेस करता है तो क्या राजस्थान कैनाल बोर्ड या नहर उससे प्रभावित नहीं होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन सुन लें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या मुख्य मंत्री यह उचित नहीं समझते हैं कि इनकी तमाम जो असेट्स हैं, सोर्सेज हैं वे क्या वैध तरीके के हैं ? इसके बारे में क्या आप जांच करवायेंगे और अपने को सैटिसफाइड करने के लिये क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : एक बात मेरी सुन लीजिये। इसमें वैसे ही विधिवत कोई प्रस्ताव नहीं है और न पूरी जानकारी है। जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया गया है फिर यहां उसको लेकर नहीं चल सकते। मुख्य मंत्री जी आज इस स्थिति में नहीं हैं कि इन सब तथ्यों का जो आज उनके सामने आये हैं उनका उत्तर दे सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा इस तरीके से इस पर बहस को उठाना यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मंत्री जी इस स्थिति में नहीं हैं और न कभी हो सकते हैं। परन्तु जो संबंधित मंत्री हैं और जिन पर कि यहां पर चार्ज लगाये गये हैं वे स्वयं इस संबंध में स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें। कम से कम संबंधित मंत्री को स्पष्टीकरण करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह मंत्रीजी के ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वह स्पष्टीकरण करें या न करें।

श्री दौलतराम सारण : यह चार्ज आज नहीं लगाया गया है कई बार मनफूलसिंहजी के खिलाफ लगाया गया है। भूमि के नाजायज रूप से तबादले के बारे में कई बार कहा गया है। इन्होंने बारानी भूमि का तीन बार बिना फिजीकल पसेशन के जिसकी कि कीमत 50 रुपया बीघा थी 5000 रुपया बीघा वाली जमीन से करवाया है। और इसी भ्रष्टाचार के मामले में मनफूलसिंह जी की टिकिट रोकी गई थी। इस भूमि के मामले में मनफूलसिंह के खिलाफ तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर श्री दामोदरलाल व्यास ने यह लिखा था कि यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसकी कानूनी कार्यवाही करने के लिये उन्होंने नोटिंग किया था और आज वह फाइल मुख्य मंत्रीजी ने दबा दी है··

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास में कोई फाइल नहीं है यह मैं साफ कर दूं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय,

(शोरगुल)

यह सारी जमीन का मामला है। इस जमीन के तबादले का मामला यहां पर कई बार आया है। मेरी सूचना है कि उस जमीन पर मनफूल सिंह का कब्जा है···

(शोरगुल)

यह नहीं उपाध्यक्ष महोदय यहां पर 22 चार्जेज मनफूलसिंह के खिलाफ लगाये गये थे·····(शोरगुल)·····क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसको फेस करने के लिये तैयार हैं, जांच कराने के लिये तैयार हैं। इनके खिलाफ एक एक आरोप साबित हो जायेगा और हिम्मत है मनफूलसिंह जी और मुख्य मंत्री जी की तो वे आवें और मुकाबला

( श्री दौलतराम सारण )

करें, एक कमेटी इन्क्वायरी को इन्स्टीट्यूट करे, जांच करें। इस तरह से भ्रष्टाचार कर के आप जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। खुले आम लोगों को लूटा जा रहा है····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, बेनामी तरीके से जमीन पर काश्त की जा रही है। आज गंगानगर में एक प्रकार से अराजकता का राज्य स्थापित हो गया है। आज खुले आम लोगों को लूटा जा रहा है··· (शोरगुल)·····यह लूट नहीं चल सकती।

श्री उपाध्यक्ष : यह मुद्दा समाप्त हो गया··

श्री दौलतराम सारण : मैं एक रिपोर्ट पढ़ कर सुनाना चाहता हूं

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री दौलतराम सारण : सही है···

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास: गलत है।

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शान्त रहें।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय यह पूछ लिया जाय कि एक सहकारी समिति बनाई थी उसकी भूमि कहां गई। वह जमीन कहां गई।..(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा होगा कि इसको समाप्त कर दिया जाये और अगला बिजनेस हाथ में लिया जाये।

श्री देवीदत्त गाडिया: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री मनोहर सिंह मेहता : दो तीन बात कहना चाहता हूं······

श्री रामचन्द्र आर्य : जिस सिनेमा को अभी बनाया है उसमें सारे राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारी गये थे, वहां पर गये थे।

(शोरगुल)

श्री मनफूलसिंह : कोई अधिकारी नहीं गया था यह बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं दिलाया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय यह आपके हित में होगा और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के हित में होगा कि आप पर जो चार्जेज लगाये गये हैं और जो बाकी की सारी बातें हैं उनका आप स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मनफूलसिंह : मेरे ऊपर जो चार्जेज लगाये गये हैं वे बिलकुल झूठे हैं।

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना का सवाल है। अभी श्री मनफूलसिंहजी ने यह कहा है कि उन पर लगाये गये तमाम चार्ज निराधार, झूठे और गलत हैं। अब प्रश्न यह है···

श्री दौलतराम सारण : मनफूलसिंह के पास कितनी असेटस हैं। इसकी जांच कीजिये।

(शोरगुल)

जयपुर में इनके पास में एग्रीकलचर लैण्ड है, सूरतगढ़ में इनका सिनेमा है, सूरत

( श्री दौलतराम सारण )

में पैट्रोल पम्प है, डबल रोटी का कारखाना क्या मनफूलसिंह का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय सारी लिस्ट गिनाई जायेगी तो करोड़ों रुपयों की जायदाद हो जायेगी। क्या आप जांच करेंगे कि यह कहां से आया है। मनफूलसिंह को गंगानगर का एक एक बच्चा एक एक आदमी जानता है। गंगानगर जिले का एक एक आदमी इनको जानता है····

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही को आगे नहीं चलने देना चाहते हैं इसलिये मैं········ आर्डर प्लीज। इस तरह से बर्ताव न करें आपस में।

श्री भैरों सिंह !

**श्री भैरोंसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य के संबंध में, उसके आरम्भ होने के पूर्व ही मैंने यह आपत्ति की थी कि अगर वक्तव्य देने की अनुमति दी गई तो उस वक्तव्य पर चर्चा के लिये भी आपको मन्जूरी देनी पड़ेगी

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री भैरोंसिंह :** उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वक्तव्य देने दिया जाये, उस पर विचार कर लिया जायेगा। उस वक्तव्य के बाद मनफूलसिंह जी के मामले का उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। मैं समझता हूं कि सदन के अच्छी तरह से संचालन के लिये जितनी चिंता आपको है··········

**श्री उपाध्यक्ष :** हमको अधिक है।

**श्री भैरोंसिंह :** हम सहयोग करना चाहते हैं सहयोग की अपेक्षा आप करते हैं लेकिन बिजनेस लिस्ट में जिस स्टेटमेंट का कहीं उल्लेख नहीं था, उस वक्तव्य देने की मुख्य मन्त्री को अनुमति दी गई तो चर्चा करने की अनुमति हमें भी दी जाए, उसमें मनफूलसिंह जी का मामला आता है और लड्ढा साहब का प्रश्न आता है, इसलिये नियमित रूप से आपकी अनुमति लेना चाहते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** यह ज्यादा अच्छा है, जल्दी डिस्पोज आफ हो जाएगा 20-25 मिनट में यह डिस्पोज आफ हो जाएगा और बाकी बिजनेस भी डिस्पोज आफ हो जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** किस नियम के अन्तर्गत चर्चा चाहते हैं ?

**श्री भैरोंसिंह :** जिस नियम के अन्तर्गत मुख्य मंत्री को अनुमति दी गई उस नियम के अन्तर्गत।

**श्री उपाध्यक्ष :** विधि मंत्री ने जैसे कहा··

**श्री भैरोंसिंह :** विधि मंत्री ने कहा वह कानून नहीं बन गया और जो हम कह रहे हैं वह गैर कानूनी बात नहीं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया है और उन्होंने रूल आउट कर दिया है······

(शोरगुल)

नियम 119 के तहत।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** चीफ व्हिप ने रूल आउट करने की बात कही है, वह गलत

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
है। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जयपुर से आने वाले माननीय....

श्री उपाध्यक्ष : 119 नियम का हवाला दिया था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमें भी विचार प्रकट करने का मौका दिया जाए, तो चीफ मिनिस्टर जो कहते हैं वह तथ्यों के विपरीत है, निश्चित रूप से इस पर डिबेट होनी चाहिये....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी ऐसी बात है कि कल जो पाइंट्स हमने रेज की थीं जिन पर जवाब मुख्य मंत्री ने दिया, उससे कई पाइंट्स कवर नहीं होती हैं। इसलिये यदि उनके वक्तव्य को अन्चेलेंज्ड जाने दिया तो इसका मतलब हमारी उससे सहमति है जो सही नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रस्ताव के रूप में तो नहीं आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, कुछ बातों को गलत कहा है उनको अन्चेलेंज्ड जाने देंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कल जो बातें रह गई थी उनकी जानकारी....

(दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने रेज की थी उस सवाल को....

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय ने रूल आउट किया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जो लिस्ट है इनके खिलाफ आरोपों की है....

श्री रामनारायण चौधरी : बैठ जायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको क्या तकलीफ है। चुप रहो। फिजूल ही बीच में बोलते हैं। उपाध्यक्ष मैं लिस्ट पढ़कर सुनाता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बीच में आज सदन स्थगित हुआ तब तो इधर आकर आपने यह लिस्ट आरोपों की बनवाई, अब आप ही कह रहे हैं कि बैठ जाए।

श्री विजय सिंह : मेंढकी को जुकाम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों के तौर पर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं?

श्री रामचन्द्र आर्य : खाली पढ़कर सुनाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आज बजट अधिवेशन का आखिरी दिन है। इसके पश्चात् यह सदन फिर 1971 में मिलेगा या नहीं, यह अभी तक निश्चत नहीं है, इसकी संभावना हमें लगती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक निश्चित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निश्चित नहीं लगता। अपने अपने कैलक्यूलेशन्स हैं, मेरा कैलक्यूलेशन यह है कि यह सदन इस सत्र के पश्चात् नहीं मिलेगा और इसलिये आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
बजट सेशन का आखिरी दिन है। माननीय सदस्य यहां से असंतुष्ट होकर जायें, और जो छोटे 2 मसले सदन म उठाए गए हैं उनसे अनटुवर्ड सिचुएशन पैदा हो यह न आसन चाहेगा न माननीय सदस्य। (कांग्रेस के माननीय सदस्यों से) बीच में मत बोलो।

**श्री लादूराम सुलानिया** : कौन बोल रहा है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, तो सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चल सके, हम चाहते हैं कि टेक्सेशन बिल पास हो, हम बैठें 8-9-10 बजे तक, आखिरी दिन है, क्या दिक्कत है ? अगर उन्होंने तय कर रखा है कि हो हल्ला के बीच कल की तरह जैसे चाहेंगे पास करा लेंगे तो कर लिया जाए। जब आपने 416 करोड़ बिना कानून के, नियमों के विपरीत........

(शोरगुल)

**सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य** : गलत।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एप्रोप्रिएशन बिल पास किया है.....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री विजयसिंह** : पास नहीं हुआ है।

(शोरगुल)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी, आसन से व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी सदस्य बैठा हो तो वह नहीं बोलेंगे, जो बैठा हुआ बोलगे तो उसकी बात अंकित नहीं की जायगी। कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो बोल रहे हैं.....

**श्री प्रद्युम्नसिंह (उपमंत्री)** : आसन की व्यवस्था हो चुकी है। बार बार उस बात को क्यों कहा जा रहा है ?

**श्री दौलतराम सारण** : कैबीनेट का एक बच्चा बीच में ऊधम मचाता है। कोई बिस्कुट का टकड़ा दे दो।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : इनकी हालत तो मूंगफली जैसी है, इनको मूंगफली भेजी जाए।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इसलिए कहता हूं कि इनसे ज्यादा संपर्क मत रखो।

**श्री दौलतराम सारण** : कोई तमीज नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक सदन बैठेगा, हम बैठेंगे, राइट आफ डिबेट हम एक्सरसाइज करेंगे। कल इतने प्रोवोकेशन के बाद भी इतना कांग्रेस पार्टी ने प्रोवोकेशन किया, एक डेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल के खिलाफ सदन से बिल पास कराया फिर भी हमने किसी प्रकार अपनी सीमाओं को नहीं छोड़ा। जैसा कि मैसूर की कांग्रेस पार्टी का उदाहरण सामने है टेबुल और कुर्सियां फेंकते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : जल्दी करें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आधे घंटे का समय इस स्टटमेंट पर जो सदन में आया है, निर्धारित कर दिया जाए, मनफूलसिहजी का क्लेरीफिकेशन हो जाए, चार्जेज आ जायें, एक बार क्लेरीफिकेशन हो जाए, क्लाउड्स क्लीयर हो जायं, मुख्य मंत्री चाहेंगे कि मंत्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मंडल के, कल और आज, दो मंत्रियों पर चार्जेज लगा रहे हैं, उनके बारे में मैंने कहा, कमाऊ पूत उनका बेटा, इसका स्पष्टीकरण हो गया, श्री मनफूलसिंह को स्पष्टीकरण देना है

**श्री उपाध्यक्ष** : उन्होंने उत्तर दिया है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कोई क्लैरीफिकेशन नहीं दिया है । जयपुर में आईस फैक्ट्री एण्ड कोल्ड स्टोरेज, गंगानगर में जमीन दिल्ली में सिनेमा और इरीगेशन के मामले, ये सारे मामले ऐसे हैं कि मैं चाहूंगा कि आपकी इमेज खराब न हो, काला मुंह लेकर गंगानगर में न जायं, यह जरूरी है, आवश्यक है । इसलिये आपको सलाह दूंगा as a true friend in this house आपको खड़े होकर·····

**मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा**

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरी बात सुनिए, 15 मिनट का समय जो मुख्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है उसके लिये निश्चित करते हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** ।

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, तो ऐसा मान करके कि मुख्यमंत्रीजी भ्रष्टाचार के मामले में कल से ही लीपापोती करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आज जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्रीजी की अन्तरात्मा कहीं थोड़ी सी जागी है और वह श्री लड्ढा के विरुद्ध जांच की या किसी प्रकार आश्वासन की इस सदन में घोषणा करने वाले हैं·····

**श्री दौलतराम सारण** : ऐसे आदमियों की अन्तरात्मा नहीं होती ।

**श्री भैरोंसिंह** : लेकिन उनका वक्तव्य सुनने के बाद स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ कि मुख्य मंत्रीजी ने तो नैतिकता के आधार पर न कोड ऑफ कन्डक्ट के आधार पर किसी प्रकार से श्री लड्ढा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं बल्कि उनके आचरण को शुद्ध करने का प्रयास इस सदन में कर रहे हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उनके वक्तव्य से भी मैं समझता हूं कि श्री लड्ढा निर्दोष साबित नहीं हुए हैं । पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कल एक मुद्दा रह गया था जिस पर मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना था । कल दो एजेंसीज का प्रश्न खड़ा हुआ—एक इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स का और एम्बेसेडर और बेडफोर्ड ।

इन दोनों एजेन्सीज के प्रश्न पर एक का तो मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया और दूसरे प्रश्न के बारे में जैसा श्री लड्ढा जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि मैं इसका प्रयत्न कर रहा था···

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं माननीय सदस्य को करेक्ट कर दूं कि बेडफोर्ड के बारे में तो जो भी कन्ट्राडिक्शन है कह सकते हैं लेकिन बेड फोर्ड के लिये प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं कहीं नहीं कहा कि प्रयत्न किया ।

**श्री भैरोंसिंह** : एम्बेसेडर और बेडफोर्ड का मामला एक जगह था; जिस समय उन्होंने यह बात कही थी कि मैं कोशिश कर रहा हूं दो साल से···

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : वोल्टाज के लिये कहा था ।

श्री भैरों ह : मैं दो साल से कोशिश कर रहा हूं एक के मामले में कहा और दूसरे के बारे में कहा कि मैं कोशिश कर रहा था और अभी तक मिली नहीं है । मैं प्रोसीडिंग्स आपके सामने रख दूंगा ।

अब प्रश्न एक और आगया । मुख्य मंत्री जी ने एक का उत्तर दे दिया कि उन्होंने एजेन्सीज क बार में यह बात नहीं कही, पास्ट टेन्स में बात कहते तो कुछ समझ में भी आता । अब आज दूसरे प्रश्न का उत्तर देना था उसका उत्तर नहीं दिया गया । कोड आफ कन्डक्ट म जो मंत्री के परिवार की परिभाषा है उसके अन्दर मंत्री जी के पुत्र नहीं आते और इस कारण वह कोई बिजनेस कर रहे हैं वह कोई आपत्तिजनक नहीं है । अब, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी पढ़कर सुनाया था और वही कोड आफ कन्डक्ट में भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं-"इस संहिता में मंत्री के परिवार में उनकी पत्नि (पति) जैसी भी स्थिति हो जिसने विधिवत रूप से संबंध विच्छेद नहीं कर रखा हो तो नाबालिग, बच्चे और कोई अन्य आश्रित व्यक्ति जो उससे रक्त या विवाह के रिश्ते से सम्बन्ध हो एवं मंत्री पर पूर्णतया आश्रित हो, सम्मिलित है ।" अब मंत्री पर पूर्णतया आश्रित होगा यह जो प्रश्न है अब इस प्रश्न को लेकर मुख्य मंत्री जी · · ·

श्री रामकिशन : यह किसने ड्राफ्ट किया है रक्त संबंध में तो कोई बचता ही नहीं है । · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आप कैसे कह रहे हैं · · · ·

श्री रामकिशन : इसे आप मजाक में नहीं लें · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं मजाक में नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकिशन : जो परिभाषा दी है वह तो बहुत व्यापक है · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : भैरोंसिंह जी ने कहा और आपने कह दिया कि सब घुस गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "ब्लड रिलेशन में तो लेजिटीमेट और इललेजिटीमेट दोनों ही आ गये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आपस में माननीय सदस्य बात न करें ।

श्री भैरोंसिंह : और कोई अन्य व्यक्ति जो मंत्री पर पूर्णतया आश्रित हो-यह उस परिभाषा में है । अब प्रश्न आकर यह खड़ा होता है जो कल इस सदन में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि श्री रामप्रसाद जी लड्ढा श्री विनोद लड्ढा यह ज्वाइन्ट फैमिली है–इस बात को न मंत्रीजी ने अस्वीकार किया और न आज अस्वीकार करने की स्थिति में है । ज्वाइन्ट फैमिली होने के नाते · · ·

श्री रामकिशन : और न आज अस्वीकार करते हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : वह कर सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें ज्वाइंट फैमिली का तो लिखा ही नहीं है

# Page No 151



श्री भैरोंसिंह : यह जो फैमिली की परिभाषा है उसके आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी की ज्वाइंट फैमिली है। मंत्रीजी ने विनोद लड्ढा की अभी शादी की है और अपने घर से शादी की है। शादी में लाखों रुपयों का खर्चा भी किया···

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं किया, गलत है।

श्री भैरोंसिंह : निमंत्रण पत्र श्री राम प्रसाद जी लड्ढा के नाम से छपवाये और लोगों को निमंत्रित किया···

श्री जनकृष्ण शर्मा : निमंत्रण पत्र में तो सब घर वालों का नाम लिखा जाता है बाप दादा, पड़दादा यदि जीवित हों तो।

श्री भैरोंसिंह : अब उस स्थिति में यह ज्वाइंट फैमिली है और इस फैमिली का बिजनेस, उनका लड़का बिजनेस करें, लड़का वह बिजनेस करे जो कि उनके परिवार में रहता है, जो कि उनके ऊपर आश्रित है वह लड़का बिजनेस करता है। उस स्थिति में मंत्री अपनी उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जो कि मंत्री से इस कोड आफ कन्डक्ट में अपेक्षा की गई थी। अब प्रश्न दो बातों का है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उदयपुर डिवीजन में कुछ हजार रुपयों की परचेजेज हुई। मेरा आरोप स्पष्ट था कि उदयपुर डिविजन के अन्दर ही जब से श्री राम प्रसाद जी लड्ढा मंत्री बने हैं उस समय से लेकर अब तक करोड़ों रुपयों की परचेजेज हुई हैं। मुख्य मंत्रीजी न मालूम किन दो सालों का जिक्र कर रहे थे···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके भाषण से ही लिया है।

श्री भैरोंसिंह : उसी से मैं कह रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दो साल का कहां करोड़ों रुपये होता है।

श्री भैरोंसिंह : करोडों रुपयों की परचेजेज शायद यह हो सकता है आपने उदयपुर डिविजन में चित्तौड़ को शामिल नहीं किया, भीलवाड़ा को शामिल नहीं किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं फिगर्स सर्किल के दे रहा हूं जिसमें सब आ जाता है।

श्री भैरोंसिंह : तो आप बतादें 67 से लेकर अब तक का कितना खर्चा हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने दो साल का जिक्र किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय दो साल का आपने जिक्र किया वह मैंने बताया और उसके अलावा पहले के फिगर्स भी मालुम किये थे एक दो साल के वह भी 1 लाख के ऊपर नहीं जाते।

श्री भैरोंसिंह : वह आप बतायें, 67 से बतायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 67-68 के अन्दर 56 हजार का है···

श्री भैरोंसिंह : कुल आप बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारे फिगर्स तो इस समय यहां नहीं है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आप कह रहे हैं मैं स्पष्ट कर दूं कि कोड आफ कन्डक्ट में जहां बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में फैमिली वाली

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
डेफीनेशन दी है लेकिन रिलेवेंट पोर्शन जो इसमें है वह यह है कि जो बिजनेस वाली बात आई उसके अन्दर

·····Ensure that the members of his family do not start or participate in business concerns engaged in supplying goods or services to that Government or to undertakings under that Government.

लेकिन इसके बाद में माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कल भी जो आपने कोट किया उसके अन्दर भी एक भ्रम पैदा होने वाली बात हुई। इसमें ब्रेकेट दिया है और इसमें कहा गया है।

(excepting in the usual course of trade or business and at standard market rates)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : ठहरिये, मैं समय बढ़ा दूं। सदन की अनुमति हो तो समय बढ़ा दिया जाय ?

सदन की अनुमति से आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 10 बजे तक बढ़ा दो सब निपट जायेगा। मांगेंगे तो वही, हम नहीं।

श्री विजयसिंह : 11.59 तक बढ़ा दो।

श्री भैरोंसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक परचेजेज का सवाल है वोल्टाज कम्पनी से परचेजेज की बात मंत्री जी ने जिस ढंग से रखी है यह हो सकता है सदन में उसके कारण से भ्रम पैदा हुआ हो। वोल्टाज से डाईरेक्ट परचेज करने का सवाल है और वोल्टाज की जो एजेन्सी राजस्थान में है उनके परचेज करने का सवाल यह दोनों सवाल और इस आधार के ऊपर आप यह कहें कि केवल लाखों रुपये की परचेजेज की गई है यह बिल्कुल गलत है और मैं प्रमाण में यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य कितना गलत है, यह इसी बात से अन्दाज लग जायेगा कि राजस्थान आटोमोबाइल्स अजमेर के अन्दर एक कम्पनी है। उस अजमेर की कम्पनी में वोल्टाज का माल है और उस कम्पनी से इरीगेशन डिपार्टमेंट खरीदता है और लाखों रुपयों की परचेजेज की गयी है तो आपने केवल वोल्टाज से जो डाइरेक्ट परचेजेज की हैं उनको तो इन्क्लुड करके चल रहे हैं लेकिन वोल्टाज की जो एजेन्सीज और सब एजेन्सीज हैं उन्होंने माल परचेज किया उसको चतुराई से अलग करके कहते हैं··

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक ही स्पष्ट करदूं कि जो ये फीगर्स दिये हैं, ओफिस भी बताया है, दिल्ली के ओफिस ने सप्लाई किया उदयपुर सरकिल में उसके फीगर्स हैं, दिल्ली और जयपुर दोनों जगह के हैं।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान आटोमोबाइल्स के थ्रू अजमेर में परचेज किया क्या वह इन्क्ल्यूडेड है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अजमेर वाले के थ्रू उदयपुर सर्कल में खरीदे गये हैं ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : खरीदे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : आप जानकारी करालें ।
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज ।

श्री भैरोंसिह : परचेजेज के मामले में उचित तो यह होगा कि न्याय करना चाहते हैं और सही नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो कम से कम मुझे पूछते वक्तव्य देने से पहले आपने करोड़ों की बात कही और मेरे पास जानकारी है हजारों रुपयों की । सारांश तो यह है कि लड्ढा साहब को बचाना है और इसीलिये मेरे से जानकारी करने की बात नहीं की । गलत स्टेटमेंट दिया है । हजारों की परचेजेज की है । मैं आज भी कहता हूं कि यह सही है वाल्टोज के थ्रू इतने रुपयों का माल खरीदा है ।

अब सवाल आता है एजेन्सी का । एजेन्सी के बारे में तो मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया । सदन में मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य सुनाना चाहूँगा । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था : "श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मंत्री स्वयं जिस किसी विभाग में हो, उसको सप्लाई करने वाली कोई कम्पनी हो और कनेक्टेड एजेन्सी हो, उसके लिये एजेन्सी दिलाने की बात करे यह उचित नहीं है यह निश्चित बात है । "

मुख्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट को मैं टू स्पिरिट में लेता हूं । मैंने कल भी कहा था कि भीलवाड़ा में एक कम्पनी है, राजस्थान आटो सरविसेज, इसको राजस्थान आटोमोबाइल्स अजमेर को जो एम्बेसेडर और बेडफोर्ड की एजेंट है, उसको एजेंसी मिली है उसकी सब एजेंसी भीलवाड़ा की राजस्थान आटो सर्विसेज को है । मैं चुनौती देकर कहता हूं कि आप मेरे साथ अजमेर चलिये, राजस्थान आटो मोबाइल्स के रिकार्ड को जब्त करिये, उसमें इस प्रकार का कमीशन दिया हुआ यह पता लगेगा ।

. मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने कहा कि एजेंसी लेना उचित नहीं है । एजसी वहां चल रही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्ट करदूं । मैंने यह नहीं कहा कि एजेंसी उनके लड़के ले यह सही नहीं है । यह बेडफोर्ड के बारे में नहीं कहा है । आप भी कह रहे हैं, प्रोसीडिंग्स को देख लें ।

श्री भैरोंसिह : प्रोसीडिंग्स तो देख ली । "मंत्री स्वयं जिस किसी विभाग में हो, उसको सप्लाई करने वाली कोई कम्पनी हो और कनेक्टेड एजेंसी हो, उसके लिये एजेंसी दिलाने की बात करे यह उचित नहीं है यह निश्चित बात है ।"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बेडफोर्ड की एजेंसी दिलाने की बात किस रेफरेंस में कह रहे हैं ? मिनिस्टर ने बेडफोर्ड की एजेंसी दिलाई यह बात कहीं नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : एक ट्रैक्टर की एजेंसी है और दूसरी एम्बेसेडर और बेडफोर्ड की एजेंसी है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बेडफोर्ड है ?

श्री भैरोंसिह : दोनों एक हैं । इसकी सब एजेंसी मिली है राजस्थान आटो सर्विसेज

(श्री भैरोंसिंह)

जिसमें विनोद और ओमप्रकाश दोनों पार्टनर हैं, इस एजेंसी के जरिये जितने भी राजस्थान आटोमोबाइल्स अजमेर डिस्ट्रीब्यूटर्स माल सप्लाई करते हैं वे भीलवाड़ा में राजस्थान ओटोसर्विसेज को सप्लाई करते हैं। एक दो साल से प्रयत्न कर रहे हैं और एक की एजेंसी मिल गई। दोनों एजेंसियों के लिये मंत्री अपने पुत्र के लिये कहता है तो आपके कथनानुसार भी किसी प्रकार उचित नहीं है। एजेंसी भी उससे लें जो कि बल्क सप्लायर है। दिल्ली से सप्लाई करे या एजेंसी के थ्रू बेचे वे लगातार सारा माल राजस्थान को दे रहे हैं। राजस्थान का इरीगेशन डिपार्टमेंट काफी मात्रा में परचेज करता है। भीलवाडा, उदयपुर, चितोडगढ और राजस्थान के अन्य भागों में और कोटा में भी करते हैं। आज उस कम्पनी का बिजनिस अगर इरीगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है और इरीगेशन डिपार्टमेंट परचेजर है तो मैं निश्चय रूप से कहना चाहूंगा कि हैड ओफ दी डिपार्टमेंट या मिनिस्टर का सोफ्ट कोरनर प्राप्त करने के लिये उनको कोई एजेंसी दी जा सकती है तो दी जा सकती है। लड्ढा साहब ने कहा कि एक के लिये दो साल तक प्रयत्न किया और दूसरी उन्होंने कहा मिल गई। मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही वह भी अपने आप में बड़ी स्पष्ट हो गई।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, परचेजेज के मामले में मुख्य मंत्रीजी बड़ी तरकीब से कह गये कि रेट कान्ट्रेक्ट पर दिये, बिजनिस के तौर पर दिये। लड्ढा साहब से सुबह पूछा कि जिन फ़र्म्स से माल लिया राजस्थान की एप्रूव्ड लिस्ट पर है या नहीं तो उन्होंने कहा कि है। जवाहर और अनिल ख़रीदे गये तो पर्चेज़ कमेटी ने प्राइसेज फ़िक्स अप कीं। मेरी जानकारी है कि पर्चेज कमेटी ने प्राइसेज फ़िक्स अप नहीं कीं। वह माल ख़रीदा गया। अब मुख्य मन्त्रीजी यह कहें कि लड़कों से माल ख़रीदा है, कल, उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कहा था कि माल ख़रीदने के पहले लगभग 35 सैट स्टाक में पड़े थे, उस माल के होते हुए ये जो पर्चेज की गयीं यह इस फ़र्म को ओब्लाइज करने के लिये की गयीं। तारीख़ देखें तो स्पष्ट हो जाता है। 22-2-71 को पर्चेज की। 23-7-70 को पर्चेज की गयी। फिर 15-7-70 को पर्चेज की, 16–7-70 को पर्चेज कीं। 9–6-70 को पर्चेज कीं। 25-1-71 को पर्चेज कीं। 15-1-71 को पर्चेज की, 27-3-71 को पर्चेज़ कीं। 28-3-71 को पर्चेज़ कीं। 30-3-71 को पर्चेज़ की और 22-2-71 को पर्चेज़ कीं। विभाग के पास आये दिन डिमान्ड आती है और पर्चेज़ की जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय आप भी जानते हैं और सदन भी जानता है कि जितने पर्चेजेज़ की जाती हैं, ख़ास तौर से इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और इरीगेशन में, एक साथ पर्चेज़ेज़ की जाती हैं। कहीं एक इन्जिन ले लिया, कहीं दूसरा ले लिया, दो दिन बाद चार ख़रीद लिये और फिर पांच ख़रीद लिये। जो ख़रीद की गयी, राजस्थान की सरकार ही नहीं, इरीगेशन डिपार्टमेन्ट यह मान कर चलता है कि यह लड्ढा साहब की फ़र्म है, इस फ़र्म से पर्चेजेज़ की जावेगी तो लड्ढा साहब प्रसन्न होंगे और एक तरफ़ उनके लड़के को फ़ायदा होगा तो डिपार्टमेन्ट पर उनकी कृपा रहेगी। मन्त्री महोदय ने माना है कि इन फ़र्म्स की एजेन्सी है जो बल्क माल सप्लाई

(श्री भैरोंसिंह)

करती है। उन्होंने एजेन्सी के लिये प्रयत्न किया, एक बात। उनके लड़के बिजनेस कर रहे हैं मेन बात है कि उसी फ़र्म से पर्चेज़ कर रहे हैं जो सप्लाई करती है। एक बात, उस विभाग को जो फ़र्म माल सप्लाई करती है उस फ़र्म के अन्दर सिंचाई मन्त्री के दो लड़के हिस्सेदार हैं, इस बात की सच्चाई को मुख्य मन्त्रीजी, आप चाहे न मानें, लड्ढा साहब आपसे अच्छे हैं कि इतने आरोप लगने के बाद कम से कम इतना स्वीकार किया कि मेरे लड़कों की फ़र्म है, उससे इरिगेशन डिपार्टमेन्ट माल खरीदता है इसको मैंने अनुचित माना और अनुचित मान कर आदेश निकाल दिया कि मेरे लड़कों की फ़र्म से माल नहीं खरीदा जाय। मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, आपका स्तर लड्ढा साहब से ऊंचा होना चाहिये। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार को दबाने के मामले में, भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डालने में आप इस स्तर पर चले गये कि एक मन्त्री के ऊपर जो आरोप लगाये गये उसके सम्बन्ध में ऐसी हलकी बात इस हाउस में कही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, आप उसकी भाषा में जा रहे हैं, आप शब्दों के आडम्बर में फंसना चाहते हैं, लेकिन आपने यदि यह परम्परा डाल दी मुख्य मन्त्रीजी, कोई मन्त्री लड़के के नाम पर फ़र्म खोले, एक आर्डिनरी बिजनेस रन करे और उससे डिपार्टमेन्ट क्रय-विक्रय करे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के मन्त्री राज्य सरकार के खजाने को लूट कर खा जायेंगे और राजस्थान की हालत ऐसी होगी कि राजस्थान को आपने दिवालिया तो बना दिया है, वह पूर्णतया दिवालिया सिद्ध कर दिया जायगा। अगर आपको डर नहीं है तो आप इसकी जांच कर लें, आपको डर नहीं है तो अपा-इन्ट कर दें एक जुडिसियल इन्क्वायरी कमीशन, वह फ़ैसला कर देगा कि मन्त्री के लड़के किसी फ़र्म में भागीदार हैं तो क्या उस फ़र्म को नैतिक दृष्टि के आधार पर उस विभाग को माल सप्लाई करना चाहिये जिस विभाग के उनके पिताजी मन्त्री बने बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, संसार में, मैं समझता हूं कि कई उदाहरण हैं, आज अमेरिका के अन्दर डेमोक्रेसी है, वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के उदाहरण लें, इंगलैण्ड के हाउस ऑफ कामन्स के उदाहरण लें, मैं समझता हूं कि एक नहीं आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे कि जैसे ही मन्त्री जिस समय बनते हैं उससे पहले यदि वह किसी बिजनेस से सम्बद्ध हैं, तो वह उसका त्याग करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नौकरी नहीं देते। आज दूसरे मुल्कों में इस प्रकार की परम्परा है, परन्तु मुझे खेद है कि राजस्थान में खुले आम धन बनाने के लिये मुख्य मन्त्री मन्त्रियों को छूट दे रहे हैं। मन्त्री अपने बच्चों के नाम से फ़र्म खोलें, अपने मन्त्रित्व काल में जिस विभाग के वह मन्त्री हैं, उस विभाग को वह फ़र्म माल सप्लाई करे। तो एक प्रश्न तो यह खड़ा होता है। दूसरा····

श्री उपाध्यक्ष : समय काफ़ी हो गया है, माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

अब दूसरा प्रश्न आता है, जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने अपने शब्दों में स्वीकार किया है-स्वीकार किस सेन्स में, और लड्ढा साहब

(श्री भैरोंसिंह)

ने भी स्वीकार किया है कि तीन फ़र्म में मेरे लड़कों की पार्टनरशिप है। मैं आज आप से पूछना चाहता हूं, लड्ढा साहब, यदि बिजनेस करना था तो एक फर्म खोली जाय, लेकिन यह तीन फ़र्म क्यों खोली गई ? भीलवाड़ा में, एक ही जगह, यह तीन फ़र्म क्यों खोली गई? इसके पीछे स्पष्ट कारण है, मुख्य मन्त्रीजी, कि तीन फ़र्म के नाम से कुछ टैक्स से बचा जाय और भ्रष्टाचार के रुपये की उगाही की जाय। इसके अलावा इसके पीछे कोई कारण नहीं है। कोई बुद्धिमान आदमी होता, जिसके दो लड़के बिजनेस करते हैं, ईमानदारी से वह बिजनेस करते हैं तो एक स्थान पर रह कर बारह-तेरह कम्पनी नहीं खोलता और दो तीन की शुरूआत नहीं करता। अगर राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रियल सर्विसेज़ को बिजनेस करना है, बैडफ़ोर्ड का करना है, एम्बेसेडर का करना है, तो इन्टरनेशनल ट्रैक्टर उसमें आ सकते हैं, डीज़ल सैट्स भी आ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके आने के बाद और इनकी बिक्री होने के बाद जो इन्कम होती है उस पर टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है-इसलिये अलग अलग फ़र्म बनती है और इन्कम टैक्स से बच जाते हैं और उसकी चोरी करते हैं। दो में नहीं, एक में मुनाफ़ा थोड़ा दिखाकर जो रुपया ब्लैक में कमाया है उसको व्हाइट करने की चेष्टा करते हैं। यह बात अपने आपमें साबित है। मन्त्री जी के लड़के भीलवाड़ा में रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, पास पास में फ़र्म्स के तीन बोर्ड लगाये गये हैं। मुख्य मन्त्रीजी, तीन साल पहले आपने और वित्त मन्त्रीजी ने दो साल पहले इस सदन में कहा था कि जो लोग टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, वह, मालिक एक होता है और फर्म अलग अलग बन कर रहती हैं-इस हिसाब से चोरी करते हैं। मुख्य मन्त्रीजी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने लड्ढा जी के नाम पर राजस्थान में चोरों को सर्टिफिकेट दे दिया है और आपने सर्टिफ़िकेट देने की व्यवस्था करदी है। मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, आपमें इतना साहस तो होगा, और कम से कम एक बात आप कहेंगे कि यह सारा मामला विवादास्पद है, इसलिये इस मामले की जुडिसियल इन्क्वायरी आप कराना चाहते हैं। आपको इन्क्वायरी करानी चाहिये, लेकिन आप तैयार हैं आज सर्टिफिकेट देने के लिये। अब मैं हाउस से कहना चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी ने एक परम्परा डाली है, तो मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि प्रश्न आज केवल यह नहीं है कि मैंने क्योंकि यह तमाम प्रश्न उठाया है, इसलिये इस इन्क्वायरी की बात को नहीं माना जाय। हमें तो रोज प्रश्न उठाते हैं, विरोधी दल में बैठे हैं, इसलिये बहुमत के आधार पर ऐसे प्रश्नों का निर्णय हो और हमारी बात को स्वीकार नहीं किया जाय तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह समय अच्छा है आप लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी का कान पकड़ कर मन्त्रिमण्डल से निकालें, तो ऊंचे ऊंचे जो भ्रष्टाचारी हैं उन भ्रष्टाचारियों का पक्ष आप मत लें। मैं मुख्य मन्त्रीजी जी को भी कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी आप भ्रष्टाचारियों का पोषण करके राजस्थान का विकास नहीं कर सकते हैं, आप अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार आपने राजस्थान को कंगाल करने की योजना बनाई है। ऐसी योजना को राजस्थान में चलाने की व्यवस्था मत करें

(श्री भैरोंसिह)
क्योंकि यदि यह योजना राजस्थान में चली तो इसके भयंकर परिणाम निकलेंगे । आज लड्ढा साहब को यहां बचा सकते हैं, लेकिन लड्ढा साहब की वही शाहपुरा वाली हालत होगी, जिस प्रकार कहा जाता है कि शाहपुरा में जूतों से पिटाई हुई थी। आप यह चाहते हैं कि मन्त्रियों की जूतों से पिटाई हो तभी इनकी अक्ल ठिकाने होगी''

श्री उपाध्यक्ष : भाषण लम्बा कर रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : लम्बा होगा ।

श्री भैरोंसिह : दो मिनिट में खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब क्या तरीका हो? मैं पूछना चाहता हूं कि इस असेम्बली में मामला रखें वह ज्यादा अच्छा है, या शाहपुरा में जैसा काण्ड हुआ वैसा काण्ड करें तो ज्यादा अच्छा है? मुख्य मन्त्रीजी, शाहपुरा में जो काण्ड हुआ और जूतों से पिटाई हो गई, उसका मामला कहां चल रहा है? लोगों ने पूछा कि उस मामले का चालान क्यों नहीं हो रहा है ? सवाल यह है कि अदालत में कैसे कहें कि जूतों से पिटाई हुई ? यह भलमन्शाहत है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह स्थिति ला क्यों रहे हैं ? यह स्थिति लायेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह एक तरीका एक्ज़ास्ट होगया, हम तथ्यों के आधार पर, नीति के आधार पर कुछ कहें और यह मांग करें कि सही स्थिति को सामने लाने के लिये क़दम उठायें-उससे आप एग्री नहीं करते हैं और इस प्रश्न पर मत विभाजन की मांग करेंगे तो बहुमत का उपयोग करेंगे । मैं समझता हूं कि यह जो जुडिसियल इन्क्वायरी की मांग है, यह एक करप्शन के मैटर के सम्बन्ध में है, इस प्रश्न पर भी आप बहुमत का दुरुपयोग करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान को रसातल में ले जाना चाहते हैं । मुख्य मन्त्रीजी, मैं चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि आप लड्ढा साहब को इस सदन में बहुमत के आधार पर बचा लेंगे लेकिन जनता के दरबार में नहीं बच सकते हैं । आप शाहपुरा वाले काण्ड को उत्पन्न करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं और इसका परिणाम आप भोगेंगे ।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : उपाध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में''''

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक ही मिनिट में एक पैराग्राफ आपको पढ कर सुनाना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में शायद होगा कि दास कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो चार्जेज बने हैं उनको मैं ज्यादा रेफ़र नहीं करना चाहता लेकिन चार्जेज के सम्बन्ध में जो दास कमीशन की फ़ाईडिंग हैं उनमें से केवल एक फ़ाईडिंग पढ़ कर सुनाना चाहूंगा । उसमें चार हैड्स में फ़ाईडिंग को क्लासिफ़ाई किया है, इनमें बहुत सारे आइटम हैं, कोल्ड स्टोरेज का है, सिनेमा के व्यवसाय का है, दूसरे परमानेन्ट बिजनेस का है, कान्ट्रेक्ट्स का है, वह मैं पढ कर सुनाना चाहूंगा'''

"That S. Surinder Singh Kairon has taken the fullest advantage of his position as the son of the Chief Minister and has freelys exploited the influence and power

Page No 158



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of his father in securing the agency of the Premier Automobiles Ltd. for National Motors and in developing its business and increasing its sales in diverse ways and in delaying the filing of the Sales-tax return of making of the voluntary deposits without any effective step being taken against him and in getting away with a paltry penalty wholly inadequate to his lapses."

फाइंडिंग एक नहीं, उनकी सारी इस प्रकार की फाइंडिंग है, जिनके बारे में पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इसी प्रकार के सारे मामले हैं जिस प्रकार के मामले इन्होंने चार्जेज में बताये हैं। एक चार्ज और है:--

'that on the evidence and the probabilities inherent in the circumstances there is strong reason to hold that the illegalities in the matter of transfer of interest and extensions of time sanctioned by the Minister and/or Deputy Minister in breach of the conditions of sale and in violation of the provisions of Section 3 of the Act mentioned at (e) above and Rule 11 of the Rules made thereunder were committed with the full knowledge of S. Partap Singh Kairon and if he did not actually direct their commission, he certainly connived at them."

यह पोजीशन है, दास कमीशन की फाइंडिंग्स के आधार पर मेरा निवेदन है कि एक नहीं, सारी की सारी फाइंडिंग के अन्दर करीब करीब इसी प्रकार के चार्जेज हैं जिस प्रकार के चार्जेज चाहे लड्ढा साहब के खिलाफ़ हों, चाहे मनफूल सिंह जी के खिलाफ़ हों। उन चार्जेज के आधार पर दास कमीशन की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या नतीजा निकला है, और क्या उसका हस्र हुआ है श्री प्रताप सिंह कैरों का, वही हस्र होने की वही परिस्थितियां क्या यहां नहीं हैं। सवाल यह है कि चाहे एक दास कमीशन हो, या चाहे दस कमीशन, वहां जो प्रताप सिंह कैरों का हस्र हुआ, वही इन मन्त्रियों का होगा राजस्थान के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष जी, मैं नहीं समझता था जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर और जो सब्जेक्ट है उस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई यह कहे उत्तेजनात्मक वातावरण के अन्दर कि शाहपुरा के अन्दर जो हुआ, उसकी हिस्ट्री को रिपीट किया जायगा या दूसरा किया जायगा-मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से इसकी अपेक्षा नहीं करता था...

श्री भैरोंसिंह : मैं भी आपसे यह अपेक्षा नहीं करता था।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : हम भी आप से यह अपेक्षा नहीं करते थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप भ्रष्टाचार के मामले को दबायें, मुख्य मन्त्रीजी, यह आपसे उम्मीद नहीं थी।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(शोरगुल, व्यवधान)

आपसे यह उम्मीद नहीं करते थे कि आप इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले को दबायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गाड़िया जी, स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि करोड़ों रुपयों का इस प्रकार से खातमा हो जायगा और सारा का सारा राजस्थान रसातल में चला जायगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूं जो तथ्य सामने आये हैं, उन तथ्यों के अन्दर कोई टेण्डर के बिना जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड प्राइसया लिस्ट हो उसके बिना कोई चीज पर्चेज नहीं की गई है तो उस हालत में गवर्नमेंट के करोड़ों रुपये चले गये, बरबाद हो गये, राजस्थान खतम हो गया—यह प्रश्न इससे जुड़ता नहीं है। अभी तक जिन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है अभी माननीय सदस्य ने कहा पम्प अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। मैंने इसके बारे में जानकारी की है स्टोर पर्चेज कमेटी की तरफ से यह अप्रूव्ड लिस्ट में है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रोसिडिंग हाउस में रखवा दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह चैक-अप करके ही कहा है। वरना मैं उस बात को कह देता सही है या गलत है—मुझे ऐतराज नहीं होता। प्रश्न यह है कि उदयपुर डिविजन के अन्दर सर्किल में करोड़ों रुपयों की खरीद की गई है। यह कल बड़ा भारी प्रश्न लेकर बड़ी भूमिका बनाई। अगर माननीय सदस्य मेरे स्टेटमेंट को कन्ट्राडिक्ट करने के लिये तो कह दें मैंने कहा इतनी हजार की खरीद की गई है। करोड़ों का तो प्रश्न ही नहीं है अगर आप एक आध करोड़ का उदाहरण दे देते तो समझ में आता है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं या कोई विरोधाभास है तो सारे राजस्थान में कितनी खरीद की गई है वह भी आपको बता दूंगा, आज यह रिलेवेन्ट प्रश्न नहीं था, अगर उसका भी प्रश्न होता तो मैं पूरी जानकारी करके कहता। जहां तक प्रश्न है मैंने प्रोसीडिंग को देखा है उसमें कहीं वेंड फोंड और अम्बेसेडर के लिये मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मुझे नहीं मिली। दूसरा निवेदन करता हैं और मूल प्रश्न जो भ्रष्टाचार से संबंधित बात उठाई गई है....

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिये बता दूं, रामानन्द जी ने क्वेश्चन किया था क्या यह सही है कि अम्बेसेडर की एजेन्सी के लिये अप्लाई कर रहे हैं तब उन्होंने जवाब दिया था अप्लाई किया हुआ है। क्या मतलब लेंगे इससे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो मैं यह निवेदन कर रहा था किसी चीज की सप्लाई में जो गवर्नमेंट की प्राइसेज डिटरमिन्ड है और कोड आफ कन्डक्ट में इसी बात को कहा, लड़के बिजनिस करें, रिलेशन वाले बिजनेस करें, ट्रेड करें तो उसके बारे में बन्दिस नहीं रखी गई है। अगर उससे ज्यादा प्राइस नहीं ली हो, प्राइस डिटरमिन नहीं हो और फिर माल सप्लाई किया जाय तो यह भ्रष्टाचार की बात हो सकती है। मैं समझता हूं इसमें कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ की बात नहीं है। एक मिनिस्टर का लड़का वहां पर व्यापार नहीं कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकता है जहां परमिट वाली बात हो, कोटा वाली बात हो और कम्पलीटली गवर्नमेंट पर निर्भर हो, उस तरह का बिजनेस नहीं करेगा; यह कोड ग्राफ कण्डक्ट में क्लियर है। इससे, उपाध्यक्ष जी सारी स्थिति क्लियर हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाने का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपने प्रिलिमिनरी रूप में कह दी·····

एक माननीय सदस्य : अब कोई समय नहीं बढ़ाया जाय।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन अगर एजेन्सी किसी गवर्नमेंट की अन्डर टेकिंग की मिनिस्टर के लड़के को मिले तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग, राजस्थान की अन्डरटेकिंग कौनसी है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं इसकी भी छूट है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अन्डरटेकिंग राजस्थान गवर्नमेंट की हो और मिनिस्टर का लड़का उस एजेन्सी को ले तो वह वाजिब नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : सेण्ट्रल गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक नहीं आता है, सेण्ट्रल गवर्नमेंट की एजेन्सी ले सकता है ? श्री लड्ढा साहब के लड़के ने जिन्होंने हिन्दुस्तान जिन्क में जिसमें सेण्ट्रल गवर्नमेंट की अन्डर टेकिंग है। उस एजेन्सी में राजस्थान का काफी माल जाता है और उसकी एजेन्सी लेकर बैठे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग की एजेन्सी है। उसकी आपको चिन्ता नहीं है कि एक मिनिस्टर का लड़का उस एजेन्सी को ले लें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया का कन्सर्न है उनके लड़के ने ली और आपने कही, तीन तीन फर्म वाली बात आपके सामने जो बात आई है उसमें एक फर्म के अन्दर तो इनके लड़के पार्टनर हैं, एक फर्म श्री बल्दुवा के नाम पर है और तीसरी इनके लड़के के साले पार्टनर हैं·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : लड़के कामन हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : लड़के तीनों में कामन है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाने का प्रश्न है

कई माननीय सदस्य (कांग्रेस) नो नो· · ·

विरोधी पक्ष की सलाह है ?

कई माननीय सदस्य (विरोधी दल) : बढाया जाय !

वित्त मंत्रीजी ।

**प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय वृद्धि**

विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धर्म-स्वातन्त्र्य विधेयक, 1970 को प्रवर समिति के प्रतिवेदन · · ·

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर !

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : के उपस्थापन प्रथम हेतु नियत समय की अवधि को अगले सत्र के सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : हां समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठक का समय बढ़ाने का प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : बैठक का समय नहीं बढ़ाया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ऐसा समझता हूं कि अगर यह सारा सदन इस बात को उपयुक्त समझे तो समय बढ़ाने वाली बात और किसी बात को जल्दी में इस सदन के अन्दर विधेयक पारित किया जाय इसके बजाय दो बिल्स जिनके बारे में औपचारिक रूप से बात करके पाया है कोई ख़ास मतभेद नहीं है-फ़ाइनेन्स बिल और रिक्शा वाला बिल अगर उसको पहले लेकर जल्दी पारित कर दिया जाय तो सब दृष्टि से उपयुक्त हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ मोशन्स हैं हमारे भी।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है सदन की अनुमति लेना चाहता हूं···

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष) : बढ़ाया जाय।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आधा घण्टा बढ़ाया जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : जब तक···

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी, आप क्या कहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : समय नहीं बढ़ाया जाय।

श्री रामकिशन : सदन के नेता तो कह रहे हैं समय बढ़ाया जाय···

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैंने समय बढ़ाने वाली बात को दो महत्वपूर्ण विधेयक जिसके बारे में समय नहीं लगने वाली बात है आज सब माननीय सदस्य जानते हैं शाम पांच बजे···

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : रिक्शा वाला लें लें।

एक माननीय सदस्य : दोनों लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से पांच मिनिट के लिये समय बढ़ा देता हूं जब तक निर्णय नहीं हो जाय।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, टेक्सेशन वाला बिल बिजनेस में है। पहले टेक्सेशन वाला बिल लिया जाय और उसके बाद में वह ले लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: समय बढाने की आज्ञा ले लें।

श्री देवीदत्त गाडिया: जिस प्रकार से बिजनेस आंका हुआ है उसी प्रकार से लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं उस स्थिति में···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य जन संघ वाले उन माननीय सदस्यों को सहमत करा लें कि दूसरे विषयों को ब्लाक करके इन दोनों को ले लिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह: आपसे कम से कम मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि आप हाउस में भी सौदेबाजी करेंगे । आप रिक्शे वाला लाकर सेल्स टैक्स बिल को पास करवायेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फाइनेन्स बिल ऐसा आइटम है जो कि एजेण्डे के ऊपर है पहले से तो वह पहले ही आयेगा । इसमें सौदेबाजी करेंगे वाली कहां से आगई । हम तो आपके बिल को एकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का जो नार्मल बिजनेस है मैं समझता हूं कि विशेष तौर से सेल्स टैक्स और रिक्शे वाला कानून स्पेशली पास हो जाना चाहिए लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य देकर उसमें विघ्न पैदा कर दिया तो उन्होंने यह सारी स्थिति पैदा की है । अगर सदन में सरकार यदि 1-2-3-घण्टा और बैठे रहे तो इसमें भागने की जल्दी क्या है । उसको तैयार रहना चाहिए । आप बैठिये । सेल्स टैक्स का बिल भी पास होगा, रिक्शे वालों का भी पास होगा और भी चर्चाएं होंगी । हम दिक्कत नहीं करेंगे । हमें भी जाना है इसलिये कानून को पास कर दो तो मुझे अफसोस है कांग्रेस के माननीय सदस्यों पर । जब हम एकोमोडेट करने को तैयार हैं और जब हम 4-5 घन्टे बैठने को तैयार हैं और 11-11 बजे तक बैठे हैं और केवल कांग्रेस के लोगों के कहने पर नहीं बैठे हैं उस दिन नहीं तो दूसरे दिन लेते । आज आप बिजनेस यों ही पास कराना चाहते हैं तो आप उस परम्परा के हामी हैं कि सदन के आखरी दिन कांग्रेस मंत्रि-मण्डल के सदस्य भागें नहीं तो उनका इतिहास नहीं बनता । यदि आपने भागने की तैयारी कर ली है तो सदन के दरवाजे खुले हैं चले जाइये । हम सेल्स टेक्स की एक एक धारा पर बोलेंगे, और जो भ्रष्टाचार के मामले रखे गये हैं और राजस्थान सरकार के खिलाफ इन भ्रष्टाचार के मामलों में इस सदन के प्रांगण में बोलने वाले हैं तो आप भाग रहे हैं तो सारी राजस्थान की जनता जानेगी कि किस प्रकार का इतिहास और परम्परा राजस्थान की सरकार बना रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सारे बिल आ जायेंगे पहले समय बढाने वाला सवाल तो आप रखें । इन सारी बातों का रुख मैं समझता हूं वह कुछ नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास: आपका रुख तो बहुत अच्छा है ।

श्री रामकिशन : गिरधारी लाल जी को चीफ व्हिप इसीलिए बनाया है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास: आपने पहले प्रस्ताव पर दो रोज की जगह तीन रोज ले लिये ।

हम इस बात को नहीं करते हैं कि इनको बोलने नहीं दिया जाय, करने नहीं दिया जाय मगर जो टेक्सेशन काबिल है उसके लिए

# Page No 163



(श्री गिरधारीलाल व्यास)
पहले दो रोज रखे गये थे और दो रोज कटवा कर एक दिन रखा है और अब आप यह कह रहे है कि एक एक धारा पर बोलेंगे। कांग्रेस वाले तो इस प्रकार से हम आपको एडजस्ट करते रहते हैं और अब आप कहते हैं कि टेक्सेशन के एक एक पाइंट पर चलेंगे और दो चार दिन तक बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why can't we meet tomorrow?

श्री भैरोंसिंह: प्रोन ए पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो सदन का समय साढे 6 बजे तक का बढ़ा था।

श्री उपाध्यक्ष: आपने सुना नहीं है मैंने 5 मिनिट का और बढ़ा दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने 5 मिनिट का समय बढ़ा दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक घन्टे का बढ़ा था।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें हुआ है। आपने सुना नहीं मैंने 5 मिनिट का बढ़ा दिया।

एक माननीय सदस्य: बढ़ा दिया था उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पहला तो यह है कि जो कार्य सूची में विषय लिखे हैं उन्हीं पर विचार होगा और कोई विषय सामने आ जाय तो ··

श्री शंकरलाल : समय तो बढा दें साहब।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: समय बढ़ा दें।

श्री रामनारायण : No. no.

श्री उपाध्यक्ष: समय बढाया जाय।

श्री जगन्नाथ: उपाध्यक्ष महोदयजी ··

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनिट के लिए समय बढ़ा दिया जब तक कि निर्णय न हो जाय इस विषय पर।
(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य समय बढ़ाया जाय कि नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय जन संघ के नेता ने कहा कि एक-एक पाइंट पर कहेंगे और सब तरह की बातें करेंगे ··

कई माननीय सदस्य (जनसंघ) बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर आप यह चाहते है कि दोनों बिल पारित किये जायं तो कोआपरेट करना पड़ेगा। यह कोआपरेशन करने की भावना है नहीं इसलिए समय नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि इन दलों का बहुमत है। दलों की संख्या के बिना पर इस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाना उचित नहीं।

कई माननीय सदस्य (कांग्रेस) : बिल्कुल उचित है।

# Page No 164



श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बारे में मोशन यहां पर लाया जाय। कुछ माननीय सदस्य इस बिल में इन्टरेस्टेड हैं और कुछ माननीय सदस्य उस बिल में इन्टरेस्टेड हैं। कुछ में भैरोंसिंहजी इन्टरेस्टेड हैं और कुछ में सुखाड़ियाजी इन्टरेस्टेड हैं। वह यहां पर तय होना चाहिये और यहां पर तय न हो तो बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तुरन्त बुलाई जाय वर्ना जो क्रम में है विषय उस तरीके से होगा। मुख्य मंत्रीजी को स्टेटमेन्ट के लिये टाइम दे दिया। जिन विषयों को वे चाहते हैं और जो कार्यसूची में नहीं थे उनको तो टाइम दे दें और जिनको नहीं करना चाहते हैं और जो सूची में हैं उनको निकाल दें तो यह नहीं होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री लादूराम सुखानिया: शड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट भी ली जाय और कम से कम 3 रोज का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री लादूराम सुखानिया : दो रोज उनके लिए छोड़ दें और एक रोज में सारे मसले ले लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं दो मिनिट में कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: और किसी मुद्दे पर नहीं होगा।

5 मिनिट के लिये समय इसलिये बढ़ाया है :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी समय बढ़ाने का फैसला हो उसके लिये, 10 मिनिट होने चाहिये इसलिये वह समय और बढ़ा दिया जाय। उसमें फैसला हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उपाध्यक्षजी, टाइम खत्म हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको सुविधा नहीं मिली हो तो आज न करें अगले दिन के लिये रख दें। लेकिन आप वह नहीं करेंगे लेकिन आप बखेड़ा करके निकलने की परम्परा को कायम रखना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय..........

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य....

श्री दौलतराम सारण : समय बढ़ाया जाना चाहिये इस बात पर शासक दल द्वारा इस बात पर समय वेस्ट किया जा रहा है और इस तरह से बीच में हस्तक्षेप करके और मुख्य सचेतक की तरफ से इस तरह की हरकत की जाय वह अत्यन्त निन्दनीय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकारी पक्ष है वह इस तरह से सठिया गया है: ....... (शोरगुल व्यवधान) .......वह भागने के लिये अड़ा हुआ है और माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि क्या करने जा रहे हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस के मेम्बर का सवाल नहीं है। यह डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन में सीनियर पार्टी के मेम्बर बैठे हुए है। आप बिल्स पास करना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। अगर पास करना चाहते है तो पूरा राइट डिबेट का देना चाहिये

# Page No 165



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
और आप नहीं करना चाहते हैं तो कह दें हाउस में खड़े होकर कि क्या करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, सदन के नेता ने अभी कुछ मिनिट पहले माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि वैसे तो एजेण्डा बहुत लम्बा है और सुबह से हम लोग डिसकस कर रहे हैं और ऐसी बात भी डिसकस कर रहे हैं जो कि एजेण्डा में नहीं थी। इसलिये दिन भर से सुबह से लेकर अब तक यह काम चल रहा है। इसलिये दो बिल हैं एक तो करारोपण वाला विधेयक और दूसरा म्युनिसिपलिटी बिल यानी रिक्शा वाले के लिये विधेयक इन दो बिलों के बारे में माननीय सदस्यों से इन्फामली चर्चा करके कहा था कि ज्यादा चर्चा नहीं होगी और हम बैठ कर इनको पास करे लेंगे इसलिये उनको आफर दी थी कि समय बढ़ा लिया जाय, लेकिन जब माननीय सदस्य..........

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसने कहा था ?

श्री मथुरादास माथुर : यह ज्यादातर लोग जो सदस्य हैं वे जानते हैं उसके बाद नेता महोदय ने यह माइण्ड बनाया और मैंने यह माइण्ड बनाया कि समय बढ़ाने से कोई काम नहीं होगा और खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि एजेण्डा में जो है उस तरीके से चलेंगे तो बैठेंगे और बिल लेंगे वर्ना नहीं चलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि खास तौर से आप फाइनेन्स बिल पास कराना चाहते हैं। अगर वह पास नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जो कन्सीक्वेंस होंगे वह ...... (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह से रिक्शे वालों के नाम पर ब्लेक मेल करना चाहते हैं ? ....... (शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : कोई ब्लेक मेल नहीं करना चाहते........ (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रिक्शा वालों के नाम पर ब्लेक मेल करना चाहते हैं ..... (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। दो घण्टे का समय निर्धारित कर देते हैं दोनों बिल्स के लिये तो ठीक होगा।

(नो नो की आवाज)

मैं सुझाव दे रहा हूं, आप सुनिये तो सही।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : हम यहां पर पूरी डिबेट करेंगे और पूरा समय लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : (शोरगुल में) हमारे सब्र की हद हो गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (शोरगुल में) मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का बिजनेस जब तक समाप्त नहीं होता है उस समय तक के लिये बढ़ाया जाये।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

Page No 166



(कई माननीय सदस्य)

(नो नो की आवाजें) (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें । मैं एक सुझाव दे रहा हूं······ (शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे नेता ने कह दिया है·········

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : इस इशू पर उपाध्यक्ष महोदय········

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उप मंत्री महोदय, मेरी बात तो सुनिये । ऐसा है, मुख्य मंत्री महोदय ने दो बिल्स के बारे में कहा था और इसमें विपक्ष की ओर से यह बात कही गई है कि इसमें कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है । एक सुझाव यह आया है कि सदन का समय नहीं बढ़ाया जाये । परन्तु मेरा सुझाव है कि इसमें कोई समय निश्चित कर दिया जाये और उसमें एक डेढ़ दो घन्टे में दोनों बिल्स को ले लिया जाये·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें एजेण्डा के हिसाब में चलेंगे······ (शोरगुल) मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्यसूची में जो बिजनेस है उसके समाप्त होने तक समय सदन का बढ़ाया जाये········

(नो नो की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष : विवश होकर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ेगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 31 रुपया रोज लेते हैं तो बैठने में क्या है । थोड़ी देर बैठने में क्या तकलीफ हो रही है ?····· (शोरगुल)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय आपके आदेश के बावजूद यह क्या हो रहा है········

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, मैं समझाता हूं । यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है जिसको कि हम हल नहीं कर सकते । आपकी अनुमति है ? समय सीमा स्वीकार करते हैं ?····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सम्भव नहीं है उपाध्यक्ष महोदय । यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट मसला है, टैक्सेशन का मामला है । घन्टे भर में भी हो जाये, दो घण्टे में भी हो जाये····· (शोरगुल····नो नो की आवाजें)

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिना बैठे कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तीन दफे समय बढ़ा दिया है । अब समय समाप्त हो रहा है ।···

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा क्वेश्चन······ (शोरगुल)

श्री रामनारायण चौधरी : इनकी नीयत साफ नहीं है······· (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : (शोरगुल में)····· अब समय हो गया ।·······मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है······माननीय सदस्य ·········आसन पैरों पर है····· माननीय सदस्य । सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है ।

(शोरगुल)

(तदनन्तर 6 बज कर 45 मिनिट पर सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई )।

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 906 की सूची)

सूची

| परमिटधारी का नाम | बस सं. | परमिट सं. एवं परमिट देने की तिथि | परमिट की अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. श्री रामदेव दादयाल | आर. जे. एल. 4869 | 1264, दि 23-2-57 | 22-2-72 |
| 2. श्री छत्रधर शर्मा | आर. जे. आर. 1127 | 1277, दि. 22-4-57 | 22-4-72 |
| 3. श्री रामनारायण छावर | आर. जे. जेड. 319 | 2041, दि. 28-7-61 | 23-7-73 |

सूची समय सारिणी

| केकड़ी से रवानगी | पहुंच टोडारायसिंह |
|---|---|
| (अ) 11.00 प्रात: | (अ) 1-00 दोपहर |
| (आ) 4-00 सायंकाल | (आ) 6-00 सायंकाल |

| टोडारायसिंह से रवानगी | पहुंच केकड़ी |
|---|---|
| (अ) 8-00 प्रात: काल | (अ) 10-00 प्रात: काल |
| (आ) 2-00 दोपहर | (आ) 4-00 सायंकाल |

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 707 की सूची)

भीलवाड़ा की फर्मों से खरीदे गये डिजल पम्पों का विवरण

| क्र. सं. | फर्म का नाम | क्रय करने की ता. | पंपिन्ग सेट का विवरण | क्रय का प्रयोजन | क्रय का मूल्य | प्रक्रिया | कहां प्रयोग में लिये गये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| भीलवाड़ा खंड | | | | | | | |
| 1. | गणेश इंजीनियरिंग कम्पनी, भीलवाड़ा | 26-3-69 | अजित 5 एच.पी. तादाद 2 | डिवाटरिंग | 23360 | टेण्डर द्वारा | गुलाबपुरा |
| 2. | ,, | 23-6-69 | ,, तादाद 3 | ,, | | ,, | बंतपुरा |
| 3. | ,, | 23-6-69 | ,, | ,, | | ,, | ,, |
| 4. | अजमेर डीजल एंड ट्रेक्टर कं. भीलवाड़ा | 18-6-69 | कूपर 5 एच.पी. तादाद 2 | ,, | 6640 | सेंटर स्टोर कन्या संगठन जयपुर द्वारा स्वीकृत मूल्य। | खंडई गांवटा |
| 5. | सुराना एंड कं. भीलवाड़ा | 23-6-69 | किर्लोस्कर 20 एच. पी. ता. 4 | ,, | 18940 | टेण्डर द्वारा | गुलाबपुरा |
| 6. | राजस्थान एग्रीक चर सर्विस भीलवाड़ा | 22-2-71 | जवाहर 6.5 एच.पी. तादाद 2 | ,, | 5900 | ,, | बालापोलिया टिटोड्स |
| 7. | बतरा मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक, कं. भीलवाड़ा। | 23-2-71 | प्रतुलशक्ति 6.5 एच. पी.। | ,, | 2832 | सेंटर स्टोर क्रय संगठन जयपुर द्वारा स्वीकृत दर पर। | रैवस्ना प्रोजेक्ट |

# Page No 169



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मेजा फीडर खंड** | | | | | | |
| 1. | राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा। | 2-11-70 | मनिल पम्पिंग 5 एच.पी. तादाद 3 | कन्सोलिडेशन के लिये। | 9510 | सेन्टर स्टोर क्रय संगठन जयपुर द्वारा स्वीकृत दर पर कोटेशन मांग पर | मातीकुन्डिया बांध मेजा फीडर। |
| 2. | ,, | 20-1-71 | जवाहर 6.5एच.पी. तादाद 3। | ,, | 9130 | | ,, |
| 3. | अजमेर डीजल ट्रैक्टर भीलवाड़ा। | 20-1-71 | कूपर 6एच.पी. तादाद–2 | ,, | 6218 | ,, | ,, |
| 4. | राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा। | 18-3-71 | जवाहर 6.5एच.पी. नं. 1 | चैन 182 पर ट्रायल पिट्स के लिये | 3043 | ,, | ,, |
| 5. | राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा। | 27-3-71 | ,, ता. 2 | चैन 1850 से चैन 1896 | 6086 | ,, | मातीकुंडिया बांध |
| | **चित्तौड़गढ़ खंड** | | | | | | |
| 1. | राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा। | 15-1-71 | ,, | ट्रायल पिट्स डी. डिवाटरिंग के लिए | 5664 | सेंटर स्टोर परचेज कमेटी द्वारा स्वीकृत। | मेवदा प्रोजेक्ट। |
| 2. | गणेस इंजीनियरिंग, भीलवाड़ा। | 7-6-69 | 9-10एच.पी. मजित ता. 2 | ,, | 9690 | ,, | विभिन्न अकाल राहत कार्यों पर। |
| 3. | ,, | 24-2-71 | ,, ता. 2 | ,, | 9690 | ,, | बरडिया प्रोजेक्ट |
| 4. | राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा। | 25-2-71 | जवाहर 6.5 एच.पी. तादाद 9 | ,, | 2832 | ,, | चंचकिया बांध, |
| 5. | ,, | 27-3-71 | ,, ता. 2 | ,, | 2832 | ,, | ,, |
| | **बांसवाड़ा खण्ड** | | | | | | |
| 1. | राजस्थान एग्रीकल्चर | 19-6-70 | मनिख 6एच.पी.ता. | कन्सोलिडेशन के | 6730 | ,, | घोराघरा, पेडा पर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सर्विस, भीलवाड़ा। | | 2 | लिये डिवार्टरिंग व कन्सोलिडेशन के लिये। | | | |
| देवली खण्ड | | | | | | | |
| 1. | राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा। | 16-7-70 | प्रनिल 6 एच पी ता. 2 | कंसोलिडेशन के लिये डिवार्टरिंग व कन्सोलिडेशन के लिये। | 6289 | सेंट्रल स्टोर परचेज कमेटी द्वारा स्वीकृत | तालदरी गोडच प्रोजेक्ट। |
| उदयपुर खंड | | | | | | | |
| 1. | राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा। | 10-6-70 | प्रनिल 5.6 एच.पी. ता. 2 | डिवार्टरिंग कंसोलिडेशन आदि के लिये। | 6730 | | कन्थारिया व कन्थेरा पर। |
| 2. | ,, | 15-7-70 | ,, ता. 4 | | 13460 | ,, | किलड, बरोठी मानस जलवा बांधों पर। |
| 3. | ,, | 23-7-70 | ,, ता. 2 | ,, | 6730 | ,, | सालेरा वासनी। |

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 708 की सूची )

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की सूची

राजकीय

1. राजकीय प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, उदयपुर ।

2. राजकीय योगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, बापू नगर, जयपुर ।

सार्वजनिक

| प्राकृतिक केन्द्र का नाम | अनुदान की राशि | | |
|---|---|---|---|
| | 68–69 | 69–70 | 70–71 |
| 1. प्रा. केन्द्र, बीकानेर | 1450 | 3000 | 6000 |
| 2. प्रा. चिकित्सा केन्द्र, अलवर | 3600 | 3600 | 3600 |
| 3. प्रा. चि. केन्द्र, बापूनगर, जयपुर | 3100 | 6000 | 6000 |
| 4. प्रा. चि. केन्द्र नोहर, गंगानगर | .. | 600 | 1000 |

# Page No 172



परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित प्रश्न

(17-5-71)

**कम्पाउन्डरों व स्कन्धपालों की वरिष्ठता सूची**

797. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पशुपालन विभाग के कम्पाउन्डर व स्कन्ध-पालों की वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा कब कब प्रकाशित की गई ? कृपया वरिष्ठता सूचियों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने में क्या क्या आधार विभाग द्वारा रखे गये थे ? क्या विभाग ने इसके लिये कोई नियम भी बना रखे हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग के कम्पाउन्डर व स्कन्धपालों की वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा सन् 1968 में प्रकाशित की गई थी (प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है)

(2) राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम, 1960 के प्रावधानों के आधार पर सूची तैयार की गई है। विभागीयनियम अर्थात् पशु पालन विभाग अधिनस्थ कर्मचारी नियमों का प्रारूप बनाया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(13-5-71 व 20-5-71)

लाडनूं में भूमि का नामान्तरकरण)

787. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) तहसील लाडनूं जिला नागौर के क्षेत्र में कितने नामान्तरकरण कब कब से बिना तस्दीक के पड़े हैं ? पटवार क्षेत्रवाईज सूची मय व्यक्तियों के नाम व पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) सन् 1969 व 70 में कौन कौन से नामान्तरकरण तस्दीक किये गये ? व्यक्तियों के पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

1 वांछित सूचना की सूची 'क' व सूची 'ख' संलग्न है ।

(2) वांछित सूचना की सूची 'ग' संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

स्थगित प्रश्न

(17-5-71)

सरपंच व उप सरपंचों के रिक्त स्थान

805. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले की ग्राम पंचायत रील व खाटू बड़ी में सरपंचों व उप सरपंचों के स्थान रिक्त है एवं रोल में अस्थाई व्यवस्था राज्य सरकार ने पंच को सरपंच का कार्य करने हेतु नोमीनेट करके की है एवं खाटू बड़ी ग्राम पंचायत ऐसी व्यवस्था के अभाव में बन्द पड़ी है ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों पंचायतों का आडिट भी सरपंचों के स्थान रिक्त होने के कारण इस वर्ष माह मार्च, 1971 में नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

स्थगित प्रश्न

(17-5-71)

स्वर्णकारों को दिये जाने वाली मदद के नियम

श्री रामकिशन (वैर) श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) स्वर्णकारों को दिये जाने वाले कर्ज के कोई नियम हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें ?

(2) चूरू जिले में सन् 1963 से कुल कितनी धन राशि स्वर्णकारों को लोन के रूप में दी गई है ।

# Page No 174



(श्री रामकिशन)

(3) क्या स्वर्णकारों को दिये गये लोन में किसी स्वर्णकार की जमानत किसी अन्य व्यक्ति से ली गई थी ? यदि हां, तो किस व्यक्ति से ?

(4) क्या स्वर्णकारों को दिये गये लोन की वसूली हो रही है ? चूरू जिले में कुल कितनी वसूली हुई और बकाया किस किस में कितनी है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखदी गयी है ।

चूरू जिले में 1963 से 1969 तक कुल 1,57,500।- रु. स्वर्णकारों को लोन के दिये गये ।

(3) स्वर्णकारों को दिये गये लोन में जिस स्वर्णकार की जमानत ली गई है सूची संलग्न है तथा उनके नाम के सामने अंकित है ।

(4) जी हां वसूली हो रही है । कुल वसूली 51,609।- रु० हुई तथा रु० 1,05,891।- वसूली से अवशेष है । व्यक्ति वाइज सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

स्थगित प्रश्न

(18-5-71)

**रानोली के सरपंच पर बकाया**

819. श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उप जिला विकास अधिकारी सीकर ने दिनांक 27-2-68 को अतिरिक्त आयुक्त जयपुर को एक पत्र क्रमांक एफ. 56 (पि) 68 नं. 1235 लिखकर यह सूचित किया है कि रानोली पंचायत के सरपंच श्री हीरालाल शर्मा में खाद व बीज की रकम में 45,000।- रुपया बकाया है जिसे बिना निलम्बित किये रेकार्ड का निरीक्षण तक नहीं हो सकता ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 14-4-66 से दिनांक 6-8-68 तक सरपंच श्री हीरालाल शर्मा रानोली को खाद बीज की रकम जमा कराने हेतु 18 बार उप जिला विकास अधिकारी सीकर द्वारा नोटिसेज दिये गये (क्रमांक 2523 दिनांक 28-8-68) परन्तु सरपंच ने न तो रकम जमा कराई और न हिसाब पेश किया ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच रानोली जान बूझ कर सरकारी नोटिसेज की अवहेलना कर रहा है ?

(4) उप जिला विकास अधिकारी सीकर द्वारा जो रकम सरपंच रानोली में बकाया निकाली है वह किस अवधि की है तथा किन किस कार्य हेतु ली गई रकमें हैं ?

(5) उपरोक्त रकम इतने अधिक समय तक अपने पास रखना तथा सरकार द्वारा बराबर मांगने पर भी जमा न कराने के सम्बन्ध में सरपंच रानोली के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

उत्तर

(1) प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ।

(2) जी, हां ।

(श्री पंचायत मंत्री)

(3) जी, हां। सरपंच ने अब रेकार्ड पेश कर दिया है और हिसाब की जांच जारी है।

(4) खाद व बीज की बकाया रकम सन् 1959 से 1964 तक की अवधि की है।

(5) खाद बीज के दुरूपयोग के सम्बन्ध में सरपंच को विभागीय आदेशों की अवहेलना का आरोप पत्र दिया जाकर उप जिलाधीश सीकर से विस्तृत जांच कराई जा रही है। पूरी जांच होने पर राशि वसूल करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(12-5-71)

**नागोर जिले में गांधी शताब्दीवर्ष में आवंटित भूमि**

866. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर)-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी वर्ष में नागोर जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को कृषि योग्य भूमि दी गई है? अगर हां, तो किस तहसील में कितनों को सूची सदन में पेश करें?

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को दी गई जमीनों का कब्जा दे दिया गया है? अगर नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सच है कि खेजड़ला ग्राम, तहसील परबतसर में गांधी शताब्दी में हरिजनों को अलाट की गई जमीनों में से उस गांव के व्यक्तियों ने पेड आदि काट लिये थे? अगर हां, तो क्या पटवारी ने पुलिस तथा एस. डी. ओ., परबतसर को रिपोर्ट की थी? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सिवाय तहसील परबतसर में कुछ व्यक्तियों के अलावा बाकी सभी व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है। तहसील परबतसर में कुछ व्यक्तियों को कब्जा नहीं देने का कारण तहसील परबतसर की सूची के कालम नं. 5 में दे दिया गया है।

तहसील परबतसर में खेजडला नाम का कोई ग्राम नहीं है, अतः रिपोर्ट आदि दर्ज कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

# Page No 176



परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 790 की सूची)

सूची

| क्र. सं. | नाम | गाड़ी नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | श्री ख्वाज मोहम्मद | आर. जे. आर. 3561 |
| 2. | श्री सिराज अहमद | आर. जे. आर. 3492 |
| 3. | श्री अब्दुल सलाम | आर. जे. आर. 4501 |
| 4. | श्री उजागर सिंह सेठी एण्ड सन्स | आर. जे. आर. 2685। यह बस रोड टैक्स बकाया होने से चार माह से आर. टी. ओ. टैक्सेशन आफिसर ने थाने में बन्द करवा रखी है। |
| 5. | श्री सुरजीतसिंह सुदर्शनसिंह एण्ड कं. | आर. जे. आर. 1414 |
| 6. | श्री रामनारायण श्री राम कल्याण | आर. जे. डी. 1187 |
| 7. | श्री लोहिया बस सर्विस श्री निवास | आर. जे. एल. 7367 |
| 8. | श्री हाड़ोती ट्रांसपोर्ट बस सर्विस | आर. जे. आर. 3124 |
| 9. | श्री जयहिन्द ट्रांसपोर्ट | आर. जे. आर. 4211 |
| 10. | श्री मानमल तेजमल | आर. जे. आर. 5625 |
| 11. | श्री हाड़ोती ट्रां. बस सर्विस | आर. जे. आर. 4737 |

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. सं. 804 की सूची)

Extract copy of office order No. 133/71 dated 30th March 1971 received in this office vide No. F. 58 Adm RSAS/1 and copies sent to all concerned.

The transfers and postings of the following Accountants are hereby ordered with immediate effect---

| S. No. | Name | From | To | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| x | x | x | x | x |
| 8. | Girraj Pd. Agarwal | Addl. Director of Edu. Jaipur | family planning Deptt. (Press) Jaipur. | vacant. |

x x x v

Sd - Chief Acconnts officer.

राजस्थान सरकार

क्रमांक एफ-58।प्रशा। जयपुर दिनांक 5-4-71

कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान,
जयपुर ।

कार्यालय आदेश संख्या 156।71

निम्नांकित लेखाकारों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:—

| क्रम | नाम | विभाग/कार्यालय | | विशेष विवरण (स्थान पर) |
|---|---|---|---|---|
| | | वर्तमान | नया | |

सर्वश्री गिरिराज प्रसाद अग्रवाल एवं गणेशनारायण सक्सेना लेखाकारों के स्थानान्तरण आदेश संख्या 133 दिनांक 30-3-71 व 153 दिनांक 2-4-71 को निरस्त किये जाते हैं। वे अपने वर्तमान विभाग।कार्यालय शिक्षा विभाग जयपुर एवं भेड़ व ऊन विभाग, राजस्थान, जयपुर में ही कार्य करते रहेंगे।

ह0:—
मुख्य लेखाधिकारी

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 431 की सूची)

चम्बल क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कों की सूची:—

| नाम रोड | लम्बाई | अनुमानित लागत लाखों |
|---|---|---|
| (1) राजा खेड़ा से वजना (मध्य प्रदेश सीमा तक) | 4 | 4.00 |
| (2) राजाखेड़ा से बढवाया बर्सा या घीयाराम | 5 | 5.00 |
| (3) धोलपुरा से वहर लालपुर छीलपुरा-मध्यप्रदेश सीमा | 8 | 800 |
| (4) धोलपुर से मारोली बसाइ डंग | 11 | 9..80 |
| (5) पलाई डेम से सीवार | 16 | 16.00 |
| (6) सीवार से सोनीका गुरजा | 4 | 3.20 |
| (7) सोनी का गुरजा से भीरी | 10 | 1000 |
| (8) भोरी से मन्डेरल | 13 | 13.00 |
| (9) माण्डरेल से बन्दलीपुरा | 16 | 16.00 |
| (10) मावतपुर से चंदबरेड़ा | 21 | 21.00 |
| (11) मछलपुर वरेठा बासेरी | 7 | 7.00 |
| (12) खण्डार से करनपुर वाया रोरावल खंड़ली | 28 | 28..00 |
| (13) करनपुर से मध्यप्र देश सीमा तक | 4 | 4.00 |
| (14) मीरी से सरमथुरा | 8 | 8.00 |
| (15) बासेरी से बंशराव (कासकी बावड़ी) से घडी मासलपुर | 10 | 10.00 |
| (16) सवाई माधोपुर से पातोदी पालीघाट | 20 | 20.00 |
| (17) घातोली के निकट पार्वती नदी का पुल | .. | 35.00 |
| (18) पीपलदा से पुसोद | 3 | 3.00 |
| (19) किशनगंज गरेरा | 8 | 6.00 |
| (20) सीताबारी से अण्डेला | 4 | 4.00 |
| (21) कसवाथाना (भा देवली) सनदरी पाटरी एण्ड डूगो | 9 | 9.00 |
| (22) कसयाथाना से रामपुर | 7 | 7.00 |
| (23) नाहरगढ़ से विलिड़ा | 7 | 7.00 |
| (24) बांर साहबाद सड़क से बन्ता वाया राजपुरा | 8 | 8.00 |
| (25) सिमारना से मान्दोरा | 5 | 5.00 |
| (26) केलवारा से सिताबाड़ी, गरेरा-भोदा से रेतदान | 14 | 14.00 |
| (27) गरेरा से एम. पी. बोरडर वाया अनडला और टारिया | 16 | 14.00 |
| (28) गैता से ककरान्दा, छिपरी-नोमोला-अगली-धावा से चम्बल | 28 | 28.00 |
| (29) श्योपुर से स. माधोपुर से सड़क पर चम्बल नदी के पाली घाट पर पुल | .. | 80.00 |
| (30) छबड़ा से कुम्भ राज | 16 | 16.00 |
| (31) अटरु से छबड़ा | 15 | 15.00 |

| | | |
|---|---|---|
| (32) कवई से नाहर गढ़ | 11 | 11.00 |
| (33) छीपाबड़ोद से एम पी. बोरडर | 36 | 36.00 |
| (34) मांगरोल से सरंधांग वावा बमोरी सीमा तक | 8 | 8.00 |
| (35) वाट्ठा-खातोली वाया मांगरोल आईया तथा पिपलदा | 26 | 26.00 |
| | 227 | |

अतारांकित प्रश्न सं. 64।सा. नि. मं.

| नाम रोड | लम्बाई | अनुमानित लागत लाखों में |
|---|---|---|
| (1) सुधार करोली बारी रोड | 44 | 31.00 |
| (2) " भावलपुर | 18 | 13.00 |
| (3) करौली से मन्डरावल | 23.5 | 16.50 |
| (4) बारां साहबाद | 48 | 34.00 |
| (5) (अ) बारां से धातोली | | |
| (1) बारां से मांगरोल | | |
| | 21 | 15.00 |
| (2) गणेशगंज से इटावा | | |
| (ब) नवीन निर्माण | | |
| (1) मांगरोल से गणेश गंज | | |
| | 22 | 22.00 |
| (2) इटावा से खातोली | | |
| (6) मंडरावल के निकट काजवे | .. | 40.00 |
| (7) स. माधोपुर से इन्दरगढ़ मय आवश्यक सी. डी. वर्क्स | 20 | 15.00 |
| (8) स. माधोपुर से गंगापुर मय आवश्यक सी डी. वर्क्स (माडोती से गंगापुर) | 30 | 23.00 |
| | 226.5 | |

## परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 732 की सूची)

पंचायत समिति लाडनूं को वर्ष 1965 से लेकर अब तक प्रति वर्ष हुई निजी आय का विवरण:-

| वर्ष | आय |
|---|---|
| 1965-66 | 16,918-30 |
| 1966-67 | 23,274-14 |
| 1967-68 | 22,810-12 |
| 1968-69 | 25,331-02 |
| 1969-70 | 26,001-27 |
| 1970-71 | 39,931-51 |

पंचायत समिति लाडनूं द्वारा सन् 1965 से निजी आय से किये गये खर्च का विवरण

| क्र. सं. | कार्य जिस पर खर्चा किया गया | खर्च की गई राशि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | सदस्यों के भत्ते | 4 220-64 | 3,057-60 | 4,807-78 | 4,831-45 | 5,234-02 | 5,734-25 |
| 2. | कार्यालय भवन की मरम्मत | 4,500-00 | 5,573-21 | .. | .. | 333-00 | 78-00 |
| 3. | जीप रख–रखाव | 1,322-51 | 3,445-63 | 4,006-18 | 1,289-65 | 9,983-74 | 10,160-21 |
| 4. | स्टाफ क्वार्टर्स मरम्मत | 8,486-51 | 44-13 | 19-00 | .. | .. | 360-68 |
| 5. | टेलीफोन पर व्यय | 272-60 | 612-65 | 1,005-40 | 366-90 | 988-50 | 983-00 |
| 6. | स्टाफ के लिये कुल अनुदान में कम पड़ने वाला व्यय | .. | 178-38 | 364-81 | 250-00 | 3,360-76 | 7,515-18 |
| 7. | विविध | 304-80 | 1,334-96 | 1,156-13 | 1,612-96 | 5,031-82 | 3,294-64 |
| 8. | पंचायत समिति द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमों पर व्यय | .. | 4,100 00 | .. | .. | .. | .. |
| 9. | बाढ़ व अग्नि पीड़ितों को सहायता | .. | .. | 250-00 | .. | .. | .. |
| 10. | पंचायत राज संघ को अनुदान | .. | .. | .. | 1,000 00 | .. | .. |
| 11. | क्रय विक्रय सहकारी समिति के शेयर खरीद | .. | .. | .. | 3,000-00 | .. | .. |
| 12. | शिक्षा संबंधी प्रवृत्तियों पर व्यय | .. | .. | .. | .. | 1,500-00 | .. |
| 13. | लेखा आडिट फीस | .. | .. | .. | .. | 4,000-00 (दो वर्ष के) | 2,000-00 |
| 14. | कर्मचारियों को साईकिल ऋण | .. | .. | .. | .. | 1,200-00 | .. |
| 15. | विकास कार्य को बढ़ावा देने वाली स्कीमों पर व्यय | .. | .. | .. | .. | 1,420-00 | 3,000-00 |
| 16. | अतिरिक्त स्टाफ पर व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,908-57 |
| 17. | कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान | .. | .. | .. | .. | .. | 1,454-56 |

## परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 749 की सूची)

सूची

| क्रमांक | नाम जिला | काश्त योग्य भूमि | खातेदार काश्तकार | गैर खातेदार काश्तकार | सरकारी पड़त भूमि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (एकड़) | | | (एकड़) |
| 1. | अजमेर | 1235379 | 171760 | 14163 | 42078 |
| 2. | अलवर | 1447440 | 557446 | 37816 | 5400 |
| 3. | बांसवाड़ा | 50210 | .. | .. | 50210 |
| 4. | बाड़मेर | 5902585 | 127559 | 9406 | 253596 |
| 5. | भरतपुर | 1443872 | 370400 | .. | 13854 |
| 6. | भीलवाड़ा | 596548 | 236604 | 62461 | 117692 |
| 7. | बीकानेर | 4348867 | 27243 | 20268 | 1103830 |
| 8. | बूंदी | 687633 | 55654 | 4598 | 32188 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 1674707 | 195125 | 25181 | 10000 |
| 10. | चूरू | 4195843 | 99404 | 9441 | 12225 |
| 11. | डूंगरपुर | 419660 | 104113 | 19336 | 28672 |
| 12. | गंगानगर | 3081677 | 162240 | 74231 | 419640 |
| 13. | जयपुर | 2038274 | 258938 | 41239 | 53715 |
| 14. | जैसलमेर | 4976354 | 23013 | 9607 | 3466848 |
| 15. | जालौर | 1454036 | 95322 | 16800 | 91859 |
| 16. | झालावाड़ | 76046 | 112031 | 16258 | 7837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | झुन्झुनू | 1192265 | 116116 | .. | 2235 |
| 18. | जोधपुर | 4139350 | 144870 | 24035 | 17180 |
| 19. | कोटा | 1272387 | 213765 | 39495 | 43694 |
| 20. | नागौर | 3510074 | 168989 | 54889 | 17570 |
| 21. | पाली | 2046555 | 159619 | 31385 | 215743 |
| 22. | सवाई माधोपुर | 719923 | 238886 | .. | 48874 |
| 23. | सीकर | 1760122 | 130278 | 4911 | 15376 |
| 24. | सिरोही | 615913 | 50750 | 5930 | 3566 |
| 25. | टौंक | 1182140 | 120695 | .. | 36000 |
| 26. | उदयपुर | 823404 | 340133 | 36601 | 24454 |
| | योग .. | 50942258 | 4650953 | 558151 | 6134326 |

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 758 की सूची)

बड़ो खाटू के निम्न ग्रामों को जल वितरण की सुविधा मिलेगी

| | ग्राम का नाम | ग्राम की आबादी |
|---|---|---|
| 1. | गांधी चौक | 200 |
| 2. | महाजनों का बास | 500 |
| 3. | बड़ता वाला ब्राह्मणों का चौक | 200 |
| 4. | कोठ की गली | 300 |
| 5. | सुनारों का बास | 700 |
| 6. | कोई एरिया | 600 |
| 7. | बस स्टेशन एरिया | 400 |
| 8. | खातियों का मोहल्ला | 300 |
| 9. | भाम्भियों का मोहल्ला | 300 |
| 10. | पुलिस स्टेशन एरिया | |
| 11. | बनियों का बास आदि | 100 |
| 12. | महाजनों की बस्ती | 300 |
| 13. | ढोलियों का बास | 300 |
| 14. | क़ाज़ियों की गली आदि | 400 |
| 15. | सैयद अली | 300 |
| 16. | मेहता काठिया नाइयों का बास | 200 |
| 17. | दुकानें मठ, एवं होटलें आदि | 200 |
| 18. | कादलियों का बास | 200 |
| 19. | कसाइयों का बास | 500 |
| 20. | छीपों की गली | 300 |
| 21. | मसजिद आदि | 200 |
| 22. | बाजार, भाम्भियों बास | 500 |

# शुद्धि–पत्र

(मंगलवार, दिनांक 25 मई, 1971)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | – | 1] पार्श्व में |
| 1 | 2 | को | वजे |
| 1 | 3 के पश्चात शीर्षक | – | वित्तीय समितियों के चुनाव सम्बन्धी समय में वृद्धि की सूचना |
| ,, | अन्तिम से 9 | चनाव | चुनाव |
| ,, | अन्तिम से 11 के पश्चात शीर्षक | वित्तिय समितियों के चुनाव सम्बन्धी समय में वृद्धि की सूचना | – |
| | | — | पार्श्व में [2 |
| 2 | 10 | किराय | किराया |
| ,, | 12 | इ डस्ट्रीज | इन्डस्ट्रीज |
| ,, | 14 | जिल | जिले |
| ,, | 18 | यातयात | यातायात |
| 4 | 6 | पाया या | पाया गया |
| 6 | 4 | किय | किया |
| 13 | अन्तिम से 12 | की चुकी हैं | की जा चुकी है |
| 18 | 15 | टैम्परेरिरी | टैम्पोरेरी |
| 19 | 3 | अफर | आफर |
| 20 | 9 | श्री बद्रीप्रसाद ुप्ता | श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता |
| ,, | अन्तिम से 12 | कह जात है | कहा जाता है |
| 21 | 7 | य नीलामी | यह नीलामी |
| 22 | अन्तिम से 14 | श्री वृद्धिचन्द | श्री रिद्धीचन्द |
| 24 | ,, 12 | मने | मैंने |
| 25 | ,, 8 | कलेक्ट | कलेक्टर |
| 26 | 5 | रही | रही है ? |
| 31 | अन्तिम से 1 | दर्ज किया करने | दर्ज करने |
| 36 | ,, 4 | उसको द्वारा | उसके द्वारा |
| 36 | ,, 3 | नसूल किया | वसूल किया |
| 38 | ,, 1 | ो दूसरा | को दूसरा |
| 40 | 15 | फार्म्स | फर्म्स |
| 42 | 9 | मुझ | मुझे |
| 43 | 6 | लकिन | लेकिन |
| ,, | 6 | य आदेश | यह आदेश |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 43 | अन्तिम से 9 | जा बात | जो बात |
| ,, | ,, 1 | कह | कहें |
| 45 | ,, 7 | वहदवा | बलदवा |
| 46 | ,, 3 | खरीद | खरीदा |
| 54 | 3 | कर लगे | कर लेंगे |
| 61 | 14 | मुद्ध | मुद्दे |
| ,, | 17 | दूसर है। | दूसरा है। |
| 62 | 1 | क सरपंच | के सरपंच |
| ,, | 10 | का झूंठे | के झूंठे |
| 65 | 5 | जांच आदेश | जांच के आदेश |
| ,, | अन्तिम से 15 | expunge | expunged |
| 66 | ,, 2 | जगह ते | जगह होते |
| 69 | ,, 9 | लगये | लगाये |
| 70 | ,, 12 | उदय ु र | उदयपुर |
| 74 | ,, 12 | निवेद | निवेदन |
| ,, | ,, 4 | र्थ | प्रार्थना |
| 84 | ,, 14 | आर. टी. ए. भी भी | आर. टी. ए. भी |
| 90 | ,, 7 | बन्दी | बुन्दी |
| 92 | ,, 2 | सं धानिक | संवैधानिक |
| 93 | 6 | यग्य | योग्य |
| ,, | 14 | किने | कितने |
| 95 | 7 | वतन | वेतन |
| 96 | 17 | कीकरेंगे | की कृपा करेंगे |
| 99 | अन्तिम से 12 | ि स्पसरी | डिस्पेन्सरी |
| ,, | ,, 10 | व ोंकि | क्योंकि |
| ,, | ,, 3 | किरा | किराये |
| 102 | 14 | इन | इन्हें |
| 104 | अन्तिम से 8 | क | के |
| 105 | 15 | बाल्य | बाहुल्य |
| ,, | अन्तिम से 10 | सहायक लेखाकारी | सहायक लेखाधिकारी |
| ,, | ,, 9 | हैखाकार | है कि लेखाकार |
| 115 | ,, 6 | बारे | बारेमें |
| 120 | ,, 4 | श्थागित | स्थगित |
| 133 | 15 | दविदरों | दावेदारों |
| 134 | अन्तिम से 13 | क | के |
| ,, | ,, 10 | खुर्रा | खर्रा |
| 135 | 6 | सम्बन | सम्बन्ध |
| 138 | 1 | का | के |
| ,, | अन्तिम से 3 | प्रधा | प्रधान |
| 142 | 5 | श्रीअध्यक्ष ++++ | श्री अध्यक्ष: अ ंडर प्लीज |
| ,, | 15 | जो | को |
| 146 | 15 | which | Wnich |
| ,, | अन्तिम से 6 | To my point | to stick to may point |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 146 अन्तिम से | 5 | you | You |
| ,, ,, | 1 | सोसाइटी | सोबाइटी |
| 147 | 3 | आई | वी |
| 149 अन्तिम से | 11 | | question |
| ,, ,, | 1 | dabate | debale |
| 151 | 4 | यह | इस |
| ,, | 8 | मव | मूव |
| 152 | 12 | कॉन्स्टीट्यूशनल | कान्स्टीटयूशन |
| 155 | 15 | मां | मांगू |
| 156 अन्तिम से | 14 | क | के |
| ,, ,, | 11 | मखातिव | मुखातिब |
| 157 ,, | 12 | befored | before |
| 158 ,, | 9 | एडजोनीमेंट | एडजोर्नमेंट |
| 159 | 8 | पोइन्ट ओफ | पोइन्टओफ आर्डर |
| 162 | 8 | क प्रश्न | के प्रश्न |
| 167 अन्तिम से | 6 | हम | हमें |
| 168 ,, | 15 | रिपोर्ट | रिपोर्टरों |
| 176 | 12 | बठने | बैठने |
| 186 अन्तिम से | 9 | का | को |
| ,, ,, | 2 | गही | नहीं |
| 188 ,, | 4 | उपाध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| 190 | 12 | खड | खड़े |
| ,, | ,, | मंगे | मांगें |
| ,, अन्तिम से | 10 | पहल | पहले |
| 191 | 4 | अमेन्डमें | अमेन्डमेन्ट |
| 194 | 9 | य | में |
| ,, | 17 | रिपोर्ट | रिपोट |
| ,, अन्तिम से | 9 | म | में |
| 196 ,, | 4 | चने | चुने |
| ,, ,, | 2 | नित्वंण | नियंत्रण |
| 198 | 15 | उपस्यिति | उपस्थित |
| 199 अन्तिम से | 5 | पुनिवा | पुनिया |
| ,, ,, | 1 | हस्तक्षेप रहे है | हस्तक्षेप कर रहे हैं |
| 206 ,, | 16 | तो | यह तो |
| 207 ,, | 7 | कम | काम |
| 207 अन्तिम से | 4 | काम | कम |
| 210 | 14 | कराय | कराया |
| 211 | 10 | आग | आगे |
| ,, | 11 | सकत | संकेत |
| 219 | 8 | देन | देना |
| ,, अन्तिम से | 4 | मजूदा | मौजूदा |
| 223 | 16 | र ी | रहेगी |
| 224 | 6 | श्री रामानन्द प्रवाल | श्री रामानन्द अग्रवाल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 234 | 259 शीर्ष | मंत्रीद्वारा वक्तव्य | आधेघंटे की चर्चा |
| 235 | अन्तिम से 7 | वो | दी |
| 242 | ,, 1 | सोआइटी | सोसाइटी |
| 243 | 9 | मने | मैंने |
| 248 | 19 | ही | यही |
| 250 | 2 | कोडीभाव | कोडी के भाव |
| 257 | 2 | खडी | खडा |
| 259 | 16 | उसके | उसको |
| 260 | | | |
| 263 | 16 | परिभा ा | परिभाषा |
| 266 | अन्तिम से 4 | आफइड | आफहैन्ड |
| 275 | 4 | हव | वह |
| 277 | अन्तिम से 7 | वन | उन |
| 278 | 4 | टमन | टनन |
| 281 | अन्तिम से 1 | जनके | जिनके |
| 282 | ,, 6 | श्री मानन्द अग्रवाल | श्री रामानन्द अग्रवाल |
| 286 | ,, 1 | सूरत | सूरतगढ |
| 292 | 8 | टकडा | टुकडा |
| 295 | 1 | श्री भैरों ह | श्री भैरोंसिह |
| ,, | 8 | कबार | के बारेमें |
| ,, | अन्तिम से 1 | कसै | कसे |
| 301 | ,, 4 | मैंट् | मैंट् |
| 310 | ,, 2 | Freelys | Freely |
| 312 | 6 | चाजज | चार्जेज |
| 313 | 15 | प्राइसयालिस्ट | प्राइसलिस्ट |
| 315 | अन्तिम से 6 | श्री भैरोंसि | श्री भैरोंसिह |
| ,, | ,, ,, | उसक | उसका |
| 317-328 | शीर्ष | मुख्य मंत्री के वक्तव्य--25 मई 1971-पर चर्चा | प्रवर समिति के प्रतिवेदन-25 मई 1971-के उपास्थापन हेतु समय वृद्धि |
| 317 | 3 | उपस्थापन प्रथग हेतु | उपस्थापन हेतु |
| 325 | 14 | इन्फामली | इन्फॉमली |
| 327 | 10 | श्री बोलतराम | श्री दौलतराम |
| 328 | अन्तिम से 8 | अल्टरनेटिव | आल्टरनेटिव |
| 331 | 7 | चन | चैन |
| 335 | 12 | व्यावित | व्यक्तियों |
| 338 | 6 | आर. टी. जो | आर. टी. ओ. |
| 339 | 11 | family | Family |
| ,, | 15 | Acconnts | Accounts |
| 340 | 15 | मावतपुर | माचलपुर |
| | 11 | चंदवरेडा | वंदवरेडा |
| ,, | 19 | मीरी | क्षीरी |
| ,, | 20 | संघडी | बडी |
| ,, | अन्तिम से 12 | कसयाथाना | कसबाथाना |
| ,, | | | |
| 346 | 3 | बडोखाटू | वडीखाटू |